गुट निरपेक्षता आन्दोलन : बदलता स्वरुप एवं वर्तमान प्रासंगिकता

NON-ALIGNMENT MOVEMENT : CHANGING NATURE AND CONTEMPORARY RELEVENCE

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को
राजनीति विज्ञान में
पीएच डी की उपाधि हेतु
प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

2015

निर्देशक
डॉ. डी. एस. यादव
पूर्व विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
एवं उपाचार्य
राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय,
कोटा (राज.)

शोधार्थी
निकिता शर्मा
एम.फिल्.
(राजनीति विज्ञान)

शोध केन्द्र

CIRTIFICATE

It is certified that the :-

(i) Thesis entitled ***" Non alignment movement : Changing nature and contemporary relevance"*** submitted by **Miss. Nikita Sharma** is an original piece of Research work carried out by the candidate under my supervision.

(ii) Literary presentation is satisfactory and the thesis is in a form satiable for publication

(iii) Work evinces the capacity of the candidate for critical examination and independent Judgment.

(iv) Candidate has put in at least 200 days of attendance every year.

Signature of Supervisor

With Date

सरस्वती वन्दना

"हे मां" "हे मां" "हे मां"
तुम्हारे प्यार का वरदान ले करके रहूंगी ही!
अवज्ञा तुम करो मेरी, भुलाया कब तुम्हें उर से
जलन का छोर ही पकडा सदा ही प्यास के डर से
दुखी हो बीन को छेडा करूण–सी रागिनी भर के
तुम्हारे राग का अभिमान बन करके रहूंगी ही!
तुम्हारे प्यार का वरदान ले करके रहूंगी ही!

अधर पर आ न पाई जो नयन को छोडकर चल दी
लहर मंझधार में पडकर किनारे तोडकर चल दी
शलभ को क्या जलाएगी, तडपकर लौ स्वयं जल दी
उसी अभिशाप का अवदान बन करके रहूंगी ही!
तुम्हारे प्यार का वरदान ले करके रहूंगी ही!

उमगकर फूल के मिस यों लता ने शूल को चूमा
कसकती याद कांटे–सी उधर हंस शूल भी झूमा
दुखों के शूल–उपवन में कहां सुख फूल–सा खिलता
उसी तव ज्ञान का अनुमान बन करके रहूंगी ही!
तुम्हारे प्यार का वरदान ले करके रहूंगी ही!
तुम्हारे प्यार का वरदान ले करके रहूंगी ही!

विगोयी की व्यथाओं में मिलत चुपचाप ही जलता
मुखर हो अश्रु के कण से सुखद वह आह में पलता
कसक बीते हुए युग की मिटाए से नही मिटती
उन्हीं मादक क्षणों का ध्यान बन करके रहूंगी ही!
तुम्हारे प्यार का वरदान ले करके रहूंगी ही!

चहे आयें कितनी ही अग्नि परीक्षाऐं,
चुनौतियां, उठें तूफान, स्वीकार करूंगी,
और ये शब्द मेरे हृदय में हमेशा गूंजते रहेंगे
उन मादक क्षणों का ध्यान बनकर रहूंगी ही!
तुम्हारे प्यार का वरदान ले करके रहूंगी ही!

प्राक्कथन
(Preface)

प्राक्कथन
(PREFACE)

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका उसके वर्तमान स्वरूप व भविष्य में उनकी प्रसंगिकता से सम्बन्धित है तथा इस शोध प्रबन्ध के माध्यम से गुट निरपेक्षता का वास्तविक अर्थ, उसकी अवधारणा, इसकी उत्पति के कारणों को खोजने का प्रयास किया गया है तथा इसके माध्यम से विश्व के देशों के आपसी सम्बन्धों व इन देशों द्वारा निभाई गई भूमिका को भी समझने का प्रयास यहाँ पर किया गया है हालाँकिं गुट निरपेक्षता की उत्पति व इसकी औचित्यता द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जुडी हुई मानी जाती है। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्च में इसकी आवश्यकता उपयोगिता की खोज इस शोध के माध्यम से किये जाने के प्रयास किये गए है तथा इसके माध्यम से भारतीय विदेश नीति का विश्लेषण किया गया है। साथ ही भारतीय दृष्टिकोण से विश्व के देशों के बदलते सम्बन्धों को उजागर करने कि कोशिश भी की गयी है। गुट निरपेक्षता को समझने हेतु इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है तथा गुट निरपेक्षता को ठीक से समझने के लिए सम्पूर्ण अध्ययन का निम्नानुसार अध्याय विन्यास किया गया है।

प्रथम अध्याय :– यह अध्याय परिचयात्मक है अतः शोध का प्रथम अध्याय गुट निरपेक्षता आन्दोलन के वैचारिक व सैद्धान्तिक आयाम, अर्थ, परिभाषा, व विशेषताओं से सम्बन्धित है साथ ही इसके उद्देश्यों, महत्व, इसकी अध्ययन पद्धतियों , इसकी प्रकल्पनाओं उपलब्ध साहित्य की समीक्षा से सम्बन्धित है अतः इन सभी को इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है।

दूसरा अध्याय :– दूसरा अध्याय इस आन्दोलन के उद्भव इतिहास एवं इसके विकास से सम्बन्धित है इस अध्याय में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा इसके विकास के क्रम व विकास को प्रभावित करने वाले वातावरण को समझाने का प्रयास इस अध्याय में किया गया है।

तीसरा अध्याय :– प्रस्तुत शोध का तीसरा अध्याय इसके विभिन्न सम्मेलनों व इसके बदलते स्वरूप से सम्बन्धित है इस अध्ययाय में बदलते विश्व परिदृश्य के साथ इस आन्दोंलन के बदलते आयामों पर प्रकाश डाला गया है तथा इस आन्दोंलन से सम्बन्धित सम्मेलनों की सक्षिप्त

व प्रमुख जानकारी भी इस अध्याय में दी गई है तथा एक विदेश नीति से एक आन्दोलंन बनने की प्रक्रिया को बताया गया है।

चतुर्थ अध्याय :– प्रस्तुत शोध का चतुर्थ अध्याय इसकी उपब्धियों व इसकी कमजोरियों से सरोकार रखता है। इसकी उपलब्धियेां व कमजोरियेां दोनों की तुलना करके उपयोगिता को समझने की कोशिश इस अध्याय में की गई है तथा इसकी सार्थकता पर लगे आरोंपों की जांच यहां की गई है।

पंचम अध्याय :– यह अध्याय इसकी वर्तमान प्रांसगिकता व इसकी भविष्य में उपयोगिता से सम्बन्धित है। इस अध्याय में इसकी प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक निभाई गई भूमिका के आधार पर इसकी वर्तमान प्रासंगिकता व भविष्य में इसकी उपयोगिता को बताने का प्रयास किया गया है।

छठा अध्याय :– छठा अध्याय प्रस्तुत शोध का सारांश प्रस्तुत करता है। जो एक तरह से सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध का उपसंहार है मूल्यांकन है तथा भविष्य में इसे प्रभावी व उपयोगी बनाने के सुझावों से सम्बन्धित है।

चूंकि यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से जुडा हुआ है इसलिए विश्व के अनेक देशों (लगभग 120 देशों) के राष्ट्रीय हितों से यह सम्बन्ध रखता है जो विश्व के एक बडे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते है इसलिये एक विदेश नीति के रूप में व एक आन्दोलन के रूप दोनों दृष्टिकोणों से यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह विश्व के अनेक देशों के हितों को प्रभावित करता है इसलिये भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

इस शोध प्रबन्ध के प्रत्येक अध्याय से सम्बन्धित सन्दर्भ सूची भी इस के साथ प्रस्तुत की गई है और अंत में भावी अध्येताओं के मार्गदर्शन हेतु एक ग्रंथसूची भी प्रस्तुत की गई है,जो उसके लिये उपयोगी साबित होगी। स्पष्ट है यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है साथ ही विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त के रूप में भी राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ भी है इसलिये राष्ट्रीय विदेश नीति के विश्लेषण में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों व विदेश नीति के विशेषज्ञों के लिए उपयोगी है इसलिए उन सभी के लिए यह अत्यन्त रूचिकर व हितकारी साबित होगा ऐसी मेरी आशा है।

आभार

प्रस्तुत पीएच. डी. शोध–प्रबन्ध की पूर्णता के लिए मैं सर्वप्रथम उन मनीषियों को नमन करती हूँ, जिनको विधाता ने एक अधिक मानवीय, अधिक सुन्दर, अधिक प्रेमपूर्ण, मतभेदों रहित, विभाजन रहित, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और उच्चतर समरस पर आधारित दुनिया और संसार निर्मित करने की प्रेरणा दी। जिनकी असीम कृपा से मैं भी अपना यह कार्य समय पर पूर्ण कर पायी हूँ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिए मैं अपने शोध मार्गदर्शक डॉ. डी. एस. यादव (सेवानिवृत उपाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटा) के प्रति अपने हृदय के गहनतम तल से आभारी व कृतज्ञ हूँ, जिनके अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक सहयोग, प्रोत्साहन, प्रेरणा व मार्गदर्शन से ही यह शोध प्रबन्ध संभव हो पाया, क्योंकि वे राजनीति विज्ञान विषय की सभी शाखाओं और उपशाखाओं के गहरे ज्ञान से अधिकृत है। वास्तव में उनकी दार्शनिक दृष्टि विश्लेषण दक्षता, अवधारणात्मक स्पष्टता तथा अभिव्यक्ति की मधुरता से ही मेरे ज्ञान का विकास और उन्नयन हुआ। इस दृष्टि से मैं सदैव उनकी ऋणी रहूँगी। मुझे उनका जो विश्वसनीय सहारा रहा, वह मेरे भावी जीवन में भी अविस्मरणीय रहेगा, क्योंकि मैंने एक तरह से उनके साथ उठते–बैठते उनकी स्वयं की पुत्री जैसा ही दर्जा प्राप्त कर लिया है। इस दृष्टि से मैं एक ओर उनके एवं दूसरी तरफ उनके ही परिवार के सदस्य उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शान्ता, पुत्री विधियंका एवं पुत्र हिमांशु को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने उनके निवास स्थान पर शोध के लिए दिए जाने वाले समय में सहर्ष सहयोग प्रदान किया। अतः उनके प्रति आभार प्रकट करना मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानती हूँ।

चूँकि परिवार हमारे सभी प्रकार के संस्कारों की प्रथम पाठशाला है। अतः इस दृष्टि से मैं अपने माता–पिता **श्री रमेश चन्द शर्मा** एवं **श्रीमति अनुसूईया शर्मा** को अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि समर्पित करती हूँ। मेरी माँ की गोद मेरे लिए सारे संसार का सुरक्षित स्थान है और पिता का मुझ पर और मेरे हर फैसले पर दिए जाने वाला सहयोग उनके नर्म, किन्तु ऊर्जावान हाथों ने सदैव मुझे जीवन के हर मोड पर एक विश्वास दिया है। जीवन के हर पल को आत्मविश्वास व आत्मसम्मान से जीना उन्हीं के दिए संस्कार है, उनसे अलग होने की तो कल्पना भी मैं नहीं कर सकती, किन्तु मेरी हर कृति मेरे माता–पिता के चरणों में समर्पित है। मैं अपनी बडी बहन **श्रीमति अनिता शर्मा** तथा **जीजाश्री नवप्रभाकर शर्मा व शोभा शर्मा व जीजाश्री पुरूषोतम** शर्मा की भी हृदय से आभारी हूँ जो अनकहे ही मेरी हर समस्या को पल में सुलझा देते हैं।

मैं अपने भतीजे **रूद्राक्ष शर्मा** एवं भांजी **पीहू शर्मा** के प्यार व स्नेह को नही भूल सकती जिन्होंने कभी दूर कभी पास रहकर कभी मेरे साथ रहकर अपनी प्यारी सी मुस्कान से मुझे हमेशा ताजा व प्रफुल्लित बनाये रखा।

मैं अन्य सम्बन्धियों, मित्रगणों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस दौरान मुझे पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए निरन्तर सहयोग दिया।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिए अध्ययन सामग्री एकत्रित करने की दृष्टि से मैं कोटा शहर के विभिन्न विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के पुस्तकालय प्रभारियों व उनके सहयोगी कर्मचारियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने निरन्तर मुझे सहयोग प्रदान किया। साथ ही इस बात को भी स्वीकार करती हूँ कि मैं इस शोध प्रबन्ध के लिए मैं अपने सहृदय शोध निदेशक के व्यक्तिगत पुस्तकालय पर भी निर्भर रही हूँ। अतः इस दृष्टि से उन्हें पुनः आभार प्रकट करती हूँ।

इस शोध प्रबन्ध के सुन्दर, स्पष्ट, कुशल कम्प्युटराईज्ड एवं मोदी कम्प्यूटर, कोटा टंकण के लिए **श्री रवि प्रकाश जी** एवं **श्री विनोद गौतम** को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके अर्थक प्रयत्नों से मैं इस शोध को समय पर पूरा करने में सक्षम हो पाई।

इस शोध प्रबन्ध में जिन विद्वानों और विशेषज्ञों की रचनाओं से कण बटोरकर मैंने अपना यह शोध प्रबन्ध पूरा किया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और स्वीकार करती हूँ कि इस शोध प्रबन्ध में जो कुछ भी त्रुटियाँ है, उनका दायित्व मेरा है। फिर भी मैं आश्वस्त हूँ कि विशेषज्ञगण उनको नजरअन्दाज करेंगे और भविष्य में भी शोण में रत रहने के मरे संकल्प को बल प्रदान करेंगे।

अन्त में, मैं उपनिषद के इस शान्ति पाठ के साथ इसमें व्यक्त भावना के साथ समाप्त करती हूँ।

ऊँ सह नाववतु।
स्ह नौ भुनक्तु।
सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु।
मां विद्विषावहै।।
ऊँ शांतिः शांतिः शांतिः।।

स्थानः– **निकिता शर्मा**
दिनांक :– **(शोधार्थी)**

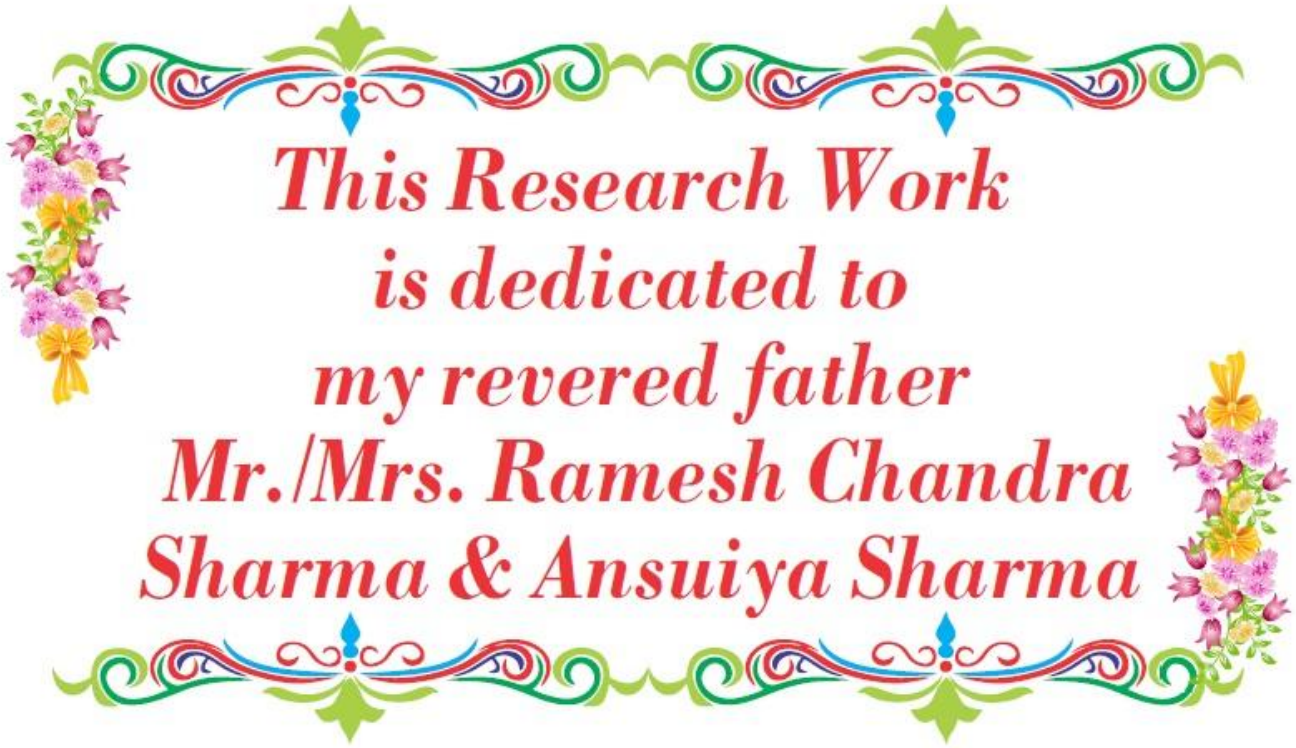
This Research Work
is dedicated to
my revered father
Mr./Mrs. Ramesh Chandra
Sharma & Ansuiya Sharma

विषय–सूची

(List of Contents)

क्र.स.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
A	प्रमाण पत्र	
B	प्राक्कथन (Preface)	I-II
अध्याय–1	गुटनिरपेक्ष आन्दोलन : एक परिचय (वैचारिक एवं सैद्धान्तिक आयाम, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएँ)	1–27
अध्याय–2	गुट निरपेक्षता – पृष्ठभूमि, इतिहास, उद्भव एवं विकास	28–52
अध्याय–3	विभिन्न सम्मेलन बदलता स्वरूप	53–112
अध्याय–4	गुट निरपेक्ष आन्दोलन की सफलता, असफलता और कमजोरियाँ	113–135
अध्याय–5	प्रासंगिकता एवं भविष्य	159–184
अध्याय–6	समग्र मूल्यांकन, निष्कर्ष एवं सारांश	159–177
A B	संदर्भ ग्रंथ सूची ग्रंथ सूची	178–188 189–200
परिशिष्ट–1	भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले पडोसी देशों की स्थिति	I-II
परिशिष्ट–2	अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में गुट निरपेक्ष देशों की स्थिति	III-IX
परिशिष्ट–3	गुट निपेक्षता के प्रमुख सिद्धान्त	X-XI
परिशिष्ट–4	THE IMPORTANCE OF NON-ALIGNED MOVE-MENT FOR THE WORLD PEACE	XII-XIII
परिशिष्ट–5	Relevance of Non-alignment Movement in 21st Century	XIV-XV

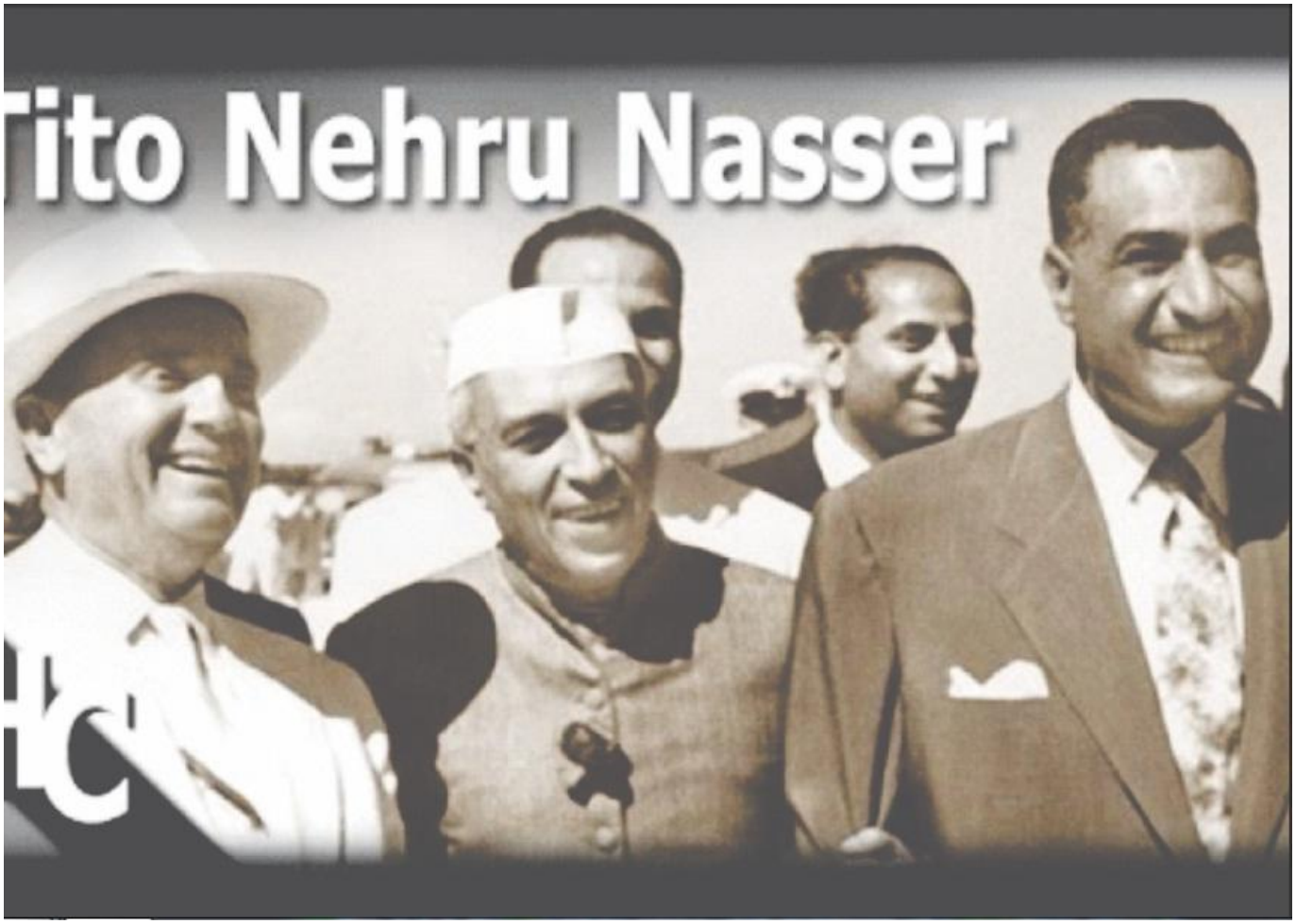
ito Nehru Nasser

प्रथम अध्याय

गुटनिरपेक्ष आन्दोलनः एक परिचय

(वैचारिक एवं सैन्द्धान्तिक आयाम; अर्थ परिभाषा एवं विशेषताएँ)

प्रथम अध्याय

गुटनिरपेक्ष आन्दोलनः एक परिचय

(वैचारिक एवं सैद्धान्तिक आयाम; अर्थ परिभाषा एवं विशेषताएँ)

गुटनिरपेक्षता :–

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का यह अध्याय परिचयात्मक है। इसके अनेक पहलू है जैसे यह अध्ययन किस से संबधित है तथा इसका स्वरूप ओर प्रकृति क्या है ? इसके वास्तविक उद्देश्य क्या है ? इस विषय पर कितना साहित्य उपलब्ध है ओर वह प्रस्तुत शोध के लिये कितना उपयोगी है। उसमे क्या कमियां है ? नये अध्ययन की आवश्यकता क्यों है ? नये अध्ययन से राजनीति विज्ञान के साहित्य में क्या योगदान होगा तथा ज्ञान के क्षेत्र में ओर आम पाठको की राय में यह किस प्रकार लाभदायक रहेगा। इस अध्ययन का क्षेत्र क्या है ? इस अध्ययन में किन प्रकल्पनाओं को सत्यापित करने का प्रयास किया जायेगा एवं इस अध्ययन की शोध पद्धति एवं प्रकृति क्या है आदि।

प्रस्तुत शोध मुख्य रूप से गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन उसका बदलता स्वरूप एंव वर्तमान प्रांसगिकता से संबन्ध रखता है। इस क्रम में यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष शब्द का विभिन्न अर्थो में प्रयोग किया गया है। इस शब्द का 1945 के पश्चातवर्ती काल में प्रादुर्भाव हुआ, पश्चिमी देशों में अक्सर तटस्थवाद शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है ओर इन्ही दोनो शब्दो की सहायता से ही गुट निरपेक्षता को समझने की कोशिश की जाती रही है। इसका कारण संभवत यह है कि पश्चिमी देशों को केवल तटस्थता का ही अनुभव है। इसलिये वो गुटनिरपेक्षता को तटस्थता का एक प्रकार समझते रहे है।

भारत के संन्दर्भ में गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को समग्र मानवता के हितो की आकांक्षा से प्रारम्भ किया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिये कि यह मात्र तटस्थता नहीं है ओर समयानुसार इस आंदोलन का सरोकार ओर स्वरूप बदलता रहा है। यह भारत की विदेशनीति का महत्वपूर्ण पहलू व केन्द्र बिन्दु है। भारत द्वारा इस सिंद्धान्त को अपनाने के दो प्रमुख स्त्रोत है – भौतिक और गैर भौतिक। भौतिक तत्वो में भारत की भूराजनैतिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण रही है गैर भौतिक तत्वो में प्रमुख है भारत की ऐतिहासिक विरासत एंव भारतीय दर्शन एंव परम्पराओं का प्रभाव।[1] **अप्पा दो राय एंव एम.एस राजन** के अनुसार भारत ने इस सिद्धान्त को निम्न तीन कारणो से अपनाया :–

1. भारत की परम्परा,सहनशीलता और बहुमूल्य विचारधारा।
2. भारत की भौगोलिक स्थिति।
3. नव स्वतंत्र राष्ट्र द्वारा अपनी रक्षा हेतु।[2]

गुट निरपेक्षता की नीति के कई पहलू है परन्तु सामान्य रूप से इसे शीतयुद्ध व उससे सम्बद्ध गुटबंदियों से अलग रहने की नीति माना गया है। इसे दूसरे शब्दो में इसे शीत युद्ध से सम्बद्ध सैनिक गठबन्धनों में भागीदारी न करने वाला सिद्धान्त भी माना गया है। इसके अतिरिक्त इसे भारत का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने वाला सिद्धान्त भी माना जाता है। इस सिद्धान्त के द्वारा भारत अपने विकल्पों की स्वतंत्रता के साथ अपने राष्ट्रीय हितो की पूर्ति तथा मुद्दो की योग्यता के आधार पर समर्थन करना चाहता था।[3]

इस प्रकार गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त एक गत्यात्मक विदेशनीति है जिसमें सकारात्मक व नकारात्मक दोनो ही पहलू विद्यमान है। इसके नकारात्मक पहलू है :'

1. विश्व शक्ति गुटो व शीतयुद्ध से अलग रहना।
2. सैन्य गठबन्धनो में शामिल न होना।

इसके सकारात्मक पहलू है :–

1. विश्व शांति हेतु कार्य करना।

2. विश्व में स्वतंत्रता के प्रसार को बढ़ाना

3. उपनिवेशवाद की समाप्ति एंव स्वतंत्र राष्ट्रो के उदय को समर्थन।

4. राष्ट्र के मध्य सहयोग के दायरे मे विकास करना।[4]

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत का गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय रहा है परन्तु इसके सही अर्थ को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है शायद इसीलिये कई लेखक इसे अलगाव वाद, गैर सम्बद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एकलवाद, अहिस्सेदारी आदि धारणाओं से जोड़ते है।[5]

परन्तु **जवाहरलाल नेहरू ने** इन धारणाओं को गुटनिरपेक्षता की नीति के समक्ष मानने को गलत ठहराया है। जहां तक तटस्थीकरण का प्रश्न है नेहरू का मानना था कि यह धारणा सीमित है तथा आज के सन्दर्भ में विश्व युद्धो से तटस्थ रहना संभव नहीं है। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देश को तो युद्ध में भी हिस्सा लेना पड़ सकता है यदि वह इसके राष्ट्रीय हितो के अनुरूप है।[6] इसलिये जहां स्वतंत्रता न्याय अथवा युद्ध होगें वहां भारत तटस्थ नहीं रह सकता।[7]

एक साक्षात्कार में नेहरू ने स्वीकार किया था कि **साधारण रूप से भारत की गुटनिरपेक्षता से अर्थ है कि हम प्रत्येक विषय को उस समय की परिस्थितियों के संदर्भ में योग्यता के अनुसार ऑकते है तथा विश्व शान्ति व अन्य उद्देश्यो के संदर्भ में जो उचित हो वह निर्णय लेते है।[8]**

इसी प्रकार गुटनिरपेक्षता व अलगाववाद का भी नेहरू ने खण्डन दिया। नेहरू का मानना था कि आज के विश्व में अलगाववाद संभव नहीं है। शक्ति गुटो में हिस्सा न लेना तथा गठबन्धनो से अलग रहना अलगाववाद नहीं है। इसके विपरीत इस नीति के आधार पर हम शान्ति के पक्ष में सही निर्णय लेने में सक्षम होगें तथा आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ा सकेंगे। इस आपसी सहयोग के आधार पर ही हम अपने विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य ''एक विश्व'' की धारणा को साकार कर पायेगे।[9]

पण्डित नेहरू इस नीति को तीसरी शक्ति से जोड़ने के भी विरोधी थे क्योंकि गुटनिरपेक्षता का अर्थ दो विरोधी गुटो के मध्य संतुलन करने वाली तीसरी शक्ति से नहीं था। भारत द्वारा दो गुटो के बीच दीवार या तीसरी शक्ति के रूप में कार्य करना गुटनिरपेक्षता का लक्ष्य नहीं था।[10]

वास्तविकता यह थी कि भारत इन शक्ति गुटों को समाप्त करके आपसी सहयोग के आधार पर सभी राष्ट्रो द्वारा समानता के आधार पर विकास का पक्षधर रहा है। स्पष्ट है कि इस नीति के अनेक पहलू है जो इसके सकारात्मक व नकारात्मक स्वरूप को उजागर करते है लेकिन यह अकर्मण्यता की नीति नहीं है। बल्कि एक गतिशील नीति है जो बदलते हुये अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के साथ अपने आप को ढालने मे सक्षम है। इसके अनुसरण से भारत को दो प्रमुख उद्दश्यों की प्राप्ति में सफलता मिलती है एक ओर इसके द्वारा भारत अपने राष्ट्रीय हितों व सुरक्षा की प्राप्ति करता है व दूसरी ओर वह भारत की विश्व शान्ति की पंरपरा को आगे बढ़ाती है। नेहरू का यह मानना था कि इस नीति का भारत के पास ओर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बाकी सभी नीतियां संघर्ष, शीतयुद्ध, विश्वयुद्ध की द्योतक है। यही एकमात्र शांति की नीति है जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय उद्देश्यो की पूर्ति हो सकती है।

स्पष्टतः स्वीकार किया जा सकता है कि नेहरू इस नीति को व्यापक संदर्भ में शांति की नीति मानते थे। जो न केवल भारत बल्कि एशिया और अन्ततः विश्व शांति के लिये सहायक है। इसी कारण इस नीति ने भविष्य मे एक आंदोलन का रूप लिया ओर वही आंदोलन ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहलाया। जिसका आरम्भ 1961 में 25 सदस्यों की सदस्यता से प्रारम्भ हुआ जिसकी वर्तमान में सदस्य संख्या 120 हो गई है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि प्रारम्भ में इसका आधार क्षेत्रीय ही था अर्थात् एशिया का शांति दृष्टिकोण।[11] इस नीति के अन्तर्गत वह शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद शांति क्षेत्र की स्थापना करना चाहते थे सर्वप्रथम यह शांति क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया से प्रारम्भ करके सम्पूर्ण विश्व तक विस्तार कर सकता है।[12] पंडित नेहरू का मानना था कि शांति के क्षेत्र को बढ़ाकर अर्थात् वह देश जो किसी भी गुट के साथ संलग्न न हो तथा दोनो देशों के समूह से मित्रता रखते हो युद्ध के अवसरो को कम कर सकते है।[13]

अतः हम कह सकते है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की सुरक्षा एवं शांति के लिये एक मॉडल ही नहीं अपितु विश्व शांति का भी पक्षधर है। तथा इसका नैतिक प्रभाव सार्वभौमिक स्तर पर मान्य है। इसी कारण हम यह मान सकते है कि इस नीति पर आधारित गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया का सबसे सशक्त व महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है।

वर्तमान तक यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन तीसरी दुनिया का एक सशक्त व महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। इसीलिये विदेशी विशेषज्ञ **अली मजरूही** ने उचित ही टिप्पणी की है कि 20 वीं सदी के उत्तरार्ध में छोटे राज्यों व बड़ी शक्तियों के संबन्धो के बीच किसी भी विदेश नीति के सिद्धान्तों ने इतना प्रभाव नहीं डाला जितना गुटनिरपेक्षता की नीति ने।[14]

इस आंदोलन के जन्मदाता के रूप में नेहरू तथा भारत को इसके संस्थापक के रूप में माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ही अपने प्रथम रेडियो भाषण में 7 सितम्बर 1946 को इसे भारत के लिये उपयुक्त नीति बताया। यह घोषणा अवश्य 1946 में हुई, परन्तु भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान भी इसकी झलक देखी जा सकती है। तब से लेकर आज तक भारत अपने विदेशी संबन्धो मे इस नीति का अनुसरण करता रहा है। विभिन्न प्रशासनों के परिवर्तन के बाद भी यह नीति शाश्वत रूप में जारी है।

जैसा कि पूर्व मे भी संकेत दिया है कि भारत की इस विदेश नीति को एक नीति से एक आंदोलन बनने की प्रक्रिया मे 15 वर्ष लगे। 1961 में बेलग्रेड में अपने प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 राष्ट्रों की भागीदारी से यह आंदोलन आरम्भ हुआ था। तथा 5–6 सितम्बर 2011 मे बेलग्रेड मे ही अपने 50 वर्ष पूरे होने पर इसकी स्वर्ण जयन्ती मनाई गई। इसका मूल उद्देश्य तीसरी दुनिया के देशों को सैन्य गठबन्धनों में शामिल होने से बचाने के साथ स्वतंत्र विदेश नीति की प्रेरणा देना रहा। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी दुनिया के देशों में इसकी विश्वनीयता लगातार बढ़ती गई। और यह विकासशील देशों का एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया। इसने इन देशों के प्रमुख मुद्दो को विश्व मंच पर उभारा व उनके लिये संघर्ष किया। इस आंदोलन की बढ़ती साख, इसकी प्रसिद्धि का अनुमान इसकी बढ़ती सदस्य संख्या एवं पर्यवेक्षकों व अतिथियों

द्वारा शिखर सम्मेलनों मे उपस्थिति से लगाया जा सकता है। इसका परिणाम पिछले 16 शिखर सम्मेलनो मे इसकी भागीदारी से लगाया जा सकता है। जिसका विवरण निम्न तालिका में है।

क्रम सं	शिखर सम्मेलन	स्थान	वर्ष	सदस्य संख्या
1	पहला	बेलग्रेड	1– 6 सितम्बर 1961	25
2	दूसरा	काहिरा	5–10 सितम्बर 1964	47
3	तीसरा	लुसाका	8–10 सितम्बर 1970	53
4	चौथा	अल्जीयर्स	5–09 सितम्बर 1973	75
5	पांचवा	कोलम्बो	16–19 सितम्बर 1976	85
6	छठा	हवाना	3–09 सितम्बर 1979	92
7	सांतवा	नईदिल्ली	7–12 मार्च 1983	100
8	आठवां	हरारे	1–06 सितम्बर 1986	101
9	नोवां	बेलग्रेड	4–07 सितम्बर 1989	102
10	दसवां	जकार्ता	01–07 सितम्बर 1992	108
11	ग्यारवां	कार्टाजेना	18–20 अक्टूबर 1995	113
12	बारहवां	डर्बन	02–03 सितम्बर 1998	114
13	तेहरवां	क्वालालम्पुर	20–25 फरवरी 2003	116
14	चोदहवां	हवाना	11–16 सितम्बर 2006	118
15	पंद्रहवा	शर्मअलशेख	11–16 जुलाई 2009	118
16	सोलहवां	तेहरान	26 से 31 अगस्त 2012	120

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता की नीति भारत द्वारा अपने लिये अपनाई गई जो बाद में तीसरी दुनिया का एक सशक्त आंदोलन बन गई। जिसमें तीसरी दुनिया के बहुमत

के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र, विकसित तथा अन्य देश, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े अन्य संगठन आदि भी पर्यवेक्षको तथा अतितिथों के रूप में जुड़ गये वर्तमान मे इससे जुड़े अन्य संगठनो की संख्या 28 है, जिसमे 18 देश व 10 संस्थाऐं है। यह स्पष्ट है कि भारत इस आंदोलन के माध्यम से शांति के प्रयास करता आया है। ऐसी स्थिति में अध्येताओं के लिये आवश्यक है कि वे इसके स्वरूप को ठीक से समझ ले :–

1. गुट निरपेक्षता के अर्थ को लेकर तरह तरह की परिभाषाऐं एंव टिप्पणियां दी गई है। परन्तु चाहे इसके अर्थ के बारे मे कितना ही विवाद रहा हो दुनिया का एक बड़ा भाग इसे अपने हितो से जुड़ा आंदोलन मानता है।
2. इस आंदोलन का अर्थ चाहे जो भी हो परन्तु यह आंदोलन स्पष्टत तीसरी दुनिया के देशों की आजादी एंव स्वतंत्रता को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास है।
3 इस आंदोलन से जुड़े देश चाहे विभिन्न स्वरूप के है (पाश्चात्य देशों से जुड़े, साम्यवादी विचारधारा से जुड़े, वे जो सैनिक संगठनो का हिस्सा हो) परन्तु तीसरी दुनिया के देशों की मांगो हेतु सब एकमत हो जाते है।
4. शीतयुद्धोत्तर युग में गुटनिरपेक्षता के समर्थको एंव बाहय शक्तियों में इसकी सार्थकता को लेकर प्रश्नचिन्ह अवश्य लगा है। परन्तु अभी भी इसका विघटन नहीं हुआ है। इस संदर्भ में **एम.एस राजन की इस टिप्पणी की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता कि वर्तमान संदर्भ में गुट निरपेक्षता एक देश की नीति (भारत) तथा एक आंदोलन मे अवश्य कुछ द्वन्द सा आ गया है। इसलिये इसको एक देश की विदेशनीति कें के रूप में महत्व को नहीं नकारा जा सकता चाहे सामूहिक रूप से इसकी सार्थकता हो या न हो।**[16]

उक्त तथ्यो के आधार पर यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि वैसे तो यह आंदोलन जो कि विश्व के एक बड़े भाग की स्वतंत्रता, एकता, प्रभुसत्ता, अखण्डता, समृद्धि न्याय आदि का द्योतक है। फिर भी भारत ने जो पहल व समर्थन दिया है उसके कारण भारत की भूमिका अधिक स्पष्ट रूप से उजागर होती है। जैसे भारत इस आंदोलन का एक तरह से जन्मदाता है। भारत ने इसे विश्व आंदोलन बनाने पर सहमति कराई है जिसके परिणामस्वरूप

बेलग्रेड में 1961 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है। इतना अवश्य है कि कुछ विशेषज्ञो का मानना है कि इन एशियाई देशों का यह सम्मेलन समप्रवर्तियों का विभिन्न मुखरित रूप है।[17] परन्तु इस टिप्पणी के बावजूद भारत की भूमिका पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत इन दोनो ही गतिविधियों को उभारने हेतु समानान्तर रूप से प्रयासरत रहा ओर भारत के सशक्त नेतृत्व के कारण ही तीसरी दुनिया के देशों को एक गुट के रूप में बांधना संभव हुआ। शीतयुद्ध की प्रक्रिया की भी अप्रत्यक्ष भूमिका मानी जा सकती है। भारत की सैन्य गठबन्धनों से अलगाव की स्पष्ट नीति व विकासशील देशों के स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित करने मे पहल, के परिणामस्वरूप ही यह आंदोलन अस्तित्व में आया। अतः भारत की विशेष भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता।

भारत ने ही इस आंदोलन का गठन करने के लिये शांति हेतु विशेष प्रयास किये ओर इसके व्यापक उद्देश्य स्वीकार करते हुये विश्व शांति के आधारों को सुदृढ़ करने पर कार्य किया। इसके जो भी उद्देश्य तय किये गये उनको भारत ने न केवल विदेश नीति की विषय सूची का विषय का बनाया, अपितु गुटनिरपेक्षता आंदोलन की भूमिका में इसे क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया। भारत ने ही कुछ ऐसे प्रयास किये जिससे यह आंदोलन शातिं पूर्ण विश्व बनाने मे सहयोग दे सके। इसलिये इस आंदोलन कें प्रारम्भिक वर्षो में राष्ट्रीय स्वतंत्रता उपनिवेशवाद की समाप्ति सबसे महत्वपूर्ण व प्राथमिकता के विषय बने। ओर अनेक देशों की आजादी के प्रश्न महत्वपूर्ण बनें। परमाणु शक्तियों के शोषण से बचाव के प्रयास किये गये, तृतीय विश्व के देशों के लिये एक आदर्श की भूमिका अदा की। 1970 के दशक में नई आर्थिक विश्व व्यवस्था पर बल दिया और शीतयुद्धोत्तर युग में इसका बचाव किया। तथा निरंतर गतिशील रहकर प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष रूप से विश्व शांति की प्रक्रिया को मजबूत हीं नहीं किया अपितु उसे आगे भी बढ़ाया।

स्पष्ट है कि समयानुसार इस आंदोलन का स्वरूप, मुद्दे या सरोकार बदलते रहे। प्रारम्भ में भले ही इसे शीतयुद्ध के विरूद्ध एक प्रक्रिया माना गया और इसका संबन्ध राजनैतिक विषयो से अधिक रहा। परन्तु बाद में इसका संबन्ध आर्थिक विषयों व विकास से संबधित हो गया। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य मुद्दे है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक मंदी, अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार,खाद्य सुरक्षा, आंतकवाद इन्ही मुद्दो पर गुटनिरपेक्ष देश सामूहिक रूप से विचार विमर्श करते है तथा विकसित देशों के समक्ष अपना मत प्रस्तुत करते है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि इस संगठन की प्राथमिकता को बदलने की आवश्यकता है न कि इसे समाप्त करने की। इस दृष्टि से यह मानना भी उल्लेखनीय है कि जब तक तीसरी दुनिया के देशों की मूलभूत समस्या बनी रहेगी इसका महत्व भी बना रहेगा।

आवश्यक परिचय की इस पृष्ठभूमि मे इस शोध शीर्षक के निम्न उद्देश्य बताये जा सकते है,अर्थात् प्रस्तावित शोध जिसका केन्द्र बिन्दु गुट निरपेक्ष आंदोलन का बदलता परिदृश्य है के निम्न उद्देश्य चिन्हित किये जा सकते है :–

1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व विकास की जानकारी प्राप्त करना।
2. गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का स्पष्टीकरण करना।
3. गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति के कारणों की जांच करना।
4. इस आंदोलन के **संगठानात्मक** ढ़ाचें की जानकारी प्राप्त करना।
5. वर्तमान अर्न्तराष्ट्रीय मुद्दो में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता का अध्ययन करना।
6. पश्चिमी देशों व आलोचको द्वारा इस आंदोलन पर लगाये गये आरोपों की जांच करना।
7. भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में असंलग्नता की नीति व इससे उपजे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ध्यान मे रखते हुये हमारी विदेश नीति की सफलता असफलता का परीक्षण करना।
8. गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आई गतिशीलता व नूतन प्रवृत्तियों का पता लगाना। जैसे अभी अभी अमरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के संदर्भ में कुछ भारतीय अधिकारियों ने यह कथन प्रस्तुत किया कि भारत अब गुटनिरपेक्ष के बदले बहु सापेक्ष होने की दिशा में बढ़ रहा है। अतः इस संदर्भ में हम द्विपक्षीय,क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दो पर विचार कर भारत के लिये आवश्यक दिशा पकड़ने का पता लगा सकते है।
9. वर्तमान परिपेक्ष्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपयोगिता व सार्थकता का मूल्यांकन करना भी इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

10. चूँकि यह स्वीकार किया जा सकता है कि भविष्य में भी यह आंदोलन ओर इस संगठन का महत्व बना रहेगा तो इसके अधिक प्रभावशाली व सार्थक बनाने के उपायों का पता लगाना भी इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। ताकि मानवता के भविष्य में भी इसके लाभो से वचिंत न रह सकें।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षाः–

शोध हेतु निश्चित किये गये विषय से संबधित साहित्य का पुनरावलोकन किए बिना शोध प्रारम्भ नहीं किया जा सकता। अन्यथा इससे सम्पूर्ण शोध प्रक्रिया के दोष पूर्ण रहने की सम्भावना रहती है। अतः आवश्यक है कि आरम्भ से ही शोध साहित्य का अध्ययन कर लिया जाय। संबधित साहित्य मे प्रलेख, लेख पत्र, पुस्तके, प्रतिवेदन विषय से संबधित शोध ग्रंथ आदि आते है। इस प्रकार के साहित्य के अध्ययन से शोध कर्त्ता का काम आसान हो जाता है। इससे शोध कर्त्ता को अध्ययन की विभिन्न प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है ओर शोध कार्य में आने वाली कठिनाइयों का पता भी चल जाता है महत्वपूर्ण अवधारणाओ की जानकारी मिल जाती है किन्तु किये हुये शोध कार्य को दोहराने की भूल से छुटकारा मिल जाता है। तथा शोध कार्य को आगे बढ़ाने मे मदद मिलती है। संबधित साहित्य का अध्ययन कर लेने से **श्रीमति यंग** के अनुसार निम्न लाभ मिलते है :–

1. शोधकर्ता को अध्ययन विषय के संदर्भ मे ऐसी अंत दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह उचित प्रश्न कर सही सूचनाऐं प्राप्त कर सकता है।
2. शोध कार्य में उपयोगी पद्धतियों एंव प्रविधियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
3. अवधारणाओं को समझने व प्राक्कल्पनाओं का निर्माण करने मे सहायता मिलती है तथा –
4. किसी शोध कार्य को फिर दोहराने कि गलती से बचा जा सकता है और विषय से संबधित उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है जिन पर अन्य शोध कर्ताओं ने पूर्व मे ध्यान नहीं दिया इससे शोधकार्य अधिक व्यवस्थित हो जाता है।[18]

वास्तविकता यही है कि किसी भी विषय पर आरम्भ से वर्तमान समय तक ज्ञान जानकारियो ओर सूचनाओं की एक निरन्तरता चलती रहती है। उसी क्रम में नवीन परिवेश में

नवीन विश्लेषण नवीन उपयोगिता तथा प्रांसगिकता पर विचार किया जाता है। इसी दृष्टि से यह आवश्यक है कि विषय पर उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की जाए। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के लिये वर्तमान प्रसंग में निम्न साहित्य का उल्लेख किया जा सकता है।

1. **महेन्द्रकुमार – "अंर्तराष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष"**, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, आगरा से प्रकाशित पुस्तक हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। हिन्दी भाषा में ग्रंथ का अध्याय न. 12 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें गुटनिरपेक्षता का अर्थ उसके प्रयोजन एंव आधार तथा शीतयुद्ध के बदलते स्वरूप के साथ इसके सशक्त आंदोलन के रूप में उभार आदि को स्पष्ट किया गया है।
2. लेखक की आंग्ल भाषा की पुस्तक **'theoreticalAspects of international politics'** के अध्याय 15 में **'थ्योरी आफ नॉन एलाइनमेन्ट'** शीर्षक से विषय का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. **'अंर्न्तराष्ट्रीय संबन्ध' 'कोड'** संख्या 1806, बी एल कड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2008, नामक ग्रंन्थ में अध्याय 9 व 20 में शीर्षक 'गुटनिरपेक्ष आंदोलन' में भारत की भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है और अधिकतर इसमें नवीन प्रवृत्तियों और प्रासंगिकता पर भी विचार प्रस्तुत किया गया है। परन्तु चूंकि यह विषयवस्तु 2008 के बाद की स्थिति को समाहित नहीं करती है। ओर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अद्यतन शिखर सम्मेलनो का हवाला इसमे नहीं दिया गया है। अतः इसे एक दृष्टि से सामयिक नहीं कहा जा सकता है हालांकि इससे सहायता अवश्य ली जा सकती है। **बी.एल फड़िया** के अन्य दो ग्रन्थ '**अंर्तराष्ट्रीय राजनीति' व 'अंर्तराष्ट्रीय संबन्ध'** जो बिना किसी कोड के लिखे गये है उनमें भी इससे संबधित जानकारी मिलती है।

आर.एस यादव की पुस्तक **'भारत की विदेश नीति**; एक विश्लेषण' किताब महल 2005 तथा संशोधित संस्करण पीयर्सन, दिल्ली 2012 भी इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 2005 के संस्करण मे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से शांति स्थापना के प्रयासों को स्पष्ट किया गया है तथा यह बताया गया है कि इस आंदोलन को भविष्य में किस प्रकार सार्थक बनाया जा सकता

है। जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्व शांति प्रक्रिया को मजबूत ही नहीं किया जा सके अपितु उसे आगे भी बढ़ाया जा सकें। शोध के लिये दोनों पुस्तकों की सहायता ली जा सकती है। परन्तु जिस दृष्टि से शोध प्रस्ताव, उद्देश्य आदि तय किये गये हैं उस दृष्टि से एक नवीन अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है, जो व्यापक रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी पहुलओं को स्पष्ट करता हो।

यादव आर एस चूंकि एक अन्य पुस्तक, **'इण्डियन फोरेन पॉलिसी कन्टम्प्रेरी ट्रेड्स'** शिप्रा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2009 में लिखी पुस्तक भी उपयोगी है।

विदेश नीति पर आधिकारिक रूप से लिखने वाले ए अप्पादोराय, एम एस राजन आदि ने जो भी पुस्तकें लिखी है उनमें गुटनिरपेक्षता आंदोलन की नीति को अवश्य चिन्हित किया है। अतः विदेश नीति व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से इनके द्वारा संचित साहित्य की उपेक्षा नही की जा सकती है।

इस दृष्टि से एक ओर अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक **के पी मिश्रा** द्वारा रचित **'विदेश नीति व गुटनिरपेक्ष आंदोलन'** में जो कुछ लिखा गया है वे भी प्रस्तुत शोध के शोधार्थी के लिए महत्वपूर्ण है।

डॉ. जी रॉय की पुस्तक **'the nonAlignment diplomacy of mrs. Indira Gandhi'** जो उसी काल क्रम में पटना से प्रकाशित हुई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

टी बी सुब्बाराय की पुस्तक जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के साथ जोडकर लिखी गई है। **'nonAlignment in international lawAnd politics'** भी उल्लेखनीय है।

डॉ एम एस राजन ने विदेश नीति के अतिरिक्त **'गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं सम्भावनाएं'**, शीर्षक से भी एक पुस्तक लिखी है जो हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली 1991 का प्रकाशन है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

'विश्व राजनीति के बदलते आयाम' जे सी जौहरी, विशाल पब्लिकेशन जालंधर 2008 के विभिन्न अध्यायों में भी इसका विश्लेषण किया गया है जिससे सार्थक सहायता ली जा सकती है।

पंत पुष्पेष व जयंत श्रीपाल की तीन पुस्तकें **'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति', 'प्रमुख देशों की विदेश नीतियां', 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध',** मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और हिन्दी माध्यम के शोधार्थी के लिए पर्याप्त सहयोगी साबित हो सकती है।

'भारत की विदेश नीति' पर **यु आर धई, जे एस दीक्षित**, **शीला ओझा** आदि की पुस्तकें भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनका अध्ययन करके एक विशेष दिशा प्राप्त की जा सकती है।

अकादमी फाउन्डेशन का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन **"indian foreign policy, challengesAnd opportunities" आतिश सिन्हा एंव मधु मेहता** द्वारा सम्पादित भी अत्यन्त महत्वपूर्ण अध्ययन है जो 2007 का प्रकाशन है।

इस दृष्टि से एक छोटी पुस्तिका **"गुटनिरपेक्ष आन्दोलन, बदलता परिप्रेक्ष्य" मनोरमा चतुर्वेदी**, अंकुर प्रकाशन 2006 का भी उल्लेख किया जा सकता है जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की घटती साख पर चिंता व्यक्त की गई है परन्तु इसमें केवल 4 ही अध्याय है। 1. सैद्धान्तिक अवधारणा 2. ऐतिहासिक विकास तथा 3. विशेष रूप से दिल्ली सम्मेलन का विवरण एवं 4. निष्कर्ष जबकि प्रस्तुत शोध की आवश्यकता इससे कही अधिक है। सांराश यही है कि शोधार्थी ने निरन्तर यह महसूस किया है कि पुस्तक व शोध लेखों के रूप में इस विषय पर एक नवीन अध्ययन की अति आवश्यकता है, ताकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को 21वीं सदी की दूसरे दशक के मध्य तक होने वाली घटनाओं व परिवर्तनों के आधार पर इसकी सार्थकता को परखा जा सके। अतः शोधार्थी की दृष्टि में एक नवीन अध्ययन की आवश्यकता निर्विवाद है। जो अधिक सामयिक एवं प्रांसगिक होगा तथा इस नवीन अध्ययन से राजनीति विज्ञान के साहित्य में जो योगदान होगा वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। यही कहा जा रहा है कि वर्तमान में इस आंदोलन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड रहा है जिससे इसके अस्तित्व को गंभीर खतरा पैदा हो गया है अतः शोधार्थी का मानना है कि नवीन अध्ययन या प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से ही

विदेश नीति के कर्ता धर्ता राजनीतिज्ञ, राजनयिक, राजदूत और अन्य बुद्धि जीवी तथा विशेषज्ञ कुछ सहयोग प्राप्त कर सकेगें और इस आंदोलन के लिए समूचित कार्यवाही को अंजाम देकर इसके विषय में जो अपवाद, भ्रांतिया, संशय आदि पैदा हो गए है वे दूर हो सकेंगें।

प्रस्तुत शोध का क्षेत्र :–

चूंकि प्रस्तुत शोध जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबधित है उसका जन्म ही द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शीघ्रता से पतन होने वाले उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के साथ हुआ। तथा एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका के जो देश स्वतंत्रता के लिये संघर्ष कर रहे थे उन्होने इसे अपनाया तथा शीत युद्ध ने इसे निरन्तर चरम सीमा पर पहुॅचा दिया। अतः प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रारम्भ ऐतिहासिक दृष्टि से वहीं से हो जाता है। ज्यों ज्यों पूजींवादी एंव साम्राज्यवादियो में मतभेद बढ़े तथा उनकी तू तू मैं मैं एवं एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को कम करने के लिये प्रयास हुये। त्यों त्यों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्रियाकलापों को भी बल मिला। इसके साथ साथ तनाव शैथिल्य के प्रयास भी जारी रहे। 1980 के दशक में सोवियत नेता मिखाईल गोर्बाचोव की दो नीतियों ग्लास्नोस्वा तथा पेरेस्त्रेइका के कारण बड़ा परिवर्तन आया और सोवियत संघ ने शीतयुद्ध से हटना प्रारम्भ कर दिया। धीरे धीरे जहां कहीं भी साम्यवाद का प्रभाव था वहां उदार लोकतंत्र की स्थापना हो गई। ओर 1990 के दशक के आते आते शीतयुद्ध समाप्ति की नोबत आ गई। परन्तु चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन केवल शीतयुद्ध का शिशु नहीं था अन्य समस्याये भी थी। जिनको लेकर इसका उदभव व विकास हुआ था वे समस्याऐं अभी तक अस्त्तिव में है। अतः वर्तमान तक भी इसके क्षेत्र का विस्तार मानने का कोई अनऔचित्य नहीं है। ऐसा करके ही शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध में गुटनिरपेक्षता एंव गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता एंव प्रांसगिकता को परखा है। और इसी निर्णय पर पहुॅचे हैं कि भले ही वर्तमान में विश्व की सूरत कुछ भी हो परन्तु स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानव अधिकार, नवीन आर्थिक व्यवस्था, पर्यावरण के मुद्दे मानव जीवन को सुखी एंव समृद्धि बनाने की आवश्यकता अभी भी नई व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा कर रही है अतः

वर्तमान तक इसके क्षेत्र का विस्तार है ओर भविष्य मे भी जब तक इन समस्याओं का कोई समुचित हल न ढूंढ लिया जावेगा यह विषय सामाजिक ही बना रहेगा।

प्रस्तुत शोध का महत्व औचित्य व योगदान :–

चूंकि प्रस्तुत शोध का शीर्षक **'गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बदलता स्वरूप व वर्तमान प्रांसगिकता है।'** यह विषय अपनी प्रकृति से ही इस प्रकार का है कि द्वितीय विश्वयुद्धोपंरात के अंर्तर्राष्ट्रीय संबन्धों व विश्व राजनीति में यह अहम स्थान रखता है। अतः इस विषय पर प्रस्तुत शोध का विशेष महत्व है इस पर अध्ययन करना ओचित्यपूर्ण है ओर वर्तमान परिस्थितियों में इसकी बड़ी उपादेयता है जैसे –

1. भारत की विदेशनीति का निर्धारण करने वाले मूल कारको में गुट निरपेक्षता की भूमिका स्पष्ट है।
2. गुटनिरपेक्षता की नीति को स्वीकार करने मे बाह्य तथा घरेलू परिवेश का जो प्रभाव रहा उसको समझने की दृष्टि से भी प्रस्तुत शोध अत्यंन्त महत्वपूर्ण है।
3. बड़ी शक्तियो के साथ भारत के तत्कालीन और वर्तमान के संबंधों मे आये परिवर्तनों को भी समझने की दृष्टि से यह अध्ययन उपयोगी व महत्वपूर्ण है।
4. सामान्य परिस्थितियों में जो व्यवहार किया गया जिसके कारण इस नीति पर आरोप लगाये गये व उनकी वास्तविकता की दृष्टि से भी प्रस्तुत शोध अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
5. शीतयुद्धो परांत अंर्तराष्ट्रीय परिवेश मे जो परिवर्तन आये है उनके मध्य गुट निरपेक्षता की नीति ओर उसके बदलते स्वरूप,उसके वर्तमान सरोकार आदि को समझने की दृष्टि से यह अध्ययन अंत्यन्त महत्वपूर्ण है।
6. यह माना जा सकता है कि शीत युद्ध से जो तनाव कम हुआ उसका पूरा लाभ विकासशील देशों को नहीं मिल पाया है अतः उनकी स्वतंत्र विदेशनीति, अंर्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कि दृष्टि से अब भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।

7. शीतयुद्धोपरांत असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता की नीति के समयानुसार जिन आवश्यक रूझानों को समयानुसार स्वीकार करना आवश्यक है उनकों समझने एवं व्यवहार मे लाने कि दृष्टि से भी प्रस्तुत शोध अत्यंत उपयोगी है।

8. वर्तमान राष्ट्रीय एंव अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में गुटनिरपेक्ष नीति के निर्माताओ का प्रभाव विद्यमान है ओर उनके विचारों ने प्रायः हमेशा ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को प्रभावित भी किया है। अतः इन सभी विचारों को समझने कि दृष्टि से प्रस्तुत शोध अत्यंत आवश्यक व उपयोगी है।

9. गुटनिरपेक्षता की नीति को जिन परिस्थितियों में स्वीकार करना पड़ा उन सभी परिस्थितियों को जानने के लिये प्रस्तुत शोध की आवश्यकता है व उपयोगिता निर्विवाद है क्योंकि गुटनिरपेक्ष देशों की एकता ही उनकी मुख्य शक्ति है जिसे कायम रखना ही गुटनिरपेक्ष देशों का दायित्व है। तभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र विश्व के सामने जो गंभीर चुनोतियां है उनका सक्षमता से सामना कर सकेंगें अतः इस दृष्टि से यह अध्ययन नवीन आयाम प्रस्तुत करता है।

10. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त व आयाम तथा इससे सम्बन्धित विचारों को वर्तमान में ठीक से स्थापित करने हेतु यह अध्ययन आवश्यक एवं उपयोगी है इस दृष्टि से यह अध्ययन उपयोगी व रूचिकर है एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों व विदेश नीति से सम्बन्धित साहित्य में इसका महत्वपूर्ण योगदान निर्विवाद है।

गुट निरपेक्षता शीतयुद्ध के विरूद्ध नकारात्मक की बजाय सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई तथा धीरे धीरे इसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सिद्धान्त का रूप ग्रहण कर लिया तथा विश्व व्यापी आंदोलन का आधार बन गई अतः यह कहना अति संकुचित दृष्टिकोण है कि शीतयुद्ध के पश्चात् गुटनिरपेक्ष आंदोलन महत्त्वहीन हो गया है भले ही इसकी प्रासंगिकता कुछ कम हुई हो परन्तु यह निर्विवाद है कि नवउवनिवेशवाद के इस युग में आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए प्रयास का यही एक महत्वपूर्ण साधन है।

आज जब शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न उठता है तो गुटनिरपेक्ष देशों को संतुलित भूमिका निभानी चाहिए। अभी भी परमाणु अस्त्रों की धमकी व विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रति गुटनिरपेक्ष देशों को सचेत रहना चाहिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय जो प्राथमिकताऐं थी वे आज भी है। सहअस्तित्व, विश्व शान्ति, निशस्त्रीकरण समान विश्व अर्थव्यवस्था और त्रस्त तथा शोषित मानवता के लिए संघर्ष कि अपेक्षाएं आज भी विद्यमान है इसके लिए संघर्षरत रहकर नए विश्व परिवेश की स्थापना करना आवश्यक है ताकि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

गुटनिरपेक्षता का यह पदबद्ध से चलन मे आया है तब से ऊपरी तौर पर भले ही इसका अर्थ यह लिया जावे कि महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहा जाये। लेकिन यह तटस्थता का प्रयास नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है सभी देशों के साथ अच्छे संबन्ध बनाये रखना तथा अंर्तराष्ट्रीय शांति में अपना पूर्ण सहयोग देना। यह सकारात्मक संकल्पना है जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति,सुरक्षा एंव सहयोग की कामना करती है। **7 सितम्बर 1946 के नेहरू जी के रेडियो वक्तव्य के निम्न अंश का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। "यह सड़क के बीच की नीति नहीं है, यह सकारात्मक एंव रचनात्मक नीति है, जब हम यह कहते है कि हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की है तो हमारा तात्पर्य दो विरोधी महाशक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति है, परन्तु इतना कहना परिपूर्ण नीति नहीं है बल्कि नीति का एक अंश है इसका आशय है शीत युद्ध से दूर रहना लेकिन सभी देशों के साथ शातिं बनाये रखना, निशस्त्रीकरण करना,समानता व सहयोंग के लिये संघर्ष करना भी इस नीति के अंर्तगत आता है।**[19]" भले ही कितनी ही शक्ति से यह तर्क दिया जाये कि अब इसकी कोई प्रांसगिकता नहींरही है परन्तु जो गुटनिरपेक्ष नीति ओर आंदोलन के सिद्धान्तो, उद्देश्यों, प्रयोजनों आदि से भली भांति परिचित है उनका यही मानना है कि आज भी इस आंदोलन से अनेक अपेक्षायें है। जैसे–

1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति गरीब ओर अमीर की खाई को पाटने का प्रयास करें।
2. सदस्य राष्ट्रो में आपसी संबन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिये रचनात्मक कदम उठाये।

3. सयुंक्त राष्ट्रसंघ को प्रभावी व लोकतांत्रित बनाने का प्रयास करें।
4. ऋण समस्या, खाद्यसुरक्षा जैसे मुद्दो पर संगठित प्रयास करें।
5. आतंकवाद के विरूद्ध प्रभावी कदम के निमित्त अर्न्तराष्ट्रीय कानून के पालन का संकल्प ले। सदस्य राष्ट्रों को आतंकवाद से अलग रहने का परार्मश दे। तथा सयुंक्तराष्ट्र संघ की देखरेख में आतंकवाद के विभिन्न पहलूओं को परिभाषित करने के लिये अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास करें।
6. सदस्य राष्ट्रो में सौहार्द बढ़ानें तथा उत्तर के अमीर देशों पर निर्भरता कम करने के लिये अनाज का उत्पादन, व्यापार में पूंजी निवेश, तकनीकि शिक्षा, जनसंख्या निंयत्रण पर दक्षिण दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करने का प्रयास करें।
7. अब यह भी आवश्यक हो गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आणविक अस्त्रो के खतरे, पर्यावरण प्रदूषण एंव मानवता के विरूद्ध होने वाले अपराधों से जो समस्याऐं पैदा हो रही है। उनके विरूद्ध एकजुटता बनाये रखते हुये उन्हे दूर करने का प्रयास करे। विश्व व्यापार वार्ता, जलवायु परिवर्तन, कमजोर राष्ट्रो की सुरक्षा में सहयोग दे ओर ऐसे मुद्दों पर अमेरिकी हस्तक्षेप को कम करने का प्रयास करें।

यह निर्विवाद है कि बदलते समय के साथ साथ कोई भी विचारधारा सिद्धान्त, व्यवहार प्राथमिकताऐं ओर किसी समस्या के विभिन्न आयाम बदल जाते है। यह मान्य है कि 1990 के दशक में जो परिवर्तन हुये उससे स्थितियों मे परिवर्तन आया ओर ऐसे परिवर्तित परिदृश्य में इसकी प्राथमिकताऐ भले ही बदल गई हो, परन्तु प्रांसगिकता अभी भी बनी हुई है। वैसे भी यह स्वीकार किया जा सकता है कि अनुसंधान सामाजिक प्रक्रियाओं, घटनाओं, व्यवहार की प्रकृति, समानताओं व असमानताओ की खोज एवं निर्वचन मे लगा रहता है ओर सभी समाज वैज्ञानिक मानते है कि समस्त ज्ञान अंत मे उपयोगी है। इससे सिद्ध होता है कि इसी दृष्टि से अनुसंधान भी उपयोगी ओर लाभकारी सिद्ध होगा ओर मानवता के स्वर्णिम भविष्य की दिशा में सभी को प्राणवान उर्जा से प्रेरित कर सकेगा। यही इसका सबसे अच्छा व बड़ा महत्व होगा।

शोध पद्धति एवं प्रविधि :–

अनुसंधान ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से की गई सावधानीपूर्ण तथा सर्वार्गीण खोज है। यह किसी समस्या के सामान्य सिद्धान्तों की खोज हेतु किया गया वस्तुनिष्ठ प्रयास है अतः इसे किसी भी समस्या के समाधान के लिये की गई व्यवस्थित जांच के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये। यह जांच एकत्रित सूचनाओं पर आधारित होती है। अतः अनुसंधान की जो पद्धति है वह एक तरह से परिश्रम पूर्ण खोज है। यह ज्ञान की वृद्धि, सत्यता एंव प्रमाणिकता के सामान्यीकरण के उद्देश्य से दिया गया दक्षतापूर्ण कार्य है। दूसरे शब्दो में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक अनुसंधान एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक एंव क्रमबद्ध विधियों के द्वारा नवीन तथा प्राचीन तथ्यो की जांच करना ओर उनकी क्रमबद्धताओं व उनके अन्तसम्बन्धों की व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमो का विश्लेषण करना है। वास्तव में सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक कार्यक्रम है इसमे तर्क प्रधान तथा क्रमबद्ध विधियों का प्रयोग होता है। यह कार्य कारण के संबन्ध को स्थापित करता है। इस अनुसंधान द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह सामाजिक घटना से संबधित रहता है। यह मनुष्यो के व्यवहार एवं विभिन्न परिस्थितियों मे उनकी मनोवृत्तियों व आदतों का बोध कराता है। विभिन्न अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भौतिक घटनाओं की भांति ही सामाजिक घटनाएं भी निश्चित होती है और निश्चित नियमों द्वारा संचालित होती है एवं इन सब में सूक्ष्म छानबीन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।[20]

चूंकि आजकल वैज्ञानिक पद्धति का विशेष आग्रह रहता है ओर सभी विधाओं में यह प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि उसे विज्ञान का दर्जा कैसे मिले ? ऐसी स्थिति मे अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति व आधुनिक शोध विधि विज्ञान के सभी तरीकों को अपनाने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में निम्न बाते प्रमुख है जैसे पर्यवेक्षण, वर्णन, मापन, स्वीकृति या अस्वीकृति, आगमानात्मक सामान्यीकरण, व्याख्या, तार्किक निगनात्मक युक्तिकरण, परीक्षण व जांच, संशोधन, पूर्व कथन अधिस्वीकृति। संक्षेप में वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन की किसी भी ईकाई को लिया जा सकता है ओर उसके बारे में कामचलाउ परिकल्पना कर ली जाती है। उसके बाद उस ईकाई से संबधित तथ्यों का अवलोकन करके आंकड़े एकत्रित कर लिये जाते है। आंकड़ो की परिकल्पना को ध्यान में रखकर वर्गीकरण करके उनके आधार पर सामान्यीकरण

किये जाते है। अगर अनेक इकाईयों का वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन उपलब्ध हो तो उसके आधार पर सिद्धान्त बनाये जाते है ओर भविष्यवाणी की जा सकती है।[21]

वास्तव में किसी भी शोध प्रबन्ध के वैज्ञानिक होने के लिये उसका मूल्य निरपेक्ष व वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है। अत किसी प्रकार की प्रविधि द्वारा यह संभव हो सकता है कि किसी भी अनुसंधान के निष्कर्ष तक पहुचनें के लिये एक निश्चित पद्धति व एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध भी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। तथा इसको निश्चित प्रक्रिया द्वारा संचालित किया गया है। इस शोध में ऐतिहासिक, तुलनात्मक, आर्दशात्मक वैज्ञानिक तथा आधुनिक शौध विधि विज्ञान की अनेक पद्धतियों का सहारा लिया गया है। अतः अध्ययन पद्धतियों की दृष्टि से अनेक पद्धतियां प्रयोग में लाई गई है। अतः यह शोध अनेक पद्धतियों का सम्मिश्रण है। यह भी उल्लेखनीय है कि तर्क विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन तथा निष्कर्ष तक पहुॅचने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध जनो एंव इस क्षेत्र के मेधावी विद्धानो से अनोपचारिक प्रश्न पूछकर भी जानकारी हासिल की गई है। इस विषय से संबधित विभिन्न रचनाओ से सहायता ली गई है। साथ ही साथ समय समय पर जो लेख व विश्लेषण सामने आये है उनका भी सहारा लिया गया है। प्रस्तुत शोध में वस्तुनिष्ठता व उच्च स्तरीय विश्वनीयता लाने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक तथा द्वितीय स्त्रोतो का सहारा लिया गया है। यदि व्यापक रूप से शोध अध्ययन पद्धति प्रस्तुत की जाये तो इसके निम्न है बिन्दु है :–

1. यह अध्ययन ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है।
2. इसमे जिस काल विशेष का अध्ययन किया गया है उससे संबधित ऐतिहासिक तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
3. चूंकि मूल अवधारणा पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा है अतः पूर्व की व बाद की परिस्थितियों का विश्लेषण करने में तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया गया है।

4. यह अध्ययन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन भी है क्योंकि निरंतर यह देखने का प्रयास किया गया है कि गुटनिरपेक्षता (आंदोलन) की राजनेतिक एंव कानूनी दृष्टि से क्या स्थिति है।

5. यह अध्ययन व्यवहारिक है परन्तु गुटनिरपेक्षता की अवधारणा एक आदर्श लिये हुये है। अतः आदर्शवादी पद्धति के साथ यर्थाथवादी पद्धति पर जोर रहा है।

अनेक बार ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्षता समाप्त हो गई। उसके मूल सिद्धान्तो मे कमी आ गई है ऐसी स्थिति मे कार्य कारण संबन्धो को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

चूंकि विभिन्न स्थितियो मे विभिन्न व्यवहार रहा है अतः व्यवहार परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन भी गया है। इस शोध समीक्षात्मक आधार पर मूल्यांकन करके निष्कर्ष तक पहुॅचने का प्रयास किया गया है। ऐसे प्रमाण दिये गये है जिससे शोध को वर्तमान समय की दृष्टि से उपयोगी बनाया जा सके। वास्तव में अध्ययन को निष्कर्ष तक पहुॅचने केलिये एक निश्चित वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अतः अनेक पद्धतियों का प्रयोग करते हुये तथा उन पर आधारित एंव स्थापित निश्चित प्रक्रिया द्वारा इस शोध को संचालित किया गया है। अतः इस शोध में एक से अधिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है।

परिकल्पना (Hypothsis)

वैज्ञानिक ज्ञान केवल घटनाओं का अवलोकन या तथ्यों को एकत्रित करने से प्राप्त नहीं होता। उसके लिये परिकल्पना, उपकल्पना या प्राकल्पना का सहारा लिया जाता है। ये समस्याओं के अनुमानित समाधान या प्रश्नों के संभावित उत्तर होते है। जिसकी बाद में विधिवत जांच विश्लेषण या परीक्षा की जाती है।

प्रकल्पना के अनेक मिलते जुलते स्वरूप है। यथा अनुमान, प्रस्ताव करना, अपने सुझाव बताना, विचार, चिंतन, अर्न्तदृष्टि यदि कुछ ना कुछ आरम्भिक ज्ञान या सामान्य अनुभव भी नही हो तो शोधकार्य या वैज्ञानिक अध्ययन की शुरूआत नहीं की जा सकती है। किसी भी समस्या के

उठते ही व्यक्ति का सामान्य अनुमान कुछ न कुछ समाधान लेकर सामने आ जाता है। यह अनुमान प्रकल्पना कहलाता है ओर अनुसंधान का आरम्भ बिन्दु या मार्गदर्शक, सहारा, दिशासूचक आदि बन जाता है। इसी के प्रकाश में तथ्यों को एकत्रित किया जाता है एवं निष्कर्ष निकाले जाते है। प्राकल्पना के द्वारा शोधक स्वेच्छा से अपने साधनो एवं क्षेत्र की सीमा को स्वीकार कर लेता है और समस्या के विशिष्ट पक्षों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करता है।[22]

यदि शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से परिकल्पना का अर्थ समझने का प्रयास करे तो स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि **(Hypothsis)** शब्द ग्रीक भाषा के **"Hypo"** यानि की नीचे तथा **(thsis)** यानि सिंद्धान्त या मंतव्य से बना है जिसका अर्थ है सिद्धान्त या सोच विचार कर निकाले गये निष्कर्षो से पहले की बात, सुझाव या प्रस्ताव। हम यह भी कह सकते है कि प्रकल्पना किसी समस्या के समाधान के विषय में अग्रिम विचार है जो एक तरह से ऐसा प्रस्ताव है जिसकी जांच करना बाकी है अर्थात यह अस्थाई सामान्यीकरण है जिसकी प्रमाणिकता की जाचं करना शेष है। यूं प्रकल्पनाऐ अनेक प्रकार की होती है परन्तु साधारण शब्दों में यही कहा जा सकता है कि परिकल्पनाऐं प्रायः निम्न कार्यो से जुड़ी होती है।

1. अनुसंधान से संबधित विभिन्न प्रश्नों का स्पष्ट करना।
2. अनुसंधान को उत्तेजना प्रदान करना।
3. अनुसंधान की विविध व्यवस्थाओं को आधार प्रदान करते हुये निर्देशित करना।
4. प्रयोगात्मक विधियों के मूल्यांकन को कसौटियों प्रदान करना।
5. सिद्धान्त निर्माण के लिये कार्यकारी उपकरण के रूप में कार्य करना।
6. निगमन पद्धति का प्रयोग करते हुये निष्कर्ष निकालने में सहायता करना।

अतः हम यह मान सकते है कि प्राकल्पना भी शोध के मार्गदर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व है, हां यह अवश्य है कि सावधानी से इसका प्रयोग किया जाना चाहिये।

जहां तक प्रस्तुत शोध का प्रश्न है इसमे शोधार्थी ने निम्न प्रकल्पनाओ पर विचार किया है।

1. प्रायः यह कहा जाता है कि गुट निरपेक्षता की नीति एंव आंदोलन शीत युद्ध की उपज थी अतः उसकी समाप्ति पर उसकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है।
2 यह एक नैतिक आदर्श मात्र है अतः इसमे व्यवहारिकता की कमी है।
3. भूमण्डलीकरण के दौर में इसकी प्राथमिकताऐ बदल गई है और बदलता हुआ स्वरूप इसके मुख्य उद्देश्यो से भटक गया है।
4. यह नीति और आंदोलन एक आवरण की तरह है जिसे ओढ़कर भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने विदेश नीति का निर्धारण व संचालन किया जबकी मतभेद सदा ही बने रहे।
5. वर्तमान संदर्भ में इसे और सार्थक व लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है।

उक्त संदर्भ मे।प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने की दृष्टि से इसे 6 अध्यायों मे विभाजित किया गया है

- प्रथम अध्याय परिचय,अर्थ,परिभाषा व विशेषताओ से संबधित है।
- दूसरा अध्याय इस आंदोलन के उदभव,इतिहास से संबधित है।
- तीसरा अध्याय इसके विभिन्न सम्मेलनों मे इसके बदलते स्वरूप को चिन्हित करता है।
- चौथा अध्याय, सफलता, असफलताओं, कमजोरियों व उपलब्धियों से संबधित है।
- पांचवा अध्याय इसकी प्रासंगिकता व इसके भविष्य से संबधित है।
- छठा अध्याय शौध का सांराश है जो एक तरह से सम्पूर्ण शोध का उपसंहार है, मूल्यांकन है ओर भविष्य में इसे प्रभावी बनाने के लिये सुझाव आदि से संबधित है।

सारांश :–

प्रस्तुत अध्याय में गुटनिरपेक्षता की नीति एवं उससे उपजे आंदोलन का अर्थ ओर प्रकृति को चिन्हित किया गया है और इसके साथ ही प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के उद्देश्य, महत्व, शोध प्रणाली,योगदान आदि को स्पष्ट किया गया है। इसका सार यही है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपजी स्थिति के कारण पहले विदेश नीति के रूप में तथा फिर एक

आन्दोलन के रूप में अस्त्तिव में आया। वास्तव में गुटनिरपेक्षता और पंचशील का सिद्धान्त व्यक्तिगत रूप से भारत की विदेश नीति का आधार है परन्तु जब सामूहिक रूप से विभिन्न देशों ने इसे अपनी समानता, स्वतंत्रता एवं संम्प्रभुता, विश्व शान्ति न्याय तथा आर्थिक व सामाजिक विकास के आधार रूप में स्वीकार कर लिया तो इस सामूहिक स्वीकृति से धीरे धीरे यह एक विश्व व्यापी आंदोलन बन गया। प्रारम्भ में बांडुग सम्मेलन व फिर 1961 में युगोस्लाविया में इसके उद्देश्यो को स्वीकार कर जो राष्ट्र सम्मेलन मे सम्मिलित हो गये उससे इस आंदोलन को एक सगंठनात्मक रूप प्राप्त हुआ जो प्रायः निम्न सिद्धान्तो पर आधारित है।

- एक दूसरे की स्वतंत्रता, सम्प्रभुता, व अखण्डता का सम्मान।
- दूसरे देशों पर आक्रमण नही करना।
- दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना।
- सभी देशों के साथ समानता तथा मैत्री का व्यवहार करना।
- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

हालांकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाद विश्व का यह सबसे बड़ा संगठन है। इसकी सदस्य संख्या भी 120 तक पहुॅच गई है। इसके सामने कुछ चुनौतियां होते हुये भी यह एक उपयोगी एंव अपरिहार्य मंच के रूप में कार्य कर सकता है। शीत युद्ध के बाद यह नई पीढ़ी के नेताओं के हाथ में है। इन नेताओ ने अपने पूर्ववर्ती नेताओं की अपेक्षा आदर्श वाद की जगह यथार्थवाद को अपनी नीतियों तथा निर्णयों में प्रमुख स्थान दिया है। इसके उद्देश्य, प्रयोजन, सिद्धान्त ओर लक्षण कुछ सीमा तक अब भी प्रासंगिक है। और अभी भी यह एक उदार आंदोलन के रूप में तीसरी दुनिया के दृष्टिकोण का बना हुआ है।

द्वितीय अध्याय

गुट निरपेक्षता –

पृश्ठभूमि ,इतिहास ,उद्भव एंव विकास

द्वितीय अध्याय

गुट निरपेक्षता – पृष्ठभूमि, इतिहास, उद्भव एवं विकास

मानव जीवन का राष्ट्रो के जीवन में अपने हितों की सुरक्षा एवं सम्वर्धन,सत्ता तथा प्रतिष्ठा के लिये संघर्ष चलता रहता है। परन्तु मानव जीवन में व राष्ट्रो की दुनिया मे यह भी स्वीकार किया गया है कि हम सबको अन्तर्राष्ट्रीय विकास में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिये क्योंकि कोई भी अकेला देश विश्व का विकास नहीं कर सकता,चाहे वह कितना ही बड़ा व शक्तिशाली क्यों न हो। ऐसी स्थिति में विकास और एक विश्व की अवधारणा को सफल बनाने के लिये राष्ट्रो के मध्य सदभाव, सहयोग, शान्ति व अहिंसा का आचरण भी आवश्यक है। बौद्ध साहित्य में **महात्मा बुद्ध ने स्वीकार किया है कि संनतनो'' न ही वेरन वरामि सम्मनती उदाचनंण''। ''अवेरेन च सम्मनित एस घम्मो** अर्थात् इस संसार में बेर बेर से शांत नहीं होता अबैर से ही बैर शांत होता है यही सनातन धर्म है। यही नियम है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते है कि यह सनातन सत्य है कि शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती। क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता। बैर से बैर नहीं मिटता। हिंसा से हिंसा नहीं मिटती और जितना बैर बढ़ता जाता है उतना ही हम अपने चारों तरफ अपने हाथों ही नरक निर्मित करते चले जाते है और चूंकि हम इस जगत मे रहते है और जैसा हम करते है वैसा ही यह जगत बन जाता है। इसलिये यह स्वीकृत किया गया है कि यह सृष्टि हमारी ही कृति है और चारो तरफ हम अपना ही परिवेश बनाते है। अतः अपने बोध से यह जो इशारा किया गया है यदि यह दिखाई पड़ जायें या समझ में आ जाये तो फिर कोई दुख नही दे सकता। फिर हमारा स्वभाव सुखी हो जायेगा। अतः संदेश है कि फैलाव मैत्री, फैलाव सदभाव, फैलाव प्रेम, फैलाव शान्ति अहिंसा।[1] **भगवान महावीर ने भी अहिंसा परमोधर्म' का संदेश दिया और यह स्वीकार किया कि मेरी मित्रता सबसे है सारे विश्व से है और मेरा बैर किसी से नहीं है। मेरी किसी से शत्रुता नही है।**[2] वास्तव में यदि राष्ट्रो के जीवन को ठीक से देखने कि कला आ जाये तो फिर दुखो से निपटारा पाया जा सकता है। और सद्भाव, सहिष्णुता, और शांति हमारे राष्ट्रीय

जीवन के आधार हो सकते है। हमारे उपनिषदों ने भी शांति का संदेश दिया है ओर हमारे ज्ञान की जो परंपरा रही है उसमे भी वासुदेव कुटुम्बकम के आदर्श को स्वीकारा गया है। हमारे जो भी महान शासक रहे है उन्होने ने भी सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया है,न्याय का अनुसरण किया है और अहिंसा को प्राथमिकता दी है। **आचार्य चाणक्य ने भी स्वीकार किया है कि मुख्य रूप से राज्य के दो ही आधार हो सकते है शांति व अहिंसा।** भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब हमारे क्रान्तिकारी भगत सिंह व उनके साथियों को फॉसी दी तब गॉधीं जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वे हिंसा के पक्ष में नहीं थे। उन्होने यह स्वीकार किया कि वे महान देश भक्त थे तथा अपने देश के प्रति उनमे निष्ठा व उत्साह का भाव था। परन्तु हम वह रास्ता नहीं अपना सकते क्योंकि हिंसा से भाई भाई के विरूद्ध हो जायेगा ओर हम अपने उद्देश्य से विचलित हो जायेगें और चूंकि भारत विभिन्नताओं वाला देश था इसलिये उन्होने सहिष्णुता एंव भाईचारे की बात कही जो अहिंसा पर आधारित थी। तथा समयानुसार वे ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध एक शक्तिशाली हथियार सि़द्ध हुई। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी मुख्य रूप से उदारवादी विचारधारा मे विश्वास रखता था। ओर उस पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता के लिये जो संघर्ष किया गया उस पृष्ठभूमि मे भी उक्त मूल्य सम्मिलित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इन्ही मूल्यों के सहारे उपनिवेशवाद के विरूद्ध लड़ी व शोषण का विरोध किया तथा स्वतंत्रता का उद्घोष किया। **नेहरू जी** ने निरंतर यह स्वीकार किया कि जहां तक संभव होगा हम शक्ति की राजनीति से अलग रहेगें,जो हमे एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है। जिसने पिछले समय मे संसार को युद्ध दिये है ओर आज भी बड़े विनाशकारी युद्धों को जन्म देने के लिये आगे बढ़ रहे है। वास्तव में उनका विचार एक विश्व की कल्पना को साकार करना था। किसी गुट से बंध जाने से ऐसा करना संभव नहीं था। वे सब तरह से एक खुशहाल दुनिया चाहते थे। साम्राज्यवाद से भारत की मुक्ति के बाद ऐसी दुविधा में पड़े दूसरे नवोदित राष्ट्रो ने भी अपने को भारत जैसी स्थिति मे।पाया। अतः वह भी अपनी आजादी,स्वतंत्रता,व स्वंत्रत विदेश नीति के लिये एक दूसरे के निकट आने लगे। और सकारात्मक सहयोग व प्रयासों को बढ़ावा दिया जाने लगा। नेहरू जी के बाद श्रीमति इन्दिरा गांधी ने यही स्वीकार किया कि NonAlignment does not mean neutrality because we preserve

our freedom to jugde each international issue on its merit. अर्थात् असंलग्नता से हमारा अभिप्राय तटस्थता नहीं है क्योकि हर अर्न्तराष्टीय मुद्दे को उसके गुण दोष के आधार पर परखने व अपना व्यवहार तय करने के लिये हम स्वतंत्र है। अफ्रीकी राष्ट्रो का भी यही हाल हुआ। तथा लैटिन अमेरिकी देशों ने अमेरिकी नीति का विरोध किया। सभी जगह जो मूल कारण था वह अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, एशिया इन देशो पर देशो पर वर्चस्व प्रधानता की नीति का विरोध करना था क्योंकि वह हमारे लिये कष्ट कारी था।

धीरे धीरे हमारी यह विदेश नीति रफ्तार पकड़ने लगी। 1947 से इसके मंतव्य साफ दिखाई देने लगे। 1954 के आते आते हिन्द चीन की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अतः दिसम्बर 1954 में बोगोर में भारत, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, बर्मा, सीलोन मे प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन हुआ वहां यह तय हुआ कि एशिया व अफ्रीका के देशों का एक विशाल सम्मेलन बुलाया जावे तथा 1955 में बाडुंग सम्मेलन हुआ जिसमे 29 देशो ने भाग लिया भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, घाना, मिश्र, ईरान, इराक, लाओस, जार्डन, लेबनान, लाइबेरिया, फिलीपिन्स, सउदी अरब, सूडान, सीरीया, थाईलेण्ड, तुर्की, उत्तरी व दक्षिणी वियतनाम तथा यमन आदि देशो नें इसमे भाग लिया। मुस्लिम देशों के आग्रह को देखते हुये इसमे इजरायल को आंमत्रित नही किया गया। यह अपने प्रकार का पहला बड़ा सम्मेलन था जिसने।दुनिया की आधी से ज्यादा संख्या का प्रतिनिधित्व किया इसमे साम्यवादी चीन की उपस्थिति अपना विशेष महत्व लिये थी। अपने स्वागत भाषण में **राष्ट्रपति सुकर्णो** ने कहा कि ''मैं आशा करता हूॅ कि यह सम्मेलन इस तत्व का साक्ष्य होगा कि एशिया व अफ्रीका का पुनर्जन्म हो गया 1शायद नये एशिया व नये अफ्रीका का जन्म हुआ है इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण विषयो पर सविस्तार चर्चा हुई। जैसे :–

1 आर्थिक सहयोग – जिसमे परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण सहयोग का बिन्दु समाहित था।

2. सांस्कृतिक सहयोग

3. मानवाधिकार तथा राष्ट्रीय आत्म निर्णय जिसमे फिलीस्तीन की स्वतंत्रता व जाति भेदभाव की नीति की निंदा जैसे मुद्दे निहित थे।

4. पराधीन लोगों की समस्या जिसमे। ट्यूनिशिया, अल्जिरिया व मोरक्को के प्रकरण समाहित थे।

5. विश्व शांति व सहयोग को प्रोत्साहन, जिसमे हथियारों तथा निशस्त्रीकरण के मुद्दे समाहित थे। इस संम्मेलन में जिन बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गई वे साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का खण्डन,जातीय भेदभाव की निंदा,निशस्त्रीकरण अर्न्तराष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण तरीको से समाधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन आदि थे।

यह कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्धोपरांत एशिया, अफ्रीका व लेटिन अमेरिकी तथा दुनिया के दूसरे देशों में शीत युद्ध अपने चरम पर पहॅुच गया तो अपनी आजादी,स्वतंत्रता तथा राष्ट्रीय हितो की रक्षार्थ इस दिशा में बढ़ना आवश्यक हो गया था। इस दृष्टि से गुटनिरपेक्ष देशो ने विश्व शांति व सुरक्षा के आधार तैयार करनें में ओर मुहिम को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।[3]

अतः स्पष्ट है कि इस आंदोलन के प्रारम्भ से ही गुट निरपेक्ष देशों ने साम्राज्यवादी ताकतो का वर्चस्व समाप्त करने की दृष्टि से व समान आधार प्राप्त करने हेतु एक अन्तहीन संघर्ष को जन्म दिया। उधर अप्रैल 1954 में भारत व चीन के बीच मित्रता व व्यापार की संधि की प्रस्तावना में 5 सूत्र दिये गये जैसे एक दूसरे की प्रभुसत्ता,प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करना,किसी पर आक्रमण न करना, दूसरे के घरेलू मामलो में हस्तक्षेप न करना,समानता व परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, नेहरू जी ने इसे पंचशील कहा। बाडुंग सम्मेलन में अर्न्तराष्ट्रीय शांति सहयोग के लिये विकास की घोषणा ने पंचशील को दसशील में बदल दिया। क्योंकि यहां प्रमुख 10 बिन्दु स्वीकार किये गये। इसमे कहा गया कि सभी राष्ट्र एक दूसरे के साथ सहनशीलता का व्यवहार करे एक दूसरे के साथ शान्तिपूर्ण रहे तथा निम्न बिन्दुओं के आधार पर मैत्रीपूर्ण सहयोग को प्रोत्साहन दें :–

1. मौलिक मानव अधिकारों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टरों, प्रयोजनो व सिद्धान्तो का सम्मान करना।
2. सभी राष्ट्रो की संम्प्रभुता व प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान करना।
3. सभी बड़ी छोटी जातियों (राष्ट्रो) की समानता को मान्यता देना।
4. दूसरे देशों के घरेलू मामलो में हस्तक्षेप नहीं करना।

5. संयुक्तराष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार अपने देश की व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से रक्षा करना।

6. (क) किसी बडी शक्ति के विशेष हितो को सिद्ध करने वाली सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के उपयोग से बचना।

(ख) एक देश को दूसरे देश पर दबाव डालने से बचना।

7. किसी देश की प्रादेशिक अखण्डता या राजनैतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग या आक्रमण की धमकिंया जैसे कामो से दूर रहना।

8. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार या अपने विकल्पानुसार सभी अन्तर्राष्ट्रीय विवादो का शांति पूर्ण हल करना।

9 परस्पर हितो व सहयोग को प्रोत्साहित करना।

10. न्याय व अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करना।

इन दस सूत्रों ने नये देशो की विदेश नीति के लिये कानूनी आधार के संहिता बद्धिकरण को सुगम बना दिया। तथा साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरूद्ध उनकी एकता मे सहायक साबित हुआ।[4]

इस सम्मेलन की सफलता इस सन्दर्भ में आंकी जानी चाहिये कि शीतयुद्ध के गरम वातावरण में इसने किसी गुट का निर्माण नहीं किया। क्योकि इसमे जापान, पाकिस्तान व फिलीस्तिन जैसे गुट थे जो अमेरिकी गुट में जा चुके थे। चीन व वियतनाम भी थे जो सोवियत गुट में थे। फिर भी शीत युद्ध के प्रभाव को यथा संभव दूर करने का प्रयास किया गया। भाग लेने वाले देश अपने इतिहास व सांस्कृतिक परंम्पराओं मे समृद्ध थे परन्तु वे सत्ता राजनैतिक भाव में अपेक्षाकृत कमजोर थे। इस सम्मेलन की सफलता की सराहना करते हुये **नेहरू जी ने कहा कि '' बांडुग ने दुनिया में घोषित कर दिया है कि एशिया व अफ्रीका के नये राष्ट्रों में व्यवहार परक आदर्शवाद की क्षमता है। क्योंकि हमने थोड़े से समय में अपना कार्य पूरा कर लिया है। तथा व्यवहारिक मूल्यों, करारों तक पहुॅच गये। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में ऐसा नहीं होता।**[5] बांडुग सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन नहीं था। फिर भी यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि इसने उस आन्दोलन का शिलान्यास किया जो 6 साल बाद

बेलग्रेड के प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के रूप में प्रकट हुआ। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बांडुग में ही गुटनिरपेक्षता की अवधारणा ने अपना स्पष्ट रूप धारण किया। बांडुग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता के विचारों को स्पष्ट रूप से रखा गया और वे उसके अन्तिम विज्ञप्ति या घोषणा में समा गये।[6]

बांडुग सम्मेलन कि सफलता के फलस्वरूप कुछ अर्द्ध सरकारी या गैरसरकारी संगठन भी अस्त्तिव में आये। 1956 मे दिल्ली स्थित एशियन अफ्रीकन विधिक सलाहकार समिति तथा 1957 में बनी अफ्रो एशियन जन एकता संगठन उसी के उदाहरण है।

इस प्रकार बड़े और छोटे राज्यों को राजनैतिक दृष्टि से शासित होने का आधार बन गया बांडुग सम्मेलन। पश्चातवर्ती समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लक्ष्य,उद्देश्य एंव नीति में इन्हीं सिद्धान्तों को स्वीकार किया जाता है ओर इन सिद्धान्तो को अपनाना ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता का आधार बन गया। यहां तक कि 1990 के दशक के प्रारभ्भिक वर्षो तक यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सार तत्व बना रहा।[7]

इस प्रकार 1960 तक बांडुग सम्मेलन द्वारा जो उपलब्धियां प्राप्त की गई उससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन को एक बड़ा सहारा मिला। यहां तक की संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अपने 15 वें सामान्य अधिवेशन में भी इसकी सफलता की झलक दिखाई दी। इस दौरान अफ्रीका एवं एशिया के 17 नये राज्यों को इसमे प्रवेश मिला। कई राष्ट्राध्यक्षों ने इसमे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इनमे मिश्र के नासिर, घाना कें क्वामें, भारत के नेहरू, इण्डोनेशिया कें सुकर्णो और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने इस तरह के कई कार्य किये कि वह बाद में इस आंदोलन के जनक स्वीकार किये गये ओर इस आंदोलन के पर्याय और प्रतीक लीडर बन गये। 1960 के दशक के प्रारम्भ में ही जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड मे।हुआ तो इसमे 25 देशों ने तथा 3 देशो के पर्यवेक्षको ने भाग लिया। भाग लेने वाले देश थे अफगास्तिान, बर्मा, म्यांमार, भारत, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, मिश्र, इथोपिया, घाना, इराक, लेबनान, नेपाल, सउदी अरब, सूडान, सीरिया, श्रीलंका,

अज्जीरिया, गयाना, साइप्रस, कांगो, क्यूबा, माली, मोरक्को, सोमालिया, टूनिशिया, तथा युगोस्लाविया इत्यादि बोलिविया, ब्राजील व एकविडोर आदि पर्यवेक्षक थे।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापनाकारों ने इसका नाम नौकरशाही के झंझटो से बचने के लिये संगठन नहीं रखा बल्कि आंदोलन रखा। इसी दौरान यह भी देखने का प्रयास किया गया कि इसकी सदस्यता का आधार क्या हो सकता है ? इसके लिये 1961 में इस आंदोलन की तैयारी के लिये जो तैयारी समिति की मीटिंग हुई उसमे आधार निश्चित किये गये। जिसका सार यही था कि यह आंदोलन निष्क्रिय आंदोलन नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि हर सदस्य को स्वंय और दूसरो के हितो को ध्यान में रखते हुये सक्रिय रहना चाहिये तभी वह इसका सदस्य बन सकता है। परन्तु जो मुख्य केन्द्र बिन्दु थे वे यही थे कि

1. आत्म निर्णय के सिद्धान्त का समर्थन किया जाये।
2. राष्ट्रीय स्वतंत्रता सम्प्रभुता ओर अखण्डता को स्वीकार किया जाये।
3. रंगभेद की नीति का विरोध,बहुपक्षीय सैनिक सन्धियों का विरोध
4. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, प्रांतीयता एवं जातियता, विदेशी अधिकार एंव वर्चस्व आदि का विरोध
5. निशस्त्रीकरण
6. किसी भी देश कें आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
7. राष्ट्रो मे मध्य शांति पूर्ण सहअस्तित्व
8. शक्ति का प्रयोग व धमकी का विरोध
9. संयुक्त राष्ट्रसंघ को सशक्त बनाना
10. अर्न्तराष्ट्रीय संबन्धो का प्रजातात्रिंयकरण करना
11. आर्थिक व सामाजिक विकास को प्राथमिकता देना।
12. अर्न्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनः निर्धारण करना
13. अंर्तराष्ट्रीय सहयोग के समान आधार स्वीकार करना आदि मुख्य सरोकार रहा।

1970 से 1980 के दशक में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने नई आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य यही था कि नवोदित राष्ट्र अपनी सम्पत्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों का अपने हित में लाभपूर्ण उपयोग कर सके तथा आर्थिक परतंत्रता से मुक्ति प्राप्त कर सकें।

यह भी कह सकते है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारम्भिक 50 वर्षो तक के काल में इस आंदोलन ने काफी शक्ति प्राप्त की ओर इसकी सदस्य संख्या मे तेजी से वृद्धि हुई। वे राष्ट्र भी इसमे शामिल हुये जिनमे विचारधारागत, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता नहीं थी। उन्होने इस आंदोलन के आधारभूत सिंद्धान्तो को स्वीकार किया। इसके प्राथमिक उद्देश्यों को स्वीकार किया और इस आधार पर आगे बढ़ने में तत्परता दिखाई। ऐतिहासिक दृष्टि से गुटनिरपेक्ष देशो ने यह भी दर्शाया कि अपनी विभिन्नताओं के बावजूद वे सामान्य आधार पर एक है और परस्पर सहयोग के लिये तैयार है।

वास्तव में इसका शुरूआती सम्मेलन ही अभूतपूर्व था क्योकि :–

1. इसने गुटनिरपेक्षता के अर्थ व उसके आयामो को स्पष्ट ही नहीं किया तथा यह भी घोषित किया कि इस आंदोलन के नेता गण तीसरा गुट बनाने के पक्ष में नहीं है। वे दोनो महाशक्तियों के सैनिक गुटो के आलोचक होते हुये भी दुनिया के सभी देशों से अपना सहयोग बनाये रखना चाहते है। ताकि वह अर्न्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के क्षैत्र में अपना सहयोग दे सके।
2. सम्मेलन की घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया गया कि सभी सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शातिं व सुरक्षा के क्षैत्र में अपना सकारात्मक योगदान करने में कृत संकल्प है।
3. सभी सदस्य राष्ट्र समान व्यवहार, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद,जातीय रंगभेद की नीति के कड़े आलोचक थे।
4. शीत युद्ध की निंदा करके नई अन्तर्राष्ट्रीय राजनेतिक व्यवस्था लाने की कामना करते है उनका यही मानना है कि युद्ध अब समयबाध्य हो गये है अतः परमाणु परीक्षण पर प्रतिबन्ध तथा निशस्त्रीकरण पर बल देकर विश्व को परमाणु संकट से बचाने का संकल्प लिया गया।

इसका निश्चित प्रभाव पड़ा व 1962 में संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा ने एक सकल्प (प्रस्ताव संख्या 1815) पारित किया जिसमें निम्न सूत्र समाहित थे।

1. सभी राष्ट्र अन्य राष्ट्रो की स्वतंत्रता, प्रादेशिक अखण्डता के विरूद्ध अपने अंतर्राष्ट्रीय संबन्धों में बल प्रयोग या उसकी धमकी से दूर रहेगें।
2. सभी राज्य अपने अर्न्तराष्ट्रीय विवादो का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगें ताकि अर्न्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा पैदा ना हो।
3. सभी राज्य, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों मे हस्तक्षेप नहीं करेगें।
4. सभी राज्य परस्पर सहयोग करेंगें।
5. सभी राष्ट्रो के समान अधिकार है तथा उन्हें आत्म निर्भरता का अधिकार भी प्राप्त है।
6. सभी राज्यों को सार्वभोम का अधिकार प्राप्त है।
7. सभी राज्य सत्य निष्ठा से संयुक्त राष्ट्र संघ के दायित्वो का निर्वहन करेंगें।

बाद में 1964 मे जो सम्मेलन हुआ उसका केन्द्र बिन्दु यही था कि सम्पूर्ण मानव जाति को ही यह मानना चाहिये कि शांतिपूर्ण सहअस्त्वि ही सार्वभोम, स्वतंत्रता समानता व न्याय पर आधारित शांति को सुदढ़ बना सकता है। अतः निरंतर इसी दिशा में कार्य किया जाना चाहिये। भारत के प्रधानमंत्री **श्री जवाहरलाल नेहरू** एक प्रसिद्ध वाक्य के माध्यम से शान्तिपूर्ण सह सहअस्त्वि के पर्याय बन गये थे। ''जियो ओर जीने दो''। बाद में 1970 ओर दूसरे सम्मेलनों में जो कुछ हुआ उसमे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मंतव्य व प्रयोजन स्पष्ट होते गये। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी नव उपनिवेशवाद ने जिस तरह पांव पसारे उससे अर्द्ध विकसित व विकासशील देशो की निर्भरता विकसित देशो पर बनी रहे। क्योंकि उनको अपने विकास के लिये धन व तकनीक चाहिये। ओर इन्हीं के नाम पर सहायता करके विकसित देश विकासशील देशो पर अपना प्रभाव बनाये रखते है। इसलिये गुट निरपेक्ष आंदोलन नें शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद भी निरंतर यह दोहराया गया कि हमें कम से कम हमारे सकल्पों ओर संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अन्तनिर्हित प्रयोजनों के प्रति अब भी निष्ठा व्यक्त करनी चाहिये। ऐसी स्थिति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के हवाना में हुये 14वें सम्मेलन मे जो कुछ स्वीकार किया

गया वह वर्तमान अंर्तराष्ट्रीय घटनाक्रम के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योकि इसमे एक बार पुनः इसके लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयोजनों, सिद्धान्तो, आदर्शो आदि को दोहराया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को मजबूत करने की दृष्टि से विविधता या बहुआयामीता को पुनः प्रोत्साहन देना व लागू करना।
2. विकासशील देशों के सामान्य हितों की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक राजनैतिक समन्वयक रूप मे कार्य करना।
3. एकता,सुदृढता व सहयोग को अधिक बल प्रदान करना जिस पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यो की सहमति हो।
4. अंर्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्राथमिकता देना एंव अंर्तराष्ट्रीय विवादो को संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर व अंर्तराष्ट्रीय कानून के सिद्धान्त के अनुसार शांतिपूर्ण साधनों से सुलझाना।
5. संयुक्तराष्ट्र संघ के चार्टर में ओर अंर्तराष्ट्रीय कानून के सिंद्धान्तो में अंर्तराष्ट्रीय संबन्धो की दृष्टि से जो कुछ स्वीकार किया गया है उसके आधार पर राष्ट्रो में मित्रता व सहयोग को बढ़ावा दिया जाये।
6 सतत विकास के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाये जिसमे सभी राष्ट्रों की सहभागिता सुनिश्चित हो।
7. मानव अधिकारो के प्रति सम्मान,सोजनियता व सुरक्षा एवं जो मूलभूत स्वतंत्रता है उसके प्रति भी इसी तरह के भाव रखे जाये ओर यह कोशिश की जाये कि व्यक्ति के निजी सामूहिक व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान किया जाये जिससे व्यक्ति के विकास के अधिकारो का सम्मान किया जाये। जिससे व्यक्ति के विकास के अधिकार को प्राथमिकता दी जाये ओर इसको एक संतुलित तरीके से सुरक्षित किया जाये।

8. मानवाधिकारो के लिये आवश्यक है कि उसे सुरक्षित किया जाये। राष्ट्रो के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्त्तिव को प्रोत्साहित करना, चाहे उसका राजनैतिक,सामाजिक,आर्थिक व्यवस्था भिन्न ही क्यो न हो।

9. जहां तक संभव हो उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार का समर्थन करना।

10. अंर्तराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा उसको मिलने वाली धमकिंयो ओर उसकी उल्लघंन के कारण उनके विरूद्ध समन्वयात्मक सहयोग सचिंत करना।

11. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातात्रिकरण के प्रयास करना। इसमे आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की कार्यप्रणाली और विशेषकर सुरक्षा परिषद के गठन की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्रियाकलापों में पारदर्शिता आ सके। क्योकि यही संस्था मुख्य रूप से शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है।

12. सार्वभोमिक ओर समान रूप से परमाणु निशस्त्रीकरण के निरंतर प्रयास करना इसके लिये कोई नियंत्रण कारी व्यवस्था करना। ओर यदि एक बार में सभंव न हो तो समयानुसार इसकी विभिन्न अवस्थाऐ तय कर दी जावें। ओर उन व्यवस्थाओं के लिये एक फ्रेमवर्क बना दिया जाये ताकि उन हथियारो से निजात पाया जा सकें। तथा इनका विकास उत्पादन संग्रह ओर परीक्षण एवं हस्तांतरण आदि को रोका जा सके।

13. राष्ट्रो का अच्छे व बुरे के आधार पर वर्गीकरण समाप्त किया जाये। ओर इस आधार पर जिन राष्ट्रो को बुरा मानकर उन पर आक्रमण किया जाता है उन्हे रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये। तथा किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, प्रादेशिक अखण्डता के विरूद्ध बल प्रयोग व बल प्रयोग की धमकी को रोका जाये।

14. राष्ट्रो को अपनी स्वतंत्रता के आधार पर समझोते करने का अधिकार होना चाहिये ओर न्युक्लियर हथियारों विहिन जोन की स्थापना करनी चाहिये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टरों के अनुकूल हो। क्योकि इस दृष्टि से न्यूकिल्यिर वेपंस की जॉच एक सकारात्मक कदम है एंव जो वैश्विक परमाणु हथियार निशस्त्रीकरण को मजबूत बनाता है।

15. परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्राथमिकता देना ओर परमाणु तकनीक उपकरण तथा अन्य पदार्थो का शांतिपूर्ण प्रयोजनो के लिये उपयोग किया जाये। यह विकासशील देशों के लिये आवश्यक है।

16. दक्षिण, दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना तथा इस दिशा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सुदढ़ करना। इसके साथ ही उत्तर दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना ताकि सभी का संतुलित विकास हो सके ओर अंर्तराष्ट्रीय एकता मे वृद्धि हो सके।

17. भूमण्डीकरण के कारण जो चुनोतियां पैदा हुई है उसके प्रति सही क्रिया व अनुक्रिया का समर्थन करना ओर इस दृष्टि से जो देश अविकास, गरीब, अज्ञानता से दबे हुये है उनका सहयोग किया जाये। तथा विकसित या विकासशील देशों के मध्य जो खाई है उसे पाटने का प्रयास किया जावे।

18. आंदोलन के जो भी प्रयोजन सिद्धान्त व उद्देश्य है उनको सुदृढ करने के लिये सिविल सोसाइटी ओर गैर सरकारी सगंठनों की भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिये।

वास्तविकता यही है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रयोजन,उद्देश्य ओर लक्ष्य यही है कि एक खुशहाल व समृद्ध विश्व का निर्माण किया जा सकें।

इसी क्रम में प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सिद्धान्त है उनको निम्नानुसार चिहिन्त किया जा सकता है :–

1. संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर व अंतर्राराष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों में जो कुछ स्वीकार किया गया है उसके प्रति सम्मान की भावना।

2. सभी राष्ट्रो की संप्रभुता सार्वभोमिक एकता ओर प्रादेशिक अखण्डता के प्रति सम्मान।

3. सभी राष्ट्र चाहे वे बड़े हो या छोटे,विभिन्न जातियों धर्मो,संस्कृति आदि की समानता को मान्यता देना।

4. धर्म व धर्मों के प्रतीक मूल्य आदि के मध्य विभिन्न व्यक्तियों, सभ्यताओं, संस्कृतियों मे समवाद को प्रोत्साहन देना ओर सहिष्णुता तथा स्वतंत्रता की भावना को मजबूत बनाना।

5. मानवाधिकारों व आधारभूत स्वतंत्रताओं का सम्मान करना ओर यह सुनिश्चित करना कि मानवो की शांति व विकास के लिये उनको क्रियान्वित किया जाये।

6. सभी राष्ट्रो की समानता व समान अधिकारों का सम्मान करना जिसमे यह भी सम्मिलित हो कि सभी राष्ट्र अपने राजनैतिक,सामाजिक,आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था को बिना किसी हस्तक्षेप कें अपना सके।

7. मानव अधिकारों से संबधित आंदोलन के सिद्धान्तो की वैधता को निरंतर सुनिश्चित करते रहे। ताकि लोगो को विदेशी अधीनता और वर्चस्व से बचाया जा सके।

8. राज्य द्वारा किसी भी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इसका अर्थ यही है कि किसी भी राज्य व राज्यों के ग्रुप को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप का औचित्य नही है चाहे उसका कोई भी उद्देश्य हो।

9. असंवैधानिक सरकारों का विरोध करना।

10. शासन को हटाने के लिये असंवैधानिक प्रयासों का विरोध करना।

11. संकट के समय भावनाऐ भड़काने का विरोध करना।

12. यदि सही कानून ओर न्याय विरोधी व्यवस्थाऐं स्थापित हो गई है तो उनको ठीक से पुनः स्थापित करना।

13. अंर्तराष्ट्रीय कानून के उल्लघंन के गंभीर प्रयासो का विरोध करना क्योंकि इन सिद्धान्तो का विरोध करने वाला एक तरह का आक्रमणकारी माना जाता है जबकि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर मे किसी भी प्रकार के आक्रमण व बल प्रयोग की धमकी को अवैध माना गया है।

14. व्यक्ति को व्यक्तिगत आत्मरक्षा का अधिकार है ओर जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर मे भी स्वीकार किया गया है उसका सम्मान करना। इस क्रम में यदि सामूहिक सुरक्षा का प्रयास किया जाये।तो उसका सम्मान करना।

15. मानवता के विरूद्ध अपराध, नरसंहार,जनबद्ध युद्ध अपराध मानवाधिकारों का हनन जिनको संयुक्त राष्ट्र के चार्टर व अंतर्राष्ट्रीय कानून मे मान्यता दी गई है उसका विरोध करना।

16 आंतकवाद का विरोध एंव निंदा चाहे वह किसी भी प्रकार का हो क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा प्रभावित होती है। अतः आंतकवाद को किसी रूप में वैध संघर्ष की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आत्मनिर्णय व राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

17. अंर्तराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहन और बलकारी उपायों का निषेध।

18. चूंकि लोकतंत्र का सार्वभौमिक मूल्य है स्वतंत्रता जो जनता को यह अधिकार देती है कि वे अपनी इच्छा से अपनी राजनैतिक,आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित कर सकते है। ओर उनके आधार पर वे सार्वजनिक जीवन के सभी पहुलओं मे हिस्सा ले सकते है। अतः लोकतंत्र की समृद्धि एवं सुरक्षा करनां।

19. बहुपक्षीय संगठनों व बाहुल्यतावाद को प्रोत्साहन देना व उनकी सुरक्षा करना ओर यदि उनमे आपस में कोई मतभेद हो उनका समाधान बातचीत ओर सहयोग के माध्यम से किया जाये अन्यथा उसका मानव मात्र पर बुरा असर पड़ेगा।

20. वे देश जो युद्ध या आंतरिक मतभेदो से जूझ रहे है उनको शांति, न्याय समानता व विकास मे सहयोग व समर्थन देना।

21. हर राष्ट्र का यह कर्त्तव्य स्वीकार किया जाये कि वह उन सभी संधियों का पालन करे जिनका वह भागीदार है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में उसने जो प्रतिबद्धता स्वीकार की है उसका पालन करे। और सभी राष्ट्रों के साथ शांति से अपना जीवन बिताये।

22. अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टरों का सम्मान।

23. परस्पर सम्मान और समानता के आधार पर सभी देशों मे न्याय सहयोग आदि को प्रोत्साहन देना व उनका सम्मान करना, चाहे उन देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक व्यवस्थाऐं भिन्न ही क्यों न हो।

24. सभी परिस्थितियों में राष्ट्रों के मध्य एकता को एक आधारभूत उपकरण के रूप में स्वीकार करना।

25. व्यक्तियो व राष्ट्रो में राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करना व उनका सम्मान करना।

अतः हम यही कह सकते है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंर्तराष्ट्रीय स्तर का एक आंदोलन विकसित करने मे सफलता प्राप्त की है इसके समक्ष जो वर्तमान चुनैतिंया है उनके समाधान की दिशा में यह प्रयत्नशील है अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, स्थायित्व, न्याय, अंर्तराष्ट्रीय नई आर्थिक व्यवस्था आदि को वास्तविक बनाने की दिशा में यह निरंतर प्रयत्नशील है ओर प्रारम्भ से ही इसके शांति, विकास एंव आर्थिक विकास एवं प्रजातात्रिकरण से सम्बधित जो उद्देश्य रहे है उसी के आधार पर यह अभी भी आगे बढ़ रहा है। अतः द्वितीय अध्याय के इस प्रसंग में हम यह कह सकते है आंदोलन ने अनेक उद्देश्यों मे सफलता पाई है। इसके सिद्धान्त सर्वव्यापी है और अंतर्राष्ट्रीय क्षैत्र की जो प्राथमिकताऐं है उनको लेकर यह आगे बढ़ रहा है ताकि शांति सुरक्षा एंव मानवता की सुरक्षा हो सकें।

गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदभव विकास एंव इसके प्रमुख प्रयोजनों, सिंद्धान्तो आदि का उल्लेख करने के साथ ही वर्तमान तक विश्व में इस आंदोलन ने अपना विस्तार किया है उसकी एक सक्षिंप्त जानकारी पुनः दोहराई जा सकती है :–

क्रम सं	शिखर सम्मेलन	स्थान	वर्ष	सदस्य संख्या
1	प्रथम सम्मेलन	बेलग्रेड	1– 6 सितम्बर 1961	25
2	दूसरा	काहिरा	5–10 सितम्बर 1964	47
3	तीसरा	लुसाका	8–10 सितम्बर 1970	53
4	चौथा	अल्जीयर्स	5–09 सितम्बर 1973	75
5	पांचवा	कोलम्बो	16–19 सितम्बर 1976	85

6	छठा	हवाना	3–09 सितम्बर 1979	92
7	सांतवा	नईदिल्ली	7–12 मार्च 1983	100
8	आठवां	हरारे	1–06 सितम्बर 1986	101
9	नोवां	बेलग्रेड	4–07 सितम्बर 1989	102
10	दसवां	जकार्ता	01–07 सितम्बर 1992	108
11	ग्यारवां	कार्टजेना	18–20 अक्टूबर 1995	113
12	बारहवां	डर्बन	02–03 सितम्बर 1998	114
13	तेरहवां	क्वालाम्मपुर	20–25 फरवरी 2003	116
14	चौदहवां	हवाना	11–16 सितम्बर 2006	118
15	पंद्रहवा	शर्मअलशेख	11–16 जुलाई 2009	118
16	सौलहवां	तेहरान	26 से 31 अगस्त 2012	120

विभिन्न सम्मेलनो में गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों व अन्य सहयोगियों के भाग लेने की दृष्टि से सदस्यों को तीन श्रेणियो में बांटा गया –

1. पूर्ण सदस्य
2. पर्यवेक्षक
3. अतिथि

बांडुग सम्मेलन और उसके बाद यह तय किया गया कि वे ही देश इसमे शामिल किया जा सकता है जो निम्न शर्ते पूरी करें :–

1. उस देश ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई हो जो विशिष्ट राजनैतिक, सामाजिक व्यवस्थाओं व गुट निरपेक्ष वाले राज्यों के सहअस्तित्व पर आधारित हो या वह ऐसी नीति की प्रवृत्ति के रूझान को प्रस्तुत करे।

2. ऐसा देश राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का सतत समर्थक हो।
3. महाशक्तियों के बीच संघर्ष के संदर्भ में वह देश बहुपक्षीय सैनिक गठबन्धन का सदस्य न हो।
4. यदि कोई देश किसी बड़ी शक्ति से किसी द्विपक्षीय सैनिक गठबन्धन में फंसा है या किसी क्षैत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है तो वह समझोता संधि ऐसी न हो जो बड़ी शक्तियो के बीच सघर्ष के संदर्भ में सोच विचार कर की गई हो।
5. यदि उसने अपना प्रदेश किसी विदेश सैनिक अड्डो को दे दिया हे तो ऐसी रियायतें बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष के संदर्भ में न की गई हो।[8,9]

उल्लेखनीय है कि पूर्ण सदस्यो के पूर्ण अधिकार एंव पूर्ण कर्तव्य है जबकि पर्यवेक्षक सदस्य केवल विभिन्न सत्रों में भाग ले सकते है ओर जो अतिथि सदस्य है वे उच्च स्तरीय मीटिंग्स में उपस्थित हो सकते है यदि इस संदर्भ में समन्वय ब्यूरो अपनी सहमति दे दी हो।[10] चूकि वर्तमान मे उन सदस्यों की संख्या 120 है तथा 17 सदस्य पर्यवेक्षक है तथा 10 अन्य संगठन है। अतः इसकी जानकारी एक तालिका द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत की जा सकती है।[32]

गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य (क्षैत्रीय अनुसार)

अफ्रीका	(53)
एशिया	(39)
लेटिन अमेरिका केरेबियन	(26)
यूरोप	(2)

अफ्रीका – 53 देश

1.	अल्जीरिया	2.	अंगोला
3.	बेनिन	4.	बोस्तवाना
5.	बर्किना फेसो	6.	बरंडी
7	कैमरून	8.	केपवर्डे
9.	सेंट्रल अफ्रीका	10.	रिपब्लिक चार्ड

11.	कोमरोस	12.	कांगो
13.	कोर्टटी इबोरे	14	डि आर कागो
15	डमि बोहति	.16.	मिश्र
17.	इक्वेटोरियल गुयऐना	18.	इरिड्रेमा
19	इथेपिया.	20.	गैबोन
21.	जाम्बिया	22.	घाना
23	ग्यूनिया बिसाउ	24.	ग्युनिका
25.	केनिया	26.	लेसोथो
27.	लाइबेरिया	28	लीबिया
29	मेडागास्कर	30.	मोरक्का
31.	गावली	32	मालि
33.	मोरिरानियां	34.	मोरिशस
35.	मोजाम्बिक	36.	नामिबिया
37.	निगेर	38.	नाइजीरिया
39.	रूआंडा	40	साउटोमिक
41.	सेनेगल	42.	सैशेल्स
43.	शैरालोने	44.	सोमालिया
45.	साउथ अफ्रीका	46.	सूडान
47.	स्वाजीलैण्ड	48.	तंजानिया
49.	टोगो	50.	टुनिशिया
51.	युगांडा	52.	जाम्बिया
53.	जिम्बाम्बे		

एशिया :– 39 देश

1	अफगानिस्तान	2.	बहरीन
3.	बांगलादेश	4.	भूटान
5.	बेरूने	6.	कम्बोडिया
7	फिजी	8	भारत .
9.	इण्डोनेशिया	10	ईरान
11.	ईराक	12	जार्डन
13.	कुवैत	14.	लाओस
15.	लेबनानमलेशिया	16.	मलेशिया
17	मालदीप	18	मंगोलिया
19	म्यांमार	20	नेपाल
21.	ओमान	22	पाकिस्तान
23.	फिलीस्तीन	24	पेलेसटाइप
25.	पापुआ न्यूगिनी	26.	पी.डी. आरकोरिया
27.	फिलीपीन्स	28.	क्वाटर
29.	सउदी अरेबिया	30	सिंगापुर
31.	श्रीलंका	32.	सीरिया
33.	थाईलेण्ड	34	तिमोर
35	तुर्कमेनिस्तान	36	वनेतु
37	वियतनाम	38	यमन

लेटिन अमेरिका व केरेबियन :– 26 देश

1	एटिंगुआ	2.	बहमास
3	बारबडोस	4.	बेलिस
5.	बोल्विया	6.	चिली
7.	कोलम्बिया	8.	क्युबा
9	डोमिनिका	10.	डोमिनिकन गणतंत्र
11	इक्वाडोर	12.	ग्रेनेडा
13.	ग्वाटेमाला	14.	गुयाना
15.	हेती	16.	हांडुरास
17.	जमैका	18.	निकारागुआ
19.	पनामा	20.	पैरू
21.	सेन्ट क्रीटस एण्ड नेविस	22	सेन्ट ल्युसिया
23.	ग्रेनडिस एण्ड विसेंट	24.	सुरिनाम
25.	टीनीटाई	26.	वेनेजुऐला

यूरोप :– 2 देश

1	अजरबेजान	2	बेलोर्स

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पर्यवेक्षक देश :–

1	अर्जेन्टीना	2.	अर्मेनिया
3.	बोस्निया हरजेगोविना	4.	ब्राजील
5.	चीन	6.	कोस्टारिका
7.	क्रोसेटिया	8.	सल्वाडोर
9.	कजाकिस्तान	10.	किरगीस्तान

11. मैक्सिकों
12. मोटेनिग्रो
13. परागुवे
14. सर्बिया
15. ताजिकिस्तान
16 उक्रेन
17. उरूग्वे

पर्यवेक्षक संगठन एवं संस्थाऐं –

1. अफ्रीकन यूनियन
2. अफ्रो एशियन पीपल्स ऑरगेनाइजेशन
3. कॉमन वेल्थ सेप्रेटेरियट
4. कनक सोशलिस्ट नेशनल लिबरेशन फ्रंट
5. लीग ऑफ अरब स्टेट्स
6. होस्टोशियन नेशनल इन्डिपेन्डेस मूवमेंट
7. ऑरगेनाइजेशन ऑफ ईस्लामिक कॉन्फ्रेंस
8. साउथ सेन्टर
9. यूनाइटेड नेशंस

10. वर्ल्ड पीस कॉन्सिल।[11]

इस प्रकार 1961 से प्रारम्भ हुआ यह आदोंलन वर्तमान तक काफी व्यापक व विस्तृत हो गया है तथा अपने निहितार्थो के साथ निरंतर विश्व मानव की विभिन्न समस्याओं के समाधान खोजते हुये अस्तित्व में है।

अध्याय सार :–

गुटनिरपेक्ष आंदोलन उपनिवेशवाद एव साम्राज्यवाद के पतन के दौरान विकसित हुआ और अफ्रीका, एशिया तथा लेटिन अमेरिका के देशों ने अपनी स्वतंत्र विदेशनीति के लिये शीतयुद्ध की स्थिति में इसे अपनाया। यह आंदोलन निरंतर अर्न्तराष्ट्रीय सुरक्षा व शान्ति का प्रतीक बनता गया। कुछ नेता ऐसे रहे जिन्होने इस में विशेष रूचि ली और एक तरह से वे इस आंदोलन के पयार्यवाची बन गये। जिनमे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होने ही पहले पंचशील, फिर बांडुग ओर फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में अपना इस तरह से योगदान दिया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापकों में से एक प्रमुख नेता बन गये। उनके बाद जिन नेताओं के हाथ में नेतृत्व रहा उनकी पीढ़ी भले ही बदलती गई हो। परन्तु गुट निरपेक्ष आंदोलन कि निहितार्थी को उन्होने हमेशा प्राथमिकता दी। ओर उन लोगो को निरंतर इसके

साथ जोड़ा जो सदस्य बनने हेतु निर्धारित शर्तो को पूरा करते थे। इसके लक्ष्य प्रयोजन, मतंव्य उद्देश्य आदि का निरंतर विस्तार होता रहा ओर एक खुशहाल व प्रमुदित मानवता एवं विश्व के लिये जो आवश्यक है उसको निरंतर स्वीकार किया जाता रहा ऐसे स्वीकृति देने वालो की संख्या निंरतर बढ़ती गई और इस आंदोलन ने एक विश्व व्यापी रूप ग्रहण कर लिया। आज भी अंर्तराष्ट्रीय सहयोग सहिष्णुता, शान्ति, परस्पर सम्मान, विकास एंव आर्थिक,सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व का पुरूत्थान करना इसका मंतव्य है। 1991 के बाद बदली हुई परिस्थितियों मे भी यह विश्व की समस्याओं व मानव मात्र कि समस्याओ के समाधान के लिये निरंतर प्रयासरत है ओर अपनी सार्थकता बनाये हुये है।

तृतीय अध्याय

विभिन्न सम्मेलन बदलता स्वरूप

द्वितीय विश्व युद्ध के अवसान के बाद जो नई व्यवस्था अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति के दृश्य पटल पर उभरी उसमें कई बाते बड़ी क्रान्तिकारी व आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। जैसे प्रथम – जिन महाशक्तियों ने पिछले 300 वर्षो से यूरोप और कमोबेश समस्त विश्व को अपनी शक्ति से दबा दिया था वह धूलधूषित हो गये। जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन व फ्रान्स जैसे देश अपनी ही आर्थिक समस्याओं को निपटाने में स्वंय को असमर्थ पाने लगे। द्वितीय, क्रान्तिकारी परिवर्तन महाशक्तियों के रूप में दो ऐसे देशों का उभर कर आना था जिनक बारे में इस तरह की कल्पना अंत्यन्त दूरदर्शी नेता ही कर सकते थे। तृतीय यूरोपीय महाशक्तियो के पराभव के साथ विश्व में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के विरूद्ध जन संग्राम की सुगठित शक्तिशाली लहर सामने आई जिसने पांच वर्ष के अल्प समय में ही अनेक स्वंतत्र व शक्ति सम्पन्न देशों के अभ्भुदय को संभव बनाया। चतुर्थ स्थिति जो इन बातो का परिणाम थी विश्व के दो गुटो में विभाजित होने की प्रक्रिया के रूप में सामने आई। जिसने शीतयुद्ध को जन्म दिया।[1]

गुट निरपेक्षता का उपरोक्त पृष्ठभूमि में ही समझा जा सकता है। अन्यथा इसका ठीक से विश्लेषण करना संभव नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन भी इससे जुड़ा है। और यह आंदोलन शीतयुद्ध एवं द्विध्रुवीय विश्व प्रणाली के विरूद्ध नव स्वतंत्र देशों का ऐसा अभियान है जिसमें अर्न्तराष्ट्रीय शांति सदभावना एंव आर्थिक विकास के साथ साथ उनके राष्ट्रीय हितों एवं महत्वाकाक्षाओं का अनुकूल सामंजस्य विद्यमान है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जनक नवोदित देशों के स्वतंत्रता सग्रांम के नेता रहे। वे उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंगभेद आर्थिक असमानता एवं प्रसार वाद के विरूद्ध वैचारिक पुट देते हुये अर्न्तराष्ट्रीय आंदोलन छेड़ना चाहते थे। चूंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक रूप में भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ मूलभूत सिद्धान्त इस आंदोलन की सैद्धन्तिक विचारधारा बन गये। इनमें प्रमुख स्वतंत्रता, सहअस्तित्व एवं विश्व बधुत्व के सिद्धान्त थे। यहां तक कि पंचशील गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सैद्धान्तिक व्याख्या माना गया। जिसमें

गुटों से अलग रहते हुये विश्व शांति के लिये कार्य करना एवं गुटबन्दी की प्रक्रिया को रोकना भी आंदोलन के उद्देश्यों से जुड़ गया। इस दृष्टि से द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन का जन्म एंव विश्व शांति के लिये किये गये इसके प्रयत्न इतने अधिक प्रशंसित हुये कि उन्हे अर्न्तराष्ट्रीय संबन्धो के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान दिया जाने लगा।[2]

इसके विभिन्न सम्मेलन शांति व निशस्त्रीकरण, न्याय के लिये आग्रह नव उपनिवेशवाद के विरूद्ध जिहाद, आर्थिक आयामो को प्राथमिकता देने वाले शस्त्रों का निर्धारण, अधिक जुझारूपन, आर्थिक एकता का एहसास, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, आर्थिक व पर्यावरण प्राथमिकताओं का निर्धारण करने वाले, शीतयुद्ध की समाप्ति पर उदासीनता का अन्त करने वाले, नये दायित्व तय करने वाले तथा आतंकवाद को समाप्त करने वाले विचारों के पर्याय बन गये और अन्ततः यह मानवता की वर्तमान समस्याओ को सुलझाने से संबधित आन्दोलन बन गया। तथा प्रारम्भ से अंत तक जिस बात को प्राथमिकता मिली वह यही कि किस प्रकार मतभेद रहित, युद्ध रहित, शांतिपूर्ण ओर खुशहाल दुनिया का निर्माण हो सके।[3]

उक्त परिपेक्ष्य में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखा जा सकता है कि शीत युद्ध की प्रक्रिया के फलस्वरूप एशिया व अफ्रीका के नये देशों ने अपनी रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की व अंर्तराष्ट्रीय संघर्षों से यथा संभव दूर रहने का निर्णय लिया। यह आंदोलन इस तरह स्वतंत्रता का प्रतीक व दूसरो के प्रति प्रभुत्व के अस्वीकार का द्योतक बन गया। वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यात्रा साम्राज्यवाद द्वारा मानवता को किये गये नुकसान के प्रति बदली हुई जागरूकता और इसके प्रति पूरी शक्ति से विरोध को प्रदर्शित करती है। यह विरोध साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद,रंगभेद,आंतकवाद सभी के प्रति है। अतः यह कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की पृष्ठभूमि नये देशों के स्वंतत्र होने के साथ देखी जा सकती है। अतः इस दृष्टि से बांडुग सम्मेलन ओर एशिया व अफ्रीका के देशों की एकता के सम्मेलनों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। क्योंकि उन्होने ने ही निंरतर इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। वास्तव में जो पृष्ठभूमि

तैयार हुई उसी से 1961 के गुट निरपेक्ष आंदोलन का एतिहासिक विकास शुरू होता है। और इस दिशा में जो निहितार्थ स्वीकार किये जाते रहे वे यही थे :–

1. महाशक्तियों को सैनिक गुटो से या अन्य प्रकार के ध्रुवीकरण से बचाना।
2. जहां तक संभव हो शीत युद्ध से दूर रहना।
3. हर मुद्दे को अपने गुणो पर आंकना।
4. अपने विकास का स्वतत्र मार्ग चुनना।
5. सभी देशों के साथ परस्पर लाभ की नीति अपनाना।
6. सयुंक्त राष्ट्र को समर्थन देना।
7. साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करते हुये पराधीन राष्ट्रों में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना।
8. रंगभेद की नीति का विरोध करना परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक तथा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देना।
9. अंर्तराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना ओर
10. नई अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना।[4]

1960 तक आते आते गुट निरपेक्ष आंदोलन की दिशा में जो प्रयास किये गये उससे इस आंदोलन ने एक ओपचारिक रूप ग्रहण कर लिया तथा जून 1961 में काहिरा में मार्शल टी टो, मिश्र में नासिर, इण्डोनेशिया में सकुर्णो, भारत में जवाहरलाल नेहरू आदि इस दिशा में विशेष सक्रिय रहे। ओर अन्ततः वे इसी निर्णय पर पहुॅचे कि निरपेक्ष देशों का बेलग्रेड में निश्चित मापदण्डो पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाये। इस सहमति के साथ यह भी निश्चित कर दिया गया कि कौन सी शर्ते पूरी करने वाले देंश इसमें शामिल हो सकते है। वास्तव में गुटनिरपेक्षता का विकास ओर इसके बदलते स्वरूप व आयाम इस नीति के पालन करने वाले देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों के जरिये हुआ। बेलग्रेड से वर्तमान तेहरान तक 16 सम्मेलन तक हुए। इन सम्मेलनों में ही गुटनिरपेक्षता का अर्थ, समय समय पर उठे अनेक अंर्तराष्ट्रीय संकटो पर विचार तथा कई प्रकार की नई योजनाऐं क्रियान्वित करने

की घोषणाऐं की गई। अतः इसने समयानुसार अपना एक निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। ये बदलता स्वरूप ही इसके बदलते आयाम है। या परिस्थिति के अनुसार संबधित समस्याओ को सुलझाने के लिये अपने को ढालने के प्रयास है। अतः इन विभिन्न सम्मेलनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करके ही इसे ठीक से समझा जा सकता है। ऐसी पृष्ठभूमि में इसका प्रथम सम्मेलन :–

1. प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1961 :–

1961 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। इसमें मुख्य जोर इस बात पर ही था कि अब युद्ध कालातीत हो गया है और हमें शांति व निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाना चाहिये, सम्मेलन में तत्कालीन विश्व राजनीति का जायजा लेते हुये अनेक घोषणाऐ की जिसमें निम्न प्रमुख है :–

1. निशस्त्रीकरण व आणविक परीक्षणों पर रोक लगे।
2. विश्व शांति व सहअस्त्तिव की धारणा का विकास हो।
3. घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप व रंगभेद की नीति की निंदा की गई।
4. आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक पिछड़ेपन को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

हालांकि सम्मेलन के अंत में 27 सूत्रीय घोषणा अपनाई गई थी परन्तु मुख्य बाते शान्ति व सुरक्षा, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद का विरोध, रंगभेद की नीति का खण्डन, स्वतंत्रता जहां विदेशी सेनाऐं हस्तक्षेप कर रही थी उनकी वापस की मांग, बिना किसी दबाव के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास तथा विकासशील देशों के साथ व्यापार की न्याय संगत शर्ते तय करना,परमाणु परीक्षण पर प्रतिबन्ध तथा सैनिक अड्डो के अंत की कामना की गई।

बेलग्रेड सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने पहली बार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लक्ष्यो की प्राप्ति के लिये संस्थागत आंदोलन प्रस्तुत किया। साथ ही इस बात की घोषणा की कि अंर्तराष्ट्रीय राजनीति में इस तीसरी शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह बात भी अच्छी तरह

से स्पष्ट की कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी रूप में निरपेक्षता नही है। नव स्वतंत्र राष्ट्रों के लिये जो बाधाऐ है उनका विरोध इसका प्रमुख उद्देश्य है। और उस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देश अपना प्रगतिशील जुझारूपन बनाऐ रखेगें।

2. दूसरा शिखर सम्मेलन, काहिरा 1964 :–

1964 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का दूसरा सम्मेलन मिश्र की राजधानी काहिरा में हुआ। इसमें 47 पूर्ण सदस्य एंव 11 पर्यवेक्षक राष्ट्रों ने भाग लिया। सम्मेलन में आमंत्रित देशों को विभिन्न श्रेणियो में बाटां जा सकता है :–

1. 25 देश जिन्होने बेलग्रेउ में भाग लिया था।
2. वे सभी देश जो अफ्रीकी एकता संघ के घोषणा पत्र में आस्था रखते थे।
3. वे सभी अरब राज्य जिन्होने 1964 के अरब शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। जैसे मलावी, लाओस, मेंक्सिको, उरूग्वे, त्रिडिनाड, टोबेगो, ब्राजील, चिली, बेनजुअला, फिनलेण्ड आदि।
4. अंगोला की अस्थायी सरकार।

इस सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने शांति की स्थापना के लिये 5 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किये जैसे अणु निशस्त्रीकरण,सीमाविवादो का शांतिपूर्ण हल, विदेशी प्रभुत्व व आक्रमण व तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों से मुक्ति, अंर्तराष्ट्रीय सहयोग द्वारा आर्थिक विकास, संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्यक्रमों का समर्थन। सम्मेलन की दो प्रमुख घोषणाये जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है वे है

1. उपनिवेशवाद को समाप्त कर पीड़ित देशों को इसके चंगुल से निकाला जाये
2. अंर्तराष्ट्रीय सहयोग पर आर्थिक विकास करना।

काहिरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के बारे में यह उल्लेखनीय है कि इस समय तक अफ्रो एशियाई बिरादरी में फूट पड़ चुकी थी, भारत चीन सीमा विवाद ने भी गुटनिरपेक्ष देशों की एकता को कमजोर किया। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की कांगो में गतिविधियों को लेकर अनेक तनाव पैदा हुये। जिसके परिणाम स्वरूप विश्व शांति,आर्थिक विकास की प्राथमिकता गड्डमड्ड हो गई। बेलग्रेड सम्मेलन के समय,

उपनिवेशवाद के उन्मूलन के साथ जुड़ा उत्साह प्रभावशाली था। काहिरा सम्मेलन इस बात अनदेखा नहीं कर सकता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार विघटन कारी प्रवृत्तियां का सामना करना पड़ता है। अतः इसके बाद के वर्षो में अंर्तराष्ट्रीय संकट के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यो का ध्यान राष्ट्रनिर्माण की ओर लगा रहा। इसी दौरान सहयोगी आर्थिक विकास तथा सीमा विवादो के हल को प्राथमिकता दी गई। अंर्तराष्ट्रीय राजनैतिक परिवर्तन ने इस प्रवृत्ति को पुष्ट किया। 1962 में क्युबाई संकट ने महाशक्तियों को सर्वनाश के कगार पर ला खड़ा किया। इसके बाद उनमें हॉट लाइन के माध्यम से आपातकालीन संचार अवश्य हुआ। ओर महाशक्तियों की दृष्टि में गुटनिरपेक्षता की उपयोगिता बढ़ी। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रुप –77 एक नये रूप में उभरा जिसने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अभियान चलाया जिसने पहले उत्तर दक्षिण संवाद तथा बाद में दक्षिण दक्षिण सहयोग का रूप धारण किया।

3. तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका 1970 :–

हांलाकि प्रथम दोनो सम्मेलनों नें अपने ढंग से अपनी वाछिंत सफलता का परिचय दिया था परन्तु अभी तक ऐसा कोई तंत्र नही बन सका था जो सम्मेलनों के निर्णयो को लागू करे। या इस दिशा में प्रगति को त्रीव बनाये रख सके। अतः यह आभास किया गया कि कोई स्थायी तंत्र स्थापित किया जावे। 1965 से ही यह मांग की जाने लगी कि वियतनाम की समस्याओ का समाधान किया जायें। अफ्रो एशियन जन एकता संगठन,अफ्रो एशियन संगठन ने 1961 में से ही इस दिशा में प्रयास जारी कर दिये थे परन्तु जनवरी 1966 में हवाना में एक बैठक हुई जिसमें एशिया अफ्रीका लेटिन अमेंरिका के 82 देशों ने भाग लिया। ओर युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने अनेक देशों की बैंठक का आयोजन किया और इसमें यह निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को गतिशील बनाने की आवश्यकता है तदुपरांत लुसाका में तीसरा गुटनिरपेक्षक सम्मेलन हुआ। जहां भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरागांधी ने कहा कि हमें राष्ट्रपति टीटो को धन्यवाद देना चाहिये क्योंकि उनके प्रयासों से ही यह सम्मेलन संभव हो सका है। तीसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सितम्बर 1970 में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में हुआ जिसमें 54 देशों ने तथा 11 देशों के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।

यदि इस पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करें तो हम कह सकते है कि कुछ अंर्तराष्ट्रीय घटनाओं ने इस पर होने वाले विचार विमर्श पर अपना निश्चित प्रभाव डाला जैसे अरब –इजरायल युद्ध (जिसमें इजरायल ने मुस्लिम देशों को हराया था तथा मिश्र सीरीया फिलीस्तीन के कुछ भाग पर कब्जा जमा लिया) तथा वियतनाम की लड़ाई में अमेंरिका द्वारा की गई अनाप शनाप बमबारी इत्यादि इनको मध्यनजर रखते हुये 6 प्रमुख प्रस्ताव पास किये गये तथा **गुटनिरपेक्षता** व **आर्थिक प्रगति** नामक एक महत्वपूर्ण संकल्प पारित किया गया जिसमें निम्न बिन्दुओं को दोहराया गया :–

1. गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रांसगिकता को मान्यता मिलती रहनी चाहिये।
2. सैनिक गुटों का अंत हो, विदेशी सैनिक अड्डे समाप्त हो, क्योंकि यही अंर्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिये बड़े खतरे है।
3. उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को बन्द किया जाये।
4. शांति को सुरक्षित करने हेतु राज्यों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जावे।
5. मिश्र, सीरीया, व फिलीस्तीन के प्रदेशों पर से इजरायल का कब्जा हटाया जावें।
6. चूंकि पुर्तगाल व दक्षिणी अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का आदर नहीं हुआ है सभी देश उनसें अपने कूटनीतिक व आर्थिक संबन्ध समाप्त कर लें।
7. गुटनिरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों के बीच निरंतर विचार विमर्श चलते रहना चाहिये ताकि कार्य की निरंतरता बनी रहे।

एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में मांग की गई कि हिन्द महासागर को शांति का क्षैत्र घोषित किया जाये जिसका अर्थ है कि :–

1. यहां महाशक्तियां के बीच प्रतियोगिता व प्रतिद्वंद्वता ना हो।
2. यहां महाशक्तियों अपने परमाणु अस्त्रो को एकत्रित न करे।
3. इसे शांति क्षैत्र के रूप में मान लिया जावे। सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया गया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इस मुद्दे को उठाये।

16 दिसम्बर 1970 को महासभा ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया। 19 दिसम्बर 1970 को महासभी ने एक अन्य प्रस्ताव पास किया जिसमें महाशक्तियों से आग्रह किया गया कि वह आपस में विचार विमर्श करके यहां से अपने सैनिक अड्डे हटाये।

इसी सम्मेलन में राष्ट्रपति केनेथ कोडां ने आग्रह किया कि मात्र पुकार लगाना काफी नहीं है जब तक उसे क्रियान्वित करने हेतु कोई तंत्र न हो अतः प्रस्ताव को असली जामा पहनाने हेतु कोई निश्चित तंत्र होना चाहिये।

अतः धीरे धीरे आंदोलन को और अधिक संगठित करने का प्रयास किया गया ओर इसकी शर्तो को थोड़ा लचीला किया गया। जिससे इसमें भाग लेने वाले देशों कि संख्या बढ़ने का द्वार खुल गया ओर सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने क्षैत्रिय, द्विपक्षीय तथा अंर्तराष्ट्रीय ढांचे के भीतर परस्पर सहयोग को निरंतर विकसित व सुदृढ़ करने के अलावा ऐसे तंत्र की रचना पर बल दिया जो लिये गये निर्णयों का क्रियान्वित करें। जिससे आंदोलन की निंरतरता बनी रही। इस दिशा में जो प्रयास किये गये उससे शीत युद्ध में कुछ कमी आई व तनाव शैथिल्य का प्रभाव बढ़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की लहर ने सैनिक गुटों को भी कमजोर किया। धीरे धीरे उसमें लेटिन अमेंरिका के वह राज्य भी शामिल हो गये जो रियो संधि के तहत अमेंरिकी गुट में शामिल माने जाते थे। कही कहीं यह आंदोलन वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। कुछ सदस्य राष्ट्रों का रूख महाशक्तियों की ओर झुका रहा। चीन ने सोवियत गुट से अलग होकर अपना पृथक क्षैत्र बनाया। इण्डोनेशिया व पाकिस्तान उसके प्रभाव में आ गये। जब अमेंरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया तो भारत को अपना राष्ट्रीय हित देखते हुये सोवियत गुट की ओर अपना झुकाव बढ़ाना पड़ा परन्तु इस आदोंलन का जो नैतिक दायित्व था उसका प्रभाव अवश्य पड़ा। वास्तविकता यह थी कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में इतना सार्मथ्य नही था कि वह महाशक्तियों की चालबाजियों से पूर्णतः अछूते रह पाते। अनेक मुद्दों पर आपसी मतभेद भी हुये इससे भी सफलता पर प्रभाव पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति भी थी कि गुटनिरपेक्षता का ऐसी बहुत सी वस्तुओ से सरोकार नहीं था जो कि गुटनिरपेक्ष देशों की विदेश नीति से जुड़ गई जैसे कि उपनिवेशवाद, नस्लीय समानता, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबन्ध आदि।[5]

यही कहा जा सकता है कि पहले तीन सम्मेलनों ने वह पक्की आधारशिला रखी जिस पर आने वाले सम्मेलनों ने एक बड़े भवन का निर्माण किया। 1973 के अल्जीयर्स सम्मेलन ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का आव्हान किया जिसनें उत्तर दक्षिण संवाद ओर सामूहिक निर्भरता व दक्षिण दक्षिण सहयोग के अभियानो का मार्ग प्रशस्त किया। नेहरू ने दूसरे महायुद्ध से कुछ पहले जो लिखा था वह युद्धोतर काल में साकार हो गया। हालिया वर्षो में राष्ट्रों के बीच अन्त संबन्ध व अन्त निर्भरता बहुत बड़े रूप में विकसित हुये है। तथा अनेक वर्षों से दुनिया एक होती जा रही है। इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व इतिहास बन चुका है। तथा उसे किसी एक देश के संदर्भ में समझा जा सकता है। यदि हम उस समग्र दुनिया की ओर देखते रहे।[6]

4. चतुर्थ शिखर सम्मेलन, अल्जीयर्स 1973 –

1971–1991 के दशकों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन तेज हो गया। शीतयुद्ध के उतारचढाव ने तनावशैथिल्य की स्थिति उत्पन्न कर दी। कई महाशक्तियो के सैनिक गुट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गये। 1975 में इस आंदोलन भाग लेने वाले देशों की संख्या 75 हो गई। जिसमें 25 एशिया के व 40 अफ्रीका व 7 लेटिन अमेंरिकी के व 3 यूरोप के थे।

कुछ समय के लिये बर्मा का इस आदोलन से अलग होना एक अपवाद था। गुटनिरपेक्ष के अर्थ में भी सशोंधन हो गया। जो देश किसी महाशक्ति या दोनो महाशक्तियों से अपना विशेष संबन्ध बनाऐ हुये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का क्रियान्वन करेगें तथा वह भी इस आदोंलन का सदस्य हो सकेगें। यही कारण है कि 1971 में सोवियत संघ से शांति मित्रता करने के बावजूद भारत की गुटनिरपेक्षता की स्थिति बरकरार रही। उस समय को देखते हुये गुटनिरपेक्षता का ऐसी परिघटना के रूप में वर्णन किया जा सकता है जो कि शीतयुद्ध के समर्थन में नये राज्यो की स्वंतत्रता को बनाऐ रखने व उनकी राजनैतिक स्थायित्व को सुनिश्चित बनाये रखने हेतु अंर्तराष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरी जो क्रमिक रूप से निशस्त्रीकरण व अंर्तराष्ट्रीय संगठन को समर्थन देने वाली प्रभुसत्ता का लक्षण बन गई। और जिसने अब विश्व राजनीति में संगठित आंदोलन का रूप धारण कर लिया।[7]

इस पृष्ठभूमि में यह गुटनिरपेक्ष देशों का चोथा सम्मेलन 5 से 19 सितम्बर 1977 को अल्जीयर्स में आयोजित किया गया। जिसमें 75 राज्यों के प्रतिनिधियों व 24 देशों के पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। डा. कुर्टवाल्हीन ने विशिष्ट अतिथी के रूप में इसमें भाग लिया। राष्ट्रों ने यह स्वीकार किया कि अपने देशों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने का दायित्व मूल रूप से स्वयं उन्ही पर है। ओर इसलिये व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से पूर्णतः स्वय पर निर्भर रहने पर दृढ प्रतिज्ञ थे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतू इस बात पर सहमत थे कि बेराजगारी,गरीबी, आय में असमानता तथा विकसित देशों की आर्थिक निर्भरता को कम करने ओर अर्थव्यवस्था के सभी सेवा क्षैत्र में संमन्वित व संतुलित विकास के लिये वे सभी राष्ट्रो के संसाधनों का दोहन करने के लिये सतत व समन्वित प्रयास करेंगें। उन्होने यह भी निर्णय लिया कि विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाना चाहिये। ओर उन्हे निम्न विशेष लक्ष्यो के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये :–

1. व्यापार बढाना ओर यदि संभव हो तो उसे दुगना करने का प्रयास करना।
2. विकसित देशों से उन शर्तो पर आयात न किया जावे जो नुकसान दायी हो।
3. शुल्क व व्यापार का सामान्य समझोता(GATT) की व्यापार वार्ताओ के ढाचें के अधीन विकासशील व विकासशील देशों के बीच परस्पर कृमिक वार्ताओ को बढ़ावा देना।
4. आर्थिक क्षैत्र में भुगतान करने के लिये समझोतों की संभावनों का सावधानी से अध्ययन करना।
5. यदि बिना कोई शर्त के कोई सहायता दी गई हो तो उससे अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास करना।
6. केन्द्रीय बैंको के बीच परस्पर सहयोग करना।
7. अतिरिक्त ऋणों के भुगतान हेतु नई वित्त पोषित योजनाओ का विकास करना।
8. विदेशी तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना तथा स्वंय आपस में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करना।
9. भविष्य में सभी क्षैत्रों में अपने संबन्धो को सुदढ करने हेत सभी संगठनों में प्रभावी सहयोग किया जाना।

10. मुद्रा क्षैत्र में मौद्रिक सहयोग स्थापित करना।

11. वरीयता के आधार पर विकासशील देशों की आपस में ऋण शर्ते मंजूर की जानी चाहिये।

12. विकासशील देशों को उन प्रमुख उत्पाद व उत्पादकों के संघ बनाने चाहिये ओर उन्हे सशक्त बनाना चाहिये। जो विश्व अर्थव्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण है। ताकि उनके व्यापार में। आनी वाली गिरावट को रोका जा सके। अहितकर प्रतिस्पर्धा समाप्त की जा सकें। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की हानिकारक गतिविधियों पर रोक लग सकें व उनकी सौदेबाजी की स्थिति मजबूत हो सके।

13. जनसंचार के क्षैत्र में सहयोग करना अर्थात जनसंचार के ढांचे को मजबूत करना, सचांर सवंहन को मजबूत बनाना, आचार संहिता तैयार करना, सूचना, एजेन्सियों, पुस्तकालय, विश्वविद्यालयो योजना अनुसंघान सम्बन्धी निकायो के बीच निकट सम्पर्क को प्रोत्साहन देना।

14. गुटनिरपेक्ष राष्ट्र को सभी क्षैत्रों में अपनी अपनी उपलब्धियों की जानकारी अपने अपने देश के समाचार पत्रों,पत्रिकाओं,टेलीवीजन, व अन्य समाचार माध्यमों द्वारा आदान प्रदान करनी चाहिये, उनका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये। ओर अपने अनुभव की एक दूसरे को जानकारी देने की योजना बनानी चाहिये।

15. हिन्द महासागर को शांति क्षैत्र घोषित करने की बात कही गई।

इस सम्मेलन की समीक्षा में यही कह सकते है कि राष्ट्र अध्यक्षों व शासनाध्यक्षों ने पूरी तरह से अपने इस सकंल्प की पुष्टि की वे अपने अपने देशों में ओर अंर्तराष्ट्रीय संबन्धों में आर्थिक व सामाजिक विकास को ओर गतिशील बनाने तथा अपने देश की जनता के जीवन स्तर को सुधारने हेत सभी परिस्थितियों का सृजन करने के लिये कार्य करते रहेगें। उन्होने अंतर्राष्ट्रीय जगत के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि विकास के लक्ष्य का संयुक्त राष्ट्र संघ के तंत्र के साथ इस प्रकार निर्धारित किया जावे कि उसे जितनी जरूरत हो उतना हिस्सा मिल सकें। और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबन्धों की एक ऐसी नई व्यवस्था कायम की जा सकें जो सभी देशों की समानता व सामान्य हितो पर आधारित हो।

5. पांचवा शिखर सम्मेलन, कोलम्बों सम्मेलन 1976 –

गुटनिरपेक्ष देशों का 5वां शिखर सम्मेलन 16 से 19 अगस्त तक कोलम्बो में हुआ। इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आदोंलन के 86 राष्ट्रों नेताओ ने भाग लिया व पर्यवेक्षको के रूप में अंर्तराष्ट्रीय संगठनों तथा मुक्ति आंदोलन के प्रतिनिधी भी शामिल हो गये। 79 देशों को अतिथी के रूप में आंमत्रित किया गया था। इसमें आंदोलन की राजनैतिक घोषणा तथा आर्थिक कार्यवाही कार्यक्रम स्वीकार किया। और इसमें अत्यन्त ज्वलंत अंर्तराष्ट्रीय मुद्दो के बारे में अनेक संकल्प पारित किये। आदोंलन के प्रतिनिधियों का इस बात पर विशेष बल था। कि किसी भी रूप में आंदोलन की एकजुटता और मजबूती को खतरा न हो। इसके लिये आवश्यक है कि आंदोलन द्वारा समय समय पर लिये गये निर्णयों के प्रति, सदस्य देश पूरा सम्मान प्रदर्शित करें। इसलिये आंदोलन में की गई राजनैतिक घोषणा में पुनः इस बात की पुष्टि की गई कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का लक्ष्य लोगों के बीच शांति व सुरक्षापूर्ण संबन्ध सुनिश्चित करना तथा एक नई न्यायोचित अंर्तराष्ट्रीय ,आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था का निर्माण करना है। उपनिवेशवाद से प्रताडित लोगों की मुक्ति के संघर्ष में आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नोट किया गया। इन लोगो की उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद पर विजय की भी सम्मेलन में प्रशसां की गई।

सम्मेलन में इस बात पर संतोष किया गया कि शातिंपूर्व सहअस्तित्व के सिद्धान्त व्यापक रूप से मान्य हुये है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि विश्व के सब क्षैत्रों में तनाव शैथिल्य नही हुआ है। तथा जातिवाद,भेदभाव, यहूदीवाद व रंगभेद की नीति अभी भी विद्यमान है। अतः इनको समाप्त करने की दिशा में सभी सक्रिय तथा कारगर योगदान दे।

घोषणा पत्र में गुटनिरपेक्ष देशों के इस अटूट विश्वास को भी रिकार्ड किया गया कि केवल सामान्य तथा पूर्ण निशस्त्रीकरण से ही विश्व में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिये निरंतर निशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाये जाने चाहिये और सारे विश्व की प्रगतिशील ताकतो में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देकर, जो अशांति फैलाते है उनकी चालो को विफल करना चाहिये।

दक्षिणी कोरिया से सभी विदेशी फोजे हटाई जावें ओर विदेशी सेनिक अड्डो को हटाया जाये। हिन्द महासागर के डियोगोशायरा में अमेंरिका का सैनिक अड्डा बनाने की निंदा की गई।

सम्मेलन में नई अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विकास के संबन्ध में हुई प्रगति संतोषप्रद नही मानी गई अतः उसे सुदढ़ बनाने पर जोर दिया गया। यह भी माना गया कि सूचना के स्त्रोतो में आत्मनिर्भरता उतनी ही आवश्यक है जितनी प्रोद्योगिकी के क्षैत्र में। क्योकि सूचना के क्षैत्र में दूसरों के भरोसे रहने से राजनैतिक तथा आर्थिक प्रगति से प्राप्त उपलब्धिया अवरूद्ध हो जाती है।

सम्मेलन में नोट किया गया कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को अपने प्रयत्नों तथा द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय, आर्थिक आधार पर क्षेत्रीय सक्रिय सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संघों में अपनी गतिविधियों का समन्वय करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिये। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में हुए विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उनकी बढती हुई भूमिका के बारे में पूरे विश्व को भी पता चलेगा।

गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि राजनीतिक स्वाधीनता तथा अपनी प्रभुसता के प्रयोग के लिये उनके संघर्ष को आर्थिक मुक्ति के संघर्ष से अलग नही किया जा सकता। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि विकासशील देश राजनीतिक स्तर पर अपनी प्रभुसता और स्वाधीनता का आर्थिक स्तर पर प्रभुसता और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये उपयोग करें। अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति आर्थिक मुद्दों के बारे में अधिक चिन्तित नही रहती। न्यायसंगत तथा निष्पक्ष समाज जिसमें नागरिकों को आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो इस संसार के प्रत्येक नागरिक का अहस्तान्तरणीय अधिकार है, की स्थापना के बिना अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा लम्बे समय तक कायम रखना संभव नही है। गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों का यह दृढ निश्यच है कि ऐसे समाज की स्थापना शीघ्र की जाये ताकि पूरी मानव जाति के लिये समृद्धि व आत्मगौरव के युग का सूत्रपात किया जा सके। उन्होंने यह

महसूस किया कि आर्थिक संभावनाओं की पूरी तरह से उपलब्धि विकासशील देशों पर निर्भर करती है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य होने अति आवश्यक है।

(क) प्रत्येक देश आत्मनिर्भरता प्राप्त करे ताकि विकासशील देश एक नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करने के लिये अपनी आर्थिक सामर्थ्य का परस्पर सहयोग के लिये उपयोग कर सके।

(ख) विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग में तेजी लानाः और

(ग) विकासशील देशों की एकता को मजबूत बनाना और साम्राज्यवादियों की फूट डालने वाली और दबाव डालने की सभी कोशिशों के विरूद्ध उनके कार्यकलापों को एक सामान्य मोर्चे के रूप में समन्वित करना।

सम्मेलन में पुनः इस बात की पुष्टि की गई कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को पूर्ण पुनर्विन्यास करने से ही विश्व की आर्थिक समस्याओं को चिरस्थायी समाधान हो सकेगा। नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिये निम्नलिखित अनिवार्य तत्वों की परिकल्पना की गई है :

1. विकासशील देशों की व्यापार की शर्तों को सूचीबद्ध करने और उनमें सुधार करने तथा उनके उत्पादों को परिष्करण सुविधाओं को विस्तृत करके उत्पादों का विविधीकरण करके तथा उत्पादों के परिवहन, विपणन और वितरण से पूरी तरह भाग लेकर यह सुनिश्चित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र का मूलभूत पुनर्विन्यास करता ताकि विकासशील देशों को अपने प्राथमिक निर्यात उत्पादेां की उचित और लाभप्रद कीमतें प्राप्त हों तथा उन्हें विश्व व्यापार से उचित भाग प्राप्त हो। वस्तुओं के एकीकृत कार्यक्रम का शीघ्र और पूर्ण कार्यान्वयन करना तथा यह सुनिश्चित करने के उपाय भी करना कि विकासशील देशों, विशेषकर उनमें से बहुत कम विकसित तथा सर्वाधिक गंभीर रूप से प्रभावित देशों और प्राकृतिक संसाधनों की कमी वाले देशों तथा एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत दिये गये उपयेां से प्रतिकूल रूप से प्रभावित देशों के हितों की कार्यक्रम के अन्तर्गत विभेदक उत्पादों और उपचारात्मक उपायों द्वारा रक्षा की जाये।

2. विकासशील देशों के विनिर्मित उत्पादों के लिये विकासशील देशों के बाजारों में बेहतर पेंठ करके श्रमिकों के नये अन्तर्राष्ट्रीय विभाजन के आधार पर विश्व के उत्पादन का पुनर्विन्यास करता, अनुकूल शर्तों पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अन्तरण करना, विकासशील देशों में प्राकृतिक उत्पाद सप्लाई करके, विकसित देशों से विकासशील देशों में उपयुक्त उद्योगों का पुनर्विकास करना, प्रतिबंधित व्यापारिक प्रथाओं को समाप्त करना और विकासशील देशों के विकास संबंधी उद्देश्यों के अनुरूप ..... राष्ट्रीय निगमों के कार्यकलापों पर कारगर नियंत्रण रखना;

3. मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्थाओं में आमूल–चूल परिवर्तन करना क्योंकि इसमें योक्तिक, सामयिक और एक विश्वव्यापी प्रणाली का अभाव है, जिसके कारण वहां मुद्रा में अव्यवस्थित और आकस्मिक रूप से वृद्धि हो जाती है और व्यापक पैमाने पर मुद्रा–स्फीति हो जाती है, जो विकासशील देशों की जरूरतों के अनुकूल नही है और निर्णय करने की शक्ति गिने–चुने विकसित देशों के पास ही सीमित है। नई व्यवस्था से अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित निधियों में अन्तर्राष्ट्रीयों मुद्राओं के वर्चस्व को समाप्त किया जाना चाहिए, निर्णय करने के मामले में विकसित और विकासशील देशों के बीच समानता सुनिश्चित करनी चाहिए, निर्णय करने में किसी एक देश का प्रभुत्व स्थापित नही होने देना चाहिये तथा नकदी के सृजन और विकासीय वित के बीच संबंध स्थापित करना चाहिये।

4. स्वाधीनता के मानदंड को ध्यान में रखकर तथा भेदभाव रहित ढंग से सुनिश्चित, और पूर्वानुमेंय आधार पर विकास के संसाधनों का इस प्रकार पर्याप्त अंतरण सुनिश्चित करना चाहिए जिससे विकासशील देशों में परस्पर भेदभाव उत्पन्न न हों।

5. विशेषकर सबसे कम विकसित और सर्वाधिक गंभीर रूप से प्रभावित देशों के लिये सरकारी ऋणों की समस्याओं के शीघ्र और समुचित समाधान ढूंढना।

6. विकासशील देशों में खाद्य और कृषि आदानों के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिये निवेश हेतु अनुकूल शर्तों पर पर्याप्त संसाधन तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान करना ; और

7. भू–भाग से घिरे विकासशील देशों को समुद्र से उपकर–मुक्त आवाजाही का अधिकार दिया जाना।

आर्थिक सहयोग हेतु कार्यवाही योजना में गुट निरपेक्ष और विकासशील देशों के बीच सहयोग की सीमा और सहयोग के क्षेत्रों की विविधता में वृद्धि करने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यापार, औद्योगिकीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मौद्रिक और वितीय सहयोग, कच्चा माल आदि जैसे सहयोग के पुराने और सुपरिचित क्षेत्र तो शामिल थे ही इसमें खाद्य और कृषि, मछली पालन, परिवहन, दूरसंचार, बीमा, सरकारी उद्यम, स्वास्थ्य, तकनीकी सहयोग और परामर्श सेवा, रोजगार और मानव संसाधनों का विकास, विकास में महिलाओं की भूमिका, अनुसंघान और सूचना प्रणाली तथा पर्यटन जैसे नये अतिरिक्त क्षेत्र भी शामिल किये गये।

विश्व की अर्थव्यवस्था का पुनर्विन्यास करने के लिये सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि विकासशील देशों को न्यायपूर्ण आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिये आत्म–निर्भरता और आन्तरिक रूप से अपेक्षित अनुशासन के पालन के प्रति दृढ संकल्प की भावना और वितीय, तकनीकी, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की अथाह संभावनाओं का पता लगाने तथा इस दिशा में प्रयास जारी रखने के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करनी होगी।

6. छठा शिखर सम्मेलन, हवाना (1979)

छठा गुट निरपेक्ष सम्मेलन हवाना में हुआ जो 3 सितम्बर से 7 सितम्बर 1979 तक चला। इसमें राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों के प्रमुखों सहित 54 राष्ट्रोध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने भाग लिया। 20 देशों और संगठनों के पर्यवेक्षकों के रूप में तथा 18 देशों और संगठनों के अतिथि के रूप में सम्मिलित हो जाने से इस आन्दोलन की सदस्य संख्या बढकर 94 हो गई। सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम घोषणा में एक राजनीतिक घोषणा, एक आर्थिक घोषणा और कार्यवाही संबंधी कार्यक्रम की घोषणा की गई। इन घोषणाओं से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ढांचा तैयार हुआ और इनमें भावी कार्यवाही के लिए उपयोगी मार्ग निर्देशों की व्यवस्था हुई। इस घोषणा में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिये नये सिरे से और गहन प्रयास करने के आह्वान को दोहराया गया। इसमें विकासशील देशों को सर्वाधिक प्रमुख आर्थिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिये नये सिरे से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार–विमर्श करने का प्रयास किया गया। इस सम्मेलन में अनेक संकल्प पारित किये गये।

सम्मेलन में यह महसूस किया गया कि जब तक अधिपत्य, परतंत्रता और शोषण समाप्त नही होता, जनता को सच्ची स्वतंत्रता और स्वाधीनता हासिल नही हो सकती। जब तक संसाधनों और प्राकृतिक सम्पदा पर कारगर नियंत्रण और स्वतंत्र आर्थिक विकास सुनिश्चित नही किया जाता और जब तक जनता को उपयुक्त और उतम रहन सहन की गारंटी नही दी जाती, तब तक पूरी स्वतंत्रता हासिल नही हो सकती। जब तक राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त तथा प्रभुसता, क्षेत्रीय अखण्डता और स्वाधीनता को आदर नही दिया जाता और जब तक सभी देशों और उनकी जनता को पूर्ण स्वाधीनता प्रदान नही की जाती तब तक स्थायी सुरक्षा प्राप्त नही हो सकती।

अतः सम्मेलन में विश्व की समूची मानव जाति से विश्व को युद्ध बल प्राप्त प्रयोग गुटबंदी और गुटबंदी की राजनीति, सैनिक अड्डों, संधियों तथा गठजोड बनाने की नीति, आधिपत्य जमाने और सिरमौर बनने की नीति, असमानता और दमन अन्याय और गरीबी से मुक्त करने और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, परस्पर सहयोग और मेंत्री पर आधारित एक ऐसी नई व्यवस्था पैदा करने जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना भविष्य निश्चित कर सके, अपनी राजनीतिक प्रभुसता प्राप्त कर सके और बिना हस्तक्षेप,

दबाव अथवा किसी किस्म के आंतक के अपना स्वतंत्र आर्थिक और सामाजिक विकास करने की दिशा में सहयोग देने की अपील की गई।

1961 में इस आन्दोलन के प्रादुर्भाव के साथ–साथ इसके मार्गदशी आधारभूत लक्ष्यों और उद्देश्यों को याद करते हुए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षेां ने निम्नलिखित सिद्धान्तेां के प्रति अपनी निष्ठा को दोहराया –

1. राष्ट्रीय स्वाधीनता, प्रभुसता तथा प्रादेशिक अखण्डता,
2. संप्रभु समानता और समस्त देशों को स्वतंत्र सामाजिक विकास,
3. महाशक्ति अथवा गुट प्रतिद्वंद्धी और प्रभावशाली देशों से गुट निरपेक्ष देशों की स्वाधीनता और उनसे उत्पन्न सैन्य सन्धियों और गठजोडों में भाग लेने का विरोध करना,
4. साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, नव–उपनिवेशवाद जातिवाद और यहूदीवाद और हर किस्म के विस्तावाद, विदेशी कब्जा और आधिपत्य और सिरमौरता के विरूद्ध संघर्ष करना,
5. समस्त राज्यों के मध्य सक्रिय शातिंपूर्ण सह अस्तित्व की भावना कायम करना,
6. शांति और सुरक्षा की अविभाज्यता, अन्य देशों के आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप न करना,
7. अपनी राजनीतिक प्रणाली निश्चित करने और बिना भय, बाधा और दबाव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना
8. एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना और समानता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना
9. मानव अधिकारों और मौलिक स्वंतत्रताओं का आदर करना

10. विश्व का प्रतिद्वन्द्वी सैन्य–राजनीतिक गठजोडों और खंडों में बंटना और दबाव क्षेत्र और आतंक का सतुंलन जैसे पुराने सिद्धान्तों का परित्याग करना

11. प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी अधिकार, कानूनी रूप से स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन न किया जाना,

12. बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी न देना, बल प्रयोग अथवा इसकी धमकी से उत्पन्न स्थितियेां का समर्थन न किया जाना और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा,

सम्मेलन के माध्यम से यह सिद्ध हो गया कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन, अन्य शांतिप्रिय, लोकतान्त्रिक और प्रगतिशील ताकतों के साथ–साथ अलग अलग देशों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की लडाई, समस्त राष्ट्रों की शांति और सुरक्षा, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के सिद्धान्तों के सार्वभौमिक क्रियान्वयन अर्न्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण, एक नई न्यायपूर्ण तथा समान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए और अधिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए, एक महत्वपूर्ण और बेजोड आधार है।

सम्मेलन में स्वीकृत राजनीतिक घोषणा में, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव–शैथिल्य की सकारात्मक शुरूआत पर संतुष्टि व्यक्त की गई और यह कहा गया कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला बने। गुट निरपेक्ष देश के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यूरोप में "सुरक्षा और सहयोग पर कान्फ्रेंस" संबन्धी अंतिम अधिनियम की शर्तों के अधीन राज्यों के परस्पर संबंध को सशक्त बनाने और बढाने के यूरोपीय राज्यों के प्रयासेां का स्वागत किया साथ ही इस दस्तावेज में अन्य क्षेत्रों में भी तनाव शैथिल्य का प्रसार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया क्योंकि इसमें निशस्त्रीकरण, तनावों को दूर करने और संघर्षों से बचने जैसी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

सम्मेलन में जिन बातों पर सबसे अधिक चर्चा हुई उनमें परमाणु युद्ध से बचना और निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्रों पर रोक, सैन्य खर्चों को कम करना और विकासशील देशों को हथियारों की होड में पडने से रोकने के लिए उपाय करना शामिल है। सम्मेलन में इस बात का उल्लेख किया

गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा केवल सामान्य और पूर्ण निशस्त्रीकरण, विशेषकर एक ऐसे कारगर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के अधीन, परमाणु निशस्त्रीकरण द्वारा ही कायम की जा सकती है। जिसमें यह निहीत हो की हथियारों की होड की एक नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के साथ कोई संगति नही बैठती और यह कि हथियारों पर खर्च संसाधनों का उपयोग खासतौर पर विकासशील देशों के आर्थिक विकास के प्रयोजन के लिये किया जाये। इसनें निशस्त्रीकरण, विकास और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच सीधे आंतरिक संबन्धों पर जोर डाला।

सम्मेलन ने सभी राष्ट्रों के इस अहस्तांतरणीय अधिकार की पुष्टि की जिसके अनुसार वे अपनी प्राथमिकताओं, हितों और आवश्यमताओं के अनुरूप अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए परमाणु ऊर्जा के शान्ति पूर्ण उपयोग के अपने कार्यक्रम को लागू और विकसित कर सके। सम्मेलन ने विकासशील देशों के उपर डाले गये दबाव और धमकीयों के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया, जिसका उद्देश्य उन देशों के शान्ति पूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास के कार्यक्रम को चालू रखने पर प्रतिबन्ध लगाना था।

सम्मेलन में जन एवं जनता के मानवाधिकारों के पूर्ण विकास तथा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तरों पर अच्छी स्थिति पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। सम्मेलन में यह अनुभव किया गया कि मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित उपाय अनिवार्य है :

1. सभी मानव अधिकार व मौलिक स्वतंत्रता अहस्तांतरणिय, अविभाज्य तथा परस्पर निर्भर है और नागरिक अधिकारों तथा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार के अधिकारों पर समान तथा तत्काल विचार किया जाना चाहिए।

2. विकास और इसे प्राप्त करने के समान अवसर का अधिकार जो कि उन राष्ट्रों और व्यक्तियों, दोंनों का एक ही विशेषाधिकार है।

3. मानवाधिकारों तथा जनता और व्यक्तियो।के अधिकारों के अत्यधिक और स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने को हर परिस्थिति में रोकने की नितांत आवश्यकता है।

4. मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को कारगर ढंग से बढावा देने के लिए एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए।

5. सम्पूर्ण रूप से माानव अधिकारों के प्रश्नों की जांच करने की आवश्यकता जिसके लिये विभिन्न समाजों के सामान्य प्रसंगों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें वे विद्यमान है और मानव की पूर्ण मर्यादा और समाज के विकास तथा कल्याण को बढावा देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रोध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने अपना यह विश्वास दोहराया कि नव अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु संघर्ष में गुट निरपेक्ष और विकासशाील राष्ट्रों की सफलता की कुंजी उन देशों के बीच सहयोग बढाना है। यह सहयोग सामूहिक आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एकता सम्पूर्णता, एकात्मता और परस्पर सहायता हो जिसका लक्ष्य विकसित देशों से बातचीत करके विकासशाील देशों के विकास में तेजी लाना उनकी एकता सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करना और शक्ति संतुलन कायम करना है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तन हो सके।

सम्मेलन ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र संघ विकास दशक के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति तैयार करने के महत्व पर बल दिया। कच्चे माल और ऊर्जा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों के भारत तेल उत्पादक और यूरोपीय देशों के सहयोग तथा सहायता से सामूहिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ बनाने के लिये गुट निरपेक्ष देशों के बीच सहयोग सम्बन्धी मार्ग निर्देश निर्धारित करने का संकल्प करने में समर्थ था।

7. सांतवा शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली (1983)

गुट निरपेक्ष देशों का सातवां सम्मेलन 7 मार्च से 12 मार्च, 1983 नई दिल्ली में हुआ जिसमें 99 सदस्य, 16 प्रेषक तथा 26 अतिथि उपस्थित हुए, जिसका आरम्भ 7 मार्च 1983, को क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रो ने किया और भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने उद्घाटन भाषण दिया, जिसे व्यापक रूप से विचार विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान तथा सम्मेलन की सफलता के रूप में सराहा गया। इसे

सर्वसम्मति से सम्मेलन के दस्तावेज का रूप मान लिया गया। अपने मुख्य भाषण में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने समसामयिक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्तों तथा लक्ष्यों की निरन्तर प्रासंगिकता पर बल दिया। उन्होंने विश्व में शान्ति, न्याय और प्रगति को सुदृढ बनाने, निशस्त्रीकरण करने और न्याय तथा समानता के आधार पर नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यस्था स्थपित करने के लिए, गुट निरपेक्षता के सिद्धान्तों के प्रति सदस्य राज्यों की गहनता तथा स्थायी वचनबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने विकास के लिए धन और वित सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करने का आवाहन किया जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए, वित व्यवस्था के तरीके कनिकालेगा, उन्होंने स्वाधीनता, शान्ति, निशस्त्रीकरण तथा विकास के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों पर बल दिया और गुट निरपेक्ष देशों में एकता, सौहाद्र तथा सामूहिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया।

इन्दिरा गांधी को क्यूबा के राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर सम्मेलन का सभापति चुना गया, जिसका एशियाई, अफ्रीका तथा लेटिन अमेंरिकी देशों तथा राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की और से बोलने वाले प्रतिनिधियों ने समर्थन किया। शिखर सम्मेलन में तत्पश्चात्, शिखर सम्मेलन ब्यूरो के गठन, नये सदस्यों के प्रवेश तथा प्रेषकों तथा अतिथियों के भाग लेने तथा कार्यवाली के सम्बन्ध में विदेश मंत्रीयों के सम्मेलन की सिफारिशों को स्वीकार करने सम्बन्धी कार्य आरम्भ किया। छठें सम्मेलन के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रों ने 1979 के हवाला शिखर सम्मेलन के बाद से आन्दोलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के विकास सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

सम्मेलन द्वारा अपनाये गये मुख्य प्रलेख इस प्रकार है –

राजनैतिक घोषणा, आर्थिक सहयोग के लिए कार्यवाही कार्यक्रम, गुटनिरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता सम्बन्धी घोषणा तथा नई दिल्ली संदेश।

राजनीतिक घोषणा :–

राजनीतिक घोषणा में, गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्रोध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों ने शान्ति तथा विकास के लिए संघर्ष पर ध्यान केन्द्रित किया। घोषणा में आण्विक विध्वंस को रोकने तथा शस्त्र दौड पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें गुट निरपेक्ष देशों द्वारा अपने विवाद को शान्तिपूर्ण निपटाने के सिद्धान्त को अनुपालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। सामन्तवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद, रंग भेद और विदेशी हस्तक्षेप आक्रमण कब्जा प्रमुल्य तथा नेतृत्व और शक्ति समूहों तथा गुट बन्दी तथा उनके झगडे पूर्ण मुक्ति ही गुटनिरपेक्षता की नीति के आधारभूत तत्व रहे। गुट निरपेक्ष देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में इन नीतियों का उन्मूलन करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की पद्धति बनाने जिसमें गुटबन्दी तथा उपनिवेशाी सता के अन्तर्गत लागों के समायोजित न किये जाने योग्य अधिकारों के आत्मनिर्धारण तथा स्वतंत्रता एवं छोटे बडे राज्यों के समानता के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जाती है, की प्रतिज्ञा को नया रूप दिया। घोषणा के अनुसार आन्दोलन के सारभूत तत्व में, एक दूसरे के विरूद्ध गुटबन्दी करने वाले शक्ति समूहों से दूर रहने, उनके विघटन को बढाने, भय दिखाकर निवारण करने के संकीर्ण विगत सिद्धान्तों, शक्तियों का सन्तुलन और प्रभाव क्षेत्र जो देशों के बीच तनाव तथा ध्रुवीकरण, विभाजन तथा द्वेष को बढाते है, को रद्द करना शामिल है।

निशस्त्रीकरण :–

राजनीतिक घोषणा में निशस्त्रीकरण पर, विशेषकर आण्विक निशस्त्रीकरण पर, इसे मानव अस्तित्व का प्रश्न मानते हुए पूरा बल दिया गया। आण्विक निशस्त्रीकरण की प्राप्ति तक, सम्मेलन में यह मांग की कि सभी आण्विक हथियार रखने वाले देशों द्वारा आण्विक शस्त्रों के प्रयोग अथवा प्रयोग की धमकी पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाये तथा उन्होंने आण्विक शस्त्रों के विकास, उत्पादन, भण्डार

जमा करने तथा उसका फैलाव करने पर रोक लगाने और आण्विक शस्त्रों के परीक्षण को बन्द करने के लिए एक व्यापक सन्धि को तुरन्त अन्तिम रूप दिये जाने की मांग की।

हिन्द महासागर – शान्ति क्षेत्रः–

हिन्द महासागर समस्या पर, सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों के निश्चय की पुष्टि की गई कि 1971 के संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अनुसार हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जाये। राष्ट्रोध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों का यह मत था कि हिन्द महासागर में किसी बडी शक्ति की सैनिक उपस्थिति, विदेशाी अड्डों तथा सैनिक प्रतिस्ठानों, उपस्कर आपूर्ति की सुविधाओं का तथा आण्विक शस्त्रों तथा जनसंहार के शस्त्रों को एकत्रित करना, उस घोषणा पत्र का स्पष्ट उल्लंघन है। सम्मेलन ने डियोगोगार्सियो सहित चागोस आर्चीपेलगी पर मॉरीशस की प्रभुसता का पूरा समर्थन किया तथा यह घोषणा की डियोगोगार्सियो में सैनिक अड्डे की स्थापना तथा उसे सुदृढ करने से मॉरीशस तथा अन्य राष्ट्रों की प्रभुसता, प्रादेशिक अखण्डता तथा शान्तिपूर्ण विकास खतरे में पड गया।

फिलीस्तीन, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की समस्याएं :–

राजनीतिक घोषणा पत्र में फिलीस्तीन, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका की वीर जनता तथ इलरायल व दक्षिण अफ्रीका की आक्रमणकारियों नीतियों तथा कार्यवाहीयों की सभी पीडितों ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के समर्थन को फिर से दोहराया। सभी प्रकार के जातिवाद, जिसमें जियॉनवाद तथा रंगभेद नीति भी शामिल भी है, तथा उनके समर्थक देशों की नीतियों की निन्दा की गई। शिखर सम्मेलन में फिलीस्तीनी जनता की अपनी जन्मभूमि की स्वाधीनता संघर्ष तथा उनके अहस्तांतरणीय राष्ट्रीय अधिकारों को वापस लेने के प्रति समर्थन देने की पुष्टि की गई तथा इजरायल से येरूशलम, कब्जा की गई फिलीस्तिनी जमीन, अरब के इलाके तथा लेबनान से हटने का आग्रह किया गया।

दक्षिण पूर्व एशिया की स्थिति :–

दक्षिण पूर्वी एशिया की स्थिति की पुनः समीक्षा करते हुए, सम्मेलन में इस क्षेत्र में निरन्तर चल रहे संघर्षों तथा तनाव के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की गई विशेषकर उन देशों के बारे में जो गुटनिरपेक्ष देशों के आन्दोलन के सदस्य है। उन्होंने प्रभुसता सम्पन्न राज्यों के मामलों हस्तक्षेप न करने तथा उनके खिलाफ बल प्रयोग न करने के सिद्धान्त के समर्थन को फिर से दोहराया। उन्होंने यह चेतावनी दी की कम्पूचिया के आस पास के काफी क्षेत्र में तनाव का वास्तविक खतरा बना हुआ है जो व्यापक क्षेत्र में फैलता जा रहा है। उनका यह मत था कि व्यापक राजनीतिक समाधान द्वारा इन तनावों को दूर किये जाने की आवश्यकता है जिससे विदेशाी ताकतों को हटना पडेगा। इस प्रकार इस क्षेत्र के सभी राज्यों जिसमें कम्पूचिया भी शामिल है, की प्रभुसता, स्वाधीनता तथा प्रादेशिक अखण्डता का पूरा सम्मान सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने इस बात को दोहराया कि कम्पूचिया की जनता को यह पूरा अधिकार है कि वह विदेशी हस्तक्षेप, विनाश और बल प्रयोग से मुक्त होकर अपनी नियति का स्वयं निर्धारण करें।

दक्षिण–पश्चिम एशिया में स्थिति : सम्मेलन में दक्षिण–पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई। अफगानिस्तान की स्थिति पर विशेष रूप से चिन्ता व्यक्त करते हुए सम्मेलन ने फरवरी, 1981 में नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय सम्मेलन में की गई मांग को पुनः दोहराया, जिसमें विदेशी सेनाओं की वापसी के आधार पर किये गये राजनीतिक समझौते तथा अफगानिस्तान से की स्वाधीनता, प्रभुसता, प्रादेशिक अखण्डता तथा गुट निरपेक्ष दर्जे को पूरा सम्मान देने तथा हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का कडाई से अनुपालन करने की मांग की गई थी। सम्मेलन में इस बात को भी पुनः दोहराया गया ि कवह सुरक्षा तथा सम्मान के साथ अपने घरों को लौटें तथा वृहत मानवीय समस्या के शीघ्र समाधान की भी मांग की गई।

ईरान–इराक संघर्ष :– ईरान–इराक से यह अपील करनी चाहिए कि वे युद्ध को समाप्त करें। अपने वक्तव्य में इन्दिरा गांधी ने ईरान–इराक युद्ध पर गहरा खेद व्यक्त किया तथा दोंनों देशों से यह अपील

की कि वे युद्ध को शीघ्र समाप्त करके आपसी बातचीत तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से सम्मानपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण शांति कायम करें।

यूरोप तथा भूमध्य सागर की स्थिति :– सम्मेलन में यूरोप में तनाव बढने तथा उस महाद्वीप में शस्त्रों के एकत्रीकरण से उत्पन्न खतरे पर चिन्ता व्यक्त की गई जिससे गुटों के बीच संघर्ष बढा तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। उन्होंने पुनः इस बात को दोहराया कि यूरोप तथा भूमध्य सागर की सुरक्षा समस्याएं एक–दूसरे से सम्बद्ध हैं तथा इस सन्दर्भ में उन्होंने भूमध्य सागर के गुट निरपेक्ष सदस्यों की एक बैठक बुलाई ताकि विचारों का आदन–प्रदान हो सके और इस क्षेत्र में सहयोग एवं सुरक्षा मजबूत करने के उपाय शुरू किए जा सकें। सम्मेलन ने साइप्रेस गणतन्त्र की जनता तथा सरकार के साथ पूर्ण सहानुभूति और उसे समर्थन देने की बात को फिर से दोहराया तथा उस देश की स्वाधीनता, प्रभुसता, प्रादेशिक अखण्डता, एकता तथा गुट निरपेक्षता के प्रति पुनः सम्मान किया।

मध्य अमेंरिका में स्थिति :– सम्मेलन में यह जानकर संतोष व्यक्त किया गया कि लेटिन अमेंरिका की जनता ने गुट निरपेक्ष नीति का अनुपालन करने, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशवाद तथा सभी प्रकार के प्रभुत्वों, आधिपत्यों और राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष करने के लिए दृढ संकल्प किया है। सम्मेलन में मध्य अमेंरिका, कैरिबियन और दक्षिणी अटलांटिक में निरन्तर तनाव बने रहने के संदर्भ में अपनी–अपनी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणालियों में से किसी को भी चुनने के किसी राज्य के अधिकार को सर्वोपरि महत्वपूर्ण माना गया है। सम्मेलन में कैरिबियन क्षेत्र में जारी उपनिवेशवादी नीतियां तथा बढते आर्थिक दबाव, धमकियां और आक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई और उसने मध्य अमेंरिका तथा कैरिबियन को शांति क्षेत्र घोषित करने के प्रयासों का समर्थन किया।

परमाणु ऊर्जा का शान्तिपूर्ण प्रयोग :– सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उपयोग के बारे में इस बात को दोहराया गया कि प्रत्येक राज्य का यह अहस्तांतरणीय अधिकार है कि वह बिना भेदभाव वाली

शर्तों के अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का पूरा और अप्रतिबंधित प्रयोग कर सके तथा उसमें यह कहा गया कि राज्यों की अपनी प्राथमिकताओं, हितों और आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में बढने के लिए शांतिपूर्ण प्रयोजनों हेतु परमाणु ऊर्जा अर्जित और विकसित करने के उसके अधिकार का उसके द्वारा प्रयोग न करने देने के लिए इसके प्रसार के रोकने को बहाना नही बनाया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठा :– राज्यों और सरकारें के अध्यक्षों ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्रों के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के प्रति अपनी दृढ निष्ठा की पुनः पुष्टि की और साथ ही इस बात को भी पूर्ण मान्यता दी कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के अनुरक्षण, राष्ट्रों के बीच सहयोग को विकसित तथा मजबूत करने और राज्यों के बीच न्यायोचित आर्थिक संबंध स्थापित करने तथा विश्व में मूल अधिकारों तथा विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का संवर्द्धन करने को प्रोत्साहन देने के लिए विश्व संगठन की केन्द्रीय भूमिका को पूरा करने हेतु उसे प्रभावी साधन बनाए जाने के लिए उसका समर्थन किया तथा उसे मजबूत किया जाना चाहिए।

अंत में गुट निरपेक्ष देशों के राज्य तथा शासनाध्यक्षों ने इस आन्दोलन की एकता और सम्बद्धता को मजबूत करने तथा शांति और सहयोग के समर्थन में कार्यवाही करने के लिए अपनी क्षमता को बढाने के अपने दृढ संकल्प को व्यक्त किया। उन्होंने सदस्यों के बीच हो रहे विवादों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और मतभेदों का शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने मांग की कि विश्व मेंत्री और शान्ति के हित में अन्य शाक्तियें को भी चाहिए कि वे इस आन्दोलन की स्वतंत्रता और इसके सदस्य देशों की अखण्डता का सम्मान करें।

आर्थिक घोषणा–पत्र :– नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की आवश्यकता पर पुनः बल दिया गया। वर्ष 1984 के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सम्मेलन के माध्यम से व्यापक बातचीत

किये जाने की मांग की गई अन्तर्राष्ट्रीय धन संबंधी और वितीय प्रणाली के व्यापक पुनर्निर्माण के लिए व्यापक सहयोग से विकास के लिए धन और वित संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन किये जाने का प्रस्ताव किया गया। इस बात पर बल दिया कि विकासशील देशों में खाद्य, ऊर्जा, वितीय स्त्रोंतों के प्रवाह व्यापार और कच्चे माल जैसे संकटपूर्ण क्षेत्रों में अविलम्ब उपाय किया जाना आवश्यक है और विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को पुष्ट करने और तेज करने के लिए राजनीतिक प्रेरणा दी है।

आर्थिक घोषणा–पत्र में 1985 को लक्ष्य वर्ष के रूप में माना गया जबकि सरकारी विकास सहायता को विकसित देशों की कुल राष्ट्रीय उत्पादकता के 0.7 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। उसमें इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विकासशील देशों को दिए ऋण की पुनर्निधारण के लिए एक व्यापक बहुमुखी ढांचा बनाया जाए तथा सभी बकाया द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता को अल्पविकासित देशों को दिए जाने वाले अनुदान के रूप में बदल दिया जाए।

आर्थिक घोषणा–पत्र में इस बात पर बल दिया गया कि मानव संसाधन विकास और महिलाओं संबंधी कार्यक्रमों को बढावा देना, पर्यावरण की रक्षा तथा बाहरी अन्तरिक्ष में अस्त्र–शस्त्रों की होड को रोकना आवश्यक है। उससे सभी देशों द्वारा परमाणु ऊर्जा विकसित करने के अधिकार पर बल दिया और विकासशील देशों के परमाणु कार्यक्रम के लिए पूर्ति करने वाले कतिपय परमाणु पूर्तिकर्ता देशों की आलोचना की। आर्थिक घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि अल्पविकसित देशों विकासशील देशों तथा अत्यधिक कुप्रभावित देशों की सहायता के लिए विशेष उपाय किए जाये। सम्मेलन में और अधिक दक्षिण–दक्षिण सहयोग की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

घोषणा–पत्र में विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग पर पर्याप्त बल दिया गया। दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढावा देने के लिए समय समय पर एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप में परामर्श करते रहने पर बल दिया गया। विकासशील देशों के बीच भावी सहयोग के लिए संस्थागत बूनियादी ढांचे के सम्बंध में उन्होंने हवाना में राष्ट्रपारीय निगमेां संबंधि सूचना केन्द्र और नई दिल्ली में विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना करने जैसी प्रमुख परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की सिफारिश की।

भारत के लिए गुट निरपेक्ष सम्मेलन का विशेष महत्व है गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाकर ही उसने दोंनों महाशक्तियों तथा अन्य गुटनिरपेक्ष देशों से अपने विपक्षीय सम्बन्ध बनाये रखे। इसी ने उसकी विदेश नीति को सार प्रदान किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में इसका स्थान ऊँचा किया। भारत के अपने अनुभव ने इस नीति की पृष्ठता एंव भारत व गुटनिरपेक्ष देशों के बीच परस्पर आवश्यकता का प्रदर्शन किया। यह कहा गया कि यदि क्युबा ने 6ठें सम्मेलन को वाम की तरफ मोडा तो ब्रेलग्रेड ने उसे दूसरी दिशा में मोड दिया।[8]

लेकिन भारत ने उसे उसी पथ पर रख दिया, को इस आंदोलन के संस्थापकों ने स्थापित किया था।[9]

इस आंदोलन के सम्बन्ध में एक भारतीय टीकाकार ने इस सम्मेलन की उपलब्धियों को निम्नानूसार प्रस्तुत किया है[10] :–

1. आन्दोलन के मौलिक सिद्धान्तों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता अभिव्यक्त की गई।
2. गुट निरपेक्षता के स्वतंत्र चरित्र के इस सूत्र पर पुनः बल दिया गया कि इसके कोई प्राकृतिक मित्र या प्राकृतिक शत्रु नही है।
3. आन्दोलन के भीतर कुशलता पूर्ण प्रबन्धन सही प्रकार की प्राथमिकताओं का चयन करके एकता के भाव की पुनः स्थापना आर्थिक विषयों को अधिक महत्व देना आन्दोलन के प्रति अधिक आस्था व विश्वसनीयता का वातावरण पैदा करना जैसे सूत्रों की पुनः स्थापना की गई।
4. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में आर्थिक व सुरक्षा संबंधी मामलों के प्रति नये दृष्टिकोण को तेज किया गया जिसकी सफलता के भविष्य में बेहतर अवसर हो सके।
5. इस सम्मेलन ने निशस्त्रीकरण तथा मानव जाति के बने रहने के बीच सम्पर्क, आर्थिक व राजनीतिक संरचनाओं के बीच सम्पर्क तथा विकसित व विकासशील देशेां के भाग्यों के बीच अन्तः निर्भरता जैसे कार्यक्रमों को आर्थिक व्यवहारपरक स्पर्श प्रदान किया। नये विचारों की

उत्पति ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में संरचनात्मक परिवर्तनों को लाने की दिशा में वैश्वीय लोकमत बनाने की संभावना दिखाई।

8. आठवां शिखर सम्मेलन, हरारे (1986) :–

आंठवा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जिम्बाववे की राजधानी हरारे में हुआ। अपने सम्बोधन में राष्ट्रपति मुगावे ने कार्य योजना के 3 सूत्र सुझाये।

1. विदेश मंत्रियो की एक टोली अमेंरिका,ब्रिटेन,जर्मनी, व जापान भेजी जाये जो आग्रह करे कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतिबन्धों को आरोपित किया जाये।
2. विदेश मंत्रियो की एक टोली संयुक्त राष्ट्र संघ कें महासभा के अध्यक्ष से मिले ताकि सभा का विशेष सत्र बुलाकर नामिबिया की स्वंतत्रता के लिये आंदोलन तेज किया जा सके।
3. दक्षिण अफ्रीका का श्वेत शासन से तथा नामिबिया को दक्षिण अफ्रीका आधिपत्य से मुक्त कराया जावे। इस आंदोलन के पूर्व अध्यक्ष भारत की ओर से प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण उपक्रम दिये है, बढ़ते हुये प्रयासो से इसने अंतरिक्ष, निशस्त्रीकरण तथा विकास के क्षैत्रों में अपने मौलिक लक्ष्यो का अनुसरण किया है। दक्षिण अफ्रीका रंगभेद नीति तथा दक्षिण अफ्रीका व नामिबिया के दलित लोगों की मुक्ति के लिये इसने अपना संघर्ष जारी रखा है। इसी प्रकार आंदोलन ने फिलीस्तीन की समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जो महत्वपूर्ण कि समस्याओं का केन्द्र बिन्दु है। इसने गुटनिरपेक्ष देशों की स्वतंत्रता व प्रभुसत्ता के पक्ष में तथा हर प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकताओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है।[11]

अफ्रीकी महाद्वीप में होने वाला यह चौथा सम्मेलन था। पर्यवेक्षको का मानना है कि विश्व की बिगड़ती हुई आर्थिक और राजनेतिक स्थिति के समय यह सम्मेलन हुआ। अतः इसमें जो कुछ स्वीकार किया गया उसे हरारे अपील का नाम दिया गया।

इस समय दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की नीति व नामिबिया की स्वतंत्रता मुख्य विषय बन गये थे। इसलिये यह मांग की गई है कि दक्षिणी अफ्रीका के प्रति प्रतिबन्धों को कठोरता से लागू किया जावे। साथ ही अमेंरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का अंतरिक्ष युद्ध कार्यक्रम चिंतन का विषय बना हुआ था। अतः सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ 13 सूत्रीय कार्यक्रम अपनायें गयें। यह कहा गया कि दक्षिणी अफ्रीका को प्रोद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं किया जावे। तेल उत्पादन निर्यात व ब्रिकी पर रोक लगाई जावें। उसे कोई वित्तीय ऋण नहीं दिया जाये तथा वहां विदेशी पूंजी का निवेश रोक दिया जावे।

राजनीतिक प्रस्ताव में यह आग्रह किया गया कि अमेंरिका व अन्य बड़ी शक्तियां परमाणु परीक्षणों व परमाणु अस्त्रो का उत्पादन रोक दें, बाहय अंतरिक्ष में ऐसी व्यवस्थाऐं न पहुॅचाये तथा परस्पर वार्ता से शस्त्रों की होड़ को रोक दे। राजीव गांधी ने जोर दिया कि एक अफ्रीकी कोष बनाया जाया ताकि अविकसित देशों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। एक 25 सदस्यीय उप समिति गठित की गई जो उत्तर दक्षिण संवाद में गुटनिरपेक्ष देशों की स्थिति को नियोजित कर सकेगी। आर्थिक घोषणा में यह आग्रह किया गया कि उत्तर दक्षिण संवाद को तेज किया जाये। तथा विश्व स्तर पर बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जावे। लीबिया के राष्ट्रपति गद्धाफी ही ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिन्होने इस आंदोलन की उपयोगिता को शून्य ठहराया। लेकिन तथ्यों से यह प्रकट होता है कि पिछले सम्मेलनों की अपेक्षा यह सम्मेलन अधिक सफल हुआ।[12]

9. नवां शिखर सम्मेलन, बेलग्रेड (1989) :–

1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। इसलिये इसे बेलग्रेड द्वितीय भी कहते है। पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था लेकिन अब सदस्यो की सख्या 103 हो गई थी। सितम्बर 1989 में होने वाला यह 9वां सम्मेलन था। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि यदि परमाणु व परम्परागत अस्त्रों का निर्माण होता रहा तथा नये शस्त्रों को प्रोत्साहन मिलता

रहा या उनका विकास होता रहा तो उससे शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति यह मांग करती है कि गुपचुप तौर से संघर्षों को न बढ़ाया जाए। शांति यह मांग करती है कि राज्यों के संसाधन, शस्त्रों के स्थान पर विकास में लगाये जावे। शांति एक स्वस्थ्य पर्यावरण की कामना करती है तथा इस पृथ्वी पर जीवन के लिये प्राकृतिक उपहारों के संरक्षण की कामना करती है। शांति का अर्थ है कि आंतकवाद चाहे वह काम लोग करें या राज्य करे, का अन्त हो। शांति का यह भी अर्थ है कि विश्व को नशीली वस्तुओं के संकट से बचाया जाये।[13]

इस सम्मेलन में 6 सूत्रीय राजनैतिक उद्देश्य अपनाये गये :–

1. जब तक व्यापक व तुरन्त रूप में क्रियान्वयन योग्य अंर्तराष्ट्रीय स्थाई व टिकाउ शांति की संरचना स्थापित नहीं होती तब तक शांति, निशस्त्रीकरण, तथा शांतिपूर्ण तरीको से विवादों का निपटारा, हमारा प्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिये।
2. अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिये हम सामूहिक रूप से प्रयासो के इच्छुक है।
3. हम उन सभी जातियों के अधिकारो का समर्थन करते है जो उपनिवेश व विदेशी शासको के अधीन है। हम उनके आत्म निर्णय व स्वतंत्रता के आग्रह का प्रबल समर्थन करते है।
4. जैसे जैसे हम 21 वी शताब्दी की ओर बढ़ रहे है पर्यावरण की समस्या एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। जो नाटकीय ढंग से विश्व के राज्यों की अन्तः निर्भरता पर जोर दे रही है।
5. हम समझते है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह सामाजिक,सांस्कृतिक व आर्थिक व राजनैतिक अधिकारों का पूर्ण आनन्द ले, मानव अधिकारों व स्वतंत्रताओं का अधिकतम विकास हमारे आंदोलन के मुख्य लक्ष्य है।
6. हमारा देश व हमारा आंदोलन अपना योगदान जारी रखेंगे। ताकि संयुक्त राष्ट्रसंघ समस्त अंर्तराष्ट्रीय समुदाय के सच्चे लोकतांत्रिक प्रतिनिधी के रूप में कार्य कर सकें। वह अपनी गतिविधियों को बढ़ाये जिनका ध्येय युद्ध के कारणों का निराकरण करना, विकास व समृद्धि को बढ़ावा देना तथा मानव राष्ट्रों की मर्यादा में आस्था को पुनः स्थापित करना है।

आंदोलन के भावी कार्यो के बारे में रिपार्ट में कहा गया है :–

1. जो परिवर्तन हो चुका है उसे बनाये रखने व आगे बढ़ाने में यह आंदोलन कृत संकल्प बना रहना चाहिये। इसकी सिद्धी अर्थात् सभी अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिये विभिन्न राष्ट्रों के बीच संवाद तेज किया जाना चाहिये।
2. जिन समाधानो की खोज की जा रही है वह सदस्य देशों के हितो के प्रतिकूल नहीं है।
3. बहुल पक्षवादी समझौतों को पूर्ण सर्मथन दिया जावे।
4. अंतिम व पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिये आंदोलन को अपने प्रयास जारी रखने चाहिये।
5. विश्व के देशों के आर्थिक हितो की बढती हुई आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुये उत्तर,दक्षिण सवांद को पुनः जीवित किया जावे व दक्षिण सहयोग को तेज किया जावे।
6. इस आंदोलन की घटनाओं को देखने, उनके निहितार्थो का विश्लेषण करने तथा समाज के भीतर यह निश्चित करना चाहिये कि उसे अपने ध्येयो को प्रोत्साहन करने हेतु क्या उपर्युक्त भूमिका अदा करनी है।

यदि हरारे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका व नामिबिया की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया तो **इस सम्मेलन में नई अंर्तराष्ट्रीय व्यवस्था,पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा निशस्त्रीकरण पर विशेष जोर दिया गया।** यह स्वीकार किया गया कि विश्व के आर्थिक संबन्ध अभूतपूर्व रूप से बदल रहे है। विज्ञान व तकनीक के क्षैत्र में तेजी से विकास उत्पादन, उपभोग व व्यापार कि प्रतिमानों को बदल रहे है। बाजारो का एकीकरण हो रहा हैं। बहुध्रवीय दुनिया में आर्थिक शक्ति के नये केन्द्र उभर रहे है। विश्व के अनेक भागो में एकीकरण लाने वाली रणनीतियां बन रही है। फिर भी विकसित व विकासशील देशों के बीच दूंरिया समाप्त नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति को रोका जाना चाहिये क्योंकि इससे विश्व की शांति व स्थायित्व को संकट पैदा हो रहा है।

यह बार बार स्वीकार किया गया है कि युद्ध के कारणों व सकंटो का निवारण किया जावे,न्यायपूर्ण अंर्तराष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना हो, साम्राज्यवाद व उसके हर रूप का अंत हो। पर्यावरण

की सुरक्षा के उपाय किये जाये,मानव अधिकारो को बढ़ावा दिया जाये। संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रभावशीलता व उसकी भूमिका प्राथमिकता दी जाये। स्वार्थ पूर्ति के लिये शांति पूर्ण तरीको का प्रयोग किया जावे। जुलाई 1989 में भारत, मिश्र सेनेगल तथा वेनेजुअला की उत्तर दक्षिण संवाद पर पैरिस में बैठक हुई थी जिसके आधार पर इस सम्मेलन में उसी प्रक्रिया को तेज करने पर बल दिया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि विश्व को परमाणु शस्त्रो से बचाने के लिये पृथ्वी सुरक्षा कोष स्थापित किया जावे।

इस अवसर पर अमेंरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने अपने संदेश में कहा कि बदलती हुई दुनिया की नई चुनोतियों की अनुक्रियाओ को अमेंरिका रूचि से देखेगा। हम यथार्थवादी व मूर्त सुझावों का स्वागत करेगें। जिसके आधार पर स्थाई शांति एवं सामाजिक आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन मिल सकेगा। सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोब ने कहा कि आज हमारी सभ्यता पर पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा है। उसके निराकरण हेतु सोवियत संघ गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना विश्वसनीय सहभागी समझता है।

अब तक हुये गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में लिये गये संकल्पो की समीक्षा की जाये तो कोई शक्की व्यक्ति भी यह कह सकता है। 1980 से 1988 तक ईरान, ईराक युद्ध चल रहा था लेकिन उसे रोकने हेतु यह आंदोलन कुछ नहीं कर सका। इससे पहले अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप हुआ जो 8 वर्षो तक चलता रहा। लेकिन इस आंदोलन के नेताओं ने कोई कारगर उपाय किया। 1983 में नई दिल्ली के सम्मेलन में घुमाफिरा कर यह निर्णय लिया गया के किसी देश में किसी विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। तथा जिन देशों में विदेशी सेनाऐ मोजूद है उन्हे वहां से हटना चाहिये। परन्तु 1990 में में इराक ने कुवैत को हडप लिया। एक बार फिर गुटनिरपेक्ष देश तमाशा देखते रह गये। कम्पूचिया व साइप्रस समस्याऐं भी खड़ी रही।

यह ठीक लगता है कि हर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सुदढ़ बनाने का संकल्प पारित किया, लेकिन उन्होने अपने विवादो को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेना ठीक नहीं समझा या

किन्हीं विवादो के बारे में संयुक्त राष्ट्रसंघ के निर्णयो का आदर नही किया। उन्होने ऐसा कोई तंत्र भी विकसित नहीं किया जो संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयो को क्रियान्वित कराये या उनके क्रियान्वन पर दृष्टि रखें। वास्तविकता यही लगती है कि इस आंदोलन के पास ना भौतिक बल है ना ही नैतिक बल है जो विश्व राजनैतिक क्षैत्र में विश्व राजनीति को वाछंनीय सीमा तक प्रभावित कर सके।

लेकिन इस अवधि में आंदोलन की सफलता कई दिशाओं में आंकी जा सकती है :–

1. सदस्यो की बढ़ती हुई संख्या इसकी लोकप्रियता का प्रतीक बना।
2. शीतयुद्ध से तनाव शैथिल्य की ओर निंरतर प्रगति हुई।
3. पराधीन देशों की स्वतंत्रता ने साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के पतन को संभव बनाये रखा।
4. संयुक्तराष्ट्र संघ की महासभा में गुटनिरपेक्ष देशों की बढती संख्या ने इसे किसी महाशक्ति के क्लब के रूप में रहना असंभव बना दिया।

उत्तर दक्षिण व दक्षिण दक्षिण सहयोग या सामूहिक आत्मनिर्भरता के अभियान को नई दिशा मिली। व समय के साथ साम्राज्यवाद व निशस्त्रीकरण के अलावा व पर्यावरण की सुरक्षा भी इस आंदोलन के चिंतन में आ गई।

यह सब देखकर निराशा व विवशता की भावना के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये। इस आंदोलन की विविधता व बहुलता ही इसकी सम्पदा है। अक्सर यह भुला दिया जाता है कि गुट निरपेक्ष देश अपना अलग गुट नही बना सके। वास्तव में वह एक आंदोलन का अंश है न कि किसी संगठन का जिसका कोई अध्यक्ष या सुंगठित ढांचा हो। यह आंदोलन कोई विचारधारात्मक शिविर नहीं है।[14]

10. दसवां शिखर सम्मेलन, जकार्ता (1992) :–

1990 के बाद की अवधि अर्थात् उत्तर शीतयुद्धोतर काल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की गति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। और वह यह था कि गुट नहीं रहे लेकिन आंदोलन का नाम

बना रहे। अभी तक हर सम्मेलन में दोनो महाशक्तियों के सैनिक गठबन्धनों की कड़ी आलोचना की जाती थी लेकिन अब यह परिदृश्य चला गया। गुट निरपेक्ष देशों के समक्ष नई चुनौतियां आ गई। सहयोग के नये अवसर दिखाई दिये और आंदोलन की प्रासंगिकता का आधार ही बदल गया। वे बहुत से मुद्दे जैसे साम्राज्यवाद,उपनिवेशवाद, रंगभेद की निंदा मूल्यहीन हो गये जिन पर अभी तक विशेष बल दिया जाता था। इसकी जगह नये परिदृश्य में नये ऐसे मुद्दे (जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, लेंगिक असमानता, व न्याय की स्थापना,सीमापार आंतकवाद का संकट आदि) उभरे जिनकी अभी तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अत यह मानने जैसा लगा कि '' गुट निरपेक्ष आंदोलन के इतिहास में जकार्ता सम्मेलन को एक विभाजन रेखा की तरह देखा जाना चाहिये। पाश्चात्य विरोधी अलंकारो का प्रयोग किये बिना नेताओ ने उभरते हुये अंर्तराष्ट्रीय परिदृश्य का गंभीर व यथार्थवादी मूल्यांकन दिया। यह उसे पुनः परिभाषित करने का अवसर था।[15]

जर्काता सम्मेलन 1992 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थको में इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो का प्रमुख स्थान है। जहाँ अप्रैल 1955 में बांडुग नगर में अफ्रीका व एशिया के 29 देशों का सम्मेलन हुआ था। जिसने उसने 1961 में ब्रेलग्रेड में होने वाले पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन की आधारशिला रखी। सितम्बर 1992 में होने वाले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 108 सदस्य देश में से 95 देशों ने भाग लिया। इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण दस्तावेज (जर्काता घोषणा व जकार्ता संदेश) अपनाये गये जिनमें कामना की गई कि नई अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था निम्न सूत्रों पर आधारित होनी चाहियेः–

1. कानून का शासन
2. संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का पालन।
3. न्यायपूर्ण तरीके से सहभागित उत्तरदायित्व तथा भूमण्डीय सहयोग तथा संगठन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
4. शांति, न्याय, सुरक्षा विकास, लोकतंत्र तथा लोगो तथा राष्ट्रों के अधिकारों व स्वतंत्रता के प्रति व्यापक रूप से कल्पित तथा संरचित संरचना।
5. राष्ट्रों की प्रभुसत्ता का आदर तथा किसी राष्ट्र के घरेलु मामलों में हस्तक्षेप न करने का पालन।

6. सवांद व वार्ता की सम्पुष्ट प्रक्रिया के आधार पर विश्व के सभी देशों में विवादो का समाधान तथा इसी ध्येय की खातिर किसी क्षैत्रीय व्यवस्था की स्थापना।

27 सूत्रीय जर्काता के घोषणा के प्रमुख बिन्दुओं को यहां निम्नानुसार इंगित किया जा सकता है।

1. विश्व के दो ध्रुवीय ढाचें का विघटन, राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिये अवसरों की संभावनाओं व चुनौतियों पेश करना। यह विश्व की अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता एकीकरण व भूमण्डलीयकरण नये अध्याय की तरह है।
2. अंर्तराष्ट्रीय संबन्धो के इस नये युग में हमारी आशाओं को पुन जीवित किया है कि हम एक नई न्याय पूर्ण अंर्तराष्ट्रीय व्यवस्था, स्थाई शांति, साझीं सुरक्षा तथा आर्थिक व सामाजिक न्याय का निर्माण करे।
3. हम परमाणु व परम्परागत अस्त्रो की संख्या सीमित करने की दिशा में स्थान प्रगति से बहुत प्रोत्साहित है।
4. अब शांति व स्थाईत्व सामाजिक व आर्थिक तत्वों पर उतने ही टीकें है जितने वह राजनैतिक व सैनिक तत्वो पर आधारित है।
5. आर्थिक क्षैत्र में अन्यायपूर्ण अंर्तराष्ट्रीय संरचनाऐं तथा असमान सम्बन्धों के कारण गहरी विषमताऐं पैदा हुई है जो विकसित व विकासशील देशों के बीच समृद्धि तथा तकनीकी ज्ञान की खाई को सतत रूप से बढ़ा रही है।
6. हम यह पुनः आग्रह करते है कि मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं की सार्वभोम वैधता हो।
7. पर्यावरण का तेजी से होने वाला पतन मानव जाति के जीवन को संकट पैदा कर रहा है।
8. हम यह चाहते है कि सभी स्तरों पर विकास की प्रक्रिया में महिलाओ की पूर्ण व समान भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

9. अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाये रखने में सुरक्षा परिषद की बड़ी जिम्मेदारी है अतः चार्टर में वर्णित सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों का बहुत अधिक महत्व हो गया है अतः सुरक्षा परिषद व सयुंक्त राष्ट्रसंघ व्यवस्था का पुनः गठन होना चाहिये।
10. सवांद व सहयोग के माध्यम से यह अंर्तराष्ट्रीय सम्बन्धों की मुख्य धारा के अनिवार्य तत्व के रूप में एक प्राणवान रचनात्मक तथा शुद्ध रूप में आत्म निर्भर आंदोलन बनेगा।

इस घोषणा में आशा की गई कि सच्चे अर्थ में सार्वभौम आधार पर एक नई अंर्तराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित होगी। यदि माधुर्य, शान्ति, न्याय व सभी की समृद्धि सुनिश्चित हो सके। यदि माधुर्य, शक्ति, न्याय व सभी कि समृद्धि सुनिश्चित हो जाये।[16]

11. ग्यारहवां शिखर सम्मेलन, कार्टजिना (1995) :–

लेटिन अमेंरिकी देश में यह दूसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन था। 19 अक्टूबर को कोलम्बिया के राष्ट्रपति **अर्नेस्टो केम्पर पी. जानो** ने अपने भाषण में कमजोर देशों में बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप की निंदा करते हुये कहा कि "**हमारी एकता ही अब विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली यंत्र हो सकती है।**" इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो ने कई महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जोर दिया जैसे :–

1. व्यापार के क्षैत्र में सभी विभेदकारी बाधाओं को हटाया जाये ताकि विकासशील देशों की दुनिया के बड़े बाजारो तक पहुॅच हो सके।
2. विज्ञान व प्रोद्योगिकी के क्षैत्र में मौजूदा बाधाओं को भी हटाया जाये ताकि विकास शील देश नई तकनीक के ज्ञान का लाभ उठा सके।
3. अंर्तराष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व बैंक अपनी शर्तों को सरल बनाये ताकि विकासशील देशों को न्यायपूर्ण शर्तो पर ऋण मिल सकें।
4. उन्होने जोर देकर कहा कि आज जो बाधाऐं खड़ी है उनका एकमात्र हल तीसरी दुनिया के देशों को हाशिये पर रखना है इसलिये विषमता फैली है। जिसने दुनिया को उत्तर व दक्षिण में

बांट रखा है,जैसा अतीत में था वैसा अभी भी है। अतः हमारे संमुख यह चुनोती है कि हम अपनी आदर्श स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये अपने सामूहिक बल का निर्माण करें।

क्यूबा के राष्ट्रपति ने फीदेल क्रास्त्रो ने सक्षिंप्त अपितु प्रभावकारी भाषण में लोगो के समक्ष गंभीरता से उद्‌बोधन किया। उन्होने दुनिया के सम्पन्न व गरीब देशों के बीच विषमता की ओर संकेत किया ओर आर्थिक व सैनिक दृष्टि से सम्पन्न देशों की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उदारीकरण की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार व कटाक्ष करते हुये उन्होने सभी को बाजारी अर्थव्यवस्था में अन्धा विश्वास रखने के खतरो से अवगत कराया। उस समय संयुक्तराष्ट्र संघ के पुर्नगठन की बात चल रही थी अतः उसने आग्रह किया कि सुरक्षा परिषद का अधिक प्रतिनिधि प्रतिनिध्यात्मक व लोकतांत्रित होना चाहियें। ओर इस नाते उसमें स्थाई सदस्यो की संख्या को इस प्रकार बढ़ाया जाये कि दो एशिया से दो अफ्रीका से व दो लेटिन अमेंरिकी देशों में लिया जावे।

इस दौरान पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा उठाकर अनावश्यक विवाद पैदा किया। उन्होने कश्मीर के मामले में भारत के हस्तक्षेप की निंदा की। वहां की स्थिति को गृहयुद्ध रत बोर्सिनिया के समान बताया। उन्होने यह भी आरोप लगाया कि भारत अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरसिंहा राव ने ऐसे आरोपो का खण्डन किया तथा कहा कि कश्मीर की समस्या पाकिस्तान की ही कृति है। जिसने भारत के एक भाग पर कब्जा जमा रखा है। इस बिन्दु को भी दोहराया कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों को नही उठाया जाना चाहिये। नये अंर्तराष्ट्रीय परिदृश्य पर संकेत करते हुये राव ने सुझाया कि अब गुटनिरपेक्षता की सार्थकता ओर अधिक हो गई है। ओर अब इसी आंदोलन को एक सार्थक विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिये।

शीतयुद्धोत्तर काल में आंतक वाद सबसे बड़ा संकट बन गया। अतः सम्मेलन में इसके सभी रूपों की निन्दा की गई। तथा सदस्य देशों से अनुरोध किया गया कि वह इससे निपटने के लिये अपने सामूहिक प्रयासो को तेज करे। यह भी आग्रह किया गया कि सामान्य तथा सार्वभोम निशस्त्रीकरण की

दिशा में प्रगति होनी चाहिये। और अंत में जो राजनैतिक घोषणा की गई उसमें निम्न बिन्दुओ पर जोर दिया गया :–

1. सामान्य व सार्वभोम निशस्त्रीकरण हो।
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की व्यवस्था में सुधार हो ताकि कुछ देश अपने मत भार से विकासशील देशों के मार्ग में बाधाऐं पैदा न कर सकें।
3. सयुंक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद का पुर्नगठन होना चाहिये। ताकि एशिया,अफ्रीका व लेटिन अमेंरिका देशों को न्याय पूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इस सम्मेलन में विचारणीय विषय आतंकवाद धार्मिक कट्टरवाद परमाणु अप्रसार संधि की अवधि को बढ़ाने का मामला विकासशील देशों के बीच सहयोग व्यापार बदली हुई परिस्थितियों में आंदोलन का दायित्व,उत्तर दक्षिण वार्ता, आदोंलन को सक्रिय बनाने हेतु पैकेज तैयार करना। पश्चिमी सहारा की समस्या, कुवैत इराक सीमा विवाद आदि रहे। और इन पर विचार करके ही घोषणा जारी की गई थी।

कुल मिलाकर इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष विकासशील देशों ने अपने इस संकल्प को पुनः दोहराया कि शीतयुद्ध के मलबे से उभरते हुये इस शत्रुतापूर्ण विश्व पर्यावरण में।एक जुट बने रहे ताकि बड़े देश उन्हें उपेक्षित स्थिति में नहीं रख सके। दो ध्रुवीय भिंडंत के चले जाने से उत्पन्न भ्रमपूर्ण वातावरण में उनकी एकता बनी रहने की परम आवश्यकता है।[17]

12. बारहवां शिखर सम्मेलन, डरबन :–

अफ्रीकी महाद्वीप में यह 5 वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ऐसे देश में हुआ, जहां कुछ समय तक श्वेत लोगों को आधिपत्य रहा था। जिसकी रंगभेद नीति की हर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में आलोचना की गई थी। श्वेत शासको ने सत्ता छोड़ने से पूर्व परमाणु सामग्री नष्ट कर दी थी। जिससे यह देश परमाणु सम्पन्न होने के बावजूद गैर परमाणु हो चुका था। इधर भारत पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करके परमाणु बिरादरी में अपना स्थान बना चुके थे। भारत के लिये यह सम्मेलन विशेष महत्व लिये हुये था। क्योंकि डरबन में ही महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा ओर सत्याग्रह के शस्त्रों का प्रयोग किया था। दो वर्ष पूर्व

संयुक्तराष्ट्र संघ महासभा में सीटीबीटी अपनाई थी। जिसे भारत भूटान व लीबिया जैसे देशों ने स्वीकार नहीं किया था। जबकि अनेक गुटनिरपेक्ष देशों ने उसका समर्थन किया था। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपने राष्ट्र हितानुसार किसी महत्वपूर्ण मामले पर अपना स्वंतत्र निर्णय ले सकते है। इन घटनाओं ने निशस्त्रीकरण के मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणो के मुद्दे पर व्यापक पृष्ठभूमि तैयार की। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने उस समय की समस्या से कश्मीर का मामला जोड़कर भारतीय प्रधानमंत्री को खिन्न कर दिया। परन्तु बाद में भूल सुधार किया गया ओर स्थिति सुधर गई। इसी कारण इस सम्मलेन की अंतिम घोषणा में कश्मीर को शामिल नहीं किया गया। सूडान का यह आग्रह भी नहीं माना गया कि खार्तून पर अमेंरिकी बमबारी की कड़े शब्दों में निन्दा की जाये। भूमण्डलीकरण के गुण दोषो पर सावधानी बरतने पर जोर दिया गया। गैर विभेदकारी परमाणु व्यवस्था लाने का आग्रह किया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी का यह सुझाव माना गया कि 1999 में जन संहारक शस्त्रों के पूर्ण निराकरण कें बिन्दु पर विचार करने हेतु अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जावे।

यही कह सकते है कि यह सम्मेलन वह महत्व प्राप्त नहीं कर सका जिसकी अपेक्षा की गई थी। 114 में से 50 सदस्य राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया। कुछ राष्ट्रों की अनुपस्थिति से एक निराशाजनक स्थिति पैदा की। यह ऐसा सम्मेलन था जो 2 दिनों में ही निपट गया। यूगोस्लाविया विघटित होकर कई राज्यों में बंट गया था। बोस्निया व क्रोऐशिया गृहयुद्ध के शिकार बने हुये थे। यह आंदोलन इस समस्याओं का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका। उत्तर दक्षिण संवाद का मामला ठंडा पड़ चुका था। लेकिन अब आंतकवाद के मुद्दे पर विशेष बल दिया गया था। घोषणा के अनेक बिन्दु मात्र ओपचारिक महत्व के बन कर रह गये, अपितु यह बिन्दु सराहनीय था कि क्षैत्रीय स्तर पर एक संघर्ष निवारण तंत्र बनाया जाय। ताकि संबधित राष्ट्र अपनी सहमति से उसका उपयोग कर सके।

13. तेहरवां शिखर सम्मेलन, क्वालाल्मपुर मलेशिया (2003) :–

24–25 फरवरी 2003 को 13 वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन मलेशिया की राजधानी क्वालालम्पुर में हुआ। जिसमें 116 देशों ने भाग लिया। 24 फरवरी को अपने उद्घाटन भाषण में मलेशिया के प्रधानमंत्री व इस सम्मेलन के अध्यक्ष महातीर मोहम्मद ने युद्ध तथा परमाणु शस्त्रों को हटाने के लिये बहुपक्षीय अभियान का सुझाव दिया। उस समय इराक पर अमेंरिकी आक्रमण का संकट मंडरा रहा था। जिस पर संकेत करते हुये उन्होने आग्रह किया सारी कार्यवाही संयुक्तराष्ट्र संघ कें तत्वाधान में की जानी चाहिये। उन्होने ने कहा कि हमें नई विश्व व्यवस्था लाने हेतु प्रयास करना चाहिये। जिसमें लोकतंत्र राज्य के मात्र घरेलू प्रशासन तक सीमित न हो बल्कि सारे विश्व के प्रशासन को समाहित करे। इस नाते संयुक्त राष्ट्रसंघ का पुर्नगठन किया जावे में उसका समर्थन किया जाये। बहुपक्षवाद पर बल दिय जाये। तथा युद्ध में जीते गये देशों की शक्तियों को नियंत्रित किया जावे। आतंकवाद पर कड़ा नियंत्रण लगाया जावे। तथा फिलीस्तीनी लोगो के मौलिक अधिकारों का दमन न हो।[18]

इस अवसर पर भारत के **प्रधानमंत्री वाजपेयी** ने आग्रह किया कि इस आंदोलन का अब निर्माण होना चाहिये। विकास के संबन्ध में सतत कार्यक्रम अपनाया जाये। दुनिया से गरीबी हटाने के लिये 300 मिलीयन डालर का विश्व गरीब निवारण कोष बनाया जाये। दक्षिण दक्षिण सहयोग से अनेक देश अपना विकास कर सकते है। मलेशियां की कम्पनियां भारत में राजमार्ग बना रही है तो भारत की कम्पनियां मलेशिया में लोक निर्माण के कार्य कर रही है। उर्जा सुरक्षा, खाद्य, पर्यटन आदि के क्षैत्र में ऐसे परस्पर सहयोग को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। उन्होने इस बिन्दु पर खेद भी व्यक्त भी किया कि इस सम्मेलन में दुनिया की 2/3 जनसंख्या भाग ले रही है। लेकिन विश्व के सकल उत्पादन में इन 116 देशों का केवल 20 प्रतिशत योगदान है। उन्होने इस तर्क का खण्डन किया कि अब इस आंदोलन की प्रासंगिकता जा चुकी है। यही मंच विश्व को परमाणु संकट से बचा सकता है तथा सीमा पारीय आंतकवाद को रोक सकता है। अतः इसके इतिहास की पुनः रचना करने की आवश्कता है।

दो दिनो के इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा अपनाई गई जिसमें निम्न बिन्दुओ पर बल दिया गया :–

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुधरी हुई संरचना या उसके पुर्नगठन के माध्यम से एक नई बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था लाने हेतु सामूहिक प्रयास किया जाये।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्म से ही शांतिपूर्ण तरीके से ईराक समस्या का समाधान हो ताकि उसकी प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखण्डता बनी रहे।
3. विश्व व्यापी आंतकवाद से निपटने के लिये सामूहिक संघर्ष किया जावे।
4. जटिल फिलीस्तीन समस्या का यथाशीघ्र समाधान किया जावे।
5. युद्ध व परमाणु अस्त्रो के निराकरण हेतु सामूहिक प्रयास किया जावे।
6. लोकतंत्र पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था स्थापित हो।
7. मुद्दों के साझे आधारों पर भूमण्डलीकरण की चुनौतियों का मुकाबला किया जाये।
8. आर्थिक मुद्दो का राजनीतिकरण ना हो तथा द्विपक्षीय मुद्दों से उन्हे दूर रखा जाये।
9. पूंजी निवेश तथा व्यापार संबन्धी मुद्दों पर दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दिया जावे।
10. सकल विकास संबन्धी कार्यक्रम के माध्यम से भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया को सुधारा जावे ताकि उसको नवोमुखी बनाया जाये।
11. न्यूयोर्क,जिनेवा, वियना आदि स्थलो पर समन्वय ब्यूरों की नियमित रूप से बैठके की जाये।
12. विश्व के बड़े औद्योगिक देशों (जी–8) से संवाद व अन्तःक्रिया की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जावे।

चूंकि उस समय ईराक पर अमेंरिकी आक्रमण के बादल मंडरा रहे थे,गुटनिरपेक्ष देशों ने सावधान किया कि ईराक पर लगे आर्थिक प्रतिबन्ध हटाये जायें उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही न की जाये। खेद की बात है कि अमेंरिका ने इस आग्रह का आदर नहीं किया। बल्कि कुछ दिनो बाद उसने सुरक्षा परिषद को एक तरफ करके ईराक पर आक्रमण कर दिया व सद्दाम हुसैन के शासन का अंत कर दिया।

14. चौदहवां शिखर सम्मेलन, हवाना (2006) :–

लेटिन अमेंरिकी जगत में यह तीसरा किन्तु हवाना में होने वाला दूसरा सम्मेलन था। अब अंर्तराष्ट्रीय परिदृश्य बदल चुका था राष्ट्रपति **क्रास्त्रो** इतनी रूग्ण अवस्था में थे कि उनकी अनुपस्थिति में राउल क्रास्त्रों ने सारा काम किया। 1979 में शीतयुद्ध का दौर था अगोंला व मोंजाबिक जैसे देशों की स्वतंत्रता का प्रश्न खड़ा था ओर उस समय क्रास्त्रो ने सोवियत संघ को इस आंदोलन का प्राकृतिक मित्र कहा था लेकिन अब ना तो शीतयुद्ध था ना ही सोवियत संघ न ही उपनिवेशीकरण का मुद्दा। अब नये मुद्दे सामने आये जैसे सीमा पारीय आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुर्नगठन, सामान्य व सार्वभौम निशस्त्रीकरण,पश्चिमी एशिया का संकट तथा सबसे बढ़कर एक ध्रुवीयता की स्थिति में अमेंरिकी प्रभुत्व।[18] सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये क्यूबा के राष्ट्रपति **राउल क्रास्त्रों** ने कि इस आदोलन की रक्षा हेतु सभी सदस्य राज्यों को एकजुट होना चाहिये। यह सारे सिद्धान्त अंर्तराष्ट्रीय विधि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में रखे हुये है। नये परिदृश्य की ओर संकेत करते हुये उन्होने ने कहा कि एक ध्रुवीय युग में गुट निरपेक्ष देश आक्रमण का शिकार हो रहे है। जिनके पीछे सामरिक संसाधनो की खोज हेतु न बुझने वाली भूख देखी जा सकती है ओर उसी ने अंर्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्षति पहुॅचाई है। आंतकवाद का खतरा है लेकिन उससे निपटने का यह मतलब नही है कि लोकतंत्र का बचाव या दुष्ट राज्य का दमन करने की दुहाई देकर किसी देश के घरेलू मामलो में हस्तक्षेप किया जाये। आवश्यकता इस बात की है कि 1955 में बांडुग सम्मेलन में स्वीकृत सूत्रों को ध्यान में रखकर अंर्तराष्ट्रीय विधि को लागू किया जाये। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था को बदला जाये। थोड़े से धनी व विशाल निर्धन देशों की खाई को मिटाया जाये,पोषणीय विकास के लक्ष्य को सिद्ध किया जावे। तथा सामान्य व सार्वभोम निशस्त्रीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति की जाये।

इस अवसर पर वेनेजुएला ने दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात उठाई,दक्षिण के बैंक की स्थापना का सुझाव दिया जो अंर्तराष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व बैंक के नियंत्रण से मुक्त हो। इस नाते एक

आयोग का भी गठन किया जावे जिसकी अध्यक्ष्यता फिडेल क्रास्त्रों को दी जावे। कुछ अन्य वक्ताओं ने भी एक ध्रुवीय विश्व में अमेंरिकी प्रभुत्व की निंदा की क्योकि इससे अनैक देशों की प्रभुसत्ता का हनन हो रहा है।

एक बार फिर आंदोलन की प्रासंगिकता का सवाल उठा। भारत के **प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह** ने स्पष्ट शब्दो में कहा कि यदि आज के संदर्भ में इसे प्रासंगिक होना है तो **आंतकवाद के मुद्दे** पर दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाये जा सकते। हमें सारी दुनिया को यह संदेश देना चाहिये कि हम इस अभिशाप को मिटाने के लिये कृत संकल्प है। असहनशीलता या चरम पंथ की शक्तियां दुनिया के देशों का उनकी गंभीर समस्याओ (गरीबी, अज्ञानता, असमानता) से ध्यान नहीं हटा सकता। सभ्यताओ के संघर्ष के सिद्धान्त को अमान्य ठहराते हुये उन्होने गुटनिरपेक्ष देशों से आग्रह किया कि अंतर्राष्ट्रीय व पराराष्ट्रीय मुद्दो से निपटने का दृढ़ निश्चय करे। यह आदोंलन दुनिया के धार्मिक या सांस्कृतिक विभाजन को स्वीकार नहीं करता। बल्कि यह कामना करता है कि सभी धर्मो, नस्लों,जातियों व विचारधाराओं के बीच सही सूझबूझ का सेतु बनाया जाना चाहिये।[19] सम्मेलन के अंत में 92 पृष्ठ वाली राजनैतिक घोषणा अपनाई गई। जिसकी खास बाते निम्न है –

1. बहुपक्षवाद व संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के आधार पर इस आंदोलन का पुनः सबलिकरण हो सकता है। अतः यह कामना की गई कि सभी सदस्यों के बीच एकता व एकजुटता बनी रहे जिससे वह अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके।
2. विकासशील देशों में सतत विकास के लक्ष्य को सिद्ध किया जायें।
3. आंतकवाद की कड़ी निंदा की गई। हां यह अवश्य कहा गया कि स्वतंत्रता आंदोलनों व राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के लिये चलने वाले संघर्ष को आंतकवाद से अलग किया जावे। सभी देशों का यह दायित्व है कि वह आंतकवाद को किसी प्रकार की नैतिक, भौतिक, राजनीतिक व कूटनीतिक सहायता देने से दूर रहें।
4. लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है लेकिन हर देश का अधिकार है कि वह अपने ढंग से उसे परिभाषित करे व कोई बड़ा देश अपने देश का नमूना अन्य देश पर न थोपे।

5. संयुक्त राष्ट्र संघ का पुर्नगठन किया जावे, सुरक्षा परिषद का विस्तार हो तथा चार्टर में यह प्रस्ताव रखा जावे कि यदि किसी देश ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया तो महासभा अपने 2/3 बहुमत से उसे हटा सकें।
6. लेबनान पर इजरायल के आक्रमण की निंदा की गई।
7. यह आग्रह किया गया कि अमेंरिका व ईरान के बीच परमाणु विवाद शांतिपूर्ण तरीके से निपटाये जावे।
8. फिलीस्तीन की समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा हो।
9. विश्व में परमाणु निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर इसमें भी जोर दिया गया।

हवाना सम्मेलन में विचार विमर्श से यह तथ्य पुनः उजागर हुआ कि अब यह आंदोलन अपने को पुनः परिभाषित करने में संलग्न है। अब इसका हमसे अनेक समस्याओ व चुनौतियों से निपटना है और इस चुनोती में इसके बदलते हुये प्रयास स्पष्ट नजर आ रहे है। चुनोतियों में मुख्य है भूमण्डलीकरण,पाश्चात्य देशों के साथ स्वच्छ व्यापारिक संबंध, विदेशी पूंजी का निवेश, विकास कार्य हेतु ऋणों की उपलब्धता, भयंकर रोग, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा आंतकवाद। यह भी कहा गया कि अब यह आंदोलन अपने सदस्यों के लिये ऐसा मंच बन रहा है कि वह अपनी नई नीतियां या योजनाऐं बना सकें। तथा परस्पर विचार विमर्श से उन्हे संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य अर्न्तराष्ट्रीय निकायो के माध्यम से क्रियान्वित कर सकें।

लेकिन इस सम्मेलन में कुछ कटुअनुभव भी उजागर हुये। मोरक्को व कुछ अन्य मुस्लिम देशों के अनुचित आग्रह के कारण पश्चिमी सहारा की मुक्ति का मामला टाल दिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के इस निर्णय को लागू नहीं किया गया कि 20 वीं सदी के अंत तक लोक निर्णय के पश्चिमी सहारा को राज्य का दर्जा दिया जावें। लम्बे समय तक उसका बड़ा भाग मोरक्को व मेंस्डेनिया के कब्जे में रहा। अफगानिस्तान के इस आग्रह को अंतिम घोषणा में स्थान नहीं दिया गया कि कोई राज्य तालीबान को सहायता नहीं देगा। यह आंशका व्यक्त की गई कि मलेशिया

को सम्मेलन की अध्यक्षता मिलने के समय से ही इस सम्मेलन में इस्लामी शक्तियों की ओर झुकाव बढ़ रहा है। भारत ने इस सुझाव का विरोध किया कि किन्ही विशेष क्षैत्रों को ही परमाणु युक्त घोषित किया जाये या इस आंदोलन के पूर्व वर्तमान व भावी अध्यक्षों का कोई त्रिगुट बनाया जाये।

संक्षेप में सम्मेलन में भारत की **प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी** के इस वक्तव्य को पुष्ट किया कि यह विश्व शांति हेतु महान आंदोलन है, इसका सार अंर्तराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बनाये रखना व उसे प्रबल करना है। शीतयुद्ध के दोर में इस आंदोलन ने दोनो महाशक्तियों के कृत्यों पर प्रहार किया था। अब शीतयुद्धोतर काल में एक मात्र महाशक्ति अमेंरिका के प्रभुत्व पर प्रबल व स्पष्ट प्रहार किया जाना स्वाभाविक है। भाग लेने वाले देशों ने यह दर्शाया कि वह अपने चिंतन व क्रियाशीलता का स्वतंत्र तरीके से प्रयोग कर सकते है ओर इस नाते वे किसी महाशक्ति के अविवेकपूर्ण प्रयासो से नियत्रिंत नहीं हो सकते।[20] एक बार फिर इस बात की पुष्टि हुई कि यह आंदोलन सर्वसम्मिति व सहमति के आधार पर काम करता है तथा विविध विचारो का समान समायोजन करता है। इस आशय को भी दोहराया गया यदि इस आंदोलन को सार्थक बनाये रखना है तो इसको पुनः जीवित एंव सबलित करते रहना चाहिये। इस आंदोलन ने उनकी प्रतिक्रियाओं का प्रबल उत्तर दिया जो यह कहते हे कि शीतयुद्ध के बाद की अवधि में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही है।[20]

15. पन्द्रहवां शिखर सम्मेलन, शर्म अल शेख मिश्र (2009) :–

15–16 जुलाई 2009 गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 15वां शिखर सम्मेलन मिश्र के शर्म अल शेख में 15–16 जुलाई 2009 को सम्पन्न हुआ। नाम शिखर सम्मेलन के मेंजबान मिश्र के राष्ट्रपति **हुसनी मुबारक** ने नाम के अध्यक्ष का कार्यभार क्यूबा के राष्ट्रपति राउल क्रास्त्रों से उद्घाटन समारोह में ग्रहण किया। वैश्विक वित्तीय संकट, शांति व विकास कें अतिरिक्त आतंकवाद के मुद्दे उद्घाटन समारोह में विशेष चर्चा का विषय रहे। उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुये भारत के प्रधानमंत्री **मनमोहन सिंह** ने भी उन्ही मुद्दो का उठाया। मौजूदा वैश्विक मंदी का उल्लेख करते हुये उन्होने कहा

कि विकसित देशों के बाजारो में संरक्षणवाद ने वैश्विक मंदी को मजबूती दे दी है। वास्तव में यह सम्मेलन पिछले सम्मेलनों से दो बातो में भिन्न था। प्रथम सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओ ने गत सम्मेलनों की तरह लम्बे व आदर्शवादी भाषण के स्थान पर छोटे व सटीक वक्तव्यों के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया कि गुटनिरपेक्ष देश शांति व विकास के लिये एकजुटता दिखायें। व जहां तक संभव हो द्विपक्षीय मुद्दो को न उठाये। प्रायः इस सम्मेलन में ऐसे मुद्दो को उठाया भी नहीं गया। दूसरे सम्मेलन के अंत में जो घोषणा जारी हुई उसमें सटीकता के साथ वैश्विक मुद्दो के संदर्भ में सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया। आश्चर्य जनक रूप से इसकी घोषणा का प्रारूप छोटा ही रखा गया था और पर्यवेक्षको ने यह स्वीकार किया था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शांतिपूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहा है।

सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व डा. मनमोहन सिंह ने किया। उन्होने अपने संबोधन में विश्व में समानता पूर्ण परिवर्तन हेतु गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नैतिक शक्ति बताया। उनके अनुसार वर्तमान वैश्विक संकट के दौर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये जो उपाय किये जा रहे है उसमें विकासशील देशों के हितों ध्यान में रखना इस आंदोलन का प्रमुख दायित्व है जो वर्तमान में ओर बढ़ गया है। आर्थिक संकट के दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औचित्य ओर भी बढ़ गया है।

भारतीय प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में दिसम्बर 2009 में कोपेनहेगन में होने वाले सम्मेलन का भी जिक्र किया उन्होने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इस आदोंलन का परिणाम गरीब देशों के लिये समानता पूर्ण हो। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ व विभिन्न संस्थाओं में सुधार की बात कही। उन्होने विश्व विकास में अफ्रीकी देशों की समस्याओं को ध्यान में रखने,फिलिस्तीनी समस्या के समाधान करने तथा आंतकवाद के विषय में एक व्यापक संधि स्वीकार करने की मांग उठाई। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक देश है। तथा भारत के महत्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस घोषणापत्र में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये मुद्दो का प्रमुखता से शामिल किया गया।

16 जुलाई 2009 को सम्मेलन में जो घोषणापत्र तैयार किया गया वह अब तक का सबसे छोटा व सटीक घोषणा पत्र था। इसका सारांश यही था कि सदस्य राष्ट्र वर्तमान विश्व की समस्यओ के प्रति सामूहिक दृष्टिकोण व कार्ययोजना को स्वीकार करने को सहमत हो। सम्मेलन में वेश्विक आर्थिक संकट, आतंकवाद,निशस्त्रीकरण,जलवायु परिवर्तन आदि ज्वलंत मुद्दो पर सदस्य राष्ट्रों के दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया गया। इस घोषणा के कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैः–

1. विश्व आर्थिक संकट ने गरीब ओर विकासशील देशों को अत्यधिक प्रभावित किया है। अतः इस संकट के समाधान की प्रक्रिया में गरीब देशों के हितो पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
2. घोषणा में निशस्त्रीकरण का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आणविक शस्त्र सम्पन्न देशों से सकारात्मक अंतः क्रिया तथा ठोस कार्यवाही करने पर बल दिया गया।
3. सदस्य राष्ट्रों ने मध्यपूर्व में स्थाई शांति की स्थापना हेतु अरब शांति योजना को पूर्ण रूप से स्वीकार करने पर बल दिया। जिसके अंतर्गत स्वतंत्र फिलीस्तीन राज्य की स्थापना,पश्चिमी जैरूसलम को उसकी राजधानी बनाना, तथा फिलीस्तीनी क्षैत्रों से इजरायली बस्तियों को हटाने की बात कही गई।
4. घोषणपत्र पत्र में सदस्य राष्ट्रों ने सुरक्षा परिषद के विस्तार सहित संयुक्त राष्ट्रसंघ के सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। ताकि संगठन को अधिक प्रभावी तथा आज की परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकें।
5. घोषणा पत्र में अंर्तराष्ट्रीय आंतकवाद पर एक व्यापक समझोते को अंतिम रूप देने पर बल दिया गया ताकि आंतकवाद के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
6. जलवायु परिवर्तन के संबन्ध में गुटनिरपेक्ष के सदस्य देशों ने विकसित देशों के हितों की रक्षा हेतु सामान्य किन्तु विभेदीकृत सिद्धान्त को स्वीकार करने पर बल दिया। इस सिद्धान्त कें अनुसार चूंकि पर्यावरण प्रदूषण में विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेंदारी है अतः इस समस्या कें समाधान के उपायों जैसे, हानिकारक गैसो का उत्सर्जन में कमी, वित्तीय तथा तकनीकी संसाधनों का हस्तांतरण आदि में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक होगी। इस सिद्धान्त को

1992 में सम्पूर्ण हुये रियों के पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। यह प्रस्ताव इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा कि दिसम्बर 2009 में कोपनहेगन में होने वाले अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि 2012 के बाद जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के क्या उपाय किये जायेगे।

विश्व के अनेक हिस्सो में वायरस (स्वाइन फ्लू) के प्रसार सहित अन्य महामारियों के फैलने पर घोषणापत्र में विश्व स्वास्थ्य सगंठन व अन्य एजेन्सियों की तरफ से सदस्य देशों के मध्य सहयोग बढ़ानें की मांग की गई। यही कह सकते है कि यह सम्मेंलन भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनाये रखने की दिशा में उत्सुक रहा।

16. सोलहवां शिखर सम्मेलन तेहरान (2012) :–

तेहरान (ईरान) में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 16 वां शिखर सम्मेलन 26–31 अगस्त को 2012 तेहरान में हुये। 16 वे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में 120 देशों व 17 पर्यवेक्षक राष्ट्रों ने भाग लिया। अमेंरिका व इजरायल के विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके अतिरिक्त 3 देशों के बादशाह 24 राष्ट्रपति 8 प्रधानमंत्री 50 विदेशमंत्री और लगभग 7000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस समय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दो में परमाणु युद्ध की आंशका,पर्यावरण का क्षय, राष्ट्रों की आर्थिक असमानता सयुंक्त राष्ट्र संघ की पुर्नरचना आदि रहे। परन्तु इन मुद्दो पर बहुत अधिक ठोस निर्णय नहीं हो सके। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ने मांग की 2025 तक परमाणु अस्त्रो पर पूर्ण प्रतिबन्ध का टाइमटेबल पेश करे। लेकिन ऐसे लगा जैसे सभी राष्ट्रों को सांप सूंघ गया। क्योंकि इस मुद्दे पर घोषणा करने का अर्थ होता शेर के गले में घंटी बाधंना। इन 120 तथाकथित देशों में क्या इतना दम है कि वह अमेंरिका व रूस से किसी ठोस पहल की मांग कर सके।

ईरान ने इस सम्मेलन का आयोजन करते समय बड़े खयाली पुलाव पकाए थे। वह सोच रहा था कि उसकी मेंहमान नवाजी का लिहाज करते हुये कम से कम सीरिया, फिलीस्तीन व ईरान पर लगें पश्चिमी प्रतिबन्धों के बारे में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कुछ कड़ा रूख अपनायेगा लेकिन सम्मेलन द्वारा मनवांछित परिणाम पारित करने में असफल हुआ तो तेहरान पहुंचे प्रतिनिधियों ने भी इसका समर्थन नहीं किया। सभी राष्ट्रों ने छोटे मोटे सभी ज्वलंत मुद्दो पर अपनी राष्ट्रीय विदेश नीति का स्पष्ट अनुगमन किया ओर ईरान के उकसावे के बावजूद वो अपनी परम्परागत पटरी से टस से मस नही हुये। अयातुल्लाह खुमेंनी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के वर्तमान स्वरूप की कड़ी भर्त्सना की। लेकिन बान की मून ने अपने भाषण में ईरान से अनुरोध किया कि वह सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का सादर पालन करे। इसी प्रकार सीरिया के सवाल पर जब ईरान ने वहां के शासक बसर हाफिज अल असद का समर्थन किया तो किसी भी राष्ट्र ने उनका अनुमोदन नहीं किया। भारत समेंत अनेक राष्ट्रों ने सीरियाई संघर्ष के शांतिपूर्ण ओर सर्व समावेशी समाधान की गुहार लगाई। ईरान जिस मसले पर सबसे ज्यादा बिलबिलाया हुआ था वह था पश्चिम द्वारा उस पर परमाणु बम बनाने का आरोप। इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुये ईरानी नेताओ ने यहां तक कह डाला कि परमाणु बम बनाना पाप है। ईस्लाम के विरूद्ध है ओर बम कभी नहीं बनायेगें। तो भी किसी भी राष्ट्र ने पश्चिमी प्रतिबन्धों का स्पष्ट विरोध नहीं किया। सम्मेलन की संयुक्त घोषणा में इस विरोध का कोई जिक्र नहीं है। भारत ने भी बीच का रास्ता पकड़ा। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को उचित समझते है परन्तु उसे परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षर कर्त्ता के तौर पर उस संधि का निर्वाह करना चाहिये। यानि परमाणु बम नहीं बनाना चाहिये। भारत के प्रधानमंत्री ने सहयोगात्मक पक्ष यह अवश्य कहा है कि –'India Will Extend Its Full Co-Opration To IranAs It Leads The Movement Over The Next Three Years.'[21]

भारत के प्रधानमंत्री ने भी यह स्वीकार किया कि मध्यपूर्व व उत्तरी अफ्रीका में जो उठापठक चल रही है उससे भारत प्रसन्न नहीं है। ओर इस उठापठक से निपटने के लिये संबधित पक्षों को प्रत्यक्ष रूप से बात करनी चाहिये। ओर हमें आशा है कि ऐसे प्रयासो के सुपरिणाम निकलेगें। भारत के

प्रधानमंत्री ने सार्वभोमिक शांति,फिलीस्तीन के लोगो के प्रति सहानुभूति सकल वैश्विक शासन,विकास शील देशों के हितों आदि पर बल दिया। तथा परमाणु उर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का सुझाव दिया। ऊर्जा, जल, भोजन की आधारभूत समस्याओं के सुलझाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। व इन सब में अपना पूर्ण सहयोग बनाये रखने का इरादा स्पष्ट किया। यह भी दोहराया कि करीबन दो दशक पहले पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाया था अब उसके लाभ सामने आने लगे है। अतः हमें इस दिशा में ओर समन्वय रखते हुये 21 वीं सदी में मानवीय विकास व शांति स्थापना के नये प्रयास करने चाहिये। अतं में ईरान को धन्यवाद देते हुये मनमोहन सिंह ने यही कहा कि " I thank you for this opportunity to renew our movement , collective ideas for peaceAnd prosperity which is needed in our troubled planet todayAs our member have deffering views on different issuesa our sence comman clearityAnd solidarity unitesa usAnd give usA comman sence of A purpose, IAm certain that our deliberation will be helpful in resatoring this historical movement to its rightful place on the international stage.[22]

यही आज के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की हकीकत है इसके सदस्यों ऐसी पहल क्यो नहीं की कि ईरान के सभी परमाणु संयत्र खास कर के नतंक के सयंत्र को सारे प्रतिनिधियों के लिये खोल दिया जाता व उसे देखकर वह पश्चिमी राष्ट्रों से पुनः विचार के लिये कहते। परन्तु तेहरान पहुचाने वाले प्रतिनिधी देश अपने साधने में लगे रहे। वहीं कुछ पर्यवेक्षको का मत है नाम का सम्मेलन सिर्फ नाम का रह गया है। परन्तु हमें मानना चाहिये कि नाम बिलकुल निरर्थक भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो ईरान अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद 7000 प्रतिनिधियों को का इतना मोटा खर्चा क्यों उठाता। ईरान इसी बात से खुश रहा कि उसने अपनी खरी खोटी उनके मुँह पर सुना दी। अमेंरिका के दोस्त भी तेहरान पहुँचने से हिचके नहीं भारत जैसे देशों ने जमकर लाभ उठाया। अफगान,भारत ईरान में एक समझोता भी हुआ जिसके कारण अब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की निर्भरता काफी कम हो जायेगी। भारत,

ईरान द्विपक्षीय संबन्ध तो घनिष्ट हुये है। मिश्र,बगंला देश नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे पडौसी देश के शीर्ष के नेताओं से भारत को विचार विमर्श का मौका भी मिला व आंदोलन कके सुखद भविष्य के लिये अगला सम्मेलन वेनेजुअला में होना प्रस्तावित है।

अध्याय सार :–

प्रस्तुत अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारम्भ से लेकर वर्तमान तक के समय की समीक्षा की गई है। यह ध्यान में आया हे कि यह सम्मेलन प्रायः प्रति 3 वर्ष बाद होता है जिसमें गुट निरपेक्ष देशों के मुखिया या शासनाघ्यक्ष भाग लेते है। शिखर सम्मेलन में प्रायः भिन्न प्रकार के सदस्य रहते है। पूर्ण सदस्य,पर्यवेक्षक सदस्य,पर्यवेक्षक, गैर राज्य सदस्य एंव अतिथि। जहां तक सभंव हो सम्मेलन में निर्णय सर्व सम्मति से ही लिये जाते है। गुट निरपेक्ष देशों के विभिन्न शिखर सम्मेलनों से मिलता है। इसके सम्मेलनों से निरंतर यह लाभ है :–

1. गुट निरपेक्ष आदोंलन की लोकप्रियता में वृद्धि होती है।
2. अंर्तराष्ट्रीय मामलो पर गुटनिरपेक्ष देशों के दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते है।
3. गुटनिरपेक्ष देशों में पारस्परिक,सांस्कृतिक, व आर्थिक सहयोग में वृद्धि होती है।
4. विश्व के राजनैतिक मंच पर गुट निरपेक्ष देशों की आवाज को बल मिलता है।
5. इसमें नई प्रवृत्तिया आती है तथा इसके स्वभाव व स्वरूप में परिवर्तन होना स्वाभाविक है।
6. आंदोलन ने निरंतर गतिशील व्यवहारिक व सही नीतियों अपनाई है। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद से संघर्ष के बाद नई पीढ़ी के नेताओं ने यह अनुभव किया है कि आदर्शवाद की अपेक्षा यथार्थवादी नीति को अपनाना अधिक उपयुक्त है। हालांकि वर्तमान नेता भी अपने देश की पुरानी राजनैतिक परम्पराओं से प्रभावित है तथापि इन्होने नये युग की यथार्थवादी राजनीति के अनुरूप चलना सीख कर आंदोलन को निरंतर नया स्वरूप प्रदान किया है। ओर वर्तमान में नये सूचनातंत्र,नई अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के। प्रयास, उत्तर दक्षिण व दक्षिण दक्षिण के सहयोग को विकसित करना, हिन्द महासागर को शांति क्षैत्र बनाना,सदस्य देशों के सामुदायिक

व दूसरी सम्पदा की रक्षा करना, पर्यावरण के नुकसान को रोकना, गरीबी, बीमारी व अज्ञानता से छुटकारा पाने कि दिशा में सक्रिय प्रयास, प्रजातात्रिक मूल्यो को मजबूत करना तथा आर्थिक एंव सामाजिक समस्याओं का समाधान आज भी इसकी प्रमुख प्राथमिकताऐं व सरोकार है जो वर्तमान व भविष्य में इसके प्रांसगिक होने का प्रमाण है।

चतुर्थ अध्याय

गुट निरपेक्ष आंदोलन की सफलता, असफलता और कमजोरियाँ

यह चतुर्थ अध्याय है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों व कमजोरियों से सरोकार रखता है, क्योंकि इन पर विचार करके ही यह माना जाता है कि इसकी उपयोगिता की भावी संभावनाऐं क्या है ? इस क्रम में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वास्तुशिल्पी जवाहरलाल नेहरू के नाम का उल्लेख करते हुये समीक्षकों ने वर्तमान में यह कहना आरंभ कर दिया है कि उनकी सोच के अनुसार गुट निरपेक्षता का मतलब राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत करते हुए स्वतंत्र रूप से प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे पर नजर रखना व उसका आंकलन करने से है। वे गुटों से बंटी दुनिया से परे अपने देश की स्वतंत्र नीति के पक्षधर थे। महाद्वीपों में फैले उपनिवेशों से देशों के मुक्त होने की प्रक्रिया ने जैसे जैसे जोर पकडा वैसे वैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या बढती गई। इस दौर में गुट निरपेक्ष का पूरा ध्यान दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया में नस्लभेद को खत्म करने व इजरायल के खिलाफ अरब मुल्कों को समर्थन देने पर रहा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की साख को पहला झटका 1979 में लगा। जब इसका सम्मेलन हवाना में आयोजित किया गया और क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्त्रों ने आंदोलन पर अपना सिक्का जमाते हुए यह दावा किया कि सावियत संघ गुटनिरपेक्ष देशेां का स्वाभाविक साथी है। परिणामतः वह गुट निरपेक्ष आंदोलन पूरी तरह विभाजित हो गया। यह विभाजन तब और भी गहरा हो गया जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में आक्रान्ता की तरह घुसपैठ की। इसके साथ ही कम्बोडिया और चीन ने वियतनाम पर चढाई कर दी। तो सावियत संघ के साथ जुडा हुआ गुट निरपेक्ष देशों का स्वाभाविक जुमला पूरी तरह अर्थहीन हो गया और 1991 में सोवियत संघ का भी विघटन हो गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खुद अपनी भूमिका तलाशनी पडी।[1]

2006 में गुट निरपेक्ष देशों का फिर सम्मेलन हुआ उसमें अनेक कारणों से अमेरिका की आलोचना की गई तथा इजरायल विरोधी बातों को फिर से दोहराया गया। परन्तु यहां पर यह याद रखना आवश्यक है कि अमेरिका से मतभेद होते हुए भी रूस व चीन पश्चिमी जगत की सहयोगी की भूमिका निभाते है चाहे वह मध्य पूर्व में शान्ति का मामला हो या फिर उतर कोरिया का, या ईरान में

परमाणु हथियारों का मामला हो। आज इस शोध प्रबन्ध के लिखे जाने तक गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुडे 120 देशों की जिसमें असफल राष्ट्र भी शामिल है। जो बिना अमेरिका व उसके सहयोगी देशों की आर्थिक मदद के अपना गुजारा नही चला सकते। भारत वैसे भी एशिया में सार्क और बिम्सटेक के क्षेत्रीय समूहों के अलावा भी चौतरफा सहयोग को आगे बढा रहा है। यह आसियान से तो जुडा ही है, पूर्वी एशियाई देशों के समूह का भी सदस्य है। इसके साथ ही इसने रूस व चीन के साथ त्रिपक्षीय संवाद भी शुरू किया है। आस्ट्रेलिया, जापान व अमेरिका के साथ भी इसके मजबूत रिश्ते पनते है। अतः गुट निरपेक्ष आंदोलन के सस्ंथापक सदस्य होने के नाते हम यह कदापि नही कह सकते कि इस आंदोलन में कुछ नही बचा है और इसका कोई महत्व नही रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि अब भी विश्व समुदाय के बहु चर्चित नेता व राज्य, इसकी भूमिका को अधिक से अधिक सकारात्मक, सार्थक बनाने के पक्ष में है, क्योंकि इनकी ऐसी उपलब्धियां रही है जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्धों और शक्ति राजनीति को शान्ति, सहयोग व भाईचारे से जोडने का प्रयास किया है। ताकि एक ऐसी मानवता विकसित हो सके, ऐसे संसार का निर्माण हो सके जो सब तरह से खुशहाल है।[2]

यह पूर्णतः स्पष्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस रूप में इस आन्दोलन ने काम किया उसमें इसकी उपलब्धियां महत्वपूर्ण है और यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में निरन्तर उभरता गया है। इस दृष्टि से इसकी उपब्धियां निम्न रूप में चिन्हित कर सकते हैं :–

1. गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने प्रारम्भ से ही महाशक्तियों की खेमेबन्दी की राजनीति में शामिल होने से मना कर दिया जैसा कि **प्रो. एम एस राजन** मानते है कि "अमेरिका व सोवियत आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय सांचो व पद्धतियों का अविष्कार किया इस तरह भारत ने अपने समाज के समाजवादी ढांचे को अपनाया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद को। यही बात राजनीतिक संस्थाओं शासन व प्रशासन प्रणालीयों के सन्दर्भ मे लागू होती है।[3]

2. **डॉ सतीश कुमार** ने गुट निरपेक्ष देशों द्वारा महाशक्तियों की खेमेबन्दी को अस्वीकार करने के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूपान्तरण के बारे में गुट निरपेक्ष आंदोलन की देन है कि जहां तक की विश्वव्यापी संतुलन का सम्बन्ध है उसको उसने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। इसी कारण गुट निरपेक्ष देश महाशक्तियों की खेमेबन्दी से बाहर निकले और उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होकर खेमेबन्दी की राजनीति पर एक तरह से पानी फेर दिया। अधिकांश देश महाशक्तियों की खेमेबन्दी की चुगंल से बच गये। अतः यह इस आंदोलन की बडी उपलब्धि है कि खेमेबन्दी को कम करने में अहम भूमिका निभाई है।

3. अनेक अफ्रो एशियाई, लेटिन अमेरिकी व केरीबियन देशों को स्वतंत्रता दिलवाने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बडी भूमिका रही है। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन द्वारा गुटनिरपेक्षता की निर्धारित परिभाषा के अंतर्गत साफ लिखा गया कि इस नीति का पालन करने वाला हर राष्ट्र अफ्रीका, एशिया, लटिन अमेरिका तथा केरेबियाई क्षैत्रों में औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों का समर्थन करेगा। गुट निरपेक्ष देशों ने एक जुट होकर हर एक मंच से इन देशों में चल रहे मुक्ति संग्रामों का समर्थन दिया। इससे उन्हें आजादी मिलने में काफी आसानी रही और औपनिवेशिक शक्तियां विश्व के इतने बडे समुदाय की आलोचना व तिरस्कार का शिकार लम्बे समय तक नही रहना चाहती थी।[3]

4. कोई भी इस तथ्य से इंकार नही कर सकता कि विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना में गुटनिरपेक्ष आंदोलन निरंतर सहायक रहा है। गुटनिरपेक्ष देशों ने हमेशा यही प्रयास किया है कि राष्ट्र आपसी विवादों को शांतिपूर्ण समाधानों द्वारा हल करें, युद्ध से नहीं। इस आंदोलन ने तो इस लहर को जन्म दे दिया है कि सभी राष्ट्र व सभी मानव मतभेद रहित व युद्ध रहित शांतिपूर्ण दुनिया चाहते है जिससे हर कोई अपनी स्वतंत्रता और मानवीय वैभव का सुख ले सके। इसके लिये इन्होंने समय समय पर अनेक संकटों के दौरान युद्धरत राष्ट्रों पर नैतिक दबाव डालकर यह समझाने बुझाने की कोशिश की वह शांतिपूर्ण तरीकों से ही विवादों का समाधान ढूंढे। यह उल्लेखनीय है कि विश्व शान्ति व सुरक्षा की स्थापना के लिये उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की हर

एक कार्यवाही को प्रभावशाली बनाने का उसका सदैव भरपूर समर्थन किया। अतः निर्विवाद रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति व सुरक्षा स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ है। वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने कुछ ऐसी भूमिका निभाई जिससे विश्व राजनीति में सशस्त्र संघर्ष टाला जा सकें। उन्होंने न्यूक्लियर अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाये रखने व बढावा देने में योगदान दिया है। दोनों गुटों की योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बटने से रोक दिया जिससे दोंनों गुटों के बीच सीधी टक्कर रोकने में निश्चित ही सफलता मिली।[5]

5. गुटनिरपेक्ष देशों ने सर्वोच्च शक्तियें को उस रास्ते से हटा दिया जिस पर चलते चलते उनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति आ सकती थी और इसकी बजाय उन्हें अपने से कम विकसित देशों को विकसित करने के शांतिपूर्ण प्रतिद्वन्दिता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी और इस तरह उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों को स्थिर रूप देने पर जोर दिया। यदि अनेक ऐसे राष्ट्र विद्यमान नही होते जो दोनों गुटों में से किसी एक के साथ गुट बन्ध न थे और उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट कोरियाई युद्ध इंडो चीनी संघर्ष, चीनी तटवर्ती द्वीप समूह से संबन्धित विवाद या स्वेज युद्ध जैसे संकटों के समय न्यायोचित व त्वरित समाधान का आग्रह व अनुरोध नहीं करते तो संभवतः और भी व्यापक व अनवरत संघर्ष होते जो पूरी दुनिया को अपनी लपेटे में ले सकते थे, गतिरोध, घोर अन्धविश्वास एवं दोनों गुटों का सम्पर्क टूट जाने कि स्थिति में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने केवल संयम से काम लेने कि सलाह दी बल्कि युद्ध विराम के अवसरों पर अपने सद्प्रयास, मध्यस्थता और शांति सेवाएं भी प्रस्तुत कर दी जैसे कि कोरियाई, इण्डोचीन, स्वेज नहर के संदर्भ में कांगो के गृहयुद्ध के समय गुट निरपेक्ष देशों ने दोंनों गुटों के सदस्य राष्ट्र के संभावित सशक्त हस्तक्षेप को निष्फल करने के उद्देश्य से लडाकू सेनाएं भेजने की पेशकश भी की और वहां शांति स्थापित कराने में सहयोग दिया।

वर्तमान समय राष्ट्रीय राज्यों का समय है जिसमें राष्ट्रवाद और राज्य दोंनों एक साथ घुल मिल गये है। अतः राष्ट्र हित व स्वतंत्र विदेश नीति आवश्यक हो गई है। हर राष्ट्र अपने ढंग से अपने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हितों के अनुकूल विदेश नीति निर्माण में संलग्न दिखाई देता है। और इसी प्रयास को गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी आगे बढाया है। वास्तव में गुटनिरपेक्ष नीति का जन्म भी महाशक्तियों द्वारा अन्य देशों को उनके अधीनस्थ बनाने की नीति के विरूद्ध हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने हमेशा जोर दिया है कि वह महाशक्तियों द्वारा राजनैतिक दबाव से जुडी आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त नही करेंगं। वे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट पर दबाव मुक्त होकर अपना विचार व्यक्त करेंगे। अतः हम बिना किसी हिचक के स्वीकार कर सकते है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने छोटे कमजोर व अविकसित राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना की रक्षा व स्वतंत्र विदेशनीति को पूरा प्रोत्साहन दिया है जो कि उनके स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक है।

यह भी निर्विवाद स्वीकृत सत्य है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवउपनिवेशाद एवं रंगभेद की नीति की समाप्ति में सहयोग दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने हमेशा बडी शक्तियों की साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी व रंगभेद की नीति का घोर विरोध किया। इससे वह विश्व में बडी शक्तियों की साजिश के खिलाफ जनमत बनाने में सफल रहा। गुटनिरपेक्ष देशों के प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्तमान में बडी शक्तियों की इस तरह की चाल काफी हद तक नाकाम हो गई है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई। मसलन संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र मंडल, अफ्रीकी एकता संगठन, अंकटाड समुद्री कानून सम्मेलन में अनेक मुद्दों पर एक जुट आवाज उठाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता हासिल की।

जे डब्ल्यू बर्टन के अनुसार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोटे राष्ट्रों के बीच शांतिकायम रखने वाले संगठन के रूप में स्थापित करमें में सहायता दी जिससे छोटे राष्ट्र भी बडे राष्ट्र पर कुछ नियंत्रण रख सकें।[6]

महाशक्तियें ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के महत्व को स्वीकार भी किया है, हांलाकि प्रारम्भ में कुछ राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई तो महाशक्तियों ने उन्हें गालियों दी व आलोचना की। अमेरिकी विदेशमंत्री जॉन फास्टर डलेस ने इस नीति को अनैतिक व अदूरदर्शिता पूर्ण माना। उनका मानना था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र दोंनों खेमों में से किसी एक में न मिल कर दोंनों ही खेमों से आर्थिक सहायता का लड्डु खाना चाहते है जो अनैतिक तथा अदूरदर्शिता पूर्ण है।[7]

दूसरी तरफ सोवियत संघ ने गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा उसके खेमे में नहीं मिलने के कारण उन्हें पूंजीवादी अमेरिकी दलाल की संज्ञा दी लेकिन अब इस बारे में दोंनों महाशक्तियें का रूख बदला है। जैसे कि सोवियत संघ के ख्रुश्चेव ने ही मान लिया था कि देश तटस्थ हो सकते है व्यक्ति चाहे तटस्थ न हो सकते हो। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश सचिव हेनरी किसींजर ने 1974 में भारत की यात्रा के दौरान भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब जब कभी भी गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन होते हैं तो अमेरिका व सोवियत संघ दोंनों इसकी सफलता के लिये हार्दिक शुभकामनाएं भेजते है। इस प्रकार महाशक्तियें ने इसका महत्व स्वीकार कर लिया है वास्तव में प्रारम्भ में बडी कठिनाई थी कि कैसे समझाया जाये कि गुट निरपेक्षता क्या है ? और अंतर्राष्ट्रीय संबन्धों के संबंध में इसे स्वतंत्रता व नई संकल्पना के रूप में कैसे मान्यता दिलाई जाये ? प्रारम्भ में दोंनों गुटों ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों पर अविश्वास किया। दोंनो गुट यही मानते थे कि युद्धोतर विश्व में किसी भी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया कि वे किसी एक के साथ गुटबद्ध हो जाये। उनका पक्का विश्वास था कि गुटनिरपेक्षता तो एक ढोंग है। कोई तीसरा रास्ता तो है की नहीं। परिणाम स्वरूप दोंनों ही गुट यह समझते थे कि जो भी देश गुटनिरपेक्ष है वह वस्तुत गुप्त रूप से एक दूसरे गुट के साथ बंधा हुआ है। दोनों गुटों के इन दृष्टिकोणों में धीरे धीरे परिवर्तन आया। वास्तव में 1953 में जब स्टालिन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद हालात बदलने लगे। फरवरी 1956 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस ने न केवल पहली बार यह बात स्वीकार की कि गुट निरपेक्ष देश सचमुच स्वतंत्र है बल्कि यह भी अनुभव किया कि विश्व की सभी मुलभूत समस्याओं के बारे में सोवियत संघ व गुटनिरपेक्ष देशों के एक से विचार है। पश्चिमी गुट ने तो 7वें दशक में जाकर गुटनिरपेक्षता की नीति को मान्यता दी।

गुटनिरपेक्ष देशों को गुटबन्ध देशों के मन का संशय दूर करने तथा इस नीति के प्रति सद्भावना व सम्मान का वातावरण तैयार करने के प्रयास में जो सफलता मिली वह निश्चित रूप से सराहनीय है।

तीसरी दुनिया में आपसी सहयोग कर आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करने में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का बडा महत्व है। वास्तव में गुटनिरपेक्ष देशों ने धीरे धीरे चहुँमुखी क्षैत्रों में आपसी सहयोग करने का रास्ता अपनाया। नई विश्व अर्थ व्यवस्था नई समाचार व्यवस्था, तेल का उचित दामों पर उपलब्ध होना आदि क्षेत्रों में व्यावहारिक आपसी सहयोग करके उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा आत्मनिर्भरता बढाने का मार्ग प्रशस्त किया। इससे विभिन्न क्षैत्रों में उनके विकास के लिये बडी शक्तियों पर उनकी निर्भरता घटेगी और वह आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर होगें। अतः आवश्यक है कि अपनी राष्ट्रीय प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुरूप वे अपने विकास के प्रतिमान विकसित कर सकें। इस दृष्टि से गुटनिरपेक्ष देशों की यह बडी उपलब्धि मानी जानी चाहिये कि उन्होंने अमेरिकी व सोवियत आदर्श अपने उपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति4 एवं आवश्यकतानुसार विकास के अपने अपने राष्ट्रीय सांचो और पद्धतियों का आविष्कार किया जैसा कि पूर्व में संकेत दिया है कि भारत ने अपने लिये लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का व अरब राष्ट्रों ने अरब समाज वाद का विकास किया।

यह भी निर्विवाद है कि गुटनिरपेक्ष देशों कि सदस्य संख्या में अपार वृद्धि हुई है जब भारत, युगोस्लाविया और मिश्र ने पहल करके गुटनिरपेक्ष नीति अपनाना आरम्भ किया तो शीघ्र ही इण्डोनेशिया, श्रीलंका व कम्पूचिया ने भी इसका अनुसरण किया इसके बाद धीरे धीरे अनेक देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित होते गए। जहां इसके पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया, वहीं कायरा में 47, लुसाका में 56, अल्जीयर्स सम्मेलन 76, कोलम्बो में 86, हवाना में 96, दिल्ली व हरारे में 100 से अधिक तथा वर्तमान में तेहरान में आयोजित 16वें शिखर सम्मेलन में 120 सदस्य देशों ने भाग लिया। इन शिखर सम्मेलनों में पूर्ण राष्ट्रों के अलावा अनेक देशों को पर्यवेक्षकों के रूप में, अनेक राष्ट्रीय मुक्ति सम्मेलनों, सयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस प्रकार इस आंदोलन कि शक्ति में विस्तार हुआ है और यह इसकी एक उपलब्धि ही

मानी जानी चाहिए। वास्तव में बढती सदस्य संख्या और विश्व जनमत, गुट निरपेक्ष देशों के पक्ष में होने से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपान्तरित करने में बडी सहायता मिली है। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोटे राज्यों के बीच शान्ति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिसमें छोटे राष्ट्र बडे राष्ट्रों पर कुछ नियन्त्रण कर सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की भूमिका का महत्व बढा दिया जिसमें सभी सदस्यों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है तथा सुरक्षा परिषद् की भूमिका को कम कर दिया जिसकी सदस्यता सीमित व असमानता पर आधारित है। हांलाकि उसकी मूल संकल्पना विश्व संगठन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गई थी अतः पर्यवेक्षकों का यह मानना अनुचित नही है कि इस आंदोलन के बढते महत्व ने संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रजातंत्रिकरण की ओर अग्रसर किया है। यह पूर्णतः सर्वविदित है कि शीतयुद्ध में शिथिलता लाने में गुटनिरपेक्ष देशों ने अहम भूमिका निभाई है बल्कि यह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध को दितांत या तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही है।

युद्धोंपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति व सम्बन्धों में निशस्त्रीकरण व अस्त्र नियन्त्रण एक बहुत बडा मुद्दा रहा है इसके लिए भी गुट निरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई उसमें उन्हें एकदम सफलता तो नही मिली फिर भी उसने लोगों को यह नही भूलने दिया कि विश्व शान्ति को बढावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र शस्त्र बढाने कि बेलगाम दौड कितनी खतरनाक है। भारत को यह देखकर संतोष ही हुआ होगा कि उसने अप्रेल 1954 में न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाने के जो प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिवेदन सन्धि के रूप में फलिभूत हुए। बाद में इन्दिरा गांधी ने यह स्वीकार किया कि आंदोलन से निरन्तर शक्ति का मार्गप्रशस्त हुआ है। यह आंदोलन ही है जिसने सर्वोच्च शक्तियों के बीच सद्भावना हेतु सम्पर्क के माध्यम से काम किया है तथा शीतयुद्ध के दोंनों पक्षों की बिना वजह की गलतफहमियां को दूर करने में सहायता पहुंचाई है। इसी से उन्होने यह अनुभव किया कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पर है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम

शीतयुद्ध को वास्तविक युद्ध में पहुचने से रोक दिया। अतः यह भी इस आंदोलन की एक बडी उपलब्धि ही मानी जानी चाहिये।

द्वितीय विश्वयुद्धोतर आर्थिक स्थितियों पर नजर डाले तो यह स्पष्ट होता है कि संतुलित विकास और संतुलित सम्पन्नता के लिये मानव मात्र को अनावश्यक गरीबी, निर्धनता व मजबूरी से छुटकारा दिलाने के लिये, इंसान की बेबसी से उसे उबारने के लिये एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना आवश्यक है। इन राष्ट्रों ने निरन्तर नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की। आंदोलन ने जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख किया था। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुधरे व्यापार सम्बन्धों पर दिया गया। लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक एवं विकास सम्बन्धी मामलों पर विकसित या औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प लिया। अल्जीरियर्स शिखर सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव से कहा जाये की उच्च राजनीति के स्तर पर महासभा का अधिवेशन बुलाया जाये जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विनिमय किया जाये। अल्जीरियर्स का आह्वान अनसूना नही किया गया। असल में तो गुटनिरपेक्ष देशों की इसी पहल के फलस्वरूप ही 1974 के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 6वां विशेष अधिवेशन बुलाया जिसमें 1 मई 1974 को नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा व एक कार्यवाही योजना का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आज की प्रमुख मांग है जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने ही निरन्तर परवान चढाया है अतः यह भी इस आंदोलन की एक बडी उपलब्धि है।

वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ कि भांति यह आंदोलन भी एक उपयोगी राजनयिक क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत सीमित राजनीति के महत्व के कदम उठाये जा सकते है और इस पहल से ही इन देशों को पहचान मिलती है अतः इन देशों को नई पहचान दिलाने में आंदोलन के प्रयासों को सार्थक ही माना जायेगा।

इस बात से इंकार नही किया जा सकता कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने निरंतर मानवीय मुल्यों का समर्थन दिया है और उन मानवीय मूल्यों के आधार पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, युद्ध शोषण, असमानता आदि के विरूद्ध एक वैचारिक भूमिका तैयार की। जो विश्व शांति की एक बुनियादी आवश्यकता है। इस प्रकार से विश्व शांति को अक्षुण्ण बनाये रखने में इस आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही।

गुट निरपेक्षता कि उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करने से स्पष्ट हो जाता है कि आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक स्थाई तत्व बन गया है। अतः राष्ट्रों के अस्तित्व की भांति इसका अस्तित्व भी महत्वपूर्ण व प्रासंगिक लगता है इसका मुख्य उद्देश्य तथा स्वतंत्र विकासशील देशों की स्वतंत्रता व उसको अक्षुण्ण बनाये रखने की आवश्यकता व विकास से है न की शीतयुद्ध व उसकी समाप्ति अथवा गुट बद्धता से है। विद्वानों ने इसका सम्बन्ध वास्तव में जिन 5 'D' से शुरू किया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है जैसे –

D – Decolonisation

D - Development

D – detent

D – disornament

D – democration

यह पांच डी अत्यन्त महत्वपूर्ण है व वर्तमान के अशान्त एवं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित विश्व में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन एक सुरक्षा नली का काम करता है जो सबसे महत्वपूर्ण है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन की असफलताएं

गुट निरपेक्ष आंदोलन का लम्बा इतिहास देखते हुये के.पी.मिश्रा ने कुछ बाते स्वीकार की है[8] :–

1. यह आंदोलन अत्यन्त लचीला है। अपनी प्रकृति से बहुलवादी है। इसलिये इसमे तरह तरह की विचारधाराऐं एवं अर्थ व्यवस्थाओं के देश शामिल है। इसे किसी विशेष दिशा में वाछंनीय बिन्दु से आगे खींचा गया तो इसका माधुर्य समाप्त हो सकता है। और ऐसे प्रयास प्रतिउत्पाक हो सकते है।
2. चूँकि समकालीन अंर्तराष्ट्रीय व्यवस्था सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर टिकी है। ऐसा परिदृश्य जिसमे हर राज्य लगभग अपनी इच्छा का स्वामी है तो ऐसे मे गुटनिरपेक्षता को सीमित सफलता ही मिल सकती है।
3. यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हर अंर्तराष्ट्रीय प्रयास अपने घटक सदस्यों की एकता,ईमानदारी एवं सहयोग पर टिका होता है। और चूंकि यह सारे तत्व सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। अतः उसी अनुपात में उस आंदोलन को सफलता मिल सकती है। इसलिये मात्र सीमित सफलता को ध्यान मे रखकर इस आंदोलन की अधिक आलोचना तो नहीं करनी चाहिये यह समस्त अंर्तराष्ट्रीय रोगों के लिये निदान हेतु जादु की छड़ी नहीं हो सकता।
4. चूंकि गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से निर्धन,सैनिक दृष्टि से दुर्बल है तथा कुछ हालात में इन देशो के संभ्रान्त वर्ग ओद्योगिक देशों के संभ्रान्त वर्गो से सम्पर्क बनाये हुये है। इस हालातो में यह स्वाभाविक है कि ऐसे मे बड़े देश अपने तरीके से इस आंदोलन को प्रभावित करते रहते है। तथा हितार्थ इन देशों को उपयोग भी करते है। यह वांछनीय नहीं है। अपितु जीवन का तथ्य भी है ताकि आप वह बात मान ले जिसे मानने के लिये आप राजी न हो।

आंदोलन की एकता को बनाये रखने के लिये यह प्रयास किया जाता है कि सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाये। द्विपक्षीय विषयों को न लिया जाये बल्कि संबधित पक्षों से आग्रह किया जाये कि वह अपने विवादों का परस्तर वार्ता से समाधान करे। 1979 के हवाना सम्मेलन में इसी को स्पष्ट करते हुये स्वीकार किया गया था कि इसका आशय है कि विभिन्न दृष्टिकोणो को समझा जाये,उनका सम्मान किया जाये तथा शुद्ध भाव से ऐसे निष्कर्षो पर पहुॅचा जाये जो सभी पक्षों को मान्य हो।

हालांकि उक्त वर्णित गुट निरपेक्ष आंदोलन की अनेक उपलब्धिया है अपितु गुट निरपेक्ष आंदोलन को वांछित सफलता नहीं मिल सकी इसके निम्न कारण बताये जा सकते है :–

1. यह आंदोलन विविधताओं के पिटारे की तरह है शीतयुद्ध काल मे। इसके अनेक सदस्य देश किसी ना किसी महाशक्ति से ह्रदय से जुड़े रहे है इसलिये अतिम घोषणा का पाठ तैयार करते समय उनके सुझाव आपस में टकरा जाते थे। नई दिल्ली के सम्मेलन 1983 में अफगानिस्तान के सोवियत सैनिक हस्तक्षेप का मुद्दा उठा तो 2003 मे क्वालालम्पुर सम्मेलन मे ईराक के प्रति अमेरिकी रूख की निंदा की गई। चूंकि निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते है अतः यही प्रयास सफल हुआ कि घुमाफिरा कर शब्दो का ऐसा जाल तैयार किया जाये जिसका भाव आक्रामक ना हो।
2. यह ठीक है कि इस आंदोलन की सदस्यता निरंतर बढ़ रही है लेकिन इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि अब अनुपस्थित व उदासीन देशों की संख्या मे भी वृद्धि हो रही है। वर्जिनिया का सम्मेलन 3 दिन तक चला जबकि डरबन का सम्मेलन 2 दिन में सीमट गया। शीतयुद्ध काल में अनेक सदस्य राज्यों व शासन के अध्यक्ष आते थे लेकिन अब उनकी संख्या गिरती जा रही है और यहां तक कहा गया है कि मात्र प्रतिनिधित्व की खातिर मंत्रियों को भेज दिया जाता है।
3. इस आंदोलन का कोई औपचारिक ढ़ाँचा नहीं है। नैरोबी केन्या में इसका एक लघु सचिवालय स्थापित किया गया है। जिस देश में सम्मेलन होता है वही सारे प्रशासनिक ठांचे की व्यवस्था करता है तथा निर्णित सिंद्धान्तो को प्रोत्साहित करता है। यह दूसरी बात है कि गुटनिरपेक्ष देशों के राजदूत न्यूयार्क में सयुंक्त राष्ट्र के कार्यलयो में प्रायः मिलते रहते है या यदाकदा उनके विदेशमंत्रियो की बैठकें होती रहती है इससे थोड़ा तालमेल अवश्य बना रहता है। अफ्रो–एशियाई राष्ट्रों का ऐसा ही तालमेल उल्लेखनीय है। जो देश इसमे शामिल नहीं है वो अक्सर इसकी प्रासंगिकता का उपहास करते रहे है लेकिन इस आदोंलन मे शामिल देश भी अपने विरोधियों के

स्वर से स्वर मिलाते है जैसे 1979 के हवाना सम्मेलन के समय बर्मा (म्यामांर) ने अपने को इस सम्मेलन से पृथक कर लिया परन्तु कुछ अंतराल के बाद वह पुनः शामिल हो गया।[9]

के.पी. मिश्रा ने यह स्पष्ट किया गया है कि इस अवसर पर बर्मा के प्रतिनिधी ने अपनी सरकार का यह प्रस्ताव पढ़कर सुनाया ''इस आंदोलन के सूत्र मान्य नहीं है। वे मात्र घघले नहीं है मर रहे है। अब विचारो व दृष्टिकोणों में भेद अपेक्षित नहीं है बल्कि आधारभूत सिंद्धान्तो से जानबूझ कर विचलन कर इस आंदोलन को खत्म कर रहे है। केवल अपने नाम की खातिर ही बने रहना पर्याप्त नही है। हमारे बीच ऐसे लोग है जो अपने सिद्धान्तो के साथ इसके सिद्धान्तो को बनाये रखना व आंदोलन की अखण्डता को सुरक्षित रखना चाहते है। स्पष्ट रूप से ऐसे देश भी है जो ऐसा नहीं करते बल्कि जानबूझ कर अपने विशाल हितो की खातिर इस आंदोलन का शोषण करते है। हम नही चाहते की हमारा शोषण किया जाये। 1986 के हरारे सम्मेलन मे लीबिया के राष्ट्रपति **गद्धाफी** ने पुरजोर शब्दों में कहा कि इस आंदोलन की भ्रान्ति टूट चुकी है।

4. गुट निरपेक्ष आंदोलन एक नैतिक मंच की तरह है इसके पास वह बल नहीं है जो किसी अंर्तराष्ट्रीय संघ जैसे सयुंक्त राष्ट्रसंघ व विश्व व्यापार संगठन व राष्ट्रसंघ जैसे (यूरोपीय संघ) के पास है। सम्मेलनो में चर्चाऐ होती हैं, प्रस्ताव पास किये जाते है तथा विश्व की महान शक्तियों से आग्रह किया जाता है कि वह इसके संकल्पो का आदर करे। यही कारण है कि यह आंदोलन ईरान ईराक युद्ध को न रोक सका। अरब इजरायल विवादो को न सुलझा सका, युगोस्लाविया या कांगो, कम्बोडिया,सोमालिया आदि की समस्याओ का समाधान न कर सका। उत्तर शीत युद्ध काल में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भी यह आंदोलन सफल न हो सका। ईराक के मामले में तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक तरफ रख दिया तथा अफगानिस्तान व ईराक में अमेरिका के ईशारे पर नाटो की सेनाओं ने शांति स्थापना कार्य किया। विशेष तौर से गुटनिरपेक्ष व तीसरी दुनिया के राज्य यह नहीं समझ सकें कि नाटो को बलवान करना सयुंक्त राष्ट्र व उससे संबन्ध संस्थाओं पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगी जिन्हे नाटो की भूमिका आशिये पर उतार देगी।[10]

5. कुछ पर्यवेक्षको का यह भी मानना है कि इस आंदोलन ने सयुंक्त राष्ट्र व्यवस्था को सबल बनाया है अब हर कोई देश देख सकता है कि पहले की अपेक्षा गुटनिरपेक्ष देश अनेक बिन्दुओ पर अधिक कृत संकल्प भी हुये है। जैसे यू.एन.ओ की भूमिका को अधिक से अधिक सुदृढ़ बनाया जाये सुरक्षा परिषद व महासभा की उपेक्षा का तरीका रोका जाये। बडी़ शक्तियों के लिये यह असंभव बना दिया जाये कि वह अपनी वीटो की शक्तियों के दुरूपयोग से सयुंक्त राष्ट्र की गतिविधियों को रोके व सयुंक्त राष्ट्र को एक तरफ न किया जाये। अब यह संभव न हो सकेगा कि महाशक्तियां व उनके गुट सयुंक्त राष्ट्र के अधिकार क्षैत्र से उन विषयों या समस्याओं को हटा लेगीं जो सारी दुनिया के भाग्य को प्रभावित करती है। अतः सयुंक्त राष्ट्रसंघ पर शक्तियों का दबाव संभव नहीं हो सकेगा तथा महाशक्तियों व उनके गुटो के बीच भिड़ंत के दृश्य बनने से रोके जाने के प्रयास किये जा सके। परन्तु यह प्रयास कितने सफल होगें यह कहना संभव नही है।

6. गुट निरपेक्ष आंदोलन के समर्थक यह मानते है कि इस आदोंलन ने शीतयुद्ध का तापमान कम करके उसे तनाव शैथिल्य में बदला। और फिर उसका अंत कर दिया। तनाव शैथिल्य के दौर में एक टीकाकार ने सही टिपप्णी की है कि '' सभी देशो की इस प्रक्रिया में समानता के आधार पर भागीदारी होनी चाहिये। दुनिया की बड़ी शक्तियां सभी लोगो के भाग्य का अपने बूते पर निर्णय नहीं कर सकती। अब सभी राज्यो के बीच अन्तनिर्भरता इतनी बढ़ चुकी है कि हर बड़े दायित्व का समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से सरोकार है।[11]

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि गुटनिरपेक्षता एक नीति एक आंदोलन है यह अपने आप मे कोई साध्य नहीं है बल्कि एक साधन है। चूंकि राष्ट्रीय व अंर्तराष्ट्रीय स्थितियां कभी रूकी नहीं रहती इसलिये अपने आग्रह में गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य भी बदलते रहे है। इसी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को गत्यात्मक स्थिति प्रदान की है जो बदलते हुये यथार्थ के अनुरूप सतत तरीके से बदल रहा है।[12]

इन सभी कारणों से हम कदापि यह अर्थ नहीं ले सकते कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने निरंतर सफलता प्राप्त की है असफलताऐं नहीं। वस्तुतः गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने उद्देश्यो की प्राप्ति में आशातीत सफल नहीं हो पाया है। और इन असफलताओं को निम्नांकित रूप में दर्शाया गया है :–

1. आलोचको का प्रथम तर्क यह है कि यह अवसरवादी ओर काम निकालो की नीति है। विशेष कर पश्चिमी आलोचक इसी बात पर बल देते है कि यह काम निकालो की नीति बन कर रह गई है। गुट निरपेक्ष देश सिद्धान्त हीन है और साम्यवाद और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबन्धो के संदर्भ में वे दोहरी कसौटी का प्रयोग करते है। और यह कि उनका उद्देश्य पश्चिमी एंव साम्यवादी दोनो गुटो से अधिक लाभ प्राप्त करना है। ओर ऐसे में जिसका पलड़ा भारी हो जाता है उसी तरफ मिल जाते है। परन्तु **एम एस राजन** ने इसे अस्वीकार करते हुये लिखा है कि यह नीति अवसर वादिता की नीति नहीं हो सकती। यह उसी रूप में कार्य करती है जितनी गुटबद्धता की या अन्य कोई नीति कार्य करें। इस पर अवसरवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता।[13]
2. आलोचको के अनुसार सिद्धान्ततः तो यह उपयुक्त है परन्तु व्यवहारत में उपयुक्त नहीं है। इसी कारण व्यवहारिक दृष्टि से यह विफल हुई है। सिद्धान्तः इनका मानना है कि इसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है परन्तु व्यवहारिक धरातल पर इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष देशो के संदर्भ में इस दायित्व को वास्तव में नहीं निभाया है। आलोचक यह भी कहते है कि नासीर के अधीन संयुक्त गणराज्य वे नेहरू के अधीन भारत कें 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे। **एम एस राजन** ने इस पर भी टिप्पणी करते हुये स्वीकार किया है कि अभी तक कोई गुटनिरपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है। दूसरी एक साम्यवादी राष्ट्र साम्यवादी गुट का साथ छोडकर गुटनिरपेक्ष बन गया (युगोस्लाविया)। जहां तक कुछ मामलो में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्यवादी शिविर के देशों का समर्थन किया वहां उन्ही गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अनेक अवसरो पर उन्हीं देशो की आलोचना भी की है। हंगरी के विरूद्ध

सोवियत सैनिक कार्यवाही 1956 तथा चेकोस्लाविया 1968 के मामलो में अनेक गुटनिरपेक्ष देशो ने सोवियत संघ की आलोचना की थी।[14]

3. गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक विफलता यह बताई जाती है कि वह मुख्य रूप से बाहरी आर्थिक व सुरक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहे है। अतः उन्होने आर्थिक तथा रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया है। और आज वह अपने सहज सामान्य कार्य निर्वाह के लिये सहायता पर आश्रित हो गये है। आलोचको का मत है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य रूप में मानकर चलती है ऐसे में कोई भी राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिये अन्य राष्ट्र या समूह पर बहुत आश्रित हो तो उसका यही अर्थ लिया जायेगा कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को ओर गुटनिरपेक्षता को दांव पर लगा दिया है। **एम.एस. राजन** ने यहां पर टिप्पणी की है ओर इस आलोचना के जवाब में उनका कहना है कि '' किसी देश को दोनो सर्वोच्च शक्तियों से बराबर बड़े मात्रा में आर्थिक व सैनिक सहायता प्राप्त हुई है यह बात अपने आप मे इस बात का प्रमाण है कि इससे गुटनिरपेक्षता प्रभावित नहीं बल्कि गुटनिरपेक्षता बराबर ज्यों कि त्यों बनी हुई है।[15]

आलोचकों ने यह भी तर्क दिया है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिये पर्याप्त मानते है। परन्तु उनकी गुटनिरपेक्षता की नीति किसी भी रूप उनकी सुरक्षा का साधन नहीं है। 1962 का उदाहरण यदि लिया जाये तो सभी देशों की भारत के साथ सहानुभूति नहीं थी जब कि कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो पश्चिमी गुट से बंधे थे। उन्होने भारत के प्रति सहानुभूति भी दिखाई व चीन का मुकाबला करने में भारत को सहायता भी दी। आलोचक यहां तक कहते है कि भारत को इस नीति का त्याग कर देना चाहिये, क्योकि इसकी कोई व्यवहारिक उपयोगिता नही है।

4. कुछ आलोचक मानते है इसका दायरा बहुत सीमित है। गुटो से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं अर्थात पूरी नीति गुटो की राजनीति के आसपास घूमती है। महाशक्ति गुटो की राजनीति पर प्रतिक्रिया देते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्षण बन

गया है। अतः इस दृष्टि से इसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरे के बुरा मानने के डर से पहले ही नापतोल कर दूर हटना या बारी बारी से पास जाना या दूर रहना यही गुट निरपेक्षता की शैली है।[16] यह राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति बन गई है। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है इसकी जड़े उपर है नीचे नहीं। इससे यही स्पष्ट होता है कि राष्ट्र उसके केन्द्र मे नहीं है हां उससे राष्ट्र हित सिद्ध हो जाये यह अलग बात है। वास्तविकता तो इसके केन्द्र मे नेतागिरी की भावना ही है कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कि मोर का नाच, भले ही मोर के पांव कितने ही कमजोर व गंदे हो लेकिन पंख फैलाकर नाच अवश्य होना चाहिये अर्थात् दुनिया के मंच पर नेतागिरी अवश्य होनी चाहिये।[17]

5. कुछ आलोचक यह भी मानते है कि इस नीति द्वारा अंर्तराष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय राजनैतिक परिवर्तन नहीं हुआ। यह पहले की तरह ही शक्ति संतुलन सिंद्धान्त पर चल रही है। जब तक शीतयुद्ध चलता रहा चलता रहा भारत के कहने से कोई परिवर्तन नहीं आया ना ही उन्होने भारत के कहने से कहीं से अपनी सेनाऐ हटाई। अल्जीरिया,अंगोला,मोजाम्बिक जैसे देशो ने अपनी स्वतंत्रता खूनी युद्ध द्वारा ही प्राप्त की तथा अन्य देशों से साम्राज्यवादी ताकते अपनी अदरूनी कमजोरियों व विवशताओं के कारण हटती रही।[18]

6. जैसा कि इसके कारणो में संकेत दिया है कि यह एक दिशाहीन आंदोलन लगता है। आलोचको का मत है कि नई विश्वव्यवस्था का जिसमे शक्ति नहीं सदभावना नियामक तत्व हो निर्माण करना तो दूर रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप मे ही बिखरने लग गया है। हवाना सम्मेलन 1979 की कार्यवाहियों से स्पष्ट हो गया है कि सम्पूर्ण आंदोलन तीन खेमो में बंट गया है।

7. क्यूबा, अफगानिस्तान, वितयनाम, इथोपिया, यमन जैसे सोवियत संघ परस्त देश थे तो दूसरी ओर सोमालिया, सिंगापुर, फिलिपीन्स, मोरक्को, मिश्र आदि अमेरिकी परस्त देश थे व तीसरे खेमे में युगोस्लाविया, भारत, श्रीलंका जैसे देश थे। यह बंटवारा इस बात का सबूत था कि गुट

निरपेक्ष आंदोलन की अपनी कोई दिशा नहीं रह गई है। ओर वह महाशक्तियों के खिलवाड़ का प्रतिबिन्ब रह गया है।

8. आलोचको का यह भी तर्क है कि गुटनिरपेक्ष देशों में बुनियादी एकता भी नहीं पाई जाती ओर इस प्रकार समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरूद्ध मोर्चाबन्दी करना तो दूर रहा वे आपस में एक दूसरे की सहायता करने की ठोस योजना भी नही बना पाते है यहां तक कि गुट निरपेक्ष देश एक दूसरे का शोषण करने से भी बाज नहीं आते। जैसा कि तेल सम्पन्न राष्ट्र अपने साथी विकासशील राष्ट्रों को किसी प्रकार की रियायत नहीं देते। अपनी जीवन पद्धतियों की रक्षा करने के लिये भी गुटनिरपेक्ष देश कोई संयुक्त रणनीति भी नहीं बना पा रहे है।

9. आलोचक यह भी तर्क देते है कि इसमे मौखिक व लिखित घोषणाये तो ज्यादा है परन्तु व्यवहारिक काम कम अर्थात् समय समय पर गुटनिरपेक्ष देश विश्व शांति एंव सुरक्षा की एक लम्बी चौड़ी आदर्शवादी घोषणाऐं करते रहते है। यह ठीक है परन्तु उनकी प्राप्ति के लिये ठोस व व्यवहारिक कदम उठाने भी उतना ही जरूरी है। जैसे नई समाचार व्यवस्था की स्थापना के लिये उन्होने आपसी सहयोग से ''न्यूजपूल'' की स्थापना की घोषणा तो कर दी किन्तु इसकी स्थापना के बाद इस '' न्यूजपूल'' से रीलिज होने वाली खबरों को खरीदने का प्रस्ताव आया तो उन्होने पीठ दिखा दी। इस प्रकार घोषणायें तो वह अनेक कर देते है किन्तु ठोस व व्यवहारिक काम की बात पर हिचकिचाने लगते है।

10. आलोचक यह भी तर्क देते है कि गुटनिरपेक्ष के अनेक रूप व किस्में पैदा हो गई है, इसी कारण इसकी कोई सत्ता नहीं रह गई है। जैसे बर्मा (म्यानमार) ने गुटनिरपेक्षता की बजाय महाशक्तियों एवं बड़ी शक्तियों से दूर रहकर अलगाववाद की नीति का पालन किया है। कुछ राष्ट्रों ने महाशक्तियों के साथ मेत्री व सहयोग संन्धियों के नाम पर सैनिक व्यवस्थाओं वाली संन्धिया कर ली। भारत व मिश्र ने सोवियत संघ के साथ ऐसी संन्धिया की जबकि कई गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने ऐसा नहीं किया। अतः ऐसी नई नई किस्में उत्पन्न होने को गुटनिरपेक्षता की असफलता ही माना गया।

11. आलोचको का यह भी मत है कि यह अधिक आपसी समस्याओं में अपना समय बर्बाद कर देते है ओर बाहरी विश्व की चुनौतियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। जैसे सितम्बर 1979 में गुटनिरपेक्ष देशो के सम्मेलन का उदाहरण ले तो इसमे मिश्र को गुटनिरपेक्ष आंदोलन से बाहर निकालने, कम्पूचिया में पोलपोट हेग समरी मे से अगली सरकार किसे माना जाये आदि आपसी खीचंताने सारे शिखर सम्मेलन पर छाई रहीं। परिणाम स्वरूप उनकी आम समस्याओं जैसे तेल उपयोग नई विश्व अर्थव्यवस्था,समुद्री नई समाचार व्यवस्था,समुद्री सम्पत्ति के दोहन आदि समस्याओं कें प्रति वे अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाये है।

12. कुछ आलोचको यह भी मानते है कि यह मूल्यविहीन एक पैंतरा मात्र है यह अपने आप में कोई विचारधारा या सिंद्धान्त नही है। इसमे राजशाही वाले देश भी रहे है, कम्युनिस्ट देश भी इसमे रहे है। अतः इसके 120 देशो में से बहुत ही कम ऐसे है जिन्हे सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक कहा जा सके। इन देशो का शासन पद्धतियां ही भिन्न नहीं है अपितु अर्थव्यवस्था के स्वरूप व समस्याओं भी एक दूसरे से बहुत भिन्न है। और इसी कारण आपसी तनाव के कारण युद्ध का सा तनाव हो जाता है। इसी कारण इसका स्वरूप इतना विसंगठित व आत्मविरोधी नजर आता है। यही कहा जा सकता है कि उक्त ऐसी परिस्थितियों व व्यवहार है जिसके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर संदेह किये जाते है। ओर वर्तमान में तो यह कहा जाता है कि कृपया इस प्रश्न का उत्तर दे कि गुट निरपेक्षता की क्या प्रांसंगिकता है?

अध्याय सार :–

गुटनिरपेक्ष आंदोलन अनेक कारणो से अस्तित्व मे आया था। जैसे विश्व का वैचारिक आधार पर दो भागों मे विभाजन हो गया था। नये राष्ट्रों की सैनिक संन्धियों में बैठने की इच्छा नहीं थी। नये राष्ट्र स्वतंत्र विदेश नीति की लालसा रखते थे। शीत युद्ध से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। विश्व को शांति की आवश्यकता थी और इसमे सभी का सहयोग अपेक्षित था। तकनीकी व आर्थिक विकास की आवश्यकता के चलते गुटबाजी में उलझना व सैनिक संन्धियों का सदस्य बनना कोई बुद्धिमानी की बात नही थी। अतः गुटो से भिन्न मुद्दो के मध्य सेतू बनाने के लिये नया रास्ता अपनाया गया वह पहले गुटनिरपेक्षता की नीति बनी फिर उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रूप ग्रहण किया। इसका अस्तित्व व क्रिया कलाप भारत जैसी स्थिति के अनेक राष्ट्रों को पसंद आया व उन्होने भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन को गति एंव लोकप्रियता प्राप्त करने में सहायता की परन्तु यह स्वाभाविक है कि चाहे कोई भी संगठन हो या आंदोलन जब वह कर्म करने लगता है तो उसके सामने अनेक विरोधी स्वर भी उठ खड़े होते है। नई चुनौतियां सामने आती है। नई कमजोरिया भी दिखाई देती है। प्रबुद्धगण आलोचना भी करने लगते है और उसकी अव्यवहारिकता का आभास भी कराते है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी इन स्वाभाविक प्रवृत्तियो से बच नहीं पाया तथा इसकी सफलता व असफलाओं का मूल्यांकन भी किया जाने लगा और यह परखा जाने लगा कि इसका कोई औचित्य भी है या नहीं। यहां यही कहना पर्याप्त है कि चाहे इस आंदोलन पर कितने ही प्रहार हुए हो यह अपनी कमजोरियो के साथ अभी भी अस्तित्व में है।

पंचम अध्याय

प्रासंगिकता एंव भविष्य

सयुंक्त राष्ट्रसंघ के पूर्व महासचिव डा. बुत एस घाली ने लिखा है कि दो ध्रवीयता के अंत न विशाल राजनैतिक ऊजाऐं पैदा की है जो अभी तक विचाराधारात्मक प्रतिद्वद्विताओं ने कैद कर रखी थी। अब संस्था निर्माण के लिये खोज की जा रही है। वैश्विक विषयों के प्रति भिंड़तवादी दृष्टिकोण कम हो रहा है तथा मानवीय व प्रोद्योगिक संस्थानों के उपयोग हेतु अधिक उत्पादक निकाय उभर रहे है। शीतयुद्ध के दशको ने आर्थिक से उपर राजनैतिक विचारों की प्राथमिकताओं को आरोपित कर दिया था। अब शीत युद्ध के चले जाने के बाद अंर्तराष्ट्रीय संबन्धों का आर्थिक तत्वो के प्रति स्पष्ट रूझान देखा जा सकता है।[1]

वास्तव में विश्व राजनीति के इतिहास में अनेक मोड़ दिखाई देते है जब पुरानी व्यवस्था को हराकर नई व्यवस्था आई। 1815 की वियना कांग्रेस में यूरोप का संघ बनाकर महाद्वीप में स्थायी रूप से शांति स्थापित करनी चाही। 100 वर्ष बाद इस स्थिति को धक्का लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक नया दौर आया। जब राष्ट्र संघ बना। जिसने अपने उपर अंर्तराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का दायित्व लिया। यह प्रयोग 20 वर्ष तक चला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस दायित्व को संभाला। लेकिन अब दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का महा दौर चल पड़ा पर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक नया परिदृश्य स्थापित हुआ। जिसने अंर्तराष्ट्रीय राजनीति के क्षैत्र में राष्ट्रीय राज्यों एंव अंर्तराष्ट्रीय संस्थानों के कार्यो व उनकी भूमिका की पुनः संरचना का प्रतिनिधित्व किया। इसका मूल कारण समाजवादी व्यवस्था के अंत पर उदारीकरण व भूमण्डीकरण की नई प्रवृत्तियों में देखा जा सकता है। इस उत्तर शीतयुद्ध काल कहा जा सकता है। शीतयुद्ध कें अंत ने अंर्तराष्ट्रीय संबन्धों में एक प्रमुख परिवर्तन दर्शाया एक ऐतिहासिक युग का अंत तथा एक ऐतिहासिक युग का प्रारम्भ।[2]

यदि शीतयुद्ध के अंत ओर उसके परिणामों पर विचार करे तो उन परिणामों से जो नई स्थितियां उत्पन्न हुई है उन्हीं में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रांसगिकता व भविष्य खोजने का यहां प्रयास है। यह तो सत्य है कि इतिहास का कभी अंत नहीं होता। नई घटनाऐं जन्म लेती है जो वर्तमान को अतीत से

पृथक कर देती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वर्तमान अतीत से बिलकुल भिन्न होता है। अतीत की परिपाटिंया किसी न किसी मात्रा या रूप में वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रविष्ट हो जाती है। इनमें किसी न किसी रूप में निरंतरता बनी रहती है। विकास धीरे धीरे होता है क्रान्ति विकास के क्रम को तोड़कर आमूल रूप से नई व्यवस्था स्थापित करती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद यथास्थिति में पुनः धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार हम मान सकते है कि परिवर्तन प्रकृति का अकाटय नियम है। यह अन्य बात है कि कोई शीघ्र व बड़े परिवर्तन का स्वागत करके प्रगतिवादी हो जाता है तो कोई ऐसे परिवर्तन का विरोध करके तथा क्रमिक तथा शांतिपूर्ण परिवर्तन का समर्थन न करके स्वंय को प्रतिक्रिया वादी या रूढिवादी बना लेता है।

ऐसा परिवर्तन चक्र राष्ट्रीय एंव अंतर्राष्ट्रीय क्षैत्रों में देखा जा सकता है। अमेंरिका शानदार एकान्तवाद की नीति पर आरूढ़ था लेकिन पहले विश्वयुद्ध के बाद उसने यूरोप की राजनीति में सक्रिय भागीदारी की। 1933 तक उसने समाजवादी सोवियत संघ से कूटनीतिक संबन्ध स्थापित नहीं किये। दूसरे विश्वयुद्ध में अमेंरिका एंव सोवियत संघ मित्र राष्ट्र थे। उन्होने सयुंक्त राष्ट्रसंघ बनाया लेकिन दूसरे महायुद्ध कें बाद दोनो महाशक्तियां के बीच शीतयुद्ध चल पड़ा। इसी कारण अमेंरिका ने 1949 में बने समाजवादी चीन से कूटनीतिक संबन्ध स्थापित नहीं किये। लेकिन 1977 के बाद स्थिति बदल गई। स्टालिन ने समाजवादी शिविर बनाया था लेकिन वह टूटफूट गया। यहां तक कि 1990 के बाद पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में भी उदारवादी व्यवस्थाऐ आ गई।

शीतयुद्ध का सूत्रपात भी एक विचित्र घटना थी। क्योंकि दूसरे विश्वयुद्ध में अमेंरिका व सोवियत संघ मित्र थे। धीरे धीरे यह विचित्रता चली गई। दुनियां दो शिविरो में बंट गई। लेकिन शीतयुद्ध की विदाई ओर भी चकित कर देने वाली घटना नजर आई है। अंर्तराष्ट्रीय राजनीति का यर्थाथवादी सिद्धान्त मिथ्या साबित हुआ। उसके बाद नवयथार्थवादी सिंद्धान्त उभर आया। जिसने लोगो के नये विचार व नई व्यवस्थाओ को जन्म दिया है। '' ऐतिहासिक घटनाऐं अपने माथे पर बिल्ले लगाकर नहीं आती ताकि वह हमें अपनी महत्ता बता सकें। बीता समय ही ऐसा कर सकता है और इसमें भी बहुत वर्ष लग जाते है।[3]

यदि शीतयुद्ध का निपट यथार्थ दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जावे तो यथार्थ के 5 भिन्न स्तर देखे जा सकते है।

1. अमेंरिका व सोवियत संघ के बीच में सामरिक भिंडंत।
2. साम्यवाद व पूंजीवाद के बीच विचारात्मक संघर्ष।
3. ऐसा भौगोलिक व सामरिक टकराव जिसने लगभग 40 वर्षो तक यूरोप व जर्मनी को बांटे रखा।
4. भविष्य में तीसरी दुनिया पर नियत्रण जमाने हेतु निंरतर संग्राम।
5. दो भौतिकवादी सभ्यताओं के बीच व्यापक विरोध, जिसमें दोनो पक्षों ने आग्रह किया कि वह ही भविष्य की धाराओं के प्रतीक है।

लेकिन इस भिडंत वाली प्रकृति के बावजूद शीतयुद्ध संलग्नता से संबन्धी अपने अलिखित नियम थे। वे संबन्धों को व्यवस्थित करने में सहायक हुये तथा परमाणु अस्त्रों के युग में किसी न किसी रूप से महत्वपूर्ण ही हुये बल्कि उन्होने अंर्तराष्ट्रीय संबन्धों में व्यवस्था की मात्र का सूत्रपात किया। जो दूसरे विश्वयुद्ध के बाद वाले वर्षो में अनुपस्थित रहे थे। इसी कारण विदेशनीति के बहुत सारे प्रयोगकत्ताओं, विश्व राजनीति के बहुत से सिद्धान्त शास्त्रियों का जिक्र न करते हुये इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुॅचे कि इतने स्थाई या जैसा कुछ ने आग्रह किया इतनी शांतिपूर्ण अनिश्चित काल भविष्य में कब तक चलता रहेगा यह बताना संभव नहीं है।[4]

शीत युद्ध के बारे में कई धारणाऐ सामने आई जैसे :–

1. यह अन्य प्रकार के सत्ता संबन्धी सघंर्षो से किसी प्रकार भिन्न युद्ध नही था। सक्रिय विचारधारा की दृष्टि से यह दो महाशक्तियां के बीच टकराव था।[5]
2. यह विरोधियो के बीच सहभागिता थी जिन्होने इसे विकासशील दिशा में अभ्यास जैसा समझा जिसने उन्हें मानदण्ड व रिवाज निश्चित करनें तथा अपने व्यवहार पर प्रतिबन्ध आरोपित करने की आवश्यकता को प्रेरित किया।

3. एक आलोचक के अर्न्तवादी सिद्धान्त के अंर्तगत यह कोई संघर्ष नहीं थी बल्कि एक व्यवस्था थी जिसके द्वारा हर गुट के भीतर प्रभुत्वशाली समूह अपने अधीन लोगों या जातियों को अच्छी तरह नियंत्रित कर सके।[6]
4. यह एक गलती थी। व्यक्तिगत व ऐतिहासिक गलत धारणाओं के कारण यह विचारधारात्मक मतभेदो के कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ो की अतिशयोक्ति थी।
5. अन्तः व्यवस्था संबंधी उपागम के अनुसार यह दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं का टकराव था। जिसमें हर पक्ष ने अपनी सूझबूझ से यही मान लिया कि परमाणु अस्त्रों शस्त्रों से एक दूसरे पर विजय पाई जावे।[7]

आधुनिक युग में अन्य युद्धों की तरह दो महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध भी कोई सामान्य घटना नहीं थी। इसी कारण इस विशेष पदबन्ध का आविष्कार हुआ। ताकि एक विचित्र प्रकार की स्थिति का वर्णन किया जा सकें। इस स्थिति का प्रमुख तत्व था दोनो पक्षों का परस्पर अविश्वास,भय व शत्रुता। उनकी अनेक प्रकार की ऐतिहासिक व राजनैतिक मतभेदों में ऐसी भावनाऐं बनी हुई थी तथा ऐसे अनेक प्रकार के मिथक बलपूर्वक समर्थन कर रहे थे जो प्रायः शत्रुता को अविश्वास व घृणा में बदल देते थे।

धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई सोवियत रूस ने इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने का निश्चय किया। इसके आंतरिक रूप से अनेक कारण थे। समाजवादी शिविर के विघटन एंव उदारवादी विचारधारा के विजय में इसका परिणाम सामने आया। सोवियत रूस ने अमेंरिका को चुनोती नहीं देने की दिशा में कदम उठाये व अपने बाहय साम्राज्यवाद के विघटन को स्वीकार करके यह दिखाया कि इतिहास में अत्यंन्त नाटकीय ढंग से सत्ता में वापसी हुई है।

शीत युद्ध की विदाई के कारण नई अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था उभरी, उसके कारणों व परिणामों व लक्षणों को निम्नानुसार इंगित किया जा सकता है।[8]

शीतयुद्ध की उपलब्धियां एंव भविष्य :–

1. **साम्यवाद का पतन :–** दूसरे महायुद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में साम्यवाद ने अपना प्रभाव फैलाया ओर वहीं उसका अंत भी हुआ। 1917 में लेनिन व 1924 में उसकी मृत्यु के बाद स्टालिन व उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा स्थापित समाजवादी व्यवस्था चरमरा गई। मार्क्सवाद लेनिनवाद के कट्टर समर्थको ने निजी सम्पत्ति को सार्वजनिक सम्पत्ति में बदल दिया तथा समस्त कृषि एंव उद्योग पर समाजवादी राज्य का स्थायित्व व नियंत्रण स्थापित हो गया। इसे ही आदेशित अर्थव्यवस्था कहा गया। लेकिन राष्ट्रपति गोर्बाचोब ने '' समाज को मुक्त करो व आर्थिक नवनिमार्ण करों का मार्ग दिखाया। लोगों की आमूल स्वतंत्रताऐ एंव निजी अर्थव्यवस्था की बहाली हुई। उसने यह समझ लिया कि यदि उसके देश को पाश्चात्य देशों के साथ रहना है तो ऐसा आर्थिक परिवर्तन अपरिहार्य है। अतः मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा हटी, उदारवादी विचारधारा को स्थान मिला। यहां तक की चीन में भी ऐसा ही हुआ जहां डेंग ने बाजारी समाजवाद या चीनी विशेषताओं से लेस समाजवाद की स्थापना की।

2. **शीतयुद्ध एंव तनाव शैथिल्य का अंत :–** दूसरे महायुद्ध के बाद दोनो महाशक्तियों में तनाव पूर्ण संबन्ध उभरे हुये जिन्हे शीतयुद्ध की संज्ञा दी गई। 1940 के बाद तनाव हटा, परस्पर सहयोग बढ़ा जिसे तनाव शैथिल्य की संज्ञा दी जाती है। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीतयुद्ध व उसके कटे फटे रूप में तनाव शैथिल्य इतिहास कें पन्नो में चले गयें। वारसा संधि समाप्त हो गई व नाटो का स्वरूप बदल गया। अब वह बढते हुये साम्यवाद की बजाए शांति के भागीदारो का संगठन बन गया।

3. **द्विध्रुवीयता का अंत :–** दोनो महाशक्तियों के बीच शीतयुद्ध ने द्विध्रुवीय स्थिति को जन्म दिया। दुनिया के देश किसी एक महाशक्ति के शिविर में आगये। उन्होने इस महाशक्ति से विशाल सैनिक व आर्थिक सहायता प्राप्त की तथा अपनी भूमि पर उनके सैनिक अड्डे बना लिये। लेकिन 1991 के बाद एक ध्रुवीयता की स्थिति आ गई। अमेंरिका एक मात्र महाशक्ति बन गया। उसने अपने तरीको से विश्व की राजनीति को चलाया। खाड़ी युद्ध में सब कुछ सयुंक्त राष्ट्र संघ के

निर्णयानुसार हुआ। कुवैत की स्वतंत्रता बहाल हो गई। फिर 2001 में अमेंरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मिटा दिया,2003 में अमेंरिका ने ईराक पर आक्रमण करके यह दिखा दिया कि सयुंक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सहमति बिना वह ऐसा कदम उठा सकता है। लेखको ने इसी को एक ध्रुवीयता का नाम दिया। लेकिन धीरे धीरे जर्मनी व जापान का उभरना भी तथ्य बना। जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। पश्चिम यूरोप के देशों का यूरोपीय संघ बहुत शक्तिशाली क्षैत्रीय संगठन बन चुका है। जिसकी मुद्रा यूरो ने अमेंरिकी मुद्रा डालर को पीछे कर दिया है। चीन अपना विकास करके सत्ता का एक केन्द्र बन रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि अब नई बहु ध्रुवीयता उभर रही है।

4. **साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का अंत :–** 18वीं व 19 वीं शताब्दियो में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की धारा बहुत तेजी से प्रवाहित हुई। एशिया व अफ्रीका के देश इसके शिकार हो गये। लेकिन पहले महायुद्ध के बाद इसका पतन शुरू हो गया। जो दूसरे महायुद्ध के बाद तेज हो गया। गुलाम देश आजाद हो गये। लेकिन कुछ धनी देशों ने अप्रत्याशित तरीके से अपना आर्थिक व राजनैतिक प्रभुत्व जमा कर उन देशों का शोंषण किया। अनेक अविकसित व विकासशील देशों की प्रभुसत्ता अंकुशित हो गई। इसी को नव उपनिवेशवाद का नाम मिल गया। यह धारा भी क्षीण होती चली गईं। केवल पश्चिम या स्पेनिश सहारा बचा। जहां स्वतंत्र राज्य नहीं बन सका। आश्चर्य की बात है कि स्पेन ने 1975 में इन देशों को मुक्त कर दिया था किन्तु मोरक्को व मेंरिटेनियां इसके भागो पर कब्जा जमाऐ हुये है।

5. **पूंजीवाद एव उच्च प्रोद्योगिकी की विजय :–**समाजवादी शक्तियों की पराजय को पूंजीवाद की विजय का प्रतीक कहा जा सकता है। समाजवादी देशों जैसे पोलेण्ड,रूमानिया,हंगरी में पूंजीवादी व्यवस्था की पुनः स्थापना ने अन्य समाजवादी देशों को प्रेरित किया कि वह उदारीकरण व भूमण्डीकरण की लहरो के साथ प्रवाहित हो। लोहा एंव इस्पात के उद्योगों की अपेक्षा कम्प्यूटर अधिक महत्वपूर्ण हो गये है। अतः अनेक राज्यो ने यही बेहतर समझा कि भयानक शस्त्रों के

निर्माण पर धन खर्च करने की बजाय उन्हे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिये।

6. **जर्मनी जापान का पुनरूथान :–** द्वितीय महायुद्ध में मुसोलिनी के अधीन इटली व हिटलर के अधीन जर्मनी ने विश्व के देशों को अकथनीय हानि पहुँचाई। बाद में यह फासीवादी शक्तियां हारी व शांति का मार्ग पकड़ा, विश्व बैंक ने अपनी शर्ते लगाकर विकास कार्यो हेतु हेलंसिकी सम्मेंलन का आयोजन किया जिसमें अल्बानिया को छोड़कर यूरोप के 33 देशों व अमेंरिका व कनाडा ने भी भाग लिया। 1970 के बाद जर्मनी व जापान औद्योगिक महाशक्ति बन गये। अमेंरिका को भी इस तथ्य को मान्यता देनी पड़ी। जर्मनी ने नाटो को अपनी सैन्य टुकडिया दी और तब उन्होने अन्य देशों की सेनाओ के साथ कोसोवा के विद्राहियो का दमन किया। जापान ने कम्बोडिया में शांति बनाये रखने हेतु सयुंक्त राष्ट्र महासचिव को अपनी सैनिक टुकड़िया दी। हां यह कहा जा सकता है कि जर्मनी व जापान ने अपने सविंधानो का उल्लघंन किया। जैसे '' 1946 में बने जापान के सविंधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जापान युद्ध का मार्ग नहीं अपनायेगा। 1949 में बने जर्मन सविधान के अनुच्छेद 25–26 में यह कामना की गई है कि जमीनी युद्ध का त्याग करेगा व अंर्तराष्ट्रीय विधि का पालन करेगा।

7. **भूमण्डलीय करण व राष्ट्रवाद :–** द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आर्थिक व राजनैतिक एकीकरण की लहर चल पड़ी। 1958 में पश्चिमी यूरोप के देशों ने यूरोप का आर्थिक समुदाय बनाया जो 1992 में यूरोपीय संघ बन गया। अतः एक नई स्थिति पैदा हुई। जिसने परा राष्ट्रीय राज्यों व सीमा रहित अर्थव्यवस्थाओं का विकास किया। 1975 में सात बड़े औद्योगिक देशों का गुट जी–7 अस्तित्व में आया। दक्षिणी पूर्वी राज्यों का संघ बना। मुस्लिम देशों ने अरब लीग बनाई। अफ्रीकी देशों का एकता संगठन भी अस्तित्व में आया। तनाव शैथिल्य की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन 1991 के बाद इसका भूमण्डीकरण की लहर से मेंल हो गया। दुनिया के देशों के लोग एक देश से दूसरे देश में घूमने व अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित करने लगे। पूंजी का मुक्त प्रवाह होने से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अनेक देशों में अपना जाल फेलाने लगी। सूचना प्रोद्योगिकी व दूरसंचार

ने दूरी की समस्या को मिटा दिया। तथा दुनिया **मरिसन मेंक लुहान** के शब्दों में **वैश्विक ग्राम** बन गई। विभिन्न देशों के लोग स्वयं को एक वृहत परिवार का सदस्य समझने लगे। उन्हें सांझे भविष्य की सांझी समस्याओं का आभास हो गया। अतः यह जरूरी हो गया कि राष्ट्रवाद का भूमण्डलावार से तालमेंल बिठाया जाये।

8. **पूर्वी एशिया उदय :–** अब पूर्वी एशिया के देशों ने (चीन, जापान, उत्तरकोरिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, सिगापुर, इण्डोनेशिया, फिलीपिन्स, थाइलैण्ड) ने चमत्कारी प्रगति करके अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। इन देशों ने अमेंरिका की अर्थव्यवस्था को चुनोती प्रस्तुत की है। आश्चर्य की बात यह है कि मलेशिया,सिंगापुर, इण्डोनेशिया,व वियतनाम जैसे देशों को पूर्व के आर्थिक बाम्ब कहा जा रहा है।

9. **नस्लीय राष्ट्रवाद का संकट :–** यदि अनेक दिशाओं में सकारात्मक प्रगति हुई है तो कुछ दिशाओं में उसका नकारात्मक रूप भी देखा जा सकता है। नस्लीय राष्ट्रवाद के उदय ने कई देशों को भीतर से तोड़ दिया है। जैसे सोवियत संघ के 15 प्रान्त गणतंत्र बन गये। युगोस्लोवाकिया के प्रान्त टूटकर 5 स्वतंत्र राज्य बन गये। चैकोस्लोवाकियो के दो राज्य बन गये। इसी संघ ने यहूदियों को स्टोनिया से, रूसियो को बुल्गारिया से तुर्की को ईराक से कुर्दो का तथा युगोस्लावाकिया ने मुसलमानो को अपने देश से बाहर कर दिया है। अनेक देशों में पृथकतावादी आंदोलन चल रहे है। आयरलैण्ड के रोमन कैथोलिक ईसाई, उत्तर आयरलैण्ड से ब्रिटेन के प्रोटेस्टेन्ट इसाइयो को बहिष्कृत करना चाहते है। कनाडा में क्युबैंक प्रांत के फ्रासीस, नाइजीरिया बियाफास लोग, स्पेन में बास्क लोग, ईराक में कुर्द, श्रीलंका में तमिल, भारत में विशेषकर विद्रोहीनागा और कुछ कश्मीर आदि पृथकतावादी आंदोलन चला रहे है। ऐसी आंशकाऐ की जाती है कहीं यह विनाशकारी तत्व राष्ट्रीय राज्य को विखण्डित न कर दे। कहीं वृहद सोमालिया, वृहद इथोपिया,तो कहीं वृहद नागालेण्ड बनाने का अभियान चला रहे है। यही कह सकते है कि नस्लीय राष्ट्रवाद का संकट कुछ ऐसे संगठन की मांग करता है जो इनकी

नस्लीय भावनाओ को समेंट कर राष्ट्रीय राज्य के साथ संलग्न कर सके। ओर वह उत्पीडित व उपेक्षित महसूस न करें। विद्वानो का मानना है कि ऐसा गुट निरपेक्ष आंदोलन ही कर सकता है।

10. **इस्लामी कट्टर वाद का उदय** :– सबसे भयानक प्रवृति इस्लामी कट्टरवाद में देखी जा सकती है। 1979 में ईरान में अयातोउल्ला खुमेंनी की ईस्लामी क्रान्ति से इसका सूत्रपात हुआ, जहां शाह के शासन को हटाकर कट्टरपंथी शक्तियों ने अपने पैर जमा लिये। ओसामा बिन लादेन का अलकायदा संगठन ऐसे ही तत्वों को भौतिक सहायता देते रहे है। रूसी संघर्ष के चैचन्या व दागिस्तान प्रान्तो में ऐसे तत्व अपने स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे है। सूडान के डारफूर प्रात में मुसलमान लोग ईसाइयो की हत्या कर रहे है। ऐसे ही स्थिति लेबनान में देखी जा सकती है। अलफतह व हमास अरब मुसलमानो के आंतकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन में अपने पैर जमाऐ हुये है तथा यहूदियो की हत्या में संलग्न रहते है। 11 सितम्बर 2011 को बिन लादेन के ईशारे पर इन शक्तियो ने न्यूयार्क व वाशिगठन डी.सी को अपना निशाना बनाया बाद में लंदन के उपनगरीय स्टेशनो पर आंतकवादी घटनाऐ की। बल्कि यह कहना चाहिये कि दुनिया के अनेक देश इस आंतकवाद की चपेट में है। ओर अभी अनेक देशों के लिये यह सीमापारीय आंतकवाद एक बड़ी चुनोती बने हुये है। विद्वानो का मत है कि इस मुद्दे पर गुटनिरपेक्ष देश एक सक्रिय सहमति बना सकते है। उक्त सभी नकारात्मक पहलुओं से निजात पा सकते है।

यदि जो निर्णायक बदलाव आया है ओर उसमें उक्त वर्णित जो नकारात्मक लक्षण है वहां हम यह कह सकते है कि हर नई व्यवस्था कुछ सकारात्मक या रचनात्मक लक्षणों से भी लेस हो सकती है जिसमें पिछली परिपाटियो का सुधरा या बेहतर रूप मूलतः नई प्रवृत्तियों के उदय का सुखद मिश्रण देखा जा सकता है। शीतयुद्ध एक भयानक सपने की तरह था लेकिन अब उसके कुछ सकारात्मक लक्षण भी खोजे जा सकते है। यही स्थिति अब उत्तर शीत युद्ध काल के बारे में दिखाई देती है। शीतयुद्ध के अंत में दोनो महाशक्तियों ने अपने को उस प्रतिद्वंन्द्विता से मुक्त कर लिया जिसने उनके असंख्य संसाधनों को चूस लिया था। तथा उनके आर्थिक बल को कम करके उन्हे अन्य उभरती हुई शक्तियों जैसे जर्मनी व जापान के बराबर कर दिया था। अतः स्पष्ट है कि शीतयुद्ध के शांतिपूर्ण

अंत का यह मंतव्य नहीं है कि अब शांतिपूर्ण हल सुनिश्चित हो गया है। यही लगता है कि सत्ता व स्तर के लिये बड़ी शक्तियां के बीच लड़ाई चलती रहेगी। क्योंकि इसे प्रोत्साहित करने वाली अंर्तराष्ट्रीय अराजकता विश्व राजनीति में राज्य के आचरण को रूपाहिंत करती रहेगी।

नई बहुराष्ट्रीय संरचना की प्रकृति उस स्थाईत्व से बहुत भिन्न होगी जिसने दूसरे महायुद्ध के समय से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक ध्रुवीय व दो ध्रुवीय का प्रतिनिधित्व किया है।

वर्तमान व्यवस्था की स्थितियां व व्यवहार के सकारात्मक लक्षणों को नये विकासों,नई आवाजों व नये विवादो के नाम से भी जाना जा सकता है। यह दूसरी बात है कि कुछ लेखकों ने उनके भीतर छिपे हुये विरोधाभासी तत्वों या अवधारणाओं पर भी संकेत किया है कुछ भी हो यह सकारात्मक लक्षण निम्न प्रकार है :–

1. इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंर्तराष्ट्रीय संबन्धों के अध्ययन का विस्तार हो गया है। क्योंकि पहले यह राज्य केन्द्रीत था। अब इसमें राजनैतिक,सामाजिक, आर्थिक मुद्दे जुड़ गये है साथ ही मानवाधिकारो की भूमिका,पर्यावरण की भूमिका,मानव मुक्ति की रणनीतियां सामने आ गई है। इन सब के पीछे नई सोच आवश्यक है अतः नई सोच व नये प्रयासो की आवश्यकता है जिससे अधिकारो,न्याय व समृद्धि के संदर्भ में आगे बढ़ा जा सके ओर यह देखा जा सकें कि किन्ही तत्वों के बीच खींचातान है तो उनमें कौन से तत्वों को प्राथमिकता दी जावे।[9]
2. **मानवतावाद** :– इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि अतं निर्भरता तथा एकीकरण की प्रवृत्तियां मजबूत हो रही है। ऐसे में आवश्यक है कि अधिक आत्मनिर्भरता असंभव हो गई है। अतः सभी मानवीय संगठनो को कल्याणकारी बन जाना चाहिये। यदि राष्ट्रीय स्तर पर यह गरीबी,बेकारी,बीमारी, निरक्षरता, शोषण उत्पीड़न,अन्याय आदि को मिटा सकता है तो राज्य की व्यवस्था को ऐसे कार्य करने चाहिये ताकि विश्व में आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य सिद्ध हो सकें। ओर यदि ऐसा नहीं भी हो तो कोई अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन उनमें हस्तक्षेप कर सकें,मानवता के मूल्य की रक्षा कर सके। चाहे घरेलू मामलो में सम्प्रभुता के दृष्टिकोण से कुछ हस्तक्षेप ही माना जाये।

3. **नवराष्ट्रवाद** :– इससे यह विदित होता है कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय राज्य की अवधारणाये बदल रही है। शीत युद्ध में यह मान लिया था कि आक्रामक राष्ट्रवाद का खण्डन किया जावे। जिसने दूसरे महायुद्ध को जन्म दिया। प्रबुद्ध राष्ट्रवाद का अंर्तराष्ट्रीयवाद से समागम हो रहा है। इसने राजनैतिक समुदाय का भावार्थ बदल दिया है। एक तरफ पराराष्ट्रीय राज्य व्यवस्था का उदय हो रहा था जिसका रूप यूरोपीय संघ में देखा जा सकता है तथा दूसरी ओर नस्लीय पृथकता वाद,क्षैत्रीय पहचान व नये सामाजिक आंदोलन चल रहे है। कभी कभी यूरोपीय संघ के देश भी किसी सांझे निर्णय का पालन करने में कुछ संकोच करते है अब यही प्रश्न सामने है कि हम नवराष्ट्रवाद की ओर बढे या मध्य युग के परावर्तनवाद को सहारे जिधर इस्लामी कट्टरवाद ले जाना चाहता है।

अब सुरक्षा को लेकर भी सामूहिकरण की व्यवस्था उभर रही है जिससे सुरक्षा के क्षैत्र को बहुपक्षवाद भी कहा जा सकता है। अर्थात् जब सयुंक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव के अधीन शांति स्थापना या शांति परिवर्तन के कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते है तो कई राज्यो के गठबंधन अपनी भूमिका निभाते है और मानवतावादी हस्तक्षेप का आव्हान करके स्थिति को संभालते है। यह एक प्रकार की हिंसा है जो हिंसा का दमन करती है। इससे विदित होता है कि संगठित हिंसा की प्रकृति आमूल रूप से नई संरचता हो रही है। हिंसा अन्य सामाजिक क्षैत्रों में अराजकतापूर्ण राज व्यवस्था संरचनात्मक द्वारा उत्पन्न तत्व नही है परन्तु परिवर्तन का प्रतीक होकर रह गई है।

4. **आर्थिक शक्तियों का आधिपत्य** :– अर्थात् राजनैतिक शक्तियों की अपेक्षा आर्थिक शक्तियों का जोर बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष,विश्व बैंक, एशियाई विकास बैक व विश्व व्यापार संगठन ने दुनिया के देशों पर अपना आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर रखा है। सदस्य राष्ट्रो को उनकी शर्ते माननी पड़ती है। इसलिये उदारीकरण की लहर ने जोर पकड़कर समाजवादी तत्वों को गंभीर धक्का दिया है। यह कहा जा सकता है कि वस्तुओ के उत्पादन व विनिमय का अंर्तराष्ट्रीयकरण हो गया है। अब यही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन अर्थव्यवस्था व विकास की प्रक्रिया के भीतर लोगो के जीवन की गुणवत्ता, सैनिक उपकरणों का उत्पादन,समाज कल्याण,श्रम

तथा लेंगिग असमानता व अन्याय का निर्धारण करते है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी यही दिशा है अतः उसे अभी भी उपयोगी मानने में कोई हानि नहीं है।

5 **गैर सरकारी संगठन :–** अब गैर सरकारी संगठन जैसे ग्रीन पीस,एशिया वाच, एमनेस्टी एन्टरनेशनल आदि की भूमिका अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह संस्थाऐ राष्ट्रीय क्षैत्रो में काम कर रही है उनकी गतिविधिया बहुपक्षीय है जो मानव जीवन के अनेक पहुलओं को समाहित करती है। जैसे मानव अधिकार,युद्ध अपराध,पर्यावरणीय सुरक्षा,लैंगिग असमानता व अन्याय आदि।

6. **नया क्षैत्रीयवाद :–** अर्न्तराष्ट्रीय राजनीति में क्षैत्रवाद कोई नई वस्तु नहीं है, शीतयुद्ध के दौर में अनेक सैनिक संगठन बने जैसे अमेंरिकी राज्यो का संगठन, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अरब लीग, अफ्रीकी एकता संगठन,दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रो का संगठन, एशिया प्रशांत सहयोग संघ,उत्तरी अमेंरिका मुक्त व्यापार क्षैत्र,दक्षिणी एशियाई क्षैत्रीय सहयोग संघ आदि। उत्तर शीतयुद्ध काल में क्षैत्रीय संगठनो के निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। नये सगंठन बने जैसे शघांई सहयोग संगठन,विम्सटेक,(बंगला देश, भारत,श्रीलंका,म्यांमार,थाईलेण्ड) का आर्थिक सहयोग आदि। यदि अब एक नया लक्षण उजागर हुआ है। वह यह कि शीतयुद्ध के दौर में इन क्षैत्रीय संगठनो को वह स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी जो अब उन्हे प्राप्त है। ऐसा लगता है कि उन्होने पहचान के नये रूप धारण कर लिये है। इस संबन्ध में एक विरोधाभासी स्थिति पैदा होती है, कि एक ओर क्षैत्रीय संगठन अधिक सुरक्षा व स्वायत्तता का आनन्द ले रहे है तो दूसरी ओर उदारीकरण व भूमण्डीकरण की बढ़ती प्रवृत्तियाँ उसकी क्षैत्रीय प्रकृति में सेंध लगा रही है।

7. **उदारवाद की विजय :–** उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था की लोकप्रियता ने अधिनायकवाद व पराधीन वादी संस्थाओं को बदनाम किया है जिससे ऐसे देशों में लोंकतत्रीयं करण के लिये आंदोलन चल रहे है। मानवाधिकारों की समुचित व्यवस्था व उनकी सुरक्षा की खातिर चलने वाले आंदोलन इसका ज्वलंत उदाहरण कहे जाते है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव अधिकारो

का मुद्दा शामिल किया गया है। 1948 में महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभोम घोषणा अपनाई व 1966 में महासभा ने 3 अन्य महत्वपूर्ण घोषणाऐं अपनाई जैसे

(अ) सामाजिक व राजनैतिक अधिकारो का अंर्तराष्ट्रीय अनुबन्ध।,

(ब) आर्थिक सामाजिक राजनैतिक अधिकारो का अंर्तराष्ट्रीय अनुबंध।

(स) समस्त नस्लीय भेदवाव के निराकरण का अनुबन्ध।

1975 में हेलसिंकी सम्मेंलन में माानवअधिकारो की विस्तृत सूची अपनाई गई, लेकिन उत्तर शीत युद्धकाल में मानव अधिकारो का प्रभावी क्रियान्वयन हो सका। सोवियत संघ ने महासभा की महत्वपूर्ण घोषणाओ को स्वीकार किया था तथा हेलसिकी चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। लेकिन सोवियत नेता ब्रेझनेव यह तर्क देते रहे कि समाजवादी देशों में मानव अधिकारों की प्रकृति व संरक्षण का वह अर्थ नहीं चल सकता जो पाश्चात्य देशों में चलता है। 1966 में इसी संघ के सविधान में ऐसा प्रावधान किया गया। नानबोले की मृत्यु के बाद चीन के हालत भी बदल गई है। डेंग के समय 1989 में हियानमान त्रासदी की घोर निंदा हुई। अमेंरिका के साथ 2003 की परमाणु संधि में चीन ने स्वीकार किया कि वह तिब्बत में मानव अधिकारों का सम्मान व उसकी सुरक्षा करेगा। यहां भी एक विरोधाभासी स्थिति देखी जा सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था ही मानव अधिकारो को सुरक्षित कर सकती है। प्रश्न यह है कि इस व्यवस्था का रूप कैसा हो। अनेक देशों की साम्यवादी व्यवस्था चली गई। लेकिन इस दिशा में मुस्लिम देशों की कट्टरवादी प्रवृत्तियां बाधा पैदा कर रही है। इन बाधाओ को दूर करके प्रजातांत्रिकरण न हो जाये तब तक गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रांसगिक माना जायेगा।

8. **उत्तर दक्षिण संवाद की अप्रासंगिकता :–** एक ओर औद्योगिक उत्तर है तो दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से पतित दक्षिण है। अर्थात् दुनिया अति धनी व अति निर्धन देशों में बटीं हुई है। इसी को उत्तर दक्षिण विभाजन कहते है। शीत युद्ध के दौर ने इस समस्या ने अपना स्थान बना लिया था। 1974 में महासभा ने अपनी नई अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पक्ष में महत्वपूर्ण घोषणा पारित की व धनी देशों के असहानुभूति पूर्ण रवैये के कारण कोई सफलता न मिल रही थी। 7 धनी देशों व 77 निर्धन देशों के बीच खींचतान चलती रही। लेकिन शीतयुद्ध के जाने

के बाद अंर्तराष्ट्रीय मुद्राकोष व विश्व बैंक ने अविकसित व विकासशील देशों को सशर्त सहायता देकर उदारी करण की प्रवृति को तेज कर दिया। भूमण्डीकरण के प्रभाव से उत्तर व दक्षिण जैसे पदबंधो को अर्थहीन व अप्रासंगिक बना दिया। विदेशी पूंजी का मुक्त प्रवाह होने लगा। तथा चीन जैसे साम्यवादी देशों में भी धनी देशों ने अपनी पूंजी का निवेश किया। अंर्तराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपना जाल फैलाया। अनेक विकासशील देशों जैसे मलेशिया, इण्डोनेशिया, वियतनाम, सिगापुर ने काफी आर्थिक प्रगति की ओर आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त की। इस दिशा में चिंतन की विरोधाभासी अवधारणाओं को भी देखा जा सकता है। यदि कुछ लेखक इसकी सराहना करते है तो कुछ इसे साम्राज्यवाद,उपनिवेशवाद का नया संस्करण कह कर चिहिंत करते है।

9. **भूमण्डलवाद :–** उत्तर शीतयुद्ध काल को भूमण्डलीकरण का युग कहते है। लेकिन यह वास्तव में क्या है ? इस दिशा में भिन्न भिन्न मत है। **एंथोनी गिडसे** कहते है कि इसका अर्थ दूरियों को मिटाना तथा दुनिया के देशों के बीच बढ़ती हुई अन्तक्रिया व अन्तनिर्भरता है। फॉक के अनुसार यह बाजारी औद्योगिक, वैचारिक संबन्धी विकास का समुम्चय है। लेकिन इसके आलोचक इसकी निंदा करते है। वीमैन ने टिप्पणी की है कि अब कोई भी किसी के नियंत्रण में नहीं है। चोमस्की इसे पूंजीवादी देशों की नवीनतम कुटिल चाल कहता है। बुल कहते है कि भूमण्डीकरण उस प्रकार की न्यूनतम व्यवस्था को बनाता हुआ दिखाई नहीं देता जिसने पुराने समय से अंर्तराष्ट्रीय समाज को बांधे रखा है। अतः यह प्रश्न भी उठता है कि क्या यह स्थिति बनी रहेगी? जिसने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओ के महत्व को कम कर दिया है।

निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि शीतयुद्ध के अंत ने कुछ रूपों में अंर्तराष्ट्रीय राजनीति के कार्यक्रम को बदला है। अब खुले रूप में विरोधी महाशक्तियों के आधिपत्य के रूप में पूर्व बनाम पश्चिम के संघर्ष की जगह अनेक दूसरे मुद्दे उभर कर आये है जैसे राज्यो का विभाजन, गृहयुद्ध, आतंकवाद, लोकतंत्रिकरण, राष्ट्रीय अल्प संख्यक वर्ग, सब जगह मानवता वादी हस्तक्षेप, नस्लीय सफाई बहुसंख्या का पलायन, पर्यावरण की सुरक्षा, लैगिंग असमानता व अन्याय, नये सामाजिक आंदोलन,

अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर गैर सरकारी संगठन की भूमिका, भूमण्डलीय नागरिकता, विश्व व्यापी नागरिक समाज की स्थापना, राष्ट्रीय राज्य या ऐसे राज्यो का संगठन, प्रभुसत्ता की बदलती हुई प्रकृति इत्यादि इन विकासो की समीक्षा करने वाले लेखको,टीकाकारों ने नई आवाज उठाई है जिन्होने नये विवादों को जन्म दिया है।[10]

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अंर्तराष्ट्रीय राजनीतिक सम्बन्ध में बड़े बदलाव हो गये है। ओर गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबन्ध में कहा जाने लगा है कि इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गये है। जैसे **अमेंरिकी विदेशमंत्री कोडालिजा** ने 27 जून 2007 को भारत अमेंरिकी व्यापार सम्मेंलन के अवसर पर अपने वक्तव्य से मौजुदा विश्व के संदर्भ में गुट निरपेक्षता की प्रसांगिकता पर सवाल खडे करते हुये कहा कि ''में जानती हूँ कि कुछ ऐसे लोग है जो अब भी गुटनिरपेक्षता की बात करते है हो सकता है शीतयुद्ध के दिनों में इसका कुछ मतलब रहा हो। क्योकि उस वक्त दुनिया दो खेमो में बंटी थी। में पूछना चाहूंगी कि जब हर संस्कृति, नस्ल व धर्म के लोग आर्थिक स्वतंत्रता को गले लगा रहे है तो गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है।[11]

वास्तव में गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति के राष्ट्रो के लिये एक विकल्प का काम करती है। इस आंदोलन की अनेक उपलब्धियां है जिसके माध्यम से अनेक क्षैत्रों में इस आंदोलन का योगदान रहा है। परन्तु आज अधिकतर टीकाकार यह प्रश्न उठाते है कि जब दो प्रमुख गुट समाप्त हो चुकें है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का अंत हो चुका है, रंगभेद की नीति पर अंकुश लग चुका है, परमाणु अस्त्रो पर रोक लगाने के प्रयास चल रहे है, शीतयुद्ध का अंत हो चुका है सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद को कब्र में दफनाया जा चुका है। सभी प्रमुख शक्तियो के बीच एक दूसरे के प्रति स्नेहपूर्ण संबन्ध बनाने के प्रयास कर रहे है अमेंरिका व रूस मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन कर रहे है ओर नाभकीय ऊर्जा पर अंर्तराष्ट्रीय सहयोग को उन्होने नया आयाम दिया है। अमेंरिका व चीन के मध्य 300 अरब डालर का व्यापार है। रूस वर्तमान समय में पश्चिमी यूरोप, चीन व जापान के लिये उर्जा आपूर्तिकर्त्ता के रूप में उभरा है तो यह प्रश्न उठता है कि आखिर किस के खिलाफ गुटनिरपेक्षता प्रकट करेंगें। इसका उदय शीतयुद्ध के संदर्भ में हुआ था। परन्तु

शीतयुद्ध के अंत होने के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया लगता है। बहुत पहले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 8 वें सम्मेंलन में हरारे में लीबीया के नेता कर्नल गद्धाफी ने निगुट आंदोलन को भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा था। और पूछा था कि जब अमेंरिका ने अनेक देशों पर हवाई हमले करके उन्हे सपरिवार जान से मार देने की कोशिश की तो निगुट आंदोलन क्या कर रहा था ? क्या इसके बाद भी इसकी कोई प्रासंगिकता रह गई है ? 1992 में मिश्र ने भी ऐसी ही अपील की थी कि इस आदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। उनका यह तर्क था कि शीतयुद्ध की समाप्ति से जो परिस्थितियां पैदा हुई है उससे इस आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। परन्तु बहुसंख्यक विदेश मंत्रियो ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष देश निर्धन है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। इस स्थिति से उनको बचाने के लिये यह जरूरी है कि विकसित ओर विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिये दवाब डाला जाये ओर विकास शील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ व सक्रिय किया जावे।

आतंकवाद एंव पूर्ण निशस्त्रीकरण की समस्या के साथ आर्थिक उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर से गुजर रही विश्व आर्थिक नीति पर विश्व व्यापार संगठन विश्व बैंक अंर्तराष्ट्रीय मुद्राकोष के बढ़ते वर्चस्व के कारण विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के समाधान का मुद्दा भी काफी जटिल होता जा रहा है। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ को केन्द्र बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है ताकि दुनियां के देश घातक हथियारों का जमावड़ा ना करे।

1993 में सदस्य बनने के लिये आये नये आवेदनो से भी यह स्पष्ट है कि सार्वभोम कार्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निरंतर प्रासंगिकता व महत्व भी बढ़ा है।

21 वी शताब्दी के लिये ऐसा कहा जा सकता है कि यह आर्थिक युद्ध की सदी होगी। आर्थिक दृष्टि से समर्थ राष्ट्रो के गुट उठकर स्वंय ही प्रतिस्पर्द्धा कर लेगें। इससे विकास शील राष्ट्रो की स्वतंत्रता व हितो को खतरा पहुॅचेगा। ऐसे में आंदोलन को पूर्ण रूप से समाप्त करना उचित नही होगा। फिर भी कुछ विचारको का कहना है कि शीतयुद्धोतर काल में गुटनिरपेक्ष का कोई ओचित्य नहीं

रह गया है। फिर भी यह स्वीकार करने से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज भी विभिन्न क्षैत्रों में इसकी प्रासंगिकता नजर आती है।

1. नई अतंर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग करना।
2. आणविक निशस्त्रीकरण के लिये दबाव बनाना।
3. जहां तक संभव हो दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना देना।
4. जब तक एक ध्रुवीयता मजबूत रहती है तब तक अमेंरिकी दादागिरी का विरोध करना।
5. विकसित व विकासशील देशों के मध्य सार्थक वार्ताऐ कराना।
6. जिन गुटनिरपेक्ष देशों की वित्तीय स्थिति अच्छी है जैसे तेल उत्पादक राष्ट्र उन्हे इस बात के लिये तैयार करना कि वह अपना अधिशेष पश्चिमी देशों के बैंको में जमा कराने के बजाय विकासात्मक उद्देश्यो के लिये इस्तेमाल करें।
7. नव उपनिवेशिक शोषण का विरोध किया जावे।
8. संयुक्तराष्ट्र की सुरक्षा परिषद को ओर अधिक प्रजातांत्रित किया जावे।

हम स्वीकार कर सकते है कि विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इस आंदोलन का अस्तित्व खतरे में पड सकता है। परन्तु दूसरी तरफ यह भी मानना पड़ेगा कि :–

1. जब तक विश्व के समृद्ध शाली व गरीब देशों के बीच की खाई मौजूद रहेगी तब तक इसका औचित्य बना रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि आंदोलन अपने को आर्थिक प्रश्नो से अधिक सम्बद्ध करे।
2. शीतयुद्ध की बात न करते हुये विश्व शांति तथा स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देने की बात करे। ओर इस दिशा में आंदोलन को अनवरत रूप से कार्य करना चाहिये।

3. अभी भी विश्व शस्त्रीकरण, आंतकवाद, बीमारी, भूख, गरीबी, युद्ध नरसंहार की समस्याओ से जूझ रहा है, जब तक ये समस्याये समाप्त नही होगी तब तक शांति की स्थापना भी नही होगी। इसके लिये ही यह प्रारम्भ हुआ था। इसकी प्रासंगिकता को नकारना उचित न होगा।
4. अंर्तराष्ट्रीय न्याय की स्थापना भी अभी दूर की बात है।
5. राज्यो के प्राकृतिक संसाधनो की सुरक्षा आवश्यक है। आर्थिक संगठन अपना वर्चस्व बनाये हुये है। अतः उसे समाप्त करना भी आवश्यक है। अतः इस आंदोलन को अपना विस्तृत संगठन बनाये रखते हुये अपने आर्थिक अधिकारो के लिये लड़ना होगा। और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक समानता व न्याय पर आधारित नई अंर्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना न हो जाये।
6. गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपरिहार्य एंव उपयोगी है वह इस तथ्य से स्पष्ट है कि शीतयुद्धोत्तर काल में इसके अनेक शिखर सम्मेंलन हुये है। तथा सदस्य संख्या भी बढी है।
7. उक्त स्थिति यह दर्शाती है कि गुट निरपेक्षता के दार्शनिक व सैद्धान्तिक आधार अभी भी उपयोगी है तथा इसने अभी भी इसके सदस्यो के लिये बहुत कुछ करना शेष है।

इसका भविष्य ओर उज्जवल हो सके इसके लिये निम्न क्षैत्रों की ओर इस आंदोलन को विशेष ध्यान देना चाहिये।

1. नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रयास।
2. नव उपनिवेशवाद का विरोध
3. नई अंर्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की स्थापना।
4. दक्षिण दक्षिण सहयोग को सार्थक बनाना।
5. विकासशील व विकसित देशों के मध्य अच्छे सम्बन्धों की स्थापना व निशस्त्रीकरण के सक्रिय प्रयास।
6. अणु अस्त्र हीन क्षैत्रों की स्थापना।
7. भेदभाव पूर्ण अणु प्रसार प्रतिबंध सन्धियों का विरोध।

8. तृतीय विश्व के देशों के प्राकृतिक संसाधनो की रक्षा एवं हिन्द महासागर को शांति क्षैत्र बनाये जाने का प्रयास।

9. सामूहिक सम्पदा की रक्षा करना।

10. सयुंक्त राष्ट्र संघ को प्रजातात्रिक आधार पर पुर्नगठित करने के लिये प्रयास करना।

उक्त निष्कर्षो के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हानिकारक स्थितियों व व्यवस्थाओं से निजात पाने के लिये आंदोलन के सार्थक प्रयास में सभी को सहयोग दिया जाना चाहिये।

अध्याय सार :–

गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने शीतयुद्ध का विरोध करके ओर स्वतंत्र विदेशनीति का सिंद्धान्त देकर नवोदित देशों को एक मंच उपलब्ध कराकर सैनिक टकराव की दिशा में संभावित व्यापक रूझान को रोका। तथा शीत युद्ध का तनाव कम करके शांति स्थापना की दिशा में प्रोत्साहन दिया। आपसी विचार विमर्श एंव समझाबुझा कर आंदोलन ने अनके समस्याओ के उन्मूलन को भी गति प्रदान की है समय के

अनुसार इसने अपनी प्राथमिकता व सरोकारों में परिवर्तन किया है। धनी देशों की चौधराहट पर नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की स्थापना की बात करके प्रहार किया है। ओर भी समस्याये जो उपर गिनाई गई है उस दिशा में भी आंदोलन ने पहल की है ओर शांतिपूर्ण समतावादी विश्व व्यवस्था की बात करके विकासशील देशों का भविष्य उज्जवल करने के निरंतर प्रयास किये है। यदि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी उत्तर दक्षिण में कोई टकराव बढता है तो आंदोलन की प्रासंगिकता भी बढ़ेगी। आंदोलन को जितने वर्ष बीत गये है ओर जिस तरह उसकी संख्या बढ़ी है उससे भी यही लगता है कि इसका बल ओर प्रभाव भी बढ़ रहा है। आंदोलन के समय से ही जुडें कुंवर **नटवर सिंह** जिन्होने **"One life is not enough"** नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है उनका मानना है कि इस आंदोलन के लिये यह जरूरी हो गया है कि वह विश्व के साथ साथ अपने को भी सुधारे। व अपने प्रयासों व विचार विमर्श में नैतिकता व मूल्यों का पतन न होने दे इसके सामने अनेक चुनौतियां है जो इसकी भूमिका को सीमित करती है यह भूमिका सीमित न होती जाये इसके लिये सचेत रहने की आवश्यकता है।

छठा अध्याय

समग्र मूल्यांकन उपसंहार

निष्कर्ष एवं सारांश

गुटनिरपेक्षता शीतयुद्ध के विरूद्ध एक सकारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में उत्पनन हुआ और धीरे–धीरे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सिद्धानत के रूप में ग्रहण किया और विश्वव्यापी आन्दोलन का आधार बन गया। ऐसा दृष्टिकोण संकीर्ण है कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्षता आन्दोलन महत्वहीन हो गया हैं गुटनिरपेक्षता की राजनीतिक संगति चाहे समाप्त हो गई हो, फिर भी नव उपनिवेशवाद के इस युग में आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिये प्रयास का साधन आज भी गुटनिरपेक्षता हैं। आर्थिक रूप से गुटनिरपेक्षता का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल है।

आज जब शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की प्रासंगिकता का प्रश्न उठता है तो ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्ष देशों को संतुलत भूमिका निभानी चाहिये। यद्यपि शीतयुद्ध अब नहीं रह गया है, फिर भी परमाणु अस्त्रों की धमकी और विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रति गुटनिरपेक्ष देशों को सचेत रहना चाहिए। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना के समय जो प्राथमिकताऐं थी उनकी उपादेयता आज भी मानी जा सकती है। सह अस्तित्व, विश्व शान्ति, निशस्त्रीकरण, समान विश्व अर्थ व्यवस्था ओर त्रस्त और शोषित मानवता के लिये संघर्ष की अपेक्षाएं आज भी विद्यमान है। इनके लिये संघर्षरत रहकर नए विश्व परिवेश की स्थापना करना जिससे मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। बदलती हुई परिस्थितियों में गुटनिरपेक्षता आन्दोलन से निम्नलिखित अपेक्षायें है –

1. गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में गरीब–अमीर की खाई पाटने का प्रयास करे।
2. सदस्य राष्ट्रों में आपसी सम्बन्धों को सृदृढ़ बनाने के लिए रचनात्मक कदम उठाये।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावी व लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास करें।
4. ऋण समस्या, खाद्यान्न सुरक्षा जैसे मुद्दों पर संगठित प्रयास करें।
5. आंकतवाद के विरूध प्रभावी कदम उठाने के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन का संकल्प ले। सदस्य राष्ट्रों को आंतकवाद से अलग रहने का परामर्श दे तथा संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में आंतकवाद के विभिन्न पहलूओं को परिभाषित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह करे।
6. नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग करे।

7. आर्थिक निस्त्रीकरण के मामले पर आम सहमति बनाने का प्रयास करें।

8. दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देने का प्रयास करें।

9. विकसित और विकासशील देशों के बीच सार्थक वार्ता के लिए प्रयास करें।

10. अच्छी वित्तिय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष देशों (जैसे–औपेक राष्ट्रों) को इस बात के लिए तैयार करे कि वे अपना अधिशेष पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा कराने के बजाये विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करे।

11. सदस्य राष्ट्रों में सौहार्द्र बढ़ाने तथा उत्तर के अमीर देशों पर निर्भरता कम करने के लिये अनाज उत्पादन, व्यापार, पूंजी निवेश तकनीकी शिक्षा एवं जनसंख्या नियन्त्रण के मसलों पर दक्षिण दक्षिण सहयोग का सुदृढ़ करने का प्रयास करें।

12. नव उपनिवेशिक शोषण का विरोध करें।

13. अब यह महत्वपूर्ण हो गया है कि गुटनिरपेख आन्दोलन आण्विक अस्त्रों के खतरे, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं के विरूध एकजुटता का प्रयास करे। विश्व व्यापारवार्ता, जलवायु परिवर्तन, कमजोर राष्ट्रों की सुरक्षा जैसे ईरान, अफगानिस्तान आदि मुद्दों में अमेरिकी हस्तक्षेप को कम करने के प्रयास करे। अर्थात् एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमरीकी दादागिरी का विरोध करें।

आज गुटनिरपेक्ष देशों को मिलकर विभिन्न संयुक्त राष्ट्र ईकाईयों के लोकतंत्रीकरण के लिये आवाज उठानी चाहिये। जहाँ तक संभव हो सके, गुटनिरपेक्ष देशों को यह प्रयास संयुक्त राष्ट्र की इकाईयों के लोकतंत्रीकरण के लिए करने चाहिए जिससे भू–क्षेत्रीय प्रभुता के प्रति पारस्परिक सद्भावना का विकास हो, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दखल अंदाजी कम हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने में किसी प्रकार की धमकी की स्थिति व शक्ति का प्रयोग न होने पाये। गुटनिरपेक्ष देशों को अपने उद्देश्यों से विचलित नहीं होना चाहिये जैसे सभी सम्प्रभु राज्यों के लिए लोगों समानता के अवसर उपलब्ध कराना, राष्ट्र समाज के छोटे–छोटे ओर अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के सन्दर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता ओर समानता बनाये रखने का प्रयास करना तथा विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर गुटों

के अंदर भी स्त्रतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखने का प्रयास करे जिससे मानवीय व्यक्तित्व की हरसंभव ढ़ग से गरिमा बनी रह सके व सभी लोगों को भय मुक्त वातावरण उपलब्ध हो सके, जिससे वे स्वतंत्रता का आनन्द सच्चे अर्थों में उठा सके।

अतः वर्तमान में भी गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की उपयोगिता व प्रासंगिता बनी हुई है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सघ के बाद यहीं विश्व में एक बड़ा संगठन है।

उसके बाद अभी तक जो भी समय गुजरा है उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण अंर्तराष्ट्रीय मंच के रूप में सामने आया है। ओर इसके माध्यम से विश्व के नवोदित विकासशील राज्य, नवीन विश्व व्यवस्था का प्रयास करते रहे है। इसकी प्राथमिकताऐं, इसके सरोकार ओर इसका कार्यक्षेत्र केवल राजनैतिक विषयों तक सीमित नहीं है बल्कि अंर्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ओर अन्य महत्वपूर्ण गैर राजनैतिक विषयों को भी इस आंदोलन ने अपने उद्देश्यों में सम्मिलित किया है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्भव एवं विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे भारत ने इसके जनक के रूप में कार्य किया है तथा विश्व शांति हेतु सक्रिय प्रयास किये है और इन प्रयासों में भारत ने न केवल किन्ही खास उद्देश्यो को अपनी विदेश नीति के विषय सूची का हिस्सा बनाया है अपुति गुट निरपेक्ष आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के माध्यम से इन्हे क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया है। भारत ने नवोदित राष्ट्रों की स्वतंत्रता एंव विकास में सहयोग दिया। परमाणु शक्तियो।के शोषण से बचाव करने का प्रयास किया। तृतीय विश्व के देशों के लिये एक आदर्श प्रस्तुत किया। नई आर्थिक विश्व अर्थव्यवस्था के प्रयास किये। और आर्थिक विश्व व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया। इसका प्रमुख कारण यही रहा कि जब तक इन देशों में भूख, गरीब, बेकारी व बीमारियां रहेगीं तब तक एक स्थाई व समता व न्याय पर आधारित विश्व की स्थापना नहीं की जा सकती। अतः विशेषकर 1970 के दशक से ही नई आर्थिक विश्वव्यवस्था के प्रयास आरंभ्भ हो गये थे। शीत युद्धोत्तर युग में भारत ने ही निरन्तर इसको बचाया, व यह तर्क दिया कि भारत का मानना है कि अब इस संगठन की प्राथमिकताओं को बदलने की आवश्यकता है जब तक तीसरी दुनिया की मूलभूत समस्याऐं बनी रहेगीं, इस संगठन का महत्व बना रहेगा। अतः स्पष्ट है कि भारत ने इस आंदोलन को विश्व व्यापी स्वरूप

प्रदान करने में विशिष्ट कार्य किया। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नही है कि अंर्तराष्ट्रीय राजनीति को भारत की यह एक विशिष्ट देन है।

आंदोलन के स्वरूप, आदर्शो, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली आदि पर विचार करते है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस आंदोलन की व्यवहारिक उपयोगिता है। जिस समय आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शीतयुद्ध, सैनिक गठबन्धनों व प्रतिस्पर्द्धा की प्रवृति से ग्रसित थी। जिसमें उदयमान महाशक्तियां, राज्यों को सैनिक सम्बद्धता के माध्यम से अपने अधीन करने में प्रयासरत थी। उनके यह प्रयास नव उपनिवेशवाद व नव साम्राज्यवाद की ओर विस्तार करने के अग्रसर थे। अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये महाशक्तियां नवोदित राज्यों के आर्थिक प्रोद्योगिक पिछडेपन का शोंषण करने की मंशा रखती थी। ओर वे चाहते थे कि नवोदित राज्य सैनिकगुटो में सम्मिलित हो व इसके लिये उन्हें इस दिशा में प्रोत्साहित किया जावे।

अपनी विदेशनीति ओर अंर्तराष्ट्रीय संबन्धों के स्वतंत्रतापूर्ण संचालन की आकाक्षां से ही गुट निरपेक्षता का जन्म हुआ। ये राज्य स्वंत्रत संचालन इसलिये चाहते थे कि क्योंकि यह ओपनिवेशिक शासन के कटु अनुभव प्राप्त कर चुके थे तथा स्वयं शोषण का शिकार रह चुके थे। ओर वो यह नहीं चाहते थे कि उन्ही अनुभवों की पुनआवृत्ति हो अतः इन नवोदित राज्यों ने एक, सामूहिकता का परिचय दिया ओर उस सामुहिकता के आधार पर नव उपनिवेश एंव नवसाम्राज्यवादी प्रवृतियों का सामना करने के लिये ही एक विश्व व्यवस्था की स्थापना के विचार को प्रोत्साहन दिया 1 जिसकी परिणीति गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त व आन्दोलन के रूप में हुई।

इस दृष्टिकोण से गुटनिरपेक्षता का आशय यही है कि

1. किसी भी शक्ति गुट से संबद्धता या वचनबद्धता की यह नीति विरोध करती है।
2. आपसी सहयोग पर जोर देती हैं।
3. विश्व शांति व भाईचारे की भावना पर आधारित है
4. यह किसी भी सैनिक गठबन्धनों में शामिल नही होने की नीति है,क्योंकि यदि सैनिक गठबन्धनों का सहारा लिया गया तो अर्न्तराष्ट्रीय तनाव में वृद्धि होगी। ओर इस तनाव से विश्व शान्ति की

स्थापना की बजाय युद्धकारी प्रवृतियों को बल मिलता है। अतः यह सिद्धान्त किसी भी प्रश्न को सैनिक दृष्टि से नहीं देखकर उनकें गुणदोषों के आधार पर स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने का समर्थक है। इसीलिये इस नीति में राज्यों द्वारा स्वतंत्र नीति अपनाने का विशेष आग्रह किया गया है।

5. इसमें नीति निर्माण व इसके क्रियान्वयन में किसी राज्य के साथ सैनिक संबद्धता के मापदण्ड को अस्वीकार करके अपने राष्ट्रीय हितो के अनुरूप अंर्तराष्ट्रीय संबन्धो के संचालन की मुख्य मान्यता के रूप में स्वीकार किया गया है।

परन्तु यह उल्लेखनीय है कि यह नीति तटस्थता की नीति नही है। क्योकि तटस्थता तो युद्ध के संदर्भ में ही प्रयुक्त हो सकती है। अर्थात् किसी भी युद्ध ग्रस्त राज्य का पक्ष गृहण न करना ही तटस्था है, परन्तु गुटनिरपेक्षता तो एक तरह से सार्वकालिक सिद्धान्त है जिसमें गतिशीलता है, यह मृत अवधारणा नहीं है। इसमें आत्म निर्णय का अधिकार सम्मिलित है। स्वतंत्रता, समानता, सप्रंभुता एवं न्याय के आधार पर तथा राष्ट्रीय हितो के आधार पर विदेशनीति का संचालन होता है। यह बात इसके सभी सम्मेंलनों में अभिव्यक्त होती है। अतः यह नकारात्मक के बजाय सकारात्मक अधिक है। जैसे विश्वशांति हेतु कार्य करना, विश्व में स्वतंत्रता के प्रसार को बढ़ावा देना ओर उपनिवेशवाद की समाप्ति करके स्वतंत्र राष्ट्रों के उदय का समर्थन करना तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग के दायरे का विकास करना। इसके जो भी उद्देश्य व सिद्धान्त है उनमें प्रभुसत्ता, क्षैत्रीय अखण्डता, अनाआक्रामकता, अहस्तक्षेप, समानता, पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिंद्धान्तो को प्राथमिकता दी गई है। हम निश्चयात्मक रूप से यह कह सकते है कि यह नीति अपनी सकारात्मकता के कारण अंर्तराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त के रूप में स्थापित हुई है ताकि विश्व शांति विकास,समानता तथा न्यायपूर्ण विश्व की स्थापना हो सके।

इस आंदोलन के जो विभिन्न सम्मेंलन हुये है 1961 से लेकर अगस्त 2012 तक उससे हमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि विभिन्न सम्मेलनों में। आंदोलन के सदस्यो ने निरंतर नई गूंज पैदा की है। आज तक जो 16 सम्मेंलन हुये है उनमें इसकी सदस्य संख्या भी 120 हो चुकी है। आज तो संसार की

कुल आबादी का कम से कम 1/3 भाग इन सदस्य देशो में ही रह रहा है। इन विभिन्न सम्मेलनो में आंदोलन को लेकर निम्न सहमतियां जरूर रही है जैसेः–

1. गुटनिरपेक्षता के अर्थ, परिभाषा विशेषताओ को लेकर भले ही तरह तरह की टिप्पणियां की गई हो ओर भले ही विवाद भी दर्शाया गया हो परन्तु दुनिया का बड़ा भाग इसे अपने हितो से जुड़ा आंदोलन मानता है।

2. इस आंदोलन का आशय जो भी हो यह आंदोलन स्पष्टतः तीसरी दुनिया के देशों की आजादी एंव स्वतंत्रता को अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयास है।

3. इस आंदोलन से जुड़े देश चाहे विभिन्न स्वरूप के हो (पाश्चात्य देशों से जुड़े, या साम्यवादी विचारधारा से जुड़े या सैनिक संगठन का हिस्सा हो) परन्तु तीसरी दुनिया के देशों की मांग हेतु प्रायः वे सब एक मत हो जाते है।

4 शीतयुद्धोत्तर युग में गुटनिरपेक्षता के समर्थको व दूसरे देशो में इसकी सार्थकता को लेकर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किये गये है परन्तु अभी भी इसका विघटन नही हुआ है।

इन उक्त चार बिन्दुओ सें स्पष्ट रूप से जान सकते है कि यही इस आंदोलन का स्वरूप है ओर आंदोलन के रूप में शीत युद्धोत्तर युग में भलें ही कुछ द्वन्द पैदा हो गये हो परन्तु भारत की विदेशनीति के रूप में ओर मानवतावादी गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में इसकी सार्थकता को नहीं नकारा जा सकता है।

सम्मेंलनों में यह भी देखने में आया कि कई गुटपरस्त देश गुटो की सदस्यता त्याग कर भी इसके सदस्य बनें। इसमें इराक,ईरान,पाकिस्तान के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक देश की विदेशनीति का केन्द्रीय सिंद्धान्त होने के रूप में इसने अपना कार्य आंरभ कर दिया और फिर धीरे धीरे सीमित उद्देश्यों के आधार पर एक आंदोलन का रूप ग्रहण किया। इसकी प्राथमिकता स्वंतत्र विदेशनीति के निर्माण की रही। चूंकि नवोदित राष्ट्रों का अनेक कारणो से विकसित देशो से टकराव था। अतः इस

आंदोलन का ज्यों ज्यों विस्तार हुआ नये देश स्वतंत्र होकर इसकी सदस्यता ग्रहण करते गये। इसी रूप में इसके उद्देश्यो का भी विस्तार हुआ। 1960–70 के दशक में उपनिवेश लगभग समाप्त हो गया और नाम के लिये एक या दो उपनिवेश मानचित्र पर दिखाई देने लगे। अतः उपनिवेशो से ध्यान हटाकर साम्राज्वादी शक्तियों के विरोध पर इसने अपना ध्यान केन्द्रित किया है। बीच में यह विवाद भी उठा कि समाजवादी देश इसके स्वाभाविक मित्र है। और पश्चिमी साम्राज्यवादी देश इसके स्वाभाविक शत्रु है। परन्तु इस तरह का विभेद ठीक नहीं था। अब समाजवादी गुट से इसका अधिक लेना देना नहीं है। और इसके उद्देश्यो की प्राप्ति में यदि वह अड़चन करता है तो वह भी स्वाभाविक शत्रु ही है। बल्किेयह हुआ कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद, का विरोध निंरतर चलता रहा व इसके विरोध में प्रस्ताव भी पारित होते गये। आवश्यकतानुसार इसका स्वरूप भी बदलता रहा क्योकि कभी राजनैतिक उद्देश्य इसकी धुरी थे तो कभी धुरी आर्थिक स्वरूप पर आधारित होकर घूमने लगी। हांलाकि आर्थिक दिशा में 1970 के दशक से ही प्रयास शुरू हो गये थे परन्तु 1980 के दशक से 1983 एवं 1986 के दिल्ली व हरारे सम्मेंलनो में भारत ने आर्थिक प्रश्नो को प्रधानता से प्रस्तुत किया। क्योकि सभी देश सहमत होकर इस पर विचार करने को तैयार हो सकते थें। अत अधिक आर्थिक सहयोग पर बल दिया जाने लगा। हरारे शिखर सम्मेंलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय व सूचना व्यवस्था की स्थापना का आव्हान किया गया। यह विश्व में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सूचना के आदान प्रदान के लिये अत्यन्त आवश्यक था। इसी सम्मेंलन में एक कोष (अफ्रीकी फण्ड) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यह कोष दक्षिणी अफ्रीका के निकट स्थित देशों की सहायता के लिये स्थापित किया गया। ताकि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व जातिवाद से संघर्ष किया जा सके। 1989 में। जब बेलग्रेड सम्मेलन हुआ उस समय तक टीटो की मृत्यु हो चुकी थी। अमेंरिका व सोवियत संघ दोनो तरफ से शीत युद्ध समाप्ति के कगार पर आ गया था। रीगन व गोर्बाचोव मध्यम दूरी तक मार कर सकने वाले प्रक्षेपास्त्रो को नष्ट करने सम्बन्धी संन्धि पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इस सम्मेंलन में आत्मनिर्णय के सिंद्धान्त को क्रियान्वित करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। सम्मेंलन में पूरब पश्चिम तनाव समाप्ति का स्वागत किया गया। तथा उत्तर दक्षिण संवाद का आव्हान किया। यह भी संकल्प किया गया कि अंर्तराष्ट्रीय

आंतकवाद,तस्करी तथा जहरीले पदार्थो के व्यापार को समाप्त करने के लिये मिलजुल कर प्रयास किये जायेगें। जकार्ता 1995 तथा डरबन 1998 सम्मेंलन उत्तर शीतयुद्ध काल में हुये यद्यपि पुराने मुद्दो पर आंदोलन के विचार दोहराये गये। यह अनुभव किया गया कि शीतयुद्ध के बाद तो विषय सूची में कुछ रह ही नहीं गया था। शीत युद्ध के अंत तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद उपनिवेशवाद उनमूंलन के फलस्वरूप नामीबिया के स्वतंत्र हो जाने, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति तथा डा. नेल्सन मण्डेला के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन से ऐसे लगा कि आंदोलन के राजनैतिक प्रश्नो का हल हो गया। जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बच गये थे वे अधिकतर आर्थिक ही थे। उसके बाद आंदोलन नव उपनिवेशवाद का जोरदार विरोध करता है तथा राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता की व्यवस्था के अर्न्तगत अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक न्याय पर बल देता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतागण आंदोलन की संगति पर बल देते है। यद्यपि अब इसकी प्रकृति आर्थिक अधिक है राजनैतिक कम यही इसका बदलता स्वरूप है।

जैसा कि स्पष्ट है कुछ विशिष्ट कारणो से भारत ने इसे अपनी विदेशनीति के केन्द्रीय सिंद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जैसे कि

1. संलग्नता अंर्तराष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकती है।

2. दूसरे भारत न तो एक बड़ी शक्ति था ओर न ही एक महत्वहीन राष्ट्र था। भारत के पास एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने की संभावना अवश्य थी। अतः गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की आवश्यकताओं और उसकी राष्ट्रीय पहचान बनाये रखने के लिये आवश्यक थी। साथ ही गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य यह भी था कि भविष्य में भारत को एक महान शक्ति के रूप में उभरने में सहायता मिले।
3. भारत ने भावात्मक व वैचारिक कारणों से भी किसी गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया था।
4. भारत भी किसी अन्य प्रभुता सम्पन्न देश की तरह अपने निर्णय स्वंय करना चाहता था। इसलिये भारत प्रत्येक प्रश्न के गुण दोष के आधार पर स्वंय निर्णय करने के पक्ष में था। किसी भी गुट में शामिल होने पर उसे अपनी स्वयं के निर्णय की शक्ति को खोना पड़ता।

5. भारत का यह भी पारंम्परिक विश्वास रहा कि राज्य ओर उससे संबधित सभी व्यवस्थाऐं किसी एक धर्म व दर्शन के एकाधिकार में नहीं होते। भारत मुख्य रूप से सहनशीलता में विश्वास रखता है उस समय की स्थिति में सहनशीलता व शान्तिपूर्ण सह अस्त्तिव देश व विश्व के हित में थे। भारत जिस आदर्श पर चलना चाहता था वह था मित्रता सबके साथ तथा शत्रुता किसी के साथ नहीं।

6. एक कारण यह भी था कि देश की आंतरिक स्थिति भी गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के लिये बहुत कुछ उत्तरदायी थी। कुछ दल व सामाजिक समूह समाजवादी पद्धति अपनाने पर जोर दे रहे थे। तो कुछ अन्य दल एवं समूह व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को लोकतंत्र का आधार स्तम्भ बनाकर उनकी रक्षा करने पर जोर दे रहे थे। इसी क्रम में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को स्वीकार करके हमने इसे विश्व में भी लोकप्रिय बनाया व समय के साथ यह एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। इसको ओर गहराई से समझने के लिये इसके सम्पूर्ण इतिहास को 5 चरणों में विभाजित करके इसे ठीक से समझा जा सकता है :–

1. 1948 से 1954 तक
2. 1954 से 1962 तक
3. 1962 से 1971 तक
4. 1971 से 1990 तक
5. 1990 से शीतयुद्ध के पश्चात 1990 से वर्तमान तक

1948 से 1954 :– इस नीति का आरम्भ राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ हुआ। ओर नेहरू जी ने 1954 तक कि अवधि में जोश के साथ इसे लागू किया। उन्होने प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत का इरादा उस समय उभर रहे किसी भी शक्ति गुट में शामिल होने का नहीं था फिर भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि पहले चरण में भारत का झुकाव अमेंरिका व उसके मित्र देशों की ओर था। भारत ने गणराज्य बन जाने पर भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने का निर्णय किया था। मलाया व हिन्दचीन में उस समय साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन चल रहा था। भारत उनके बारे में

आम तौर पर चुप रहा। भारत ने सयुंक्त राष्ट्रसंघ के जून 1950 के उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें कोरिया को आक्रमण के लिये उत्तर कोरिया को दोषी ठहराया गया। उस समय अंर्तराष्ट्रीय प्रश्नों पर भारत का जो दृष्टिकोण था उस पर सोवियत नेता स्टालिन ने बड़ी निराशा व्यक्त की। कोरियो का आक्रामक घोषित करने वाले प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये सोवियत संघ ने भारत की आलोचना की, परन्तु 1950 के अन्त में जब सयुंक्त राष्ट्र संघ की सेनाये चीन की ओर बढ़ने लगी तो भारत ने अमेंरिका की इस कार्य की निंदा की।

इसी दौरान 1949 में नेहरू जी अमेंरिका गये ओर उन्होने ब्रिटेन की प्रशंसा की क्योंकि इस चरण में भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिये काफी हद तक ब्रिटेन पर निर्भर था। साथ ही हमारी सशस्त्र सेनाओं का प्रशिक्षण और संगठन ब्रिटिश प्रणाली के आधार पर हुआ था। भारत का बुद्धिजीवी वर्ग व नेतागण ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आदर्शो से काफी हद तक प्रभावित थे। नेहरू सहित देश के अन्य नेताओं ने ब्रिटेन की उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की थी व ससंदीय लोकतंत्र का ज्ञान प्राप्त किया था। भारत के व्यापारिक संबन्ध अधिकतर पश्चिमी देशों के साथ थे। ओर हम अपने आर्थिक विकास के लिये पश्चिम से प्राप्त होने वाली सहायता पर निर्भर थे।

नेहरू ने सन् 1952 में संसद में यह स्वीकार किया था कि ब्रिटेन व अमेंरिका के साथ भारत के संबन्ध अधिक सोहार्दपूर्ण थे। और यही हमारी धरोहर का परिणाम था। और यह तर्क निरन्तर दिया जाता रहा कि पश्चिम की तरफ झुकाव होने के बावजूद आम तौर पर भारत गुटनिरपेक्षता का ही समर्थक रहा है। नेहरू ने पूर्व व पश्चिम के बीच सेतू बनाये रखने का प्रयास किया। जब जिस देश को सही पाया वहां उसका समर्थन किया। साम्यवादी चीन को मान्यता दी ओर दूसरे अनेक मामलों में भी अपनी स्वतंत्र नीति का परिचय दिया।

1954 से 1962 :– 1954 का वर्ष गुटनिरपेक्षता की नीति के विकास की दृष्टि से बढ़ा महत्वपूर्ण था। क्योकि इस वर्ष 3 महत्वपूर्ण घटनाऐं हुई। जैसे पंडित नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ पंचशील की घोषणा की, दूसरे हिन्दचीन की समस्या के संबन्ध में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जिसके

फलस्वरूप उसे हिन्दचीन शक्ति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। तीसरे पाकिस्तान, अमेंरिकी सैनिक संगठन सीटो का सदस्य बन गया जिसका भारत ने भरपूर विरोध किया। क्योंकि उसे आंशका थी कि पाकिस्तान अमेंरिका से प्राप्त शस्त्रों से भारत के विरूद्ध कार्यवाही करेगा। अमेंरिका ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः भारत की नीति साम्यवादी नीति की ओर झुकी। 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। 1954 चाउ एन लाई भारत आये। 1955 में खुवचेव व बुल्गानिन भारत आये। 1956 में अंर्तराष्ट्रीय जगत में दो महत्वपूर्ण घटनाऐं हुई पहली घटना थी स्वेज नहर पर ब्रिटेन फ्रांस व इजरायल का आक्रमण तथा दूसरी घटना थी सोवियत संघ द्वारा हंगरी की क्रान्ति का निर्ममता पूर्ण दमन। भारत ने पहली घटना की तीव्र स्वर में तथा दूसरी घटना की धीमें स्वर में आलोचना की। 1961 में भारत ने बलपूर्वक गोवा को पुर्तगाली दासता से मुक्त कराया। पश्चिमी राष्ट्रों ने इसे नग्न आक्रमण व संयुक्त राष्ट्र तथा पंचशील के सिंद्धान्तो का घोर उल्लघंन कह कर निंदा की। परन्तु **कृष्णमेंनन** ने यह कहा कि हम उपनिवेशवाद को स्थाई आक्रमण मानते है। ओर उसका मुकाबला आक्रमण से करना, आक्रमण नहीं है। 1961 में ही नेहरू, नासिर, टीटो इस नीति को एक आंदोलन बनाने की तैयारी में लगे। इससे भारत की शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इससे पहले 1955 में बांडुग सम्मेंलन में भारत सक्रिय भूमिका निभा चुका था। 1960 में।उसने सयुंक्त राष्ट्रसंघ के अनुरोध पर कांगो में शांति स्थापना की सहायता के लिये अपनी सेनाऐं भेजी ओर इस तरह 1961 में गुटनिरपेक्षता की नीति बेलग्रेड के प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेंलन की पहल पर एक आंदोलन बन गईं। जिसकी शुरूआत बांडुग से हो गई थी।

1962 से 1979 :– के काल खण्ड में 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। हमारी नीति की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। इस संकट काल में सोवियत संघ से अपेक्षित समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। असंलग्न राष्ट्रों ने भी कुछ खास ऐसा नहीं किया जिसे चिहिन्त किया जा सके। जबकि पश्चिमी देश इस संकट के समय अपेक्षित रूप से भारत की सहायता के लिये आगे आये। परन्तु भारत के प्रबुद्ध विचारक इस पर पुनः विचार की मांग करने लगे। परन्तु नेहरूजी ने इसे यह कहकर अपनाये रखने पर बल दिया कि हम दोनो ओर से सहायता लेते रह सकते है। एक गुट में शामिल होकर हमें यह

आजादी छोड़नी पड़ेगी। इस बीच 27 अक्टुबर 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हो गई। लालबहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री बनते ही देश में आर्थिक व खाद्य संकट आ गया। तथा अमेंरिका ने अपनी सहायता के मूल्य के रूप में भारत से अपनी वियतनाम नीति में समर्थन की अपेक्षा की परन्तु जब शास्त्री जी ऐसा नहीं किया तो उनको अपमानित करने के उद्देश्य से उनको दिया अमेंरिकी यात्रा का निमंत्रण वापस ले लिया। 1966 में ताशकन्द समझोते के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उन्होने अफ्रो एशियाई राष्ट्रों को संगठित करने का प्रयास किया। टीटो नासिर, व इन्दिरागांधी का दिल्ली में सम्मेंलन हुआ, जिसमें आंदोलन की प्रगति की समीक्षा हुई। 1966 में पश्चिम एशिया का सकंट आ गया। हमने अरब देशों का प्रबल सर्मथन किया। इससे फिर पश्चिमी देश असंतुष्ट हो गये ओर 1968 में भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को शस्त्र प्रदान करने का निश्चय किया। 1989 में मुस्लिम देशो के सम्मेलन में।भारत के प्रतिनिधी फखरूद्दीन अली अहमद को आंमत्रित करके भी भाग नहीं लेने दिया गया जिससे भारत की नीति आलोचना का पात्र बन गई।

1971 से 1990 के काल खण्ड में 1971 में ही भारत को भी गंभीर चुनौतियां का सामना करना पड़ा अतः उसकी नीति में दूरगामी परिवर्तन हुआ। पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के कारण भारत में लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों ने शरण ली इससे भारत की सुरक्षा एवं आर्थिक स्थायित्व को खतरा पैदा हो गया। भारत ने इस तरह से शरणार्थियों के आगमन के विरूद्ध विश्व कें राष्ट्रों से सहायता की अपील की। पर उन्होने अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया वरन अमेंरिका व चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन प्रदान किया। इसलिये हमने सोवियत संघ के साथ शातिं, मित्रता व सहयोग की सन्धि की। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। जिसमें पाकिस्तान की हार हुई व बंगलादेश नामक नये राष्ट्र का जन्म हुआ। अमेंरिका व चीन के प्रयास विफल हो गये। भारत की नीति में थोड़ा मोड़ आया कि अपनी नीति छोड़े बिना हम सोवियत रूस से सहायता ले सकते है। इस प्रकार 1972 की यह नीति 1955 से भिन्न दिखाई देने लगी। 1977 में सत्ता बदली तो जनता पार्टी ने यही कहा कि हम स्वतंत्र असंग्लता की नीति अपनायेगें। परन्तु गुटनिरपेक्षता की नीति में कोई खास

परिवर्तन नहीं आया। अमेंरिकी धमकी के बावजूद भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये व हमने अपनी इस नीति को नहीं छोड़ा।

इन्दिरा गांधी ने अपने दूसरे कार्यकाल में व राजीव गांधी ने सोवियत संघ के साथ मेंत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखे। व अफगास्तिान में सोवियत संघ की निन्दा की। भारत निरंतर गुट निरपेक्ष आंदोलन में सक्रिय भाग लेता रहा। 1983 में शिखर सम्मेलन दिल्ली में ही आयोजित किया गया। 1980 कें दशक में धीरे धीरे जो परिस्थितियां बनती गई उनके कारण 1990 के शुरू होने से पहले ही शीतयुद्ध समाप्त हो गया। और गुटनिरपेक्षता की नीति व आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगें ओर नये ढंग से विचार किये जाने लगे।

शीतयुद्धोत्तर काल (पाचंवा चरण)

दिसम्बर 1989 में माल्टा में अमेंरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश व सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव की औपचारिक भेट से पहले ही शीतयुद्ध समाप्त हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा माल्टा में की गई। इस प्रकार 1990 से उत्तर शीतयुद्ध चरण चालू हुआ। भारत का कहना है कि आर्थिक विकास और अंर्तराष्ट्रीय शांति के लिये गुटनिरपेक्षता की नीति ओर आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है। जहां एक ओर वारसा समझोता तथा अन्य पश्चिमी सैनिक गठबन्धन भंग हो चुके है, उसमें भी विदेश नीति के स्तर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी सक्रिय है। आज भी इसमें 120 सदस्य शामिल है हां इतना अवश्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित विश्व व्यवस्था अन्य प्रकार की है फिर भी किसी विशेष भिन्न व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ है इसलिये भारत आज भी गुटनिरपेक्षता पर बल देता है।

अतः शीतयुद्धोत्तर काल में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पर विचार करे तो भारत के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में व 21 वीं शताब्दी के 15 वर्षो में जो घटनाऐं घटी है उनको ध्यान में रखते हुये अंर्तराष्ट्रीय राजनीति के विद्वान यह समझ नहीं पा रहे है कि नई विश्व व्यवस्था का क्या रूप होगा ? इसलिये गुटनिरपेक्ष आंदोलन व गुट निरपेक्षता की नीति के लिये प्रश्न उठाते हुये और यह दलील प्रस्तुत करते है कि गुटनिरपेक्षता का जन्म शीतयुद्ध के कारण हुआ था। अतः उसकी समाप्ति हो जाने से अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। परन्तु वास्तविकता

यह है कि गुटनिरपेक्षता का जन्म जिन उद्देश्यो को लेकर हुआ था जैसे स्वतंत्र विदेश नीति,आर्थिक विकास के लिये सहायता प्राप्त करना ओर अंर्तराष्ट्रीय विवादों का शातिपूर्ण समाधान तलाश करना। यह उद्देश्य अब भी पहले जैसे ही है।

इसलिये यदि उद्देश्य नहीं बदले तो फिर गुटनिरपेक्षता व इस आंदोलन की न तो उपयोगिता बदल गई है और ना ही उसकी प्रासंगिकता कम हुई है। इस काल में बने **प्रधानमंत्री नरसिहांराव** ने पद संभालते ही यह दोहराया कि भारत अपनी इस नीति पर पहले की भांति चलता रहेगा। ओर अपने आरंभ निर्णय के आधार पर अन्य देशो से संबन्ध बनाने के लिये अपना निर्णय लेता रहेगा। ऐसे ही लगता है कि छोटे व कमजोर देशों की विदेश नीति के विकल्पो के रूप में गुटनिरपेक्षता ओर इससे जुड़ा आंदोलन सदैव वैध व प्रासंगिक बने रहेगे। इसलिये **एम.एस राजन** ने स्वीकार किया **है** कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी उतना ही उपयोगी है जितना 1960 के दशक में था। **इन्द्रकुमार गुजराल** ने भी 1996 में भारत की इस नीति में अपने विश्वास को दोहराया। अतः इस बात की कोई आंशका नहीं है कि निकट भविष्य में इसकी उपयोगिता समाप्त हो जायेगी। सयुंक्त मोर्चा सरकार के दौरान दो बातों के बावजूद हमने सी.टी.बी.टी पर हस्ताक्षर नहीं कियें ओर यह माना कि हमारी नीति अभी भी आर्थिक विकास व सामाजिक परिवर्तन के लिये उतनी ही उपयोगी है जितनी 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय थी। शीतयुद्ध के बाद विश्व की सुरक्षा के प्रश्न उतने गंभीर नहीं रह गये जितने 1989 तक थे। अतः शौधार्थी का मत है गुटनिरपेक्ष आदोलन को चाहिये कि अव वह समकालीन विषय के समाधान पर जोर दे। आज की समस्याऐ हिंसा व आतंकवद की है। आर्थिक असमानता की है मानव अधिकारों से संबधित है तथा मानव के परिवेश से जुड़ी है जो उसे खुशहाल नहीं बनने दे रही है। वह भय, अर्थात् रोग पीड़ा, भूख प्यास से पीड़ित है अतः इन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिये। इसी कारण क्षैत्रीय संगठन भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की दिशा में काम कर रहे है। तीसरी दुनिया के देशो में जो तकनीकी आर्थिक परिवर्तत हुये है वे एक जैसे नही है। परिणाम स्वरूप इन देशों में समृद्धि व जीवन के स्तर में असमानताऐ आ गई है। उन्हे दूर करने का प्रयास आवश्यक है। **जे.एन.दीक्षित** ने इस दिशा में आव्हान किया है कि घोषणा पत्रों को दोहराने के बजाय इसे नई

चुनोतियों का सामना करना होगा। पूर्व विदेश सचिव **एस.के.रसगोत्रा** का मानना है कि भारत इसी नीति पर चलता रहेगा। परन्तु गुटनिरपेक्ष आंदोलन में परिवर्तन आवश्यक है उसको अब नशीले पदार्थो की समस्या, महिलाओ का शोषण, निर्धनता, बीमारी, धर्मातरण संबन्धी प्रश्नो जैसी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये। यदि इस आंदोलन को ओर अधिक उपयोगी बनाना है तो शीतयुद्ध के बाद के विश्व में इसको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक साधन बनना होगा। ताकि तीसरी दुनिया के हितो को सुरक्षित करने के लिये नई अर्थव्यवस्था स्थापित हो सकें।

आज यह आंदोलन आने वाले समय के लिये विवेक की आवाज व सकारात्मक कार्य योजना है जिसकी यह मांग है कि सभी ओर से प्रमुख विषयों पर और विश्व व्यापी समस्याओ।पर साझा उद्देश्य व योगदान दिया जाये। यही इस आंदोलन का सामूहिक राजनैतिक व आर्थिक आधार भी है जिसे बचाना अपेक्षित भी है।

वास्तव में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने सयुंक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों व सिद्धान्तो को ध्यान में रखते हुये उसे मजबूत किया है, और सयुंक्त राष्ट्रसंघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है। सयुंक्त राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली बनाने में भारत का योगदान अतुलनीय है।

1. गुट निरपेक्ष आंदोलन अंर्तराष्ट्रीय आर्थिक संबन्धों की पुर्नसंरचना के लिये प्रतिबद्ध है ओर ऐसी समस्यओ से जुड़ा है जो इसे सार्थक बनाती है, जैसे शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने अनेक समस्याऐ आई है और ये समस्याऐं चुनौतियो के रूप में है जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर शक्तिशाली राष्ट्रों का सैनिक दबाव बढ़ा है।

2 इन देशो में आपस में पारस्परिक तनाव व वैमनस्य दिखाई देता है। जैसे भारत व बंग्लादेश दोनो ही गुट निरपेक्षता के समर्थक है। किन्तु कोलम्बो शिखर सम्मेंलन में बंग्लादेश ने भारत के साथ गंगाजल के बटवांरे के प्रश्न को उठाकर दुनिया के सामने अपने तनाव को प्रकट किया। इस तरह पाकिस्तान की तरफ से इस रूप में घुसपैठिये भेजे जाते है जिसके कारण कि भारत के साथ अघोषित युद्ध का सा वातावरण बना रहता है।

3 महाशक्तियां इनको आर्थिक लालच देकर इनका शोषण करती है। इन्हे आर्थिक सहायता का लुभावना मोह दिखाकर अपने साथ बोलने का प्रयास करती है।

4. महाशक्तियां इन देशो में हस्तक्षेप करती रहती है ओर अपने गुप्तचरो के माध्यम से अस्थिरता लाने का प्रयास करती है जैसे क्यूबा जैसे गुटनिरपेक्ष देश में अमेंरिका ने सी. आई.ए के माध्यम से फिडेल क्रास्तो की सरकार को गिराने के लिये बार बार कोशिश की। चिली के राष्ट्रपति ऐलेन्डे की हत्या में भी सी. आई. ए का हाथ था।

5. कुछ आलोचक मानते है व कुछ हकीकत भी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक नैतिक अपील सा लगता है। यह मानवता की रक्षा की आवाज बुलंद कर सकता है किन्तु शस्त्रों द्वारा शांति स्थापित नहीं कर सकता, आक्रमणों का प्रतिरोध नहीं कर सकता। जैसे सोवियत संघ के अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की अप्रत्यक्ष रूप से भर्त्सना भी नहीं कर सका। ओर यह मामला सयुंक्त राष्ट्र में आया तो उसमें भी 24 देशो ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसकी मामला संयुक्त राष्ट्र में आया तो उसमें भी 24 देशो ने मतदान में भाग नहीं लिया

6. बढ़ती हुई संख्या से भी कुछ समस्याये हुई। क्योकि इसमें कुछ ऐसे राष्ट्र भी शामिल हो गये जो गुटबद्व राष्ट्र है। जैसे चीन को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया ऐसी स्थिति में जबकि सुरक्षा परिषद का एक स्थाई सदस्य इस आंदोलन में रहेगा व पाकिस्तान,ईरान, फिलीपीन्स जैसे सेनिक गठबन्धनों वाले देश भी इसमें रहेगें तो इस आंदोलन का भविष्य प्रभावित हो सकता है। इन चुनौतियों ने इसकी प्रासंगिकता के समक्ष कई प्रश्न चिन्ह खडे कर दिये है। परन्तु भारत स्वंय आंतकवाद का शिकार है व इस समस्या से निजात पाने के लिये गुटनिरपेक्ष देशो की एकता को कायम रखना सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का दायित्व है। इस दिशा में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को समन्वित प्रयास अविलम्ब शुरू कर देना चाहिये।

अंत में यही कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व में शांति स्थापना की पहल ओर शांति स्थापना में अमूल्य योगदान दिया है। इसकी अधिकतर उपलब्धियां उल्लेखनीय रही है।

वर्तमान में इसके सामने जो चुनोतियां है उनसे इसें गंभीर खतरा पैदा हुआ है जिससे यह लगता है कि यह आंदोलन कमजोर सा पड़ गया है। ऐसी स्थिति में सब तरफ से गति प्रदान करना हमारा फर्ज है। ओर अंत में इस शोध पर नजर डालने वाले सभी विद्वानो के साथ एक प्रार्थना के शब्द बांटना चाहती हूँ जिससे मुझे बहुत प्रेरणा एंव संकल्प प्राप्त हुआ है।

प्रार्थना :– यह आकाश जब तक विद्यमान रहे।
यह प्राणी जब तक जीवित रहे।
तब तक में भी संसार के दुख दूर
करने का प्रयास करती रह सकूं।

इसी कामना के साथ समाप्त करती हूँ।

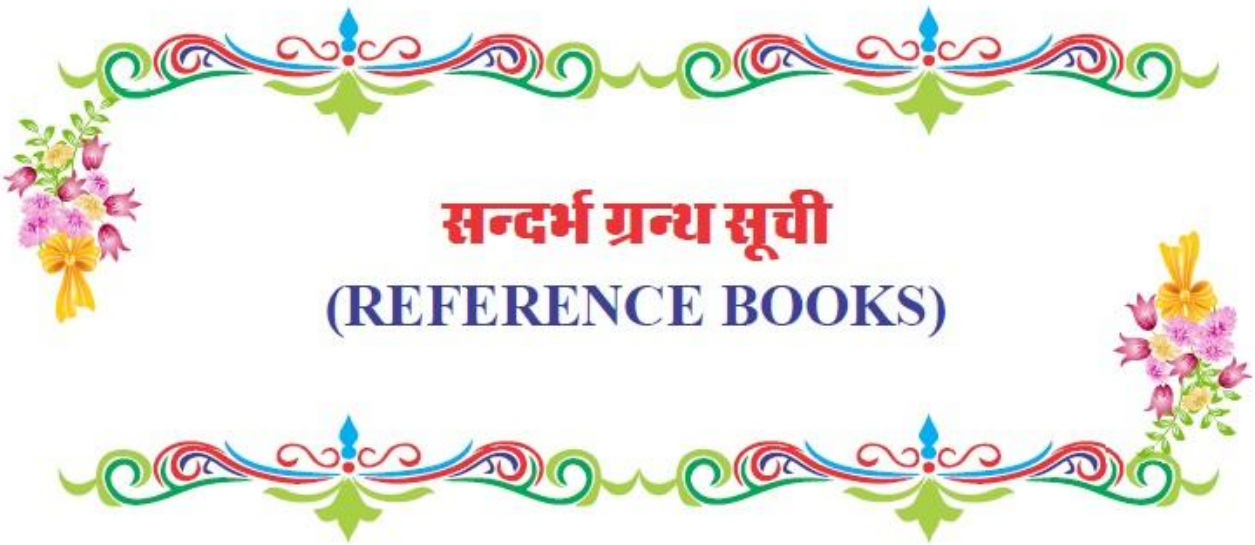

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(REFERENCE BOOKS)

प्रथम अध्याय

1. माइकल ब्रेचर, 'स्पेशेफिक सोर्सेज ऑफ इण्डियन न्यूट्रलिज्म' के. पी. मिश्रा सम्पादक फोरेन पॉलिसी ऑफ इण्डिया नई दिल्ली 1977, पृष्ठ संख्या 50–54।

2. अप्पा दो राय एवं एम एस राजन, 'इण्डियाज फोरेन पॉलिसी एण्ड रिलेशन' नई दिल्ली 1985, पृष्ठ संख्या 44।

3. नेहरू जवाहर लाल ' इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी, सलेक्टेड स्पीचीज' सित 1946–1961, नई दिल्ली 1961 पृष्ठ संख्या 24।

4. यादव आर एस, 'भारत की विदेश नीति,' पीयर्सन दिल्ली 2013, पृष्ठ संख्या 18।

5. जॉर्ज श्वजर बर्जन, 'पावर पॉलिसी ; अ स्टडी ऑफ इन्टरनेशनल सोसायटी', न्यूयार्क 1951

6. जवाहर लाल नेहरू पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 33।

7. द न्यूयार्क टाईम्स, 18 अक्टूबर 1989, पृष्ठ संख्या 18।

8. को जी नज, टाक्स विद नेहरू, पृष्ठ संख्या 46–47।

9. जवाहर लाल नेहरू, पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 48।

10. वही पृष्ठ संख्या 77–85।

11. देवेन्द्र कौशिक 'द पीस जोन कन्सेप्ट; इटस् रिलेवेन्स टू ए सिस्टम ऑफ रिजनल कापरेशन एण्ड सिक्योंरिटि इन एशिया', पॉलिटिक्ल साइन्स रिव्यू, वाल्यूम 25 अंक 3व 4, जुलाई से दिसम्बर 1986।

12. जवाहर लाल नेहरू पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 89।

13. वही पृष्ठ संख्या 67।

14. मजरूह अली ,' द नॉन अलाइमेन्ट मूवमेन्ट,' लन्दन 1978 पृष्ठ संख्या XIII

15. ठाकुर नरेश, 'द पॉलिटिक्स एण्ड इकोनोमिक्स ऑफ इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी 1994 नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 15 तथा नॉन अलाइमेन्ट मूवमेन्ट, वर्ल्ड फोकस 24 (3), मार्च 2013, पृष्ठ संख्या 18।

16. राजन एम एस, 'इण्डियाज एण्ड द नाम,' वर्ल्ड फोकस, वोल्यूम 17 अंक 10,11,12 अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर 1996 पृष्ठ संख्या 57।

17. ठाकुर रमेश, पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 17।

18. उद्धृत :– बी एल फडिया शोध पद्धितियां साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2010 पृष्ठ संख्या 23

19. नेहरू, 'इण्डिया फोरेन पालिसी' पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 79

20. जैन बी एम, 'रिसर्च मैथोडोलोजी' रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर 2010 पृष्ठ संख्या 4

21. बी एल फडिया, ' शोध पद्धतिया' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2010 पृष्ठ संख्या 4–5

22. रिचर्ड एल काल, 'इन्ट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इन्क्वायरी' मैकमिलन लन्दन 1980 उद्धृत एस वर्मा राजनीति विज्ञान में अनुसन्धान राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर 2005 पृष्ठ संख्या 276

23. आचार्य भगवान श्री रजनीश तदुपरांत औशो "एस धम्मौ संन्तनो" रजनीश फाउन्डेशन पुणे महाराष्ट्र जुलाई 1976 पृष्ठ संख्या 24

दूसरा अध्याय

1. वही पृष्ठ संख्या वही

2. 'स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट' वॉल्यूम 42, 9 दिसम्बर 2012 पृष्ठ संख्या 861

3. जौहरी जे सी, 'विश्व राजनीति के बदलते आयाम' विशाल पब्लिशिग कम्पनी जालंधर दिल्ली 2008 पृष्ठ संख्या 358

4. जवाहर लाल नेहरू, 'इण्डियाज फॉरेन पालिसी'; सलेक्टेड स्पीचीज 1947 से 1961 पृष्ठ संख्या 270

5. जौहरी जे सी, पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 359

6. 'स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट' इन्स्टीट्यूशन फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस वॉल्यूम 42 नं0 9 सितम्बर 2012 पृष्ठ संख्या 861

7. जे. सी जौहरी, 'विश्व राजनीति के बदलते आयाम' विशाल पब्लिशिग कम्पनी जालंधर दिल्ली 2008 पृष्ठ संख्या 361,362

8. 'स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट' इन्स्टीट्यूशन फॉर डिफेन्स स्टडीज एण्ड एनालिसिस वॉल्यूम 42 नं0 9 सितम्बर 2012 पृष्ठ संख्या 868,869

9. 'स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट' पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 869

10. 'स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट' पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या 869,870,871

11. पंत पुष्पेश, 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, सिद्धान्त व व्यवहार', मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 2001 पृष्ठ संख्या 120

तृतीय अध्याय

1. वही पृष्ठ संख्या वही

2. चतुर्वेदी मनोरमा, 'गुट निरपेक्ष आन्दोलन बदलता परिदृश्य' अकुंर प्रकाशन उदयपुर 2006 पृष्ठ संख्या 39,41,45,50,55,59,66,68,74,79,85 व 88

3. जौहरी जे. सी., 'विश्व राजनीति के बदलते आयाम' विशाल पब्लिशिंग कम्पनी जालंधर नई दिल्ली 2008–2009 पृष्ठ संख्या 261

4. राजन एम एस, 'द फिचर ऑफ नान अलाइनमेन्ट एट एनलस आफ द अमेरिकन एकेडमी आफ पालिटिकल एण्ड सोशियल साइन्स' न 362 नवम्बर 1965 पृष्ठ सख्या 122

5. नेहरू जवाहर, 'द ग्लेम्सीज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री' पृष्ठ संख्या 842

6. कुमार महेन्द्र, 'theoretical aspects of international policies,' page no 400

7. उद्धृत जौहरी जे सी,' विश्व राजनीति के बदलते आयाम' विशाल पब्लिशिंग कम्पनी, जालंधर 2008–09, पृष्ठ संख्या 558

8. मिश्रा के पी, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 138

9. उद्धृत जै सी जोहरी, पूर्वोक्त, पृष्ठ सख्या 558

10. दत वी पी, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 61

11. मिश्रा के पी, 'Non Alignment in International Relations,' page no 175

12. जौहरी जे सी, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 645

13. कॉल कार्टिजिना, 'मैन स्ट्रीम,' नई दिल्ली, 20 अक्टूबर 1995, पृष्ठ संख्या 4

14. उद्धृत जौहरी जै सी, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 647

15. 'Front Line.' New Delhi, oct. 2006, Page no 6

16. 'The Times of India', New Delhi, 7 Sep, 2006

17. 'Main Stream,' New Delhi, Sep. 2006, Page no 4

18. 'Front Line.' New Delhi, Oct. 2006, Page no 5

19. 'Strategic Digest'. Volume 42. no, 9. Sep 2012. Page no 853

20. 'Rightful Place on the International Stage,' फिर वही, पृष्ठ संख्या 855

21. पंत पुष्पेश एवं जैन श्री पाल, "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त एवं व्यवहार", मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 2001, पृष्ठ संख्या 124

22. वही, पृष्ठ संख्या 140

चतुर्थ अध्याय

1. राजन एम एस, 'इण्डिया एण्ड नाम' वर्ल्ड फोकस, वाल्यूम 17, अंक 10,11,12 अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 1996, पृष्ठ संख्या 57

2. पंत एवं जैन, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 141

3. फडिया बी एल, 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध' कोड संख्या 1806, साहित्य भवन पब्लिकेशन, पृष्ठ संख्या 119

4. जे डब्ल्यू बर्टन, 'इण्टरनेशनल रिलेशन्सः ए जनरल थ्योरी,' लंदन 1965, पृष्ठ संख्या 230–231

5. उद्धर्त पुष्पेण पंत एवं जैन, "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सिद्धान्त एवं व्यवहार" मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 2001, पृष्ठ संख्या 142

6. के पी मिश्रा, "नॉन अलाइनमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशन्स," पूर्वोक्त पृष्ठ 2

7. के पी मिश्रा, पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 182

8. एम एस राजन, "द क्राइसिस ऑफ युगोस्लाविया,' फेलियर ऑफ द नाम एण्ड नॉन एलाइनमेन्ट" सम्पादित प्रमिला श्रीवास्तव – नान एलाइनमेन्ट मूवमेन्ट, एक्सटेडिंग क्रटीयरस, कनिष्क प्रकाशन, नई दिल्ली 2001, पृष्ठ संख्या 127

9. जेरोजीन जाजिक "नान एलाइमेन्ट एण्ड देतान्त इन रिव्यु ऑफ इण्टरनेशनल अफेयरस" बेलग्रेड, वाल्युम 859, 20 नवम्बर 1986, पृष्ठ संख्या 4

10. मिश्रा के पी, "Dehli Summit and After in Revenue of International Affairs, Belgrade, Volume 857, 20 Nov. 1985, page no. 10

11. राजन एम एस, "गुटनिरपेक्षताः भारत एवं भविष्य," दिल्ली 1975, पृष्ठ संख्या 30।

12. वही, पृष्ठ संख्या 33

13. वही, पूर्वोक्त संख्या 34

14. वैदिक वेद प्रताप, 'भारतीय विदेश नीति', एक दिशा संकेत, दिल्ली 1980

15. पूर्वोक्त, पृष्ठ संख्या 123–124

16. पूवोक्त, पृष्ठ संख्या 125

17 'Report of the United National Secretary General on the Working of the Organization', Sep 1992, page no 23

18. Karen mingst, "Essentials of International Relations" Morton and Company, New York 1999 Page no 58

पंचम अध्याय

1. Rechard Crockatt , "the End of Cold War, in John Baylis and S. Smith, (add.) the Globalization of World Politics, and Introduction to International Relations, Oxford University Press, 2005 Page no 112

2. Michel Cock, "From The Cold War, To The War Terror Page No 133

3. H. G. Margenthau, "Politics Among National Page no 241-56

4. Michel cock, पूर्वोक्त, page no 132,133

5. Red holiday, 'the End of the Coldwar, an International Relation, in K Booth and S. Smith(eds), International Relation Theory 1949-1950

6. W.C.Williams, And Harry Pitroski, "The World Since 1945 ; A History Of International Relations Dehli, Viva Books 2006 Page No 593 To 599.

8. Ian Clark, "Globalization And The Post Cold War Order" Bley And Smith Page No 79

9. Robert Jachson And Jeorge Sorsan, "Introduction To International Relations ; Theory And Approaches" Oxford – University Press 2003 Page No 61.

10. उर्द्धत, फडिया बी एल, 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध,' कोड संख्या 1806, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2008, पृष्ठ संख्या 125

11. मुचकुन्द दूबे – इण्डियाज फॉसपॉलिसी इन द इन्वॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर, इंटरनेशनल स्टडीज वाल्यूम 30, अंक अप्रैल–जून 1993, पृष्ठ संख्या 117–129

छठा अध्याय

1. इन उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन नेहरू जी ने अपने प्रथम रंडियो भाषण में दिया था जो 7 सितम्बर 1946 को अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में प्रसारित किया था। इसके लिए 'इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी सलेक्ट स्पीचेज, सितम्बर 1946, अप्रैल 1961 नई दिल्ली पृष्ठ संख्या 1–5
2. पुष्पेण पंत – भारतीय राजनय दिल्ली 1974
3. सक्सेना के पी – इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी; द डिसीजन मैकिंग प्रोसेस, इण्टरनेशनल स्टडीज वाल्यूम 33 अंक 4 अक्टूबर – दिसम्बर 1966 पृष्ठ संख्या 393
4. पुष्पेश पंत – भारतीय राजनय नई दिल्ली 1974 पृष्ठ 23–29
5. कौल टी एन – डिप्लोमेसी इन पीस एण्ड वार, नई दिल्ली 1979 पृष्ठ 85
6. (i) बंदोपाध्याय जे– द मैकिंग ऑफ इण्डियाज फारेन नई दिल्ली 1979, पृष्ठ संख्या 85
   (ii) कपूर हरि – इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी 1947–1992 नई दिल्ली 1994 पृ. 151–177
7. आर एस यादव – भारत की विदेश नीति पियर्सन 2013 संकलित परिशिष्ट 2
8. भारत सरकार विदेश मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 1997–1998 नई दिल्ली पृ सं. 139
9. आर एस यादव – भारत की विदेश नीति पियर्सन 2013 पृ. 48–66

10. सक्सेना के पी – इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी ; द डिसीजन मैकिंग प्रोसेस , इण्टरनेशनल स्टडीज , पृ 396, बिजनेस टाइम्स 5 जून 2011

11. आर एस यादव – भारत की विदेश नीति, पियर्सन पृ 523

12. राजन एम एस – बिगिन इण्डिया एण्ड द नॉन एलाइनमेण्ट, वर्ल्ड कॉक्स, वॉल्यूम 17, अंक 10–12 अक्टूबर–दिसम्बर 1996 पृ. 27

13. यादव आर एस – नाम इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इण्डिया क्वाटरली, वाल्यूम 49, अंक 3, जुलाई–सितम्बर 1993 पृ. 47–68

14. दीक्षित जे एन – चेजिंग इण्टरनेशनल इनफारमेंट इन इण्डियन स्कौरिटी, स्ट्रैटजिंक एनेलिसिस, वाल्यूम 17, अंक 8, नवम्बर 1998, पृ. 930

15. यादव आर एस – भारत की विदेश नीति पियर्सन, दिल्ली 2013 पृ. 528

16. टाइम्स ऑफ इण्डिया 3 सितम्बर 1999

अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ :–

17. मुचकुन्द दूबे – इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी

18. जवाहर लाल नेहरू के विशेष भाषण

19. पुष्पेश पंत– भारतीय राजनय

20. के पी सक्सेना – भारत की विदेश नीति

21. टी एन कौल – डिप्लोमेसी इन पीस एण्ड वार

22. बंदोपाध्याय – भारत की विदेश नीति

23. विदेश मंत्रालय की विभिन्न रिपोर्टस

24. यादव आर एस – भारत की विदेश नीति

25. बिजनेस टाइम्स जून 2011

26. एन आर पिल्लई – भारतीय विदेश नीति पर रिपोर्टस

27. राजन एम एस इण्डिया एण्ड द नान एलाइनमेण्ट मूवमेंट

28. वर्ल्ड फोकस

29. इण्डिया क्वार्टली

30. स्ट्रेटेजिक एनेलिसिस

31. टाइम्स ऑफ इण्डिया

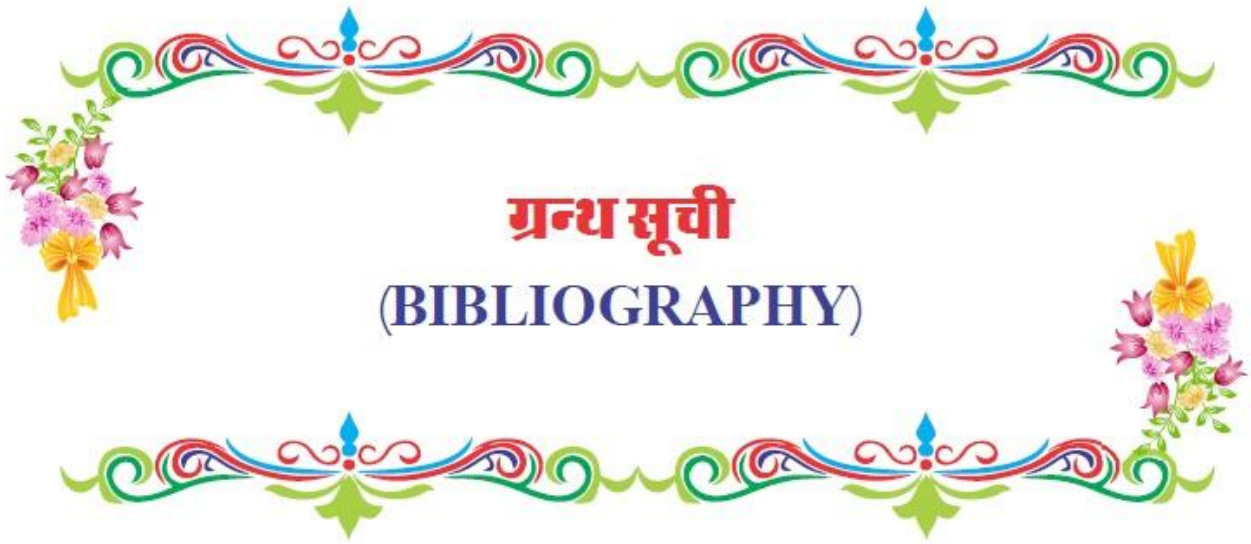

ग्रन्थ सूची

(BIBLIOGRAPHY)

हिन्दी ग्रन्थ :–

- अग्रवाल एवं पनसानिया, "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध नवीन परिप्रेक्ष्य", आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2010
- देव बाला, शान्ति, "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त", उत्तरप्रदेश, हिन्दी सस्थान, 1997
- फडिया, बी. एल., "अन्तरर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त एवं मुख्य मुद्दे," साहित्य भवन, 2010
- घई, यू. आर. (1) "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति", (2) "भारत की विदेश नीति" जालंधर, 2008
- जैन, बी. एम., "प्रमुख देशों की विदेशी नीतियां" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर 1996–97
- जौहरी, जे. सी., "विश्व राजनीति के बदलते आयाम" जालन्धर, 2008
- पंत, पुष्पेश और जैन, श्रीपाल, "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध", मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1997–2007
- पंत, पुष्पेश और जैन, श्रीपाल, "प्रमुख देशों की विदेश नीतियां", मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1996–2005
- पंत, पुष्पेश और जैन, श्रीपाल, "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति", मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 1996–2007
- पाण्डे, दिनेशचन्द्र, "द्वि–ध्रुवीयता मे गुट– निरपेक्षता", भाग–1 व भाग–2, उत्तर प्रदेश, हिन्दी संस्थान, 1991
- राजन, एम.एस., "गुट–निरपेक्षता आन्दोलन एवं सम्भावनाऐं", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 1991
- वेददान, सुधीर, "भारत की विदेश नीति : बदलते सन्दर्भ", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1999
- यादव, डॉ. आर. एस., "भारत की विदेश नीति : एक विश्लेषण" किताब महल, इलाहाबाद, 2005, – संशोधित पीयरसन नई दिल्ली 2012

- चतुर्वेदी मनोरमा, "गुट–निरपेक्षता आन्दोलन बदलता परिदृश्य", अंकुर प्रकाशन, उदयपुर– 2006
- कुमार महेन्द्र, "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धान्तिक पक्ष", शिवलाल अग्रवाल एवं कम्पनी आगरा, 1989
- देवबाला शांति, "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्त" उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 1997
- फडिया बी. एल. "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त व मुख्य मुद्दे" आगरा 2010
- ग्हलोत बी. सिंह "भारत की विदेश नीति" अर्जुन पब्लिक हाउस, नई दिल्ली 2004
- घई यू. आर "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति" जालन्धर 2008
- जौहरी जे सी "विश्व राजनीति के बदलते आयाम" जालन्धर 2008
- मोरगेन्थ्यू हंस जे. "राष्ट्रों के मध्य राजनीति" हरियाणा साहित्य अकादमी, चण्डीगढ 1976
- ओझा शीला, भारतीय विदेश नीति एक अध्ययन प्रिंट वैल पब्लिशर्स जयपुर 2000
- ओझा शीला समकालीन भारतीय विदेश नीति, भाग– 1,2,3 श्याम प्रकाशन जयपुर 2005
- पंत हर गोविन्द अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर 1988
- पंत, पुष्पेश और जैन श्री पाल "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति" मीनाक्षी प्रकाशन मैरठ 1997–2007
- पारिक डॉ अर्चना, "भारत श्रीलंका सम्बन्ध" रिसर्च पब्लिकेशन त्रिपोलिया बाजार 2009
- पाण्डे दिनेश चन्द "द्वि ध्रुवीयता, गुट निरपेक्षता भाग–1 भाग–2" उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 1991
- वर्मा दिनानाथ "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध" ज्ञानदा प्रकाशन, पटना 1980
- वेद्दान सुधीर "भात की विदेश नीति बदलते सन्दर्भ" नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली 1998
- यादव आर. एस. "भारत की विदेश नीति; एक विश्लेषण" किताब महल इलाहाबाद 2005
- अप्पादोराय ए एवं राजन एम एस, "इण्डियाज फोरेन पालिसी एण्ड रिलेशनर्स" दिल्ली 1985

- भम्बरी सी पी "फोरेन पॉलिसी ऑफ इण्डिया" स्टरलिंग बाम्वै 1987
- चतुर्वेदी अरूण व लड्ढा संजय "इण्डियाज फारेन पालिसी व इम्र्जिंग ट्रेडस" दिल्ली 1992
- चन्द्र अंतर "फारेन पालिसी; प्लानिंग एण्ड न्यू चैलेंज" अनमोल पब्लिकेशंस दिल्ली 1992
- दीक्षित जे एन "इण्डियाज फोरेन पालिसी" प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली 2003
- हक्सर पी एन " इण्डिया फोरेन पालिसी एण्ड इट्स प्राब्लम्स" पैट्रिआर पब्लिशर्स दिल्ली 1989
- जेटली नैन्स " इण्डियाज फोरेन पालिसी, चैलेंजेज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स" विकास पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1999
- खन्ना वी एन "फोरेन पालिसी ऑफ इण्डिया" विकास पब्लिशिंग हाउस 1997
- कुमार डा महेन्द्र "थ्योरिटीकल आस्पेक्टस आफ इण्टरनेशनल पालिटिक्स" आगरा 1998
- कुमार सतीश "ईयर बुक आफ इण्डियाज फॉरेन पालिसी" अटलांटिक पब्लिकेशंस दिल्ली 1999
- महाजन वी डी "इण्टरनेशनल रिलेशनर्स" एस चन्द एण्ड कम्पनी लि0 नई दिल्ली 1980
- मिश्रा के पी "फारेन पालिसी आफ इण्डिया" थॉम्सन प्रेस इण्डिया लि0 नई दिल्ली 1977
- मिश्रा ए एस "इण्डियाज फोरेन पालिसी" मीनाक्षी प्रकाशन मैरठ 1996
- नन्दा बी आर (सम्पादित) "इण्डियन फोरेन पालिसी" द नेहरू ईयर्स रेडियन्ट पब्लिकेशर्स नई दिल्ली 1990
- नायर कुलदीप "इण्डिया; द क्रिटिकल ईयर" विकास पब्लिशिंग हाउस 1971
- यादव आर एस (सम्पादित) "इण्डियाज फोरेन पालिसी; कान्टेम्प्रेरी ट्रेडर्स" शिप्रा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2009
- यादव आर एस (सम्पादित) "इण्डियाज फोरेन पालिसी; टूवर्डस 200 ए डी" द्वीप एवं द्वीप पब्लिकेशन 1993

- सेमराजन सी एन "फोरमुलंशन एण्ड प्रेक्टिस आफॅ इण्डिया फोरेन पालिसी" द्वीप एण्ड द्वीप पब्लिकेशन नई दिल्ली 1993
- थॉमस राजु जी सी "इण्डियन सिक्युरिटी पॉलिसी" प्रिंसटन युनिवर्सिटी प्रेस 1986
- पन्नीकर के एम "प्राब्लम्स आफ इण्डियन डिफैस" ए सी आर पब्लिकेशन हाउस 1960
- ब्रेचर माइकल "इण्डिया एण्ड वर्ल्ड पोलिटिक्स" कृष्णा मेनन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन 1968
- फ्रेंकल जोसेफ "द मैकिंग आफ फोरेन पालिसी; एन ऐनालिसिस ऑफ डिसिजन मैकिंग" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन 1963
- यादव आर एस "भारत की विदेश नीति" पीयर्सन दिल्ली 2013

अंग्रेजी ग्रन्थ :–

- Appadorai, A; "Essays In Politics And International Relations", Asia Publishing House, Bombay 1969

- Bandyopadhyaya, J ; "The Making Of India's Foreign Policy : Daterminants, Institution, Processec And Personalities", Allied Publishers, Bombay, 1979
- Bhambhri, C P ; "Foreign Policy Of India", Sterling Publication, New Delhi, 1987
- Brecher, Michal; "India And World Politics : Krishna Menon's View Of The World", Oxford University Press, London, 1968
- Chand, Attar, "Foreign Policy : Planning And New Challenges", Anmal Publication, New Delhi, 1992
- Chopra, Pran; " The Crisis Of Foreign Policy: Perspectives And Issues", Wheeler Publishing, New Delhi 1993
- Damodaran, A K & Bajpai, U.S. (Ed.); "Indian Foreign Policy: The Indira Gandhi Years". Sangam Book London, 1990
- Dixit, Abha; "Sino- Pakistan Relations And Their Implications For India: Strategic Analysis" December 1987
- Dixit, J. N.; "Indian Foreign Policy", Prabhat Prakashan, New Delhi 2003
- Frankel, Joseph; "The Making Of Foreign Policy: An Analysis Of Decision Making", Oxford University Press London, 1963

- Gupta M G ; " Rajiv Gandhi's Foreign Policy: A Study In Continuity And Change", M. G. Publishers Agra 1987
- Haksar, P. N.; "India's Foreign Policy And Its Problems", Patriot Publishers, New Delhi 1994
- Yadav R. S., Indian Foreign Policy Contemporary Trends" Shipra, New Delhi, 2009
- Kapoor, Harish; "India's Foreign Policy (1947-92)", Sage Publication, New Delhi, 1994
- Karnik, V. B.; "Jawaharlal Nehru : Foreign Policy In A. B. Shaha (Ed.)" "Jawaharlal Nehru: A Critical Tribute" Mana Ktalas, Bombay, 1965
- Khanna, V N "Foreign Policy Of India" Vikas Publishing House, New Delhi, 1997
- Kumar Dr. Mahendra; "Theoretical Aspects Of International Politics" Agra 1998
- Kumar Satish, " Year Book On India's Foreign Policy", Atlantic Publication, New Delhi, 1999
- Mahajan, V P "International Relations", S Chand & Co. Ltd. New Delhi 1980

- Martin L W (Ed); " Neutralism And Non-Alignment", Fredric A Praeger New Delhi 1962
- Mehta Pratap Bannu; "India's Disordered Democracy", Pacific Affairs, Winter, 1991-92
- Melkote R S & Rao, N.; " International Relations", Sterling Publications, New Delhi 1998
- Mishra A S; "India's Foreign Policy", Meenakshi Prakshan Meerut 1996
- Nanda, B R (Ed); "Indian Foreign Policy : The Nehru Year", Radiant Publication New Delhi 1990
- Nayar, Kuldip; "India : The Critical Years", Vikas Publishing House, New Delhi 1971
- Palit, D K ; "War In The High Himalayas : India In Crisis, 1962" Lancer International, New Delhi 1991
- Pannikar, K M ; " Problems Of Indian Defence", Asia Publishing House, London 1960
- Power, P F (Ed); " India's Non-Aligned Policy : Strength And Weaknesses", University Of Cinannati, P C Health And Co., Bostan U S A 1967

- Rehman, M M "The Politics Of Non-Alignments", Associate Publishing House, New Delhi.
- Roy Dr G ; "The Non-Aligned Diplomacy Of Mrs. Indra Gandhi", Janaki Prakashan, Patna 1983
- Sen Gautam (Ed); "India's Security Considerations In Nuclear Age", Atlantic Publishers And Distributors, New Delhi, 1987
- Singh, Hari & Jain; "India And The Non Aligned World", Vikas Publishing House, New Delhi 1983
- Somrajan C N "Formulation And Practice Of India's Foreign Policy", Deep & Deep Publications, New Delhi, 1993
- Sondhi, Manohar L. (Ed); "Foreign Policy And Legislatures : An Analysis Of Seven Parliaments", Abhinav Publishers, New Delhi, 1988
- Subbarao T V; " Non-Alignment In International Law And Politics", Deep And Deep Publications, New Delhi.
- Tharoor, Shashi; "Reasons Of State: Political Development And India's Foreign Policy Under Indira Gandhi, 1966-1977", Vikas Publishing House, New Delhi, 1982
- Thomas, Raju, G C; "Indian Security Policy", Princeton University Press, 1986

- Yadav, R S (Ed); "India's Foreign Policy Towards 2000 A. D.", Deep & Deep Publications New Delhi 1993
- Yasin, Madhavi; "India's Foreign Policy : The Duffer In Years", Raj Publications, 1994
- Sinha Atish & Mohta Madhup; - Indian Foreign Policy – Challenges And Possibilities – Academic Foundations New Delhi – 2007
- Gandhi, Rajiv, Statements On Foreign Policy : November 1984- April 1985, New Delhi Ministry Of External Affairs 1965
- Power, P F (Ed), India's Non-Aligned Policy: Strength And Weaknesses University Of Cinannati, D C Heath And Co Bostan, U S A 1967
- Rana A P The Inperatives Of Non-Alignment, A Conceptual Study Of India's Foreign Policy Strategy In The Nehru Period, Macmillan So Of Indian Ltd., New Delhi 1976
- Rehman, M M: The Politics Of Non-Alignment, Associate Publishing House, New Delhi
- Roy Dr. Gandhijee: The Non Aligned Diplomacy Of Mrs Indira Gandhi, Janaki Prakasan, Patna New Delhi 1983
- Roy Dr G The Non-Aligned Diplomacy Of Mrs Indira Gandhi Janaki Prakashan Patna 1983

- Singh Hari Jain : India And The Non Aligned World, Vikas Publishing House, New Delhi 1983
- Singham, A W And Shirey Hune, Non- Alignment In An Age Of Alignment London Zed Books, 1986
- Kapur, Harish : India's Foreign Policy, 1947-92 Sage Publications, New Delhi 1994
- Khanna, V N Foreign Policy Of India, Vikas Publishing House 1997

JOURNALS, PERIODICALS, NEWS PAPERS

1. Public Affairs (Banglore)
2. Strategic Analysis (New Delhi)
3. Strategic Digest (New Delhi)
4. World Focus (New Delhi)
5. Mainstream (New Delhi)

6. Economic Political Weekly (Mumbai)

7. Front Line (New Delhi)

8. Out Look (New Delhi)

9. India Today (New Delhi)

10. Indian And Foreign Review (New Delhi)

11. The Hindu (Madras)

12. Times Of India (New Delhi)

13. Rajasthan Patrika (Jaipur, Kota)

14. The Indian Express (New Delhi)

15. The Hindustan Times (New Delhi)

16. Economic Times (New Delhi)

17. The Statesman (Calcutta)

परिशिष्ट – 1

भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले पड़ोसी देशों की स्थिति

परिशिष्ट – 2

अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में गुट निरपेक्ष देशों की स्थिति

cci

WORLD
Political Map
ARCTIC OCEAN
ARCTIC OCEAN
ALASKA (US)
Svalbard (Norway)
RUSSIAN FEDERATION
GREENLAND (DENMARK)
Greenland Sea
Baffin Bay
ALASKA (US)
Bering Sea
RUSSIAN FEDERATION
Bering Sea
ICELAND
SWEDEN
CANADA
Gulf of Alaska
Hudson Bay
Aleutian Islands (US)
NORWAY
FINLAND
Labrador Sea
UNITED KINGDOM
IRELAND
POLAND
GERMANY
UKRAINE
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
NORTH PACIFIC OCEAN
FRANCE
ROMANIA
UZBEKISTAN
ITALY
NORTH ATLANTIC OCEAN
UNITED STATES
SPAIN
GREECE
TURKEY
AFGHANISTAN
CHINA
JAPAN
Mediterranean Sea
PACIFIC OCEAN
MOROCCO
IRAQ
IRAN
ISRAEL
PAKISTAN
NEPAL
MEXICO
Gulf of Mexico
THE BAHAMAS
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
SAUDI ARABIA
UAE
BANGLADESH
INDIA
CUBA
MAURITANIA
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
Hawai'ian Islands (US)
Caribbean Sea
CAPE VERDE
Arabian Sea
Bay of Bengal
THAILAND
PHILIPPINES
MARSHALL ISLANDS
VENEZUELA
GUINEA
NIGERIA
GHANA
SOUTH SUDAN
ETHIOPIA
FEDERATED STATES OF MICRONESIA
PALAU
COLOMBIA
CAMEROON
SRI LANKA
MALAYSIA
MALDIVES
KIRIBATI
ECUADOR
D.R.C. (ZAIRE)
KENYA
INDONESIA
NAURU
TANZANIA
SOLOMON ISLANDS
PERU
BRAZIL
ANGOLA
ZAMBIA
SAMOA
MAURITIUS
INDIAN OCEAN
Cook Islands (NZ)
TONGA
NAMIBIA
MOZAMBIQUE
VANUATU
FIJI
BOTSWANA
MADAGASCAR
AUSTRALIA
CHILE
SOUTH AFRICA
SOUTH PACIFIC OCEAN
ARGENTINA
SOUTH ATLANTIC OCEAN
NEW ZEALAND
Copyright © 2013 www.mapsofworld.com
(Updated on 5th March, 2013)
SOUTHERN OCEAN

AFGHANISTAN

ALGERIA

ANGOLA

BAHAMAS

BAHRAIN

BANGLADESH

BARBADOS

BELARUS

BELIZE

BENIN

BHUTAN

BOLIVIA

BOTSWANA

BRUNEI DARUSSALAM

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMBODIA

CAMEROON

CAPE VERDE

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

CHAD

CHILE

COLOMBIA

COMOROS

CONGO

CÔTE D'IVOIRE

CUBA

DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

DJIBOUTI

DOMINICAN REPUBLIC

ECUADOR

EGYPT

EQUATORIAL GUINEA

ERITREA

ETHIOPIA

GABON

GAMBIA

GHANA

GRENADA

GUATEMALA

GUINEA

GUINEA-BISSAU

GUYANA

HONDURAS

INDIA

INDONESIA

IRAN Islamic Republic of

IRAQ

JAMAICA

JORDAN

KENYA

KUWAIT

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

LEBANON

LESOTHO

LIBERIA

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA

MADAGASCAR

MALAWI

MALAYSIA

MALDIVES

MALI

MAURITANIA

MAURITIUS

MONGOLIA

MOROCCO

MOZAMBIQUE

MYANMAR

NAMIBIA

NEPAL

NICARAGUA

NIGER

NIGERIA

OMAN

PAKISTAN

PALESTINE

PANAMA

PAPUA NEW GUINEA

PERU

PHILIPPINES

QATAR

RWANDA

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SAO TOME AND PRINCIPE

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SEYCHELLES

SIERRA LEONE

SINGAPORE

SOMALIA

SOUTH AFRICA

SRI LANKA

SUDAN

SURINAME

SWAZILAND

SYRIAN ARAB REPUBLIC

THAILAND

TIMOR-LESTE

TOGO

TRINIDAD AND TOBAGO

TUNISIA

TURKMENISTAN

UGANDA

UNITED ARAB EMIRATES

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

UZBEKISTAN

VANUATU

VENEZUELA

VIET NAM

YEMEN

ZAMBIA

ZIMBABWE

परिशिष्ट – 3

गुट निपेक्षता के प्रमुख सिद्धान्त

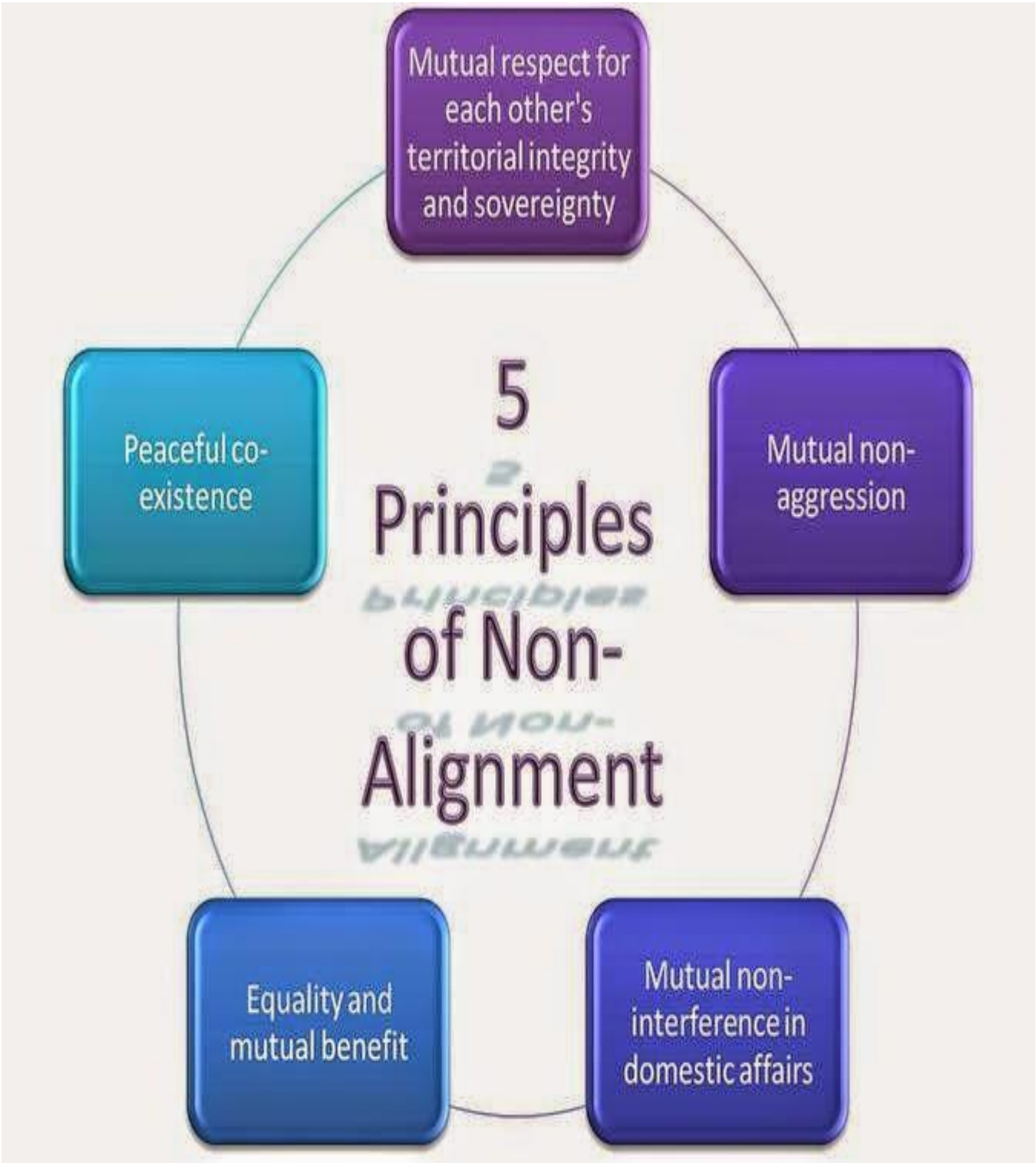
Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty
Mutual non-aggression
Mutual non-interference in domestic affairs
Equality and mutual benefit
Peaceful co-existence
5 Principles of Non-Alignment

परिशिष्ट – 4

THE IMPORTANCE OF NON-ALIGNED MOVEMENT FOR THE WORLD PEACE

परिशिष्ट – 4

THE IMPORTANCE OF NON-ALIGNED MOVEMENT FOR THE WORLD PEACE:

THE IMPORTANCE OF NON-ALIGNED MOVEMENT FOR THE WORLD PEACE:

- Non-alignment has primarily been a policy aiming at the strengthening of independence of the newly independent countries, ending of colonialism and promoting world peace.
- Non-alignment is a movement adopted to reduce the tensions between nations arising out of formation of Military blocs. Non-aligned means 'being non-aligned with any of the super powers of the world.

- It helped in reducing the tension caused by Cold War. This is the reason that many independent countries of Asia and Africa refused to join Cold War. They considered formation of Military blocs as a serious threat to world peace.
- The non-aligned countries are playing an increasingly important role in creating a new international economic order in which economic relations between nations would be based on equality, non-exploitation of one nation by another, and the narrowing down of economic disparities. The leaders of non-aligned movement do not want to support the race for armament. Thus, the policy of disarmament is advocated by the non-aligned nations, so that there are no tensions in the minds of people and there exists peace everywhere.

परिशिष्ट – 5

Relevance of Non-alignment Movement in 21st Century

It has been several years since the Cold War ended. One now wonders what role the NAM could play in contemporary politics, especially as the bipolar struggle that aligned the world into blocs, is now over. There have been several arguments brought about every now and then about the fact that there is hardly any requirement for the Non-Aligned Movement in contemporary politics. In this current scenario the USA remains a major super-power and China is in the process of becoming the biggest threat to US supremacy on world affairs. Russia is also slowly climbing back, for its joint policy of respecting anti-US policy in the Security Council, by the use of the veto along with China in diametric opposition to what the US proposes, Syria being an example.

The changes in the Middle East is reiterating the fact that as democracy takes root, the US-propped-dictatorships are slowly becoming redundant, thereby reducing US power and influence over the region in comparison with what they originally had. Thus the NAM has become more important than ever before.

The NAM has in recent years often criticized the USA while backing the self determination of Puerto Rico and Western Sahara. Since most of its members are developing nations it serves as a great platform for these nations to have their voice felt at the United Nations. It can play a strong role in devising methods to foster cooperation among these nations to ensure sustainable development and will lead to great progress in the fields of science, technology, culture and economics.

The NAM can also act as a guide and overseer of the condition of Human Rights in some of the member states who have rather poor human rights records like Syria, Egypt or even India. NAM could even possibly standardize the yardstick by which Human Rights are treated and governed. NAM most importantly is a great way to ensure that issues like Palestine and crises in Somalia and Sudan get a fair and long-lasting solution and that the super-powers don't unduly interfere in these issues to meet their vested interest.

Thus the NAM exists and will continue to exist as a strong organization to reckon with. Among other reasons for NAM's continued relevance is the fact that India and South Africa- two Nations with the potential to become super powers are members. Also, economic powerhouses in the form of Singapore and Thailand are members. The strong membership from Africa , Asia and South America will be a great way for Nations with similar issues to sort them out and collectively make legitimate demands in global politics. It will in fact have stronger reasons and stronger means to take part actively in matters related to global politics and diplomacy now than in the Cold War era.